(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के तृतीय सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार,

दिनांक 17 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

— —

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंगकुमार।

डग विधान सभा क्षेत्र में खोले गये नवीन विद्यालय

85. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) व **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ डग विधान सभा क्षेत्र में गत शिक्षा सत्र में कितने सैकण्डरी, मिडल व प्राइमरी स्कूल कहां कहां खोले गये ? कृपया स्कूल व ग्रामों के नाम सहित सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में इस प्रकार के स्कूल्स को भी क्रमोन्नत किया गया है, जहां न तो विद्यार्थियों की संख्या ही पर्याप्त है और न ही स्कूल भवन ?

(3) झालावाड़ में कितने विधान सभा क्षेत्र हैं ? उनमें गत शिक्षा सत्र में कितने सैकण्डरी, मिडल व प्राइमरी स्कूल खोले गये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) गत सत्र में झालावाड़ डग विधान सभा क्षेत्र में कोई सैकण्डरी, मिडल व प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है।

(2) गत सत्र में झालावाड़ जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दांता (पंचायत समिति पिड़ावा) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था, जिसमें छात्र संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम है तथा छात्र संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विद्यालय भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्थानीय पंचायत ने भवन की व्यवस्था करने के आश्वासन को पूरा नहीं किया है।

(3) झालावाड़ में पांच विधान सभा क्षेत्र हैं। गत सत्र में खोले गये विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो गत सत्र में स्कूल खोले गये हैं, उसमें किस नियम से आपने स्कूल खोले ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि इसका क्राइटेरिया क्या था ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश तौर पर वहां की स्थानीय जनता माननीय सदस्यों, पंचायत समितियों के प्रधानों तथा पंचायतों की मांग पर स्कूल खोले जाते हैं। मैंने स्पष्ट किया कि पंचायत ने बिल्डिंग देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकी।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि माननीय सदस्यों के कहने पर स्कूल खोले गए। तो क्या मैं सदस्य नहीं हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह नहीं कह रहा हूं। केवल माननीय सदस्य ही नहीं हैं...

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपने जो कहा है, उसी की बात मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि माननीय सदस्यों ने कहा है या लिख कर दिया है, तो क्या मैंने लिख कर नहीं दिया ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत 'मिडल स्कूल है। वहां बिल्डिंग है, विद्यार्थियों की संख्या है, फिर भी उस जगह पर स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जावे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : लेकिन पांचों ही चुनाव क्षेत्रों में सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : नहीं खोले हैं।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : जनता पार्टी के जहां से विधायक हैं वहां एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। भारतीय जनता पार्टी के जहां विधायक हैं, वहां पर कोई भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : धैर्य से सुनिये। आपका चुनाव क्षेत्र कौन-सा है ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इनका झालरापाटन और मेरा डग निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री अनंगकुमार जैन : जहां पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, जहां भवन नहीं है, वहां सरकार ने स्कूल खोले हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो फरमा रहे हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में स्कूल खोले हैं, तो मैं यह सूची सदन की मेज पर रखता हूं। इसमें मेरे क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने देख ली है सूची।

श्री अनंगकुमार जैन : क्या मंत्री महोदय नए स्कूल खोलते समय इसका ध्यान रखेंगे ?

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : जिस समय आपका शासन था, उस समय एक भी स्कूल कांग्रेस क्षेत्र के अन्दर नहीं खोला गया था। 77 में आपने एक भी स्कूल नहीं खोला था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। आर्डर प्लीज।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने नए स्कूल खोलने की कोई नीति तय की है और क्या वह लिखित में है, तो यह बताने की कृपा करें ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय,···· अभी ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री चन्दनमल बैद : अभी एक प्रश्न यह किया गया है कि विरोधी सदस्यों के क्षेत्र में स्कूल नहीं खोले गए । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि सन् 1977 मे कांग्रेस सरकार ने जो सैकड़ों प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूल खोले थे, जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद आदेश निकाल कर उनको निरस्त कर दिया था और कहते हैं कि भेदभाव बरता जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि यह वाजिब बात नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी ।

श्री अनंगकुमार जैन ; अध्यक्ष महोदय, मैंने नीति के बारे में पूछा है, उसका जवाब दिलावें ।

श्री चन्दनमल बैद : नीति हमारी एक ही रही है और वह है जनता की मांग । आपकी जनता पार्टी ने नीति बनाई होगी, तो हमारी भी नीति होगी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : आपने नीति लिखित में बनाई हो तो बताइये ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल्स को क्रमोन्नत करने के बारे में कोई नीति, कोई क्राइटेरिया तय किया गया हो तो कृपया वह बताने का कष्ट करें । 1977 की बात करके चलने वाली बात नहीं हो सकती । अगर 1977 में कोई नीति थी, तो उसको भी बतावें । 77 में खोले 78 में बन्द कर दिए और फिर उन्हीं को 81 में खोल दिया, इसका क्या कारण था कृपया इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, 77 में जितने स्कूल खोले गए थे, वह इन्होंने बन्द कर दिए···

(व्यवधान)

आपने मेरे क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं खोला ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मंत्री महोदय का जवाब सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये पहले तीन प्रश्नों का उत्तर आने दीजिए ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा । पहले मंत्री महोदय का जवाब सुन लीजिए ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, स्कूलों की संख्या को देखते हुए, सारे राजस्थान की मांग को देखते हुए जहां स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां पर भवन की व्यवस्था स्थानीय लोग कर रहे हैं या नहीं तथा जहां स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां पर वांछित मात्रा में विद्यार्थी उपलब्ध होंगे या नहीं ये सब बातें देख कर स्कूल खोले जाते हैं । आप यह कह रहे हैं कि 77 में खोले गए स्कूलों को निरस्त कर दिया तो यह तो आपके खुद के

(श्री चन्दनमल बैद)

हाथ में था। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिन स्कूलों को वापस खोलने के आदेश दिये हैं उनमें अगर कुछ भूल से पांच सात दस स्कूल ऐसे खुल गए सैकड़ों स्कूल हैं

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यही सरकार चल रही है, आपकी। यह सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये, कृपया।

अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आश्वासन दिया था, एक प्रश्न पूछने का मैं तो पूछता ही बहुत कम हूं।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा। शान्तिपूर्वक तरीके से पूरक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वरना पांच पांच, सात-सात सदस्य.....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप एक एक का नाम पुकारें।

श्री महाराम चौधरी: जनता पार्टी ने जो स्कूल खोलने से रोके थे, उन क्षेत्रों में स्कूल नहीं खुले हैं। क्या सरकार वहां पर प्राइमरी और मिडल स्कूल खोलते समय प्राथमिकता देगी ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 1977 में जो स्कूल खोले थे उनके किस तारीख को आदेश दिये गये थे और उसके कितने दिन बाद सरकार गिर गई ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब आपकी सरकार जा रही थी, सेन्ट्रल से आपकी सरकार चली गई थी तब आदेश दिये गये थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, स्कूल खुल गये थे, हैडमास्टर पहुंच गये थे.......

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : विधान सभा के दोनों मुख्य मन्त्री पहाड़िया जी और शिवचरण जी..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता है।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री महेन्द्रसिंह।

(व्यवधान)

प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि· ·

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न को अन्य किसी तरह से उठा सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिये। नियमों के अन्दर कई तरह के प्रावधान हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न मैंने पुकार लिया है उसका उत्तर दिया जायगा। इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठाया जा सकता है, मैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

अगला प्रश्न। महेन्द्र सिंह।

रासायनिक मिश्रण खाद बनाने के कारखाने

86. **श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में रासायनिक मिश्रण खाद बनाने के कितने कारखाने हैं तथा मिश्रण खाद में निर्धारित तत्वों की सही मात्रा उपलब्ध है या नहीं ?

(2) जांच हेतु कितने नमूने लिये जाते हैं और कितने लिये गये ? इन नमूनों में कितने नमूने सब स्टैण्डर्ड पाये गये ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) जिन मिश्रण खाद तैयार करने वाले कारखानों की खाद के नमूने सब स्टैंडर्ड पाये गये, उनको आगे खाद तैयार करने की अनुमति क्यों दी गई ?

(4) क्या उन कारखानों का मिश्रण खाद बनाने का लाइसेंस रिन्यू किया गया ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) राज्य में तीन रासायनिक मिश्रण खाद बनाने के कारखाने हैं:—

1. श्री गंगानगर फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, श्री गंगानगर।

2. जीवन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०, कोटा।

3. मधुवन केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स प्रा० लि०, उदयपुर।

अधिकांशतः मिश्रण खाद में निर्धारित तत्व सही मात्रा में पाया गया है।

(2) वर्ष में कुल 250 नमूने जांच हेतु लिये जा रहे हैं। मिश्रण खाद के कुल 54 नमूने अप्रेल, 81 से अगस्त, 81 तक लिये गये, जिनमें 17 नमूने निम्न स्तर के पाये गये।

(3) ऐसे कारखानों को अनुमति नहीं दी जाती है।

(4) जी नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर में खाद के कितने नमूने लिये गये और कितने सब-स्टेण्डर्ड पाये गये ?

(6)

श्रीमती कमला: अध्यक्ष महोदय, 1980-81 में उदयपुर में तीन नमूने, बारां में एक नमूना और गंगानगर में एक नमूना लिया गया, इस प्रकार कुल पांच नमूने लिये गये। इनमें से तीन बिलो स्टेण्डर्ड पाये गये। 1981-82 में गंगा खाद के दो नमूने और एक नमूना झालावाड़ में लिया गया। तीन लिये गये जिनमें से एक सब-स्टेण्डर्ड पाया गया।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, गंगा खाद फैक्ट्री के आज तक 50 नमूने लिये हैं, जिनमें से 30 सब-स्टेण्डर्ड पाये गये हैं, जबकि गंगा खाद फैक्ट्री की तरफ हमारी सरकार का जनवरी, 75 से 76 तक 36 हजार रुपया बकाया है फिर भी उसका लाइसेंस रिन्यू किया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जो गंगा खाद वाले हैं, वह खाद की जो बोरियां बाजार में बेचते हैं, और कुछ नहीं बनता, बिलकुल रेत की रेत आती है। गलत हो, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार बैठा हूं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो सूचना दी है कि गंगानगर में जो कारखाना है, उसमें जो मैन्यूफैक्चरिंग हो रहा है, वह गलत है। उसमें जितने प्रपोर्शन में निर्धारित तत्व होने चाहिये, वह नहीं हैं। इस तरह के नमूने लिये गये और इसमें काफी गलती पाई गई है। मुझे जो सूचना दी गयी है, 80–81 और 81–82 की, वह मैंने सदन में प्रस्तुत की है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उस पर मैं एक खास आफिसर लगाकर जांच करवाऊंगी और सही पाया गया तो उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): अध्यक्ष महोदय, जो सब-स्टेण्डर्ड पाया गया है, उसके लिये सरकार ने क्या किया है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में वर्तमान में जो इसके लिए प्रावधान है, वह प्रभावशाली नहीं है। मैं स्वयं इसके लिये भारत सरकार को लिखने की सोच रही हूं कि इसको प्रभावशाली बनाया जाये। वर्तमान में जो नियम हैं, उनमें 13 ए में यह प्रावधान है कि किसी में प्रपोर्शन कम पाया गया तो उस प्रपोर्शन का उतना पैसा कम कर के वह काश्तकारों को दिया जाये। लेकिन वास्तव में यह प्रभावकारी नहीं है। मैं स्वयं इसको उपयुक्त नहीं मानती हूं। उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। चूंकि भारत सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है, इसलिए हम उनको लिख रहे हैं। अगर इस प्रकार की खाद है, जिसमें प्रपोर्शन कम है, तो सारी खाद का मुआवजा काश्तकारों को दिया जाये, ताकि कम्पनियां काम कर सकें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या खाद्य पदार्थों · · ·

श्री अध्यक्ष : ज्यादा प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : खाद्य पदार्थों में किस प्रकार मिलावट करते हैं · ·।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री महेन्द्रसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, गंगा फैक्ट्री के नमूने लिये गये उसके प्रभाव में आकर किए गए?

श्रीमती कमला : यह सरासर गलत है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह : यह सच है। उन्होंने प्रभाव में आकर के किए हैं। अगर गलत हो, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ तबादले इसलिए किये गये हैं कि वे आठ-आठ, दस-दस साल से एक ही स्थान पर लगातार थे और कुछ अनियमित भी हैं। 10-10 वर्ष से अधिकारी एक ही स्थान पर थे, इसलिये.........

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह : जिन अधिकारियों के तबादले किये....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इस प्रकार सदन में प्रश्न उठाकर जो अपना स्थानान्तरण निरस्त कराना चाहते हैं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री यदुनाथ सिंह।

स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ

87. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदवई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है ?

(2) जिला भरतपुर में कौन-से ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां कोई स्टाफ नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री सी. एल. कंवरिया) : (1) राजस्थान में करीब 380 उप-केन्द्र ऐसे हैं जहां कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है।

(2) जिला भरतपुर में 10 उप-केन्द्र हैं जहां कोई स्टाफ नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैंने सवाल तो डिफरेन्ट व्यू के बारे में किया था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया। 380 राजस्थान में ऐसे उप केन्द्र बताये और भरतपुर में आपने 10 बताये, जिनकी सूची प्रस्तुत की है। जो भरतपुर की सूची प्रस्तुत की है, उसमें 10 केन्द्रों पर ऐसा मालूम होता है मेरे पास 50 केन्द्रों की सूची मौजूद है, जहां पर कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है ? 3-3, 4-4 साल हो गये, इनको डेपुटेशन पर भरतपुर जिले में कहीं अस्पताल में लगा रखा है। इस प्रकार 50 उप केन्द्र ऐसे हैं, जहां पर कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है। दूसरे, इन उप केन्द्रों का जो बजट और दवाइयां हैं उनका आप क्या करते हैं ?

श्री सी० एल० कंवरिया : वैसे भरतपुर जिले में कुल 103 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उनमें केवल 10 ऐसे हैं, जहां स्टाफ नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सूचना गलत है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सी० एल० कंवरिया : हमारे पास जो सूचना है, उसमें 10 ही ऐसे स्थान हैं जहां स्टाफ नहीं हैं, बाकी में स्टाफ है।

श्री हजारीलाल शर्मा : यदि आपकी सूचना गलत सिद्ध होती है, तो क्या आप गलत सूचना के लिए कार्यवाही करेंगे ?

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, अभी ट्रेंड स्टाफ की कमी है। लगभग 600 ए.एन.एम. की कमी है। अब जो ए.एन.एम. ट्रेनिंग प्राप्त कर ज्यों ही निकलेगी, इन स्थानों पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, ये बता रहे हैं कि 10 केन्द्र ऐसे हैं, जहां स्टाफ नहीं है, जबकि सही यह है कि भरतपुर में 50 केन्द्र ऐसे हैं जहां पर स्टाफ नहीं है। यदि यह सूचना, जो आपने दी है, सही न हो, तो गलत सूचना देने वाले आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सी०एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, 10 उप केन्द्र ऐसे हैं, जहां पर स्टाफ नहीं है। फिर भी जानकारी और करवा ली जायेगी। कहीं डेपुटेशन पर भी किसी जगह कोई स्टाफ है तो उसको समाप्त करके वापस लगा दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि वहां पर कार्यरत हैं या नहीं। यह सूची अधूरी है अध्यक्ष महोदय। बजट कहां जाता है ? दवाइयां कहां जाती हैं ? इसका उत्तर, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : इसके लिए अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यह इसी से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, जब स्टाफ नहीं है तो दवाइयों का क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये अन्य किसी माध्यम से आप सूचना एकत्र करवा सकते हैं, यह अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न उठाया जा रहा है। यदि आपकी सूचना गलत है, जो सूचना गलत दी गई है, उसके लिए क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सी० एल० कंवरिया : जो सूचना दी गई है, वह सही है, फिर भी आप चाहते हैं तो इसकी जानकारी करवा ली जायेगी।

श्री मेघराज तावड़ : क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। श्री रामकिशोर मीणा। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा। आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा, आप अवहेलना कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं ---

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप व्यर्थ ही आवेश में आ रहे हैं।....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इसलिये कह रहा हूं। दूसरा प्रश्न आपने पुकार लिया है आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। चिकित्सा मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर दिया है उस पर माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि गलत आंकड़े दिये गये हैं। तो क्या जिन अधिकारियों ने यह जानकारी दी है, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ? दंड देंगे ? उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर को गोल कर दिया है। अधिकारियों ने कहा दस और माननीय सदस्य ने कहा 50, इन दोनों के बीच में जो डिस्क्रेपेन्सी है, माननीय सदस्यों को यह बता दें कि मंत्री महोदय उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है, वह स्पष्ट था कि राजस्थान में ऐसे कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है ? इसके लिये मंत्री महोदय ने सूची दे दी है और नम्बर भी बताये हैं। भरतपुर के बारे में यह कहा गया है कि दस ऐसे उपकेन्द्र हैं, जहां पर स्टाफ नहीं है। आपने कहा कि यह इन्फार्मेशन सही नहीं है, क्योंकि किसी आफिसर ने आपको सूचना गलत दी है, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? माननीय सदस्यों को, खास तौर से विरोधी पक्ष के सदस्यों को यह ज्ञात है— एक ने दस की जगह 50 कहा है। यह तो बहुत अन्तर है, इसके लिये अपने आप ही उपयुक्त कार्यवाही करने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। किसी भी मंत्री को गलत इन्फार्मेशन या अपूर्ण इन्फार्मेशन देना अपने आप में सीरियस मैटर है। हम इसका काग्नीजेन्स ले रहे हैं। दस से 50 और ईवन नम्बर 13.11 भी आपने बताया हो तो, हम इसकी जांच करा लेंगे। अगर चाहेंगे, तो एक-दो दिन में इन्फार्मेशन दे देंगे, किसकी क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कन्फ्यूजन हो गया है।

श्री अध्यक्ष : कन्फ्यूजन रह गया तो रह गया। आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : कन्फ्यूजन दूर कर दूं, ताकि दो दिन में पूरा जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यहां पर जो स्टाफ कार्यरत नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन की कार्यवाही में आप बाधा उपस्थित नहीं करें। माननीय सदस्य ..

(व्यवधान)

(10)

(श्री अध्यक्ष)

— सूचना जितनी उपलब्ध करवाई जा सकती थी, वह कर दी गयी है। यह गलत सूचना है तो माननीय मदेरणा साहब ने स्थिति रखदी है और उस स्थिति के रखने के बाद या सदन के समक्ष गलत सूचना देने के क्या परिणाम हैं, वह आप जानते हैं। ....

श्री रामकिशोर मीणा : प्रश्न संख्या 88

अलवर शहर में संजय गांधी नगर कालोनी में दिये गये प्लाट्स

88. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर शहर में स्वर्गीय संजय गांधी के नाम पर संजय नगर कालोनी बसाई जा रही है? यदि हां, तो क्या इसे अलवर नगर विकास न्यास द्वारा शहरी भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है?

(2) इस नगर में किन-किन व्यक्तियों को प्लाट्स दिये गये? कृपया मय पिता के नाम, जाति व पूर्ण पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगर विकास न्यास

श्री श्रीराम गोटेवाला : (1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा वर्तमान में स्वर्गीय संजय गांधी के नाम से कोई नई कालोनी नहीं बसाई जा रही है ना ही अलवर नगर विकास न्यास ने किसी भी कृषि भूमि को इस हेतु शहरी भूमि में परिवर्तित करने की कोई अनुमति दी है।

(2) भाग (1) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि संजय गांधी नगर बनाये जाने की जो योजना थी, उसका गत 18 जुलाई को माननीय पहाड़ियाजी के द्वारा उद्घाटन होने वाला था? उसके अन्दर कितने प्लाट देने की योजना थी और क्या इस भूमि को कन्वर्ट करने की कार्यवाही की है? यह 18 जुलाई की योजना थी ....

श्री शीतमल जैन (अलवर) : संजय गांधी कालोनी के नाम से कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर लैण्ड को बगैर कन्वर्ट कराये मकानों का निर्माण किया है। क्या संजय गांधी कालोनी के नाम से, स्टेशन के सामने कोई एग्रीकल्चर लैण्ड, जो कि यू. आई. टी. द्वारा एक्वायर की जा रही थी, में किसी प्रकार का निर्माण हुआ है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने दूसरे ढंग से प्रश्न पूछ लिया। गलत ढंग से पूछ लिया है।

श्री रामकिशोर मीणा : प्रधान मंत्री को लिखित में दिया गया है कि इस प्रकार का घोटाला हुआ है। इसके बारे में क्या जांच करायी जायेगी? संजय गांधी के नाम से घोटाला हुआ है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह घोटाला हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है, उसका मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारी सूचना को गोल कर गये।

श्री जीतमल जैन : माननीय गोटेवाला जी अपने भूतपूर्व मंत्री को बचाना चाहते हैं। उनके किस-किस रिश्तेदार ने प्लाट लिये हैं, यह बतायें ? संजय गांधी के नाम से यह कालोनी बनेगी....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह उचित नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री छीतरलाल आर्य : श्री हीरालाल आर्य।

मांगरोल हाथकर्घा एवं मसूरिया वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि० के बुनकरों को मकान हेतु ऋण एवं अनुदान

89. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1959 में मांगरोल हाथकर्घा एवं मसूरिया वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि. र. नं. 911/1194 (आर) के 60 गरीब बुनकरों को मकान बनाने हेतु इण्डस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट राजस्थान, जयपुर द्वारा 1,20,000 रुपये का ऋण, 60,000 रुपये अनुदान के स्वीकृत किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या इसमें से 24,350 रुपये ऋण तथा 60,000 रुपये अनुदान के अभी तक भुगतान नहीं किये गये हैं, इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान गरीब बुनकरों को शीघ्र करायेगी ?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री दिनेश डांगी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित है और ट्रान्सफर करने के लिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : उद्योग महकमा इसका उत्तर देगा। स्थगित किया गया।

श्री हीरालाल आर्य : मुझे तो इसका उत्तर दिला दिया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने गलत क्यों पूछा है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रहे है कि उद्योग मंत्री का जिस दिन टर्न आयेगा, उसी दिन वे इसका उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गोपाल पचेरवाल।

पंचायत समिति केशवरायपाटन क्षेत्र के गांवों में पेयजल व्यवस्था

90. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या पंचायत समिति, केशवरायपाटन क्षेत्र में जितने गांव पड़ते हैं, उनमें पेयजल

(श्री गोपाल पचेरवाल)

की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो कृपया पेयजल का निम्न प्रकार विवरण सदन के पटल पर रखें:—

(अ) सन् 1980-81 में कितने गांवों में कुओं का निर्माण कराया गया ? उनमें कितने पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण अवस्था में हैं ?

(ब) अपूर्ण कुओं पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(स) अपूर्ण कुओं को कब तक पूरा करा दिया जायेगा तथा अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(द) जिन गांवों में पेयजल का अभाव है, वहाँ क्या व्यवस्था की जा रही है ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री शीशराम ओला) : केशोरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 166 ग्राम हैं। किसी भी ग्राम में पेयजल की कोई गंभीर समस्या नहीं है यद्यपि 22 ग्रामों में कुछ कठिनाई अवश्य है। इस संबंध में वांछित विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

(अ) वर्ष 1980-81 में 56 गांवों में 57 कुओं के निर्माण कार्य विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 46 कार्य अपूर्ण हैं तथा 4 कार्य प्रारंभ नहीं हुए।

(ब) अपूर्ण कुओं पर 15 जुलाई, 1981 तक 1,92,520.98 रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(स) अपूर्ण कुओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र सिंचित होने से, निर्धारित मजदूरी पर पर्याप्त संख्या में श्रमिक नहीं मिलने से कार्य अपूर्ण रहे हैं।

(द) केशोरायपाटन क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां पेयजल की गंभीर समस्या हो। 22 गांवों में कुछ कठिनाई अवश्य है, उपरोक्त 57 कुएं जिन ग्रामों में बन रहे हैं, उनमें 22 ग्राम भी शामिल हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना मुझे नहीं दी गयी है। मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है।

दूसरा निवेदन यह है कि 22 गांवों में कठिनाई है। मंत्री महोदय, एक गांव भी ऐसा बता दें, जिसमें पानी उपलब्ध हो। ग्राम कोटड़ी में पीने का पानी आज की तारीख में है ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : सूची आ गई है। यह प्रश्न संभव नहीं है कि फलां जगह उपलब्ध है या नहीं ?

श्री गोपाल पचेरवाल : एक भी गांव में समस्या नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि ग्राम कोटड़ी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आप कुओं की हैण्ड पम्प्स की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री शीशराम ओला : इस संबंध में कोई अलग से प्रश्न नहीं था, जो प्रश्न उन्होंने पूछा था, उसका उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : कोई ऐसा गांव है, जहां पीने के पानी की समस्या है ? आप कह रहे हैं कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पीने के पानी की समस्या है।

श्री शीशराम ओला : 22 गांवों की समस्या बतायी है। 22 गांवों में कुएं आदि पानी के लिए तैयार करवा रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि 22 गांवों में पीने के पानी की समस्या है। आप उन गांवों के नाम तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह सूची उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई सूची नहीं दी गई है, जब कि मैंने विवरण में जानकारी मांगी है•••

श्री अध्यक्ष : आपने ऐसी सूची नहीं मांगी है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी तो आनी ही चाहिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : विवरण मांगा है। अध्यक्ष महोदय, यह पीने के पानी की समस्या का सवाल है। यह सरकार रोजाना चिल्ला रही है। ये पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, परन्तु दो गांवों, जिनके मैंने नाम बताये है, के बारे में यह सही है कि वहां पर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जिन दो गांवो के नाम बताये हैं, उनके बारे में स्थिति की सही जानकारी करके बता दें।

श्री शीशराम ओला : मैं 22 गांवों के नाम बताने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं दो गांवों के बारे में कह रहा हूं।

श्री शीशराम ओला : कोटड़ी के बारे में आप कह रहे हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यह व्यवस्था शीघ्र करवा दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या यह सही है कि 22 गावों में कोटड़ी का नाम भी है।

एक माननीय सदस्य : हां, यह तो आप देखकर बता ही सकते हैं।

श्री शीशराम ओला : इनमें कोटड़ी का नाम नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन कर रहा था इसमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको जानकारी दी गई है विकास अधिकारी के द्वारा कि इतने कुओं पर पीने के पानी के लिए काम चल रहा है, वह वास्तव में नहीं चल रहा है। कई कुओं के लिए पैसा स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन विकास अधिकारी ने उसको स्वीकृत नहीं कराया है। वह सुनाई नहीं करते हैं। आपको गलत जानकारी दी गयी है।

श्री शीशराम ओला : मेरे पास विकास अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं आई है, रात को 12 बजे फोन से यह जानकारी मिली है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय,

(14)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति में बिलकुल स्पष्ट जवाब नहीं आया है। जवाब बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट जवाब आया है।

अगला प्रश्न। श्री आत्मा राम।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अभी जवाब नहीं आया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अभी इसका जवाब नहीं आया है, लोग पीने के पानी के बगैर जिन्दा नहीं रह सकते हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : मंत्री महोदय, चन्दा इकट्ठा करने में तो बहुत तेज रहते हैं लेकिन सवाल का सही जवाब देने में बहुत पीछे रहते हैं····

श्री अध्यक्ष : सही जवाब आ गया है। आप स्थान ग्रहण करें।

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

व्यर्थ में सदन का समय न लें, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा नियमों में प्रावधान करवा दें।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

प्रश्न संख्या 91

अगला प्रश्न। श्री आत्मा राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमीन खां।

जिला बाड़मेर की ग्राम पंचायत सुन्द्रा, बंधड़ा, मेहूसर में ग्राम सेवा सहकारी समितियां

92. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव की ग्राम पंचायत सुन्द्रा, बंधड़ा, मेहूसर में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सुन्द्रा पंचायत का क्षेत्र 500 वर्गमील, बंधड़ा पंचायत का क्षेत्र 200 वर्गमील तथा इसी प्रकार मेहूसर व जैसिंधर पंचायतों का क्षेत्र भी सैंकड़ों मीलों में फैला हुआ है ?

(3) क्या सरकार सिद्धांत तौर पर यह मानती है कि सैंकड़ों मील क्षेत्र में एक सहकारी समिति कार्य नहीं कर पाती है ? यदि हां, तो क्या ऐसे डेजर्ट एरिया में विशेष रूप से ग्राम सहकारी समितियों का प्रावधान सरकार करेगी ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

श्री अमीन खां : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को अध्ययन करके सही मान लिया है, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि···

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ने जब जवाब को सही मान लिया है, तो क्या पूछना चाहते हैं ? अगला प्रश्न। श्री सोहनलाल बंसीवाल।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति दौसा के नियंत्रित मूल्य के कपड़े का वितरण

93. **श्री सोहनलाल बन्सीवाल (दौसा):** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है क्रय-विक्रय सहकारी समिति दौसा के पास गत आठ माह से लगभग ढाई लाख रुपये नियन्त्रित मूल्य का कपड़ा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गोदामों में बन्द पड़ा हुआ है ?

(2) इस स्टाक पर समिति को कितना ब्याज कपड़ा न बिकने के कारण देना पड़ा है ?

(3) इस कपड़े को वितरण नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ इस कपड़े को वितरण न करने के कारण जांच की गई है ? जांच करने पर क्या सजा दी गई है ?

राज्य मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दौसा के पास जनवरी से पूर्व ···

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है, झुक कर बोलें।

श्री अध्यक्ष : आपकी अनुमति हो तो बैठ कर बोलने की अनुमति दे दूं।

श्री गोपाल पचेरवाल : स्वास्थ्य मंत्री जी को जिस तरह टेबल लैम्प की सुविधा दी गई है, उसी तरह से इनके लिए माइक ऊंचा करवा दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घासीराम यादव : क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दौसा के पास जनवरी से पूर्व 86,877 रु. का कपड़ा था। जनवरी, 1981 से 14-9-81 तक 2,46,437 रु. का कपड़ा प्राप्त हुआ। इस कपड़े में से 1-1-81 से 14-9-81 तक 1,57,793 रु. का कपड़ा विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में वितरण हेतु दिया गया। दिनांक 14-9-81 को समिति के पास 1,75,521 रु. का कपड़ा स्टाक में था।

(2) समिति ने किसी बैंक अथवा अन्य जगह से कपड़ा प्राप्त करने के लिए ऋण राशि नहीं ली, अतः ब्याज देने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) नियन्त्रित कपड़े का वितरण, क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से होता रहा है। माह मई, जून, 1981 में ऋण वसूली कार्य की अधिकता होने, मार्ग अवरुद्ध होने तथा निलम्बित व्यवस्थापक, सहकारी समिति द्वारा गोदाम की चाबी

(श्री घासीराम यादव)

लेकर गायब हो जाने के कारण वितरण कार्य नहीं हो सका। अब वितरण कार्य चालू है।

(4) जांच की जा रही है।

श्री सोहनलाल बंसीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मैं बोलूं या न बोलूं। मन्त्री महोदय विचार करके जांच कर रहे हैं, तो बोलूं कि नहीं बोलूं धांधलियां हो रही है। उनको आप ठीक करना चाहते हैं? जुलाई, 80-81 में 3 लाख 70 हजार का कपड़ा खरीदा, 80-81 तक 1 लाख 69 हजार रु० का कपड़ा और खरीदा गया। 2000 का कपड़ा मौजूद है। 16,400 रु० बैंक को ब्याज के दिये गये और खराब कपड़े को बांटा गया। गरीब आदमी को कपड़ा नहीं दिया गया, कोई कपड़ा नहीं दे रहे हैं। सही बात तो यह है कि जो आप कह रहे हैं कि कपड़ा बांटा गया है, यह गलत है, गरीब आदमी को कपड़ा बांटा ही नहीं गया है।

दूसरा यह है कि 34 हजार रु० की दवाइयां ऐसी हैं, जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। यह धांधलियां हो रही हैं और गरीबों की सहायता का ढिंढोरा पीटा जाता है कि गरीब की सहायता करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए मैंने कहा कि गरीब को कपड़ा दीजिये, थोड़ा सा कपड़ा दीजिये जो आपकी रेट है, उससे दीजिये बड़ी मुश्किल से डेढ़ सौ जोड़ा धोती दी गयी, 794 मीटर लट्ठा दिया गया और 108 मीटर छींट दी गयी। उस कपड़े को लेकर हमने बाढ़ पीड़ितों को बांटा है। यह कपड़ा भी बड़ी मुश्किल से दिया गया, न जाने किन-किन अधिकारियों के चक्कर लगाने पर यह कपड़ा दिया गया है। आपका मैनेजर चाबी लेकर भाग गया। वह 8 बार सस्पेंड ...

अनेक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री सोहनलाल बंसीवाल : हो चुका है। ढाबरिया जी है कोई। उनका पता नहीं रहता है कि वह कहां है? क्या काम करता है, कैसा काम करता है? गरीबों को कपड़ा नहीं मिलता, किसको मिलता है, पता नहीं। सीमेंट नहीं मिलती है। मैं आपको यह कोई द्वेषतावश नहीं कह रहा हूं, मैं तो सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि जो दोषी है, उसको दण्ड दें।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री घासीराम यादव : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो हमने स्टाक बनाया कपड़े के बारे में, वह सही है। हमने कपड़ा बंटवाया है। दौसा के शहरी इलाके में हमने सारा कपड़ा बंटवाया है, राशन कार्ड की यूनिट के अनुसार। अब वहां पर 6 महीने तक दुबारा कपड़ा नहीं दिया जा सकता है। गांवों में भी बंटवाया गया है। माह जून में बांटा है और फिर आप सब को पता है कि जुलाई में बाढ़ आ गयी थी, इस कारण से नहीं बंटवाया जा सका। अभी चार दिन में ही हमने 30 हजार का कपड़ा बिकवाया है। जिस ढाबरिया का जिक्र कर रहे हैं, उसको हमारे को-आपरेटिव डिपार्टमेंट ने सस्पेन्ड कर रखा है। इस पर जो भी दोष प्रमाणित होगा उसके अनुसार दण्ड दिया जायेगा।

श्री दुलाराम : यह सस्पेन्ड जनता पार्टी के राज में कितनी बार हुआ है?

श्री सोहनलाल बंसीवाल : आप इसको कितनी बार सस्पेन्ड करोगे ? आठ बार तो हो चुका है।

श्री एक माननीय सदस्य : यहां पर 6 बार तो जनता पार्टी के राज में सस्पेन्ड हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य बैठकर नहीं बोलें।

श्री सोहनलाल बंसीवाल : दो लाख का कपड़ा मौजूद है। आप कहते हैं कि जुलाई में बाढ़ के कारण से हम कपड़ा नहीं बांट सकते हमने भी तो उसी बाढ़ में आपसे कपड़ा लेकर बांटा है। जुलाई के महीने में ही बांटा है। शहरों में कपड़ा दिया है, तो यह बताये कि किसको कपड़ा दिया है ? हम सब पता करके आपको बता देंगे कि मिला है या नहीं मिला है। जुलाई, 80 से 1980 तक।

श्री धासीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं दौसा शहर में कपड़ा पहले ही बांटा जा चुका है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न-श्री सुजानसिंह यादव।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न की क्रियान्वित हो चुकी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्न आने के बाद सदन की प्रॉपर्टी हो गई। माननीय सदस्य केन्विन्स हो गये, बाकी सभी माननीय सदस्यों का अधिकार है, इसलिए उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय सदस्य ने प्रश्न का नम्बर नहीं बोला है, तब तक सदन की प्रापर्टी नहीं होती है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) लेकिन उत्तर आने दीजिये, सप्लीमेन्ट्री नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे दीजिये।

तहसील बहरोड़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का हैडक्वार्टर

94. **श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नीमराना तहसील बहरोड़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का हैडक्वार्टर मुण्डावर कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहले यह हैडक्वार्टर बहरोड़ में था ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, नीमराना के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हैडक्वार्टर बहरोड़ ही अधिक उपयुक्त स्थान है, क्योंकि मुण्डावर जाने हेतु वर्षाकाल में दो नदियां रास्ते में पड़ती हैं तथा यह स्थान बहरोड़ से अधिक दूरी पर है ?

(श्री सुजानसिंह यादव)

(4) क्या सरकार पुनः हैडक्वार्टर बहरोड़ ही रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दन मल बैद : (1) यह सही है कि पंचायत नीमराना के स्कूलों से सम्बन्धित उप जिला शिक्षा अधिकारी का हैडक्वार्टर बहरोड़ से मुण्डावर कर दिया गया था परन्तु अब दिनांक 24. 8. 81 के आदेश द्वारा पंचायत समिति नीमराना के स्कूलों का सम्बन्ध अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, बहरोड़ से कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। हैडक्वार्टर बहरोड़ कर दिया गया है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न—श्री देवीसिंह भाटी

पशुधन के लिए चरागाह

95. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में पूरे प्रदेश से पशुधन ज्यादा संख्या में है ? यदि हां, तो पशुधन हेतु चारागाह बनाने व चरागाह भूमि छोड़ने हेतु प्रति सैंकड़ा पशु के लिये क्या नार्म्स हैं ? क्या नार्म्स के अनुसार चरागाह भूमि छोड़ी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था पशुधन पर निर्भर है ? यदि हां, तो जिला बीकानेर में ग्रामवार कितनी चरागाह भूमि सुरक्षित रखी गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) पशुधन के लिये चरागाह छोड़ने की क्या योजना है ? क्या वर्तमान योजनानुसार वर्तमान पशु संख्या हेतु चरागाह पर्याप्त होंगे ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी ? कृपया योजना की प्रति सदन के पटल पर रखें।

पशुपालन मन्त्री (श्रीमती कमला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पशुधन के संवर्द्धन और विकास का सवाल है, वह तो पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है। चरागाह के लिए क्या मापदण्ड रखा जाय, बीकानेर जिले में कितनी-कितनी भूमि चरागाह के लिए छोड़ी गई है, यह प्रश्न राजस्व विभाग से ताल्लुक रखता है। इसलिए इस सवाल को राजस्व विभाग को ट्रान्सफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ पिछले सत्र में भी यही हुआ प्रश्न लगा दिया गया और उसको स्थगित कर दिया. इस सत्र में भी ऐसा हो रहा है। आप मुझे बतादें कि मेरे प्रश्न इस तरह से स्थगित····

श्री अध्यक्ष : इसका एक हल है, जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं,

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में नियम है, उनको रोज ही पढ़ लें और गहराई से अध्ययन भी करें। एक प्रश्न पूछते हैं, तो उसका सम्बन्ध एक ही विभाग से होना चाहिये। दूसरी बात यह कि प्रश्न में बहुत लम्बी-चौड़ी सूचना मांगी गई है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : बीकानेर जिले के पूरे गांवों की सूचना चाही गई है।

श्री अध्यक्ष : बीकानेर छोटा डिस्ट्रिक्ट है। फिर भी 400-500 गांव हैं। स्थगित किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : प्रश्न दूसरे विभाग को ट्रान्सफर करने का अधिकार आपको है या मन्त्री महोदय को ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने रिक्वेस्ट की है, निर्णय तो हम देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं मन्त्री महोदय को अधिकार दे दिये हों ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे अधिकार आपको भी दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत सौभाग्य होगा हमारा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री द्वारका प्रसाद

आयुर्वेदिक औषधालयों में महिला-धात्री की व्यवस्था

96. **श्री द्वारका प्रसाद** (निवाई) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निवाई विधान सभा क्षेत्र के किन-किन आयुर्वेदिक औषधालयों में महिला-धात्री की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री छोगालाल कंवरिया) : निवाई विधान सभा क्षेत्र के 19 औषधालयों में से 11 औषधालयों में धात्री/कल्पद के पद सृजित हैं, जिसमें 10 में कार्यरत हैं तथा 1 पद रिक्त पड़ा है। 8 में पद सृजित नहीं हैं। महिला धात्री के नाम से कोई अलग पद सृजित नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निर्धन लोगों की भरमार है, महिला धात्रियों की वहां पर पोस्टिंग नहीं है, वहां पर उनकी बड़ी भारी मांग है, क्या माननीय मन्त्री महोदय इनको भरने पर विचार करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, महिला धात्रियों का प्रशिक्षण होता है, यह सही है कि उनकी मांग है। 19 औषधालयों में धात्रियों और कल्पद के समान रूप से पद सृजित किये गये हैं। महिला धात्री वहां उपलब्ध कराई जाती है, जहां पर इण्डोर पेशन्ट्स का औषधालय होता है। जैसे ही महिला धात्री उपलब्ध होगी, वहां भेज दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री द्वारका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन

(श्री द्वारका प्रसाद)

करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था कब तक कर दी जायगी? निश्चित समय बताने की कृपा करें।

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रशिक्षण का केन्द्र चलता है। जैसे ही महिला छात्री प्रशिक्षित होकर उपलब्ध होंगी, तभी उनका पदस्थापन कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री जीतमल जैन

अलवर विकास न्यास द्वारा अवाप्त कृषि भूमि का मुआवजा

97. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में अलवर नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त की जा रही कृषि भूमि का मुआवजा खातेदारों को किस दर से दिया जा रहा है? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त मुआवजे की दरें किस वर्ष में निर्धारित की गई थीं?

(3) क्या सरकार वर्तमान सन्दर्भ में उक्त दरों को उचित समझती है?

(4) यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त मुआवजे की दरें बढ़ाने का विचार रखती है?

राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : वर्तमान में अलवर नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त की जा रही कृषि भूमि का खातेदारों को दिये जा रहे मुआवजे का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) संशोधित मुआवजे की दरें नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 1981 में निर्धारित की गई है।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1975-76 के अन्दर जब कृषि भूमि की अवाप्ति की दर 10 हजार और 12 हजार निर्धारित की गई थी उस समय नगर विकास न्यास की आवासीय प्लाट की दर क्या थी? और आज किस दर पर बेचा जा रहा है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है मैंने उसका उत्तर दे दिया है। अब माननीय सदस्य और जानकारी चाहते है। वे चाहें तो और जानकारी मेरे से प्राप्त करलें, मैं उनको दे दूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : सदन में दीजिये।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 1975-76 के मुकाबले 81-82 के अन्दर आवासीय भूमि की दर लगभग दुगुनी हो गई है, जब को नगर विकास न्यास ने निर्णय दिया है बारानी में,

(श्री जीतमल जैन)

दो हजार और 3 हजार रु०। उसकी कृषि भूमि का केवल आपने दो हजार या 3 हजार रुपये बढ़ाया है और आवासीय जमीन की कीमतें दुगुनी हो गई हैं। जो प्रस्ताव आपके पास आया है, वह आज की दरों को देखते हुए कृषकों को जो पैसा दिया जाता है, उचित है या नहीं या उसको बढ़ाया जाना चाहिये?

श्री श्रीराम गोटेवाला : नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित दरों को राज्य सरकार ने उचित माना है। नगर और उसके साथ में विकास न्यास से किसान संघर्ष समिति के लोग मिले हैं उन्होंने बैठ कर तय किया है, उसके बाद नगर विकास न्यास ने रेट्स के सुझाव भेजे हैं। वह रेट्स हमने स्वीकार की हैं।

श्री जीतमल जैन : क्या मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि आवासीय भूमि की कीमतें जब दुगुनी हो गई हैं तो कृषक को दुगुनी कीमतें नहीं देना, सरकार की दृष्टि में उचित है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उचित इसलिए मानते हैं कि उनको विकास के काम कराने पड़ते हैं, उन पर उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ गया। नाले, सड़कें, बिजली और पानी आदि सारी सुविधाओं की व्यवस्था करके देनी पड़ती हैं। इसके बावजूद सरकार ने तय कर रखा है, जो रिजर्व प्राइस पर भू-खण्ड दिये जायेंगे, उनके लिए दरें निर्धारित कर रखी हैं, वीकर सैक्शन्स के लिए, वह आज 6 रुपये है कहीं कहीं पर 3 रुपये है। माननीय सदस्य के मन में जो उत्कण्ठा है, उसको मैं समझता हूं, समझने के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं। बाकायदा वहां सारी व्यवस्था होने के बाद जो कमेटी बनी है, उसने जो रिपोर्ट दी है और कीमतें सजेस्ट की हैं, उन कीमतों के आधार पर सरकार ने निर्णय किया है। अब हम एक छूट और देने जा रहे हैं। जिस किसान की जमीन लेंगे, वहां पर उसको 300 गज का एक भू-खण्ड रिजर्व प्राइस पर आवास का देंगे और इसके साथ वहां कुएं का पैसा देंगे ? अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई होगी, तो उसका भी पैसा पी. डब्ल्यू. डी. से ही असेसमेंट करा कर दिया जायगा। इसलिए इन परिस्थितियों में वहां नगर विकास न्यास ने जो रेट्स तय करके भेजी है, उनके रेट्स को स्वीकार करना मैं उचित मानता हूं, नहीं तो आज आप आम आदमी को मध्यम वर्ग का भू-खण्ड देने की कल्पना नहीं कर सकते।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): मन्त्रीजी ने जो सारी बातें बताई महंगाई और खर्चे बढ़ गये और नगर विकास न्यास की पैरवी की है वह ठीक है, परन्तु क्या उन किसानों को, जिनकी जमीन नगर विकास न्यास लेता है, खेती में काम आने वाले, जीवन यापन करने के सारे साधन सस्ते मुहैया किये गये है ? जब किसान की स्थिति महंगाई से बद से बदतर होती जा रही है, उनकी जमीन लेते हैं, उनको मुआवजा उन रेट्स पर नहीं देते हैं यह कृषकों के साथ जुल्म है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आसन पैरों पर है, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : मन्त्री महोदय ने गलत बात सदन में बताई। उन्होंने अभी बताया कि कीमतें

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

निर्धारित करने के लिए जो समिति बनी है, उसमें किसान संघर्ष समिति के सदस्य थे, तो कौन से किसान उनके सदस्य हैं ? क्योंकि मैं अलवर में ही रहता हूं, कोई काश्तकार संघर्ष समिति का सदस्य नहीं था। जो समिति बनी हुई है, उसमें केवल कलेक्टर, सैक्रेटरी वगैरह सदस्य थे। संघर्ष समिति का कोई सदस्य नहीं था।

श्री जीतमल जैन : क्या उनके बीच में कोई समझौता हुआ ?

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : किसान की मूलभूत समस्या है, उसका भी आपको उत्तर देना होगा, जो उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है उस तरफ ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य को शायद कुछ गलतफहमी हो गई। मैंने निवेदन किया था कि किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से वहां पर उन्होंने वार्ता की है और वार्ता करके जो रेट्स अलवर नगर विकास न्यास ने सजेस्ट किये हैं, वही राज्य सरकार ने स्वीकार किये है।

श्री जीतमल जैन : संघर्ष समिति ने ये रेट्स मान लिये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इसमें पुनर्विचार किया जाय, इसका आश्वासन दें कि जो कीमतें निर्धारित हुई है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आश्वासन देने में मैं कमजोर हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : वहां पर 100-125 रुपये गज में जमीन नीलामी की जाती है, उसको 5) रुपये भी नहीं पड़ते हैं। 12 हजार रुपये में एक बीघा जमीन ली जा रही है और किसान गांव में जाता है, तो 20 हजार रुपये प्रति बीघा में जमीन उसको मिलती है। पड़ता नहीं बैठता है, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : वह निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करें। जो रेट्स लगाई गई है, कम हैं। कम से कम एक बीघे का 25 से 30 हजार रुपये होना चाहिए। 15 हजार रुपया की रेट में उसको पड़ता नहीं खाता।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में काश्तकारों को आवंटित भूमि

91. **श्री आत्माराम (हनुमानगढ़)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर उपनिवेशन में 1955 के पूर्व के काश्तकारों को किये गये

(श्री आत्माराम)

आवंटन को वर्षों बाद निरस्त किये जाने से उत्पन्न पीड़ा को कम करने के लिए 1977 में कांग्रेस सरकार ने विचार कर नोटिफिकेशन निकालने का निर्णय ले लिया था जिसे आने वाली जनता सरकार ने वापस ले लिया ? कृपया उक्त निर्णय, प्रस्तावित नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मौजूदा सरकार 1977 के इसी पार्टी की सरकार के लिए हुए निर्णय को अब स्वीकार करती है या नहीं ?

(3) अगर यह मामला अभी तक विचाराधीन है तो अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) प्रश्न अस्पष्ट है। यह ज्ञात नहीं हो पाता कि किस सम्बन्धित अधिसूचना बाबत जानकारी चाही जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न में राजस्थान उपनिवेशन [राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय] नियम, 1975 के नियम 4 उपनियम 4 एवं नियम 13 उपनियम 5 खण्ड ख में बालिग पुत्र को भूमि आवंटन करने की जो व्यवस्था है उसके बाबत जानकारी चाही गई। मूल नियम 1975 में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी अस्थाई काश्तकार के वयस्क पुत्र हो एवं उसके पिता के पास नियमों में निर्धारित से अधिक भूमि हो तो उस अधिक भूमि का आवंटन कराने के लिए उस बालिग पुत्र को पात्र माना जावेगा एवं वह उसके लिए आवेदन-पत्र दे सकेगा। दिनांक 24 अप्रेल, 1977 को अधिसूचना जारी करके इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दिनांक 1-6-77 को एक अधिसूचना जारी करके दिनांक 24-4-77 को किये गये संशोधन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार बालिग पुत्र को भूमि का आवंटन करने की जो व्यवस्था वर्ष 1975 के नियमों में मूल रूप में थी उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया एवं अब तक यह व्यवस्था नियमों में विद्यमान है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बालिग पुत्रों के सम्बन्ध में जो उपस्थित प्रावधान हैं, उनमें उचित संशोधन करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थाई प्राध्यापकों का स्थायीकरण

60 **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सिकराय): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में इस समय कितने प्राध्यापक अस्थाई रूप से कार्यरत हैं और कितने समय से ?

(2) इन अस्थाई प्राध्यापकों को स्थाई करने हेतु क्या कोई ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(3) इन अस्थाई प्राध्यापकों को स्थाई करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उन्हें कब तक स्थाई किया जायेगा ? कृपया ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(24)

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में इस समय 164 प्राध्यापक अस्थाई रूप से कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

नियुक्ति वर्ष	प्राध्यापकों की संख्या
1975	7
1976	22
1977	16
1978	37
1979	40
1980	19
1981	23

(2) अस्थाई प्राध्यापकों के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(3) प्राध्यापकों को चयन करने की प्रक्रिया राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) अधिनियम, 1974 में दी गई है इसके तहत चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति होती हैं।

राज्य सरकार ने राजस्थान विश्व विद्यालय में चयन की प्रक्रिया शीघ्रता से करने के लिये निवेदन किया है।

ज्ञापन समय-समय पर प्राप्त होते रहते है किस ज्ञापन से अभिप्राय है, स्पष्ट होने पर प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोजपुर (अलवर) को पेड़ों की छानन एवं खेत की पैदावार के ठेकों से आमदनी

61 **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोजपुर (अलवर) में गत दस वर्षों से पेड़ों की छानन एवं खेती की पैदावार के ठेकों से कितनी आमदनी हुई है ? कृपया प्रत्येक वर्ष अनुसार आमदनी का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पेड़ों की छानन एवं खेत की पैदावार की ठेकेदारों द्वारा जमा कराई रकम कुछ अध्यापकों द्वारा विद्यालय के कोष में जमा न करायी जाकर गबन कर ली गई।

(3) यदि हां, तो कृपया उन अध्यापकों के नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या उक्त अध्यापकों से उक्त रकम वसूल कर ली गई है ?

(5) यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी रकम वसूल की गई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोजपुर (जिला अलवर) में पेडों की छानन एवं खेती की पैदावार से हुई आमदनी का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	आय	
	पेड़ों की छानन से	खेती की पैदावार से
70-71	—	120.00
71-72	—	85.00
72-73	—	—
73-74	—	—
74-75	81.00	
75-76	—	—
76-77	—	—
77-78	—	100.00
78.79	110.00	140.00
79-80	110.00	150.00
80-81	--	—

(शिक्षा मंत्री)

(2) पेड़ों की छानत एवं खेती की ठेकेदारों द्वारा जमा कराई रकम रा० मा०वि० मोजपुर में जमा हुई है। अतः अध्यापकों द्वारा गबन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी भाषा का राजकीय कार्यालयों में अधिकाधिक प्रयोग

62. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य की मातृ भाषा हिन्दी को प्राथमिकता देकर अनिवार्य किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि अंग्रेजी भाषा को राज्य में प्राथमिकता दी जा रही है?

(3) क्या सरकार मानती है कि हमारी मातृ भाषा हिन्दी है?

(4) क्या सभी कार्यालयों एवं सचिवालय में हिन्दी भाषा में कार्य होता है? यदि नहीं होता है, तो क्या सरकार इसको कड़ी कार्यवाही करके लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इस राज्य में हिन्दी को राज्य भाषा घोषित किया गया है और राज कार्य में उसका प्रयोग करने के आदेश दिये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान राज भाषा अधिनियम, 1956 द्वारा हिन्दी को राज्य की राज भाषा घोषित किया गया है। यह अधिनियम 1/5/1957 से लागू हुआ है।

(4) सारे राज्य कार्य में अधिकतर हिन्दी का प्रयोग होता है। विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अहिन्दी भाषी राज्यों केन्द्र सरकार के कुछ निगमों से पत्राचार आदि में अपवाद स्वरूप अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट है।

बीकानेर की सड़कों पर बने गति अवरोधकों पर जेबरा पट्टियों के संकेत

63. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर जेबरा पट्टियां एवं संकेत पट्ट लगाने की जिम्मेदारी संबंधित नगरपालिका की है? यदि हां, तो बीकानेर शहर की सड़कों पर बनाये गये गति अवरोधक पर सुरक्षा एवं तकनीकी दृष्टिकोण से जेबरा पट्टियां एवं संकेत लगाना आवश्यक होते हुए भी क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं?

उत्तर

जी नहीं। जिन नगरपालिका क्षेत्र में सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हैं वहां जेबरा पट्टियां एवं संकेत पट्ट लगाने का उत्तरदायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है एवं जहां सड़कें नगर विकास प्रन्यास अथवा नगर पालिका में निहित है वहां पर उत्तरदायित्व सम्ब-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

न्धित नगर विकास न्यास अथवा नगर-पालिका का है। बीकानेर शहर की सड़कों पर बनाये गये गति अवरोधक पर जेबरा पट्टियां एवं संकेत पट्ट लगाये जाने का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा हुआ है।

जयपुर में आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना

64. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):** क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर में आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने हेतु जयपुर नगर विकास न्यास कोई योजना बना रहा है? यदि हां, तो क्या?

(2) इस योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में कितने नये भू-खण्ड उपलब्ध कराने का विचार है?

(3) क्या इस हेतु न्यास ने कोई अधिग्रहण की योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या तथा इसके अन्तर्गत कितनी जमीन अधिगृहीत की जा रही है व किस श्रेणी में?

उत्तर

(1) जयपुर में आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से नगर विकास न्यास द्वारा अम्बाबाड़ी के आगे चांदमारी की भूमि पर विद्याधर नगर के नाम से आवासीय योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है। योजना से चांदमारी क्षेत्र को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। विद्याधर नगर योजना के अलावा टोंक रोड से पश्चिम में अजमेर रोड तक 9 हजार बीघा कृषि भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त मुरलीपुरा में लगभग 1500 भूखण्ड निमित सृजित कर आवंटन का प्रस्ताव है। इस योजना को शीघ्र विकसित किया जा रहा है।

(2) भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् यह बताने सम्भव होगा कि इस वित्तीय वर्ष में कितने भूखण्ड उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

(3) भाग एक में उत्तर सम्मिलित है।

जयपुर स्थित गलता तीर्थ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

65. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) जयपुर):** क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जनता पार्टी के शासन काल में जयपुर स्थित गालव ऋषि द्वारा स्थापित गलता तीर्थ के विकास तथा इस ओर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कृपया योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

डग क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

66. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) व श्री अनंग कुमार जैन (झालापाटन):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में डग क्षेत्र में चिकित्सा

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

विभाग में कहां कहां पर कौन से पद कब से रिक्त पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों के रिक्त पड़े रहने का क्या कारण है ?

(3) सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) पद रिक्त होने का ब्योरा संलग्न है।

(3) प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने, वाहन उपलब्ध होने तथा भारत सरकार से परिवार कल्याण पक्ष के पदों को भरने पर प्रतिबन्ध खुलने तक।

(ब्योरे के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

निलम्बित किए गए सरपंच

68. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक किस-किस सरपंच को किन-किन कारणों से निलम्बित किया गया है ?

(2) कितने सरपंच कब-कब बहाल कर दिए गए और किन-किन सरपंचों को सरपंच के पद से हटा दिया गया ?

(3) किन-किन सरपंचों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही चल रही है और किस-किस स्तर पर ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कुल 165 सरपंचों को निलम्बित किया गया है सूची संलग्न है। सूची में जिन-जिन कारणों से सरपंचों को निलम्बित किया गया है, अंकित कर दिया गया है।

(2) अब तक कुल 27 सरपंचों को बहाल किया गया एवं कोई सरपंच पद से हटाए नहीं गए, सूची संलग्न है।

(3) उक्त तिथि से अब तक कुल 265 सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

जिला टोंक में कूप निर्माण हेतु प्रदत्त ऋण

69. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में सन् 1980-81 व 1981-82 में कूप निर्माण हेतु भूमि विकास बैंक को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने विचाराधीन हैं तथा कितने आवेदन किन कारणों से अस्वीकृत हुए ?

(2) कितने व्यक्तियों को एक या दो किश्त ही देकर किन किन कारणों से अगली किश्त नहीं दे रहे हैं तथा क्या दी गई किश्तों की राशि का सही ढंग से उपयोग हो चुका है ? यदि नहीं, तो वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? कृपया प्रत्येक आवेदन पत्र की उपरोक्त सूचना सदन की मेज पर रखें।

(28)

उत्तर

(1) टोंक जिले में वर्ष 1980-81 में 403 एवं वर्ष 81-82 में 17 कुल 420 आवेदन पत्र टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. में प्राप्त हुये जिनमें से 333 स्वीकृत हुये तथा 31 विचाराधीन हैं। 56 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुये उनके कारण यह है कि 11 मामलों में दो कुओं के बीच की दूरी कम होने के कारण, 4 में ऋण क्षमता न बनने के कारण, 1 में सिंचित भूमि निर्धारित सीमा से कम होने के कारण 18 में प्रार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण, 8 सदस्यों द्वारा ऋण लेने से इन्कार करने के कारण, तथा 12 में रहन पत्र निष्पादन नहीं कराने के कारण।

(2) 90 व्यक्तियों को केवल प्रथम किश्त वितरित की गई तथा 75 व्यक्तियों को द्वितीय किश्त वितरित की गई। अगली किश्त पूर्व के ऋण को उपयोग न किये जाने तथा कार्य निर्माणाधीन होने के कारण नहीं की जा सकी। जिन व्यक्तियों द्वारा प्रथम द्वितीय किश्त का सही उपयोग नहीं किया गया है उनको एक मुश्त राशि जमा कराने का नोटिस दे दिया गया है। जिनके कार्य निर्माणाधीन हैं उन्हें कार्य पूर्ण कराने हेतु नोटिस दे दिया गया है।

व्यक्तिवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां

70. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में इस समय कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) गृह निर्माण सहकारी समिति के गठन पर क्या इस समय प्रतिबन्ध है?

उत्तर

(1) राज्य में 30-6-80 तक 1545 गृह निर्माण सहकारी समितियां थीं। इनकी सूची संकलित की जा रही है। 30-6-80 के पश्चात, रजिस्टर होने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची भी संकलित की जा रही है। बनते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(2) जी नहीं, जिन व्यक्तियों के पास आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हैं वे गृह निर्माण सहकारी समिति का गठन करना चाहें तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

गोपीनाथजी का मन्दिर, सीकर

71. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गोपीनाथजी का मंदिर, सीकर, को पिछले कई वर्षों से भोग एवं अनुदान राशि देवस्थान विभाग से नहीं मिल रही है? यदि हां, तो यह कितने साल से नहीं मिल रही है तथा कुल बकाया राशि कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग की लापरवाही के कारण यह राशि नहीं मिल पा रही है जिससे मन्दिर की व्यवस्था खराब हो रही है तथा जनता में असंतोष व्याप्त हो रहा है?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) यह राशि कब तक चुका दी जावेगी ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा शाश्वत वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा (प्रपत्र 12-बी) आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के पत्र क्रमांक 2280–63 दिनांक 23-3-63 एवं संशोधित भुगतान आज्ञा क्रमांक 16269-74, दिनांक 23–8-79 के द्वारा 7,726-06 पैसे की वार्षिक वृति स्वीकार की जा चुकी है।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

(3) प्रश्न के भाग (1) में अंकित भुगतान आज्ञा दिनांक 23-8-79 में यह शर्त अंकित की गई कि मन्दिर का जब तक पंजीयन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत नहीं हो जावे तब तक चुकारा नहीं किया जावे। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अनुसार प्रन्यास का पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पर निर्णय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। पंजीयन हो जाने पर अनुदान की राशि का भुगतान सम्भव होगा।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरित चीनी की किस्म

72. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग) व **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में अलग अलग किस्म की राशन की चीनी वितरित की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि लेवी की चीनी क्रय करने हेतु सरकार ने कोई मानक स्तर निर्धारित नहीं कर रखा है ? यदि नहीं, तो किस किस्म की चीनी लेवी में ली गई है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जून, जुलाई व अगस्त, 1981 माह की चीनी वितरित नहीं की गई ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ? कृपया इस सम्बन्ध में जानकारी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मिलों से जिस किस्म की प्राप्त होती है वही वितरित की जाती है।

(2) भारत सरकार द्वारा मानक स्तर निर्धारित है। राज्य को डी व ई–29 तथा डी व ई–30 किस्म की लेवी चीनी प्राप्त हुई हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि सभी स्थानों पर जून, जुलाई व अगस्त 1981 माह की चीनी वितरित नहीं हुई है। वितरण चीनी की प्राप्ति पर निर्भर है। अतिवृष्टि से आवागमन के साधन जून में अवरुद्ध होने से भी चीनी लाने में विलम्ब हुआ है।

मालादेवी नामक स्थान की गुफा को पर्यटक स्थल बनाना

73. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ में डोबरजी गांव के पास अरावली की पर्वत श्रेणियों में मालादेवी नामक स्थान पर एक विशाल एवं अथाह लम्बी गुफा है ?

(2) क्या सुरक्षा जांच दल द्वारा रोशनी आदि के उपकरणों से इसकी जांच कराने का सरकार का विचार है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त सभी साधन उपलब्ध कराकर इस विचित्र गुफा के सम्बन्ध में, जो राज्य का एक आश्चर्य बन सकती है, जानकारी करने का विचार रखती है ?

(4) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे आश्चर्यजनक स्थान की उपेक्षा बरते जाने का क्या कारण है ?

(5) क्या सरकार पर्यटन स्थल के रूप में उक्त स्थान के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जिलाधिकारियों के सहयोग से इस गुफा की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव है।

पीपल्दा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलना

74. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के पीपल्दा कलां, गैता, अयाना, इटावा तथा बमोरी कलां ग्रामों में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र के खातौली व इन्द्रगढ़ में पशु चिकित्सालय एवं इटावा में पशु औषधालय कार्यरत हैं जो आसपास के क्षेत्र के लिये पर्याप्त हैं।

(2) आर्थिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

कृषि उपज मंडी समितियों में नियुक्ति-पदोन्नति में आरक्षण स्थिति

75. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) व

2 श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये आरक्षण के अनुसार पूर्ति की जाती है ?

(श्री अनंग कुमार जैन)

(2) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कोटा खण्ड में वर्तमान में कितने पद हैं एवं कितने पद आरक्षण के अनुसार भरे गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) कोटा खण्ड में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक से पर्यवेक्षक के पद पर कितनी पदोन्नतियां आरक्षण (रोस्टर) के अनुसार गत 3 वर्षों में की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं ? यदि रिक्त हैं, तो क्यों तथा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोटा खण्ड में कनिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्रमश: 6,8,13, 138 व 142 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध उपरोक्त श्रेणियों के आरक्षित पदों के विरुद्ध क्रमश –, 2, –, 15 एवं 39 पद भरे गये हैं। विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कोटा खण्ड में कनिष्ठ लिपिकों से वरिष्ठ लिपिक के 5 आरक्षित पदों के विरुद्ध एक पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है। शेष पदों के लिए आवश्यक पात्रता रखने वाले व्यक्ति आरक्षित वर्ग में उपलब्ध नहीं थे। वरिष्ठ लिपिकों में से पर्यवेक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु 3 पद आरक्षित थे, लेकिन आरक्षित वर्ग में से कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता नहीं रखता था। अत: इस वर्ग में से एक भी पदोन्नति नहीं की जा सकी।

(4) आरक्षित रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है:—

क्र.सं.	नाम पद	आरक्षण से भरे जाने वाले रिक्त पद
1.	कनिष्ठ लेखाकार	2
2.	पर्यवेक्षक	--
3.	वरिष्ठ लिपिक	3
4.	कनिष्ठ लिपिक	23
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

आरक्षित वर्ग में आवश्यक योग्यता रखने वाले कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। अत: उन्हें पदोन्नतियां नहीं दी जा सकीं। आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों, जैसे ही इस वर्ग के पात्रता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध होंगे, भर दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम पंचायत इटावा के सचिव के विरुद्ध शिकायतें

76. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा के कुल 11 पंचों में से 10 पंचों ने वहां के गैर सरकारी सचिव, श्री राम प्रसाद मीणा को हटाये जाने हेतु उच्च अधिकारियों को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो उसे नहीं हटाये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मूल प्रार्थना पत्र पंचायत को भेज दिया गया था क्योंकि गैर सरकारी सचिव को हटाने के लिये पंचायतें स्वयं ही सक्षम हैं।

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर के अधीक्षक पद पर नियुक्ति

77. श्री सोहनलाल बंसीवाल (दौसा): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1980 में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में कार्यालय अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त पद को भरा गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिस व्यक्ति से इस पद को भरा गया, वह इस पद पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार आवश्यक अर्हता एवं अनुभव नहीं रखता था ? क्या उसे नियुक्ति देने हेतु नियमों में शिथिलता बरती गई ?

(3) यदि हां, तो नियमों में शिथिलता बरतने के कारण व औचित्य क्या रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जिस व्यक्ति से पद भरा गया, उसे राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 के नियम 26 (डी) 5 के अंतर्गत जो अर्हता एवं अनुभव आवश्यक थे उसके अनुसार 1973 के पूर्व के व्यक्ति होने से 10 वर्ष का सेवाकाल, जिसमें 7 वर्ष की वरिष्ठ लिपिक व सहायक पद की सेवा सम्मिलित है, के होने से व्यक्ति का चयन किया गया था। नियमों में कोई शिथिलता नहीं बरती गई थी।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेद विभाग द्वारा जगदम्बा फार्मेसी, जयपुर से औषधियों की खरीद

78. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वित्तीय वर्ष 1980–81 में जगदम्बा फार्मेसी, जयपुर से आयुर्वेद विभाग द्वारा कितनी कितनी मात्रा एवं मूल्य की स्वर्ण एवं मुक्ता के योग औषधियां खरीदी गई ?

(2) क्या उक्त फार्मेसी के पास मुक्ता योग निर्माण करने का क्रय लाइसेन्स है ?

(3) उक्त क्रय की गई स्वर्ण एवं मुक्ता के योग की औषधियों की प्रामाणिकता की जांच में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि ये योग विभाग द्वारा संचालित रसायनशालाओं में भी निर्मित कराये जा सकते हैं ? यदि हां, तो वहां इनका निर्माण क्यों नहीं कराया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में जगदम्बा फार्मेसी जयपुर से आयुर्वेद विभाग में स्वर्ण एवं मुक्ता की कोई औषधि क्रय नहीं की गई है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) जानकारी करने पर उक्त फार्मेसी के पास ड्रग्स लाइसन्स हैं।

(3) वर्ष 1980-81 में उक्त फर्म से स्वर्ण एवं मुक्ता के योग की औषधियां क्रय ही नहीं की गईं। अतः प्रामाणिकता की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वर्ष 1980-81 में स्वीकृत लक्ष्यों में यह योग सम्मिलित नहीं थे, अतः नहीं बनाये गए और न खरीदे ही गए। निर्मित कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें आपस में बातें न करें।

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के सांगानेर गांव में गणेशगिरी नामक एक अवधूत द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या तथा महिलाओं के साथ बलात्कार करने के संबंध में,

(2) श्री नन्दलाल मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 24 जुलाई को श्री तेजाराम, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा की गई इस शिकायत के विषय में कि डूंगरपुर जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा उनकी पत्नी के साथ अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया,

(3) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ के एक विधायक द्वारा कुछ बन्धुआ मजदूरों को जबरन रखने की घटना के विषय में।

(4) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग में चित्रकला व उद्योग विषयों के अध्यापकों की पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं होने के विषय में,

(5) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 28 अगस्त से 14 सितम्बर तक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के कर्मचारियों द्वारा धरना एवं भूख-हड़ताल करने के सम्बन्ध में,

(6) श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से गोगुन्दा तहसील के सरपंच काछुआ के पास शक्कर एवं गेहूं का लाइसेन्स रद्द कर देने के बावजूद पुनः लाइसेंस देने के सम्बन्ध में,

(7) सर्वश्री हीरालाल आर्य, दाऊदयाल जोशी व छीतरलाल आर्य सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा तथा बारां से चलने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें, सही समय पर न चलने व उनमें आवश्यक सामान नहीं होने के विषय में,

(8) सर्वश्री यदुनाथसिंह, उम्मेदसिंह, हाजी चावखां, फतेसिंह, बहादुरसिंह, रामकंवार बैरवा, राव कमलेन्द्रसिंह व परोसीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को किसान रैली के लिए भेजी गई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया अभी तक न चुकाये जाने के सम्बन्ध में,

(34)

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पीपलखूंट, जिला बांसवाड़ा के श्री लक्ष्मणसिंह की गत 9 जुलाई को पुलिस थाने में की गई पिटाई से उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में,

(10) सुश्री पुष्पा जैन व श्रीमालाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से नये स्कूल खोलने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 1977 के मापदण्ड लागू करने के विषय में,

(11) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मोटर दुर्घटना के दावों की सुनवाई जिला केन्द्रों के स्थान पर सम्भागीय मुख्यालयों पर होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में,

(12) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 जुलाई, को नोहगांवा (अलवर) के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के अधिकारी, डाक्टर उम्मेदीलाल गुप्ता की हत्या कर देने के सम्बन्ध में,

(13) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में रोडवेज की बसों की अव्यवस्था के विषय में,

(14) श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 सितम्बर की रात्रि को जयपुर के रामगंज इलाके में पड़ी सशस्त्र डकैती के संबंध में,

(15) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद्, उदयपुर के सेवा निवृत्त हुए निदेशक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परिषद् को प्राप्त अनुदान की राशि में घोटाले के संबंध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं उन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(1) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंजाब से राजस्थान को पूरी मात्रा में पानी नहीं मिलने के संबंध में।

(2) श्री चन्द्रवीरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान मुख्य नहर के साथ बुरजी 1045 से 1460 तक निर्माण कार्य को शीघ्र कराये जाने के विषय में।

(3) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर नगर व अन्य ग्रामों के पीने के पानी के संबंध में।

(4) श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ में जिला शिक्षा अधिकारी का पद पिछले 6 माह से रिक्त होने के संबध में।

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने कोटा इन्जीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की समस्या को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर सरकार की ओर से कल दिनांक 18 सितम्बर को एक वक्तव्य होगा। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का कोटा पूरा न उठाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से दिनांक 22 सितम्बर, 1981 को एक वक्तव्य दिया जाये।

अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंगकुमार जैन व डाक्टर उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चाकसू हिंगोनिया आदि गांवों में बाढ़ सहायतार्थ गई कुछ महिलाओं के साथ पुलिस अधीक्षक आदि द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(3) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर में नला बाजार के दुकानदारों को लूट लेने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी।

उक्त दोनों ही स्थगन प्रस्तावों पर हमने सरकार से जानकारी प्राप्त की। सरकार से उत्तर प्राप्त हो गये हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनको सदन में लेने की अनुमति न दी जाय।

व्यवस्था का प्रश्न
स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मुझे इन स्थगन प्रस्तावों के बारे में निवेदन करना है कि कल आपने ऐसी व्यवस्था दी थी कि आज जितने भी स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं उन पर सरकार से जानकारी चाही है। मैं इतना ही समझता हूं कि सरकार से चाही जानकारी की सीमा का भी निर्धारण किया जाय। आखिर एडजोर्नमेंट मोशन है उसका सरकार द्वारा समय निर्धारण किया जाना चाहिये। एडजोर्नमेंट मोशन का जवाब उसी दिन माननीय सदस्य चाहता है। उसकी कोई सीमा नहीं हो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चल सकती है। तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थगन प्रस्ताव सरकार की जानकारी के लिये भेजे हैं, उन प्रस्तावों की जानकारी कल के दिन तक नहीं आती हो तो आप चाहें तो उनको रिजेक्ट करदें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कोई डिस्पोजल तो होना चाहिये मैं पिछले सैशन के बारे में कह सकता हूं फर्स्ट वीक में एडजोर्नमेंट मोशन दिया गया व लास्ट वीक तक उसका जवाब नहीं आया। आखिर इससे एडजोर्नमेंट मोशन का कोई महत्व ही नहीं रहता। अगर उसका महत्व रखना चाहें या वैसे ही उसको गवर्नमेंट से बिना इन्फार्मेशन मांगे रिजेक्ट करना चाहें, तो आप उन्हें वैसे ही रिजेक्ट करदें लेकिन इसकी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था हो। गवर्नमेंट जवाब देने की चिन्ता नहीं कर रही है। कल आपने दो प्रश्न स्वभाविक रूप से सरकार की जानकारी के लिए भेजे उन प्रश्नों की जानकारी आज आपके पास आ जानी चाहिये थी। वैसे पहले आधा घन्टा पहले नोटिस देने का कायदा है। आधा घन्टा वह और एक घन्टा क्वेश्चन आवर का, इस प्रकार डेढ़ घन्टा सरकार को मिलता है। सरकार को डेढ़ घन्टे में तैयार होना चाहिये। डेढ़ घन्टे के एवज में एक पूरा दिन सरकार को मिलता है। उस पूरे दिन में भी अगर सरकार उस एडजोर्न-

(36)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मेंट मोशन का उत्तर नहीं दे सकती है, तो या तो यह समझ लें कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था का सरकारी पक्ष की ओर से कोई सम्मान नहीं किया जाता है, या यह समझ लें कि एडजोर्नमेंट मोशन को सरकार कोई महत्व नहीं देती है। इन दोनों बातों में से कोई एक है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो चाहे, व्यवहार करे चूंकि वह उसके हाथ की बात है, लेकिन कम से कम आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिन मोशन पर आपने जानकारी चाही है, वह निश्चित रूप से कल आ जानी चाहिये। अगर नहीं आती है, तो आपका फैसला या तो एडजोर्नमेंट मोशन के पक्ष में होगा या विपक्ष में, इसका निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने एक बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की। इसके लिये तो मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद दूंगा, मगर सन् 77 से लेकर 80 तक हमको भी एडजोर्नमेंट मोशन देने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सौभाग्य के साथ-साथ हमने भी कई एडजोर्नमेंट मोशन रखे थे इसी विधान सभा में जब आप मुख्य मन्त्री के पद पर विराजते थे। उस समय आप जो इस मोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन साल तक एडजोर्नमेंट मोशन के जवाब नहीं दिये गये थे, जब कि कांग्रेस शासन में कांग्रेस की सरकार सन् 80 में बनी तब से जवाब आया है उसको यहां पर सदन में सुनाया है। जहां तक सम्भव हो सका, पक्ष या विपक्ष दोनों के द्वारा कोशिश की गयी उनका मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है। मैं मिसाल के तौर पर आपको निवेदन करना चाहता हूं सन् 77 में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था उसका जवाब आज दिन तक 81 तक नहीं आया है। उसका तो जनता पार्टी के शासन में दो, तीन साल तक जवाब नहीं आया और आज इस बारे में चिन्ता करते हैं। अगर, अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर डिसीजन करदें, तो मैं बड़ी मेहरबानी समझूंगा। हो सकता है हम भी कभी विपक्ष में आयें और पूछें।

श्री यदुनाथ सिंह : बहुत जल्दी आ रहे हो। आपकी कामना पूरी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं उनकी नेचर देखेंगे, तो माननीय सदस्य श्री भगवानदासजी ने एक प्रस्ताव रखा है...

श्री अध्यक्ष : उस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। श्री परसराम मदेरणा, मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, व्यवस्था के लिये अर्ज कर रहा हूं। मैंने जो प्रस्ताव रखा, आपने उसे सरकार से जानकारी के लिये भेजा है। यह घटनायें एक महीने के अन्दर की हैं। एक तो जौहरी बाजार में, दूसरी रामगंज बाजार में परसों रात को डकैती पड़ी है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसके लिये सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी। सरकार को खुद को स्टेटमेंन्ट देना चाहिये था। इसमें समय देने की जरूरत नहीं है, यह तो केवल टालने वाली बात है। उसके लिये तो पहले से ही सरकार को तैयार रहना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो भी मोशन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत रखा जाता है, उसका मतलब यह है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है, किसी निश्चित विषय पर है और सदन की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए। आज जो आपने व्यवस्थायें दी हैं और जैसा कि मैं बैठा हुआ लिख रहा था, कुल मिलाकर पन्द्रह एडजोर्नमेंट मोशन के संबंध में आपने सरकार से जानकारी मांगी है। 8 के संबंध में आपने उनको अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं माना है। उनका स्टेटमेंट दिलाने की व्यवस्था की है। इन 15 के संबंध में आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। प्रतिपक्ष के नेता का यह कहना है कि वह जानकारी सरकार को अविलम्ब प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि उस विषय पर आप निर्णय ले सकें।

अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 15 पर आपने सरकार से जानकारी मांगी है, उसमें असेन्शियल कमोडिटी का लाइसेन्स देने का आर्डर है उसे रद्द क्यों कर दिया गया ? 22 फरवरी को जो घटना घटती है, वह घटना आज के सन्दर्भ और परिवेश में जो अविलम्बनीय लोक महत्व की है। दूसरे जो सुदूर जगह की इन्फार्मेशन मांगी है-सरकार से आप यह उम्मीद करते हैं कि आपने एडजोर्नमेंट मोशन रख दिया है। विपक्ष के नेता महोदय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट से जानकारी लें और चाहे सरकार से जानकारी लेने के बाद में उसे स्वीकार करें, दोनों ही सूरत के अन्दर माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर एक या दो मिनट चर्चा कर लेते हैं। इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न ला रहे हैं या जो इम्पार्टेन्स है एडजोर्नमेंट मोशन की, उसकी इम्पार्टेन्स को आप खुद ही बनाये नहीं रखते हैं।

जब आप इस सदन के नेता थे, तो आपने प्रयत्न किये थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किसी तरह से ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि सरकार कोई न कोई स्टेटमेंट रोज दे दे कालिंग अटेन्शन और दूसरे प्रकार से, लेकिन यह व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। इस पर आप कुछ बात कह देते हैं। सरकार बाध्य नहीं है कि आपने जो भी मुद्दा उठाया है, उसका आफ-हैंड उत्तर दे सके। लेकिन क्योंकि यह व्यवस्था है और सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं, इसलिए सरकार से यह उम्मीद करना कि 24 घन्टे के अन्दर जो भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, उन सभी की सूचना एकत्रित करके विधान सभा सचिवालय के अन्दर प्रस्तुत कर देगी - यह सम्भव नहीं है। लेकिन हां, सरकार कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी इनफार्मेशन इकट्ठी की जा कर सदन में पेश की जा सके, ताकि अध्यक्ष महोदय उस समय उसकी प्रोपर्टी के संबंध में निर्णय ले सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय सदन के उप नेता ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो सदन का उप नेता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : उप नेता की जगह बैठ गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उप नेता का इन नियमों में प्रावधान भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गलती कर गया। सत्तारूढ़ दल के उप नेता यह तो कह सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह भी नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब तक मैं बहुत धोखे में था, क्योंकि कई समाचार पत्रों में लिखा आता है उप मुख्य मंत्री। मैंने समझा कि शायद बन गये होंगे। मुझे पता नहीं कि क्या हैं?

श्री चन्दनमल बैद : बड़े भोले हैं, हमारे विपक्ष के नेता!

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे एक झलक होती है कि जो रूल्स के अन्दर व्यवस्थायें हैं, उस व्यवस्था के अनुसार सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है। उन्होंने सरकार की मजबूरी प्रकट की है, यह तो मानकर मैं चलूं? सरकार की मजबूरी प्रकट की है कि किसी हालत में जब इन रूल्स में अभी संशोधन हो रहा था और संशोधन करने वाली समिति में बहुत मुमकिन है कि आप भी सदस्य थे, मेरी जानकारी में··

श्री परसराम मदेरणा : मैं सदस्य नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री हरिदेव जोशी थे।

श्री परसराम मदेरणा : पहले मैं सदस्य था, उस समय आपने संशोधन माने नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जिस समिति के आप सदस्य थे, उस समिति ने एडजोर्नमेंट मोशन की इस व्यवस्था में किसी प्रकार परिवर्तन या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं समझी और संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी कि उस समय आप थे, श्री हरिदेव जी जोशी भी थे और इस सदन के बहुत से वरिष्ठ सदस्य भी उस समिति के सदस्य थे। इस प्रश्न पर चर्चा हुई और इनके दुर्भाग्य से उस समय सरकार जनता पार्टी की थी, इसलिए इन्होंने देखा कि इसमें इस समय संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस समय संशोधन कर देंगे तो इसका लाभ जनता पार्टी को मिलेगा। उस समय यह स्वप्न में भी ख्याल नहीं रखते थे कि यह दुबारा उधर बैठेंगे। उस समय ऐसे संशोधन ला रहे थे कि संशोधन जनता पार्टी के लिए इनके हिसाब से ठीक नहीं उतरे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई संशोधन नहीं किया और आज वही माननीय सदस्य या उनके अन्य साथी इस बात का हवाला देकर यहां फायदा उठाना चाहें कि एडजोर्नमेंट मोशन पर हम सूचना नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रसंग में आपने बात कही है एक लाइसेंस की बात लेकर, तो यह सीधे आपके ऊपर रिफ्लेक्शन है। वह रिफ्लेक्शन इस रूप में है कि आपने ऐसे एडजोर्नमेंट मोशन के संबंध में सरकार से जानकारी चाही है, जिसकी जानकारी नहीं दी जा सकती।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं सत्तारूढ़ दल से कि जिनको आप मन्जूर कराने की स्थिति में नहीं हैं, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक बार उनको भी अधिकार होना चाहिए कि कौन सा मन्जूर हो या नहीं हो ? उसमें अपनी टिप्पणी दे दें और उसकी अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे देते हैं कि इनकी सूचना आनी है या इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको प्रोलांग करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उसको प्रोलांग करेंगे, तो यह अव्यवस्था फैलेगी। उसमें एक नयी परम्परा को जन्म मिलेगा कि रिजेक्ट करने के बाद में भी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सीरियस नेचर का नहीं है और जिन प्रस्तावों पर अविलम्बनीय लोक महत्व का शब्द केवल एक औपचारिकता के लिए लिखा है, ऐसे प्रस्तावों को एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में हाउस में लाने से एडजोर्नमेंट मोशन का महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई न कोई व्यवस्था आपको ऐसी करनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय, कि जिनकी व्यवस्था दे दी, उनका उत्तर दे दें। उनका उत्तर दीजिए और आज उत्तर नहीं दे सकते, तो कल दे दें।

जहां तक श्रीमान दुलाराम जी बोल रहे थे, मैं इतना ही कह सकता हूं कि असेम्बली की प्रोसीडिंग्स उठा कर देखें, एडजोर्नमेन्ट मोशन का जितना जवाब हमने दिया है, उतना जवाब कभी किसी ने असेम्बली में नहीं दिया होगा। हमने व्यवस्था कर रखी थी कि एडजोर्नमेंट मोशन की कापी, यहां सुनाने से पहले हम ऑफिस में भेज दें, सारे उत्तर मंगा लें। जैसे ही उधर से माननीय सदस्य बोलते तो हम उत्तर दिया करते थे। यह इस बात से पुष्टि होती है कि श्री खेतसिंह जी सिर हिला रहा है और मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। इसका अन्दाजा लगा लीजिए कि जो कह रहा हूं, वह सही है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इस सदन के बाहर बैठकर कोई व्यवस्था कर लें, मुझे आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में व्यवस्था कर लें। आखिर बीस एडजोर्नमेंट मोशन सदन में आना, मैं भी उचित नहीं मानता। उससे दो चार इम्पोर्टेन्ट मोशन हों, उनका महत्व खतम होता है। एडजोर्नमेंट मोशन इसलिए आते हैं कि हमारे काल अटेन्शन नोटिस मंजूर नहीं होते। शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देने की तो सरकार ने सौगंध खा रखी है कि कभी जवाब नहीं दिया जाये। दो घंटे की बहस का मोशन है, उस पर कभी सरकार अनुमति नहीं देती, आफ एन आवर डिस्कशन नहीं होते। इसलिए मजबूर होकर आखिर हम पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, इनको तो गवर्नमेंट किसी न किसी तरह खुश कर लेगी, लेकिन हमारे पास दूसरा जरिया नहीं है। अतः हम पब्लिक की ग्रिवान्सेज को किसी न किसी रूप में सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका यही एक तरीका बचा है। यदि यह तरीका आपको पसन्द नहीं है, तो जो रूल्स में व्यवस्थायें दी हुई हैं, आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन मन्जूर करना शुरू कर दीजिए आधे एडजोर्नमेंट मोशन खतम हो जायेंगे। आफ एन आवर डिस्कशन मन्जूर कर लें, तो उसमें कमी आ जायेगी दो घंटे की डिबेट करलें, तो उसमें मामले खतम हो जायेंगे। आप क्वेश्चन का जवाब सही दे दें, उससे मामले खतम हो जायेंगे। सरकारी पक्ष जवाब नहीं देता, तो एडजोर्नमेंट मोशन आयेंगे। न अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कर सकते

(40)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं और न हमको रोक सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज ही बैठकर लीडर आफ दी हाउस अभी तो डिप्टी लीडर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन लीडर आ जायें, उस समय बैठकर गम्भीरता से चर्चा करके कोई निर्णय लिया जाये तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष: नेता बोल चुके हैं. आपके दल के. आर्डर प्लीज। श्री राजबहादुर जी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, नियम समिति का सदस्य होने के नाते मैं निवेदन करूंगा कि जो एडजोर्नमेंट मोशन का पर्पज है, जो उद्देश्य है, वह सचमुच निरर्थक सिद्ध हो रहा है। एक ओर सत्ता पक्ष के साथियों को यह सोचना चाहिए कि जितनी गिनती आती है एडजोर्नमेंट मोशन की. उतना ही रिफ्लेक्शन है, आज के एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्यों ऐसा प्रश्न आये जिसके बारे में एडजोर्नमेंट मोशन हम लायें। जबरदस्ती तो हम करना नहीं चाहते: हम कुछ कहना चाहते हैं, बिलकुल निरर्थक बात हो. वह भी नहीं है, उसका भी कुछ आधार होता है। इसलिये हमारे रूल्स में वेक्यूम है। विरोधी दल के नेता महोदय ने जो बताया है, मैं उससे सहमत हूं। व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा रैली में गई हुई बसों का अब तक किराया दे दिया गया है या नहीं दिया गया है बिलकुल मामूली सा प्रश्न है। अगर दे दिया गया है, तो बता दीजिये और नहीं दिया है, तो वैसा बता दीजिये ...

(व्यवधान)

मैं विनती करता हूं. खुद सत्ताधारी दल को इस बारे में सोचना चाहिये कि आखिर कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस सदन में उठाये जा रहे हैं एडजोर्नमेंट मोशन के थ्रू या और किसी अन्य जरिये से। जैसा आपने कहा हर क्वेश्चन का जवाब मांगना पड़ता है। प्रश्न बिलकुल साफ है. अर्जेन्ट है, लोक महत्व का है, तो फिर उस पर कोई न कोई तो व्यवस्था देनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद भी हमारा यह जंजाल रह जाता है कि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री राजबहादुर: वह तो आपका अधिकार है। शून्य काल में हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसको सदन में लायें। आप स्वयं चेयरमैन हैं. आप निर्देश दें कि इस वेक्यूम को कैसे गाइड किया जाय 'Why can't it come by the end of the day?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

श्री परस राम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय. मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं, विरोधी दल के नेता महोदय, सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रही है। मैंने तो कहा है कि इम्पोर्टेन्ट, लोक महत्व के जो मैटर हैं, उनको लायें और कम संख्या में में लायें तो उनकी जानकारी निश्चित रूप से दी जा सकती है। 23-23 एडजोर्नमेंट मोशन आ जायं तो कुछ देरी होना तो सम्भव है। अभी जो व्यवस्था दी है कि जानकारी देने बाद वह तो दी है। मेरा

(श्री परसराम मदेरणा)

निवेदन है कोई ऐसी व्यवस्था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर बात कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने सुझाव दिया कि स्थगन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से समय पर जवाब नहीं आता है, इसलिये इसका कुछ न कुछ कारगर हल निकाला जाना चाहिये साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि यदि 24 घंटे में सरकार की ओर से उत्तर नहीं आता है, तो स्थगन प्रस्ताव को आसन के द्वारा अस्वीकार कर देना चाहिये और माननीय सदस्यों को दो-दो, तीन-तीन मिनट बोलने देना चाहिये...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : मैं बता रहा हूं वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके बारे में, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि काफी बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव हमेशा प्रस्तुत किये जाते हैं। उस पर तीन तरह की व्यवस्था है- एक तो आपके सभी जो प्रस्ताव आते हैं उनको लोक हित की दृष्टि से देखते हैं और यदि वह स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा में आता ही नहीं है, तो मैं उसको अस्वीकार कर देता हूं। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ही लोकहित निहित है और उससे कुछ अच्छाई आ सकती है- सरकार और विभाग सतर्क हो सकते हैं तो मैं सरकार से जानकारी लेता हूं और उसका असर भी होता है। जिनको मैं वास्तव में महत्वपूर्ण समझता हूं, उसके बाद में अस्वीकार तो करता हूं, लेकिन उसके सम्बन्ध में सरकार को इस बात के लिए निर्देश देता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाय। विपक्ष के नेता महोदय ने यह भी कहा कि दूसरे दिन उसमें निर्णय कर देना चाहिये, तो निर्णय यही होगा कि मैं उसको अस्वीकार करूं और दो-दो मिनट माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दूं। माननीय सदस्यों ने जब कोई प्रस्ताव मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिये, तो मैं कतई तौर पर जन हित की दृष्टि से देखता हूं। अगर विपक्ष के माननीय नेता महोदय और अन्य नेता मेरे चेम्बर में आने का कष्ट करेंगे, तो बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं, जो बहुत ही उपयोगी है और मैंने व्यवस्था दी है कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे। दूसरा प्रश्न है सरकार की ओर से उत्तर आने में विलम्ब होता है। कुछ विलम्ब होता है, यह मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी हर रोज कुछ न कुछ स्थगन प्रस्ताव के उत्तर आ जाते हैं और उनको मैं इसमें सम्मिलित कर लेता हूं। अब यह तो एक विवाद है कि किसी प्रश्न का दूसरे दिन, किसी का तीसरे दिन और किसी का चौथे दिन जवाब आया। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश यह रहती है कि जल्दी से जल्दी, उत्तर आ जाय। अब मैं यदि बिना सरकारी पक्ष से जानकारी लिये बिना स्थगन प्रस्ताव की उपयोगिता के बारे में सोचे समझें, स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता हूं और माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का समय बोलने के लिये दे देता हूं, तो मैं समझता हूं उस विषय में मैं न्याय नहीं कर रहा हूं। इसलिये थोड़ी देर होती है तो हो सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वे सदन में किसी न किसी रूप में अवश्य आने न चाहिये। सरकार से भी मेरा यही निवेदन

(श्री अध्यक्ष)

है, यद्यपि बहुत ज्यादा संख्या में स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आते हैं और उसमें विलम्ब भी हो जाता है, तो उसको जल्दी भेजने की कोशिश करें। मैं समझता हूं इसमें आपकी जो शंकाएं हैं, उन सबका निवारण हो जाना चाहिये। व्यवस्थाएं जो पहले जैसी थीं, वैसी ही बनी रहेंगी। जिनमें मैं आवश्यक समझूंगा कि सरकार का उत्तर आना चाहिये, उसमें सरकार का उत्तर आने के पश्चात् ही मैं व्यवस्था देना ज्यादा उचित समझता हूं। इसलिये स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में यही व्यवस्था है। आगे चलिये···

श्री यदुनाथ सिंह : रैली के मामले में पिछले विधान सभा सत्र में भी सवाल उठा था। क्या सरकार उसके पेमेन्ट को रोकना चाहती है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : (अजमेर पश्चिम) : सूचना तो मुझे नहीं मिली, क्या निर्णय हुआ, क्या जवाब आया? मेरे पास कोई सूचना नहीं। बी.बी.सी. रेडियो ने घोषणा की थी कि अजमेर शहर 24 घंटे तक गुण्डों के कब्जे में रहा···

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : मुझे आप सूचना नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार किसी स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष के लिये भेजती है, वह सूचना आपको दे दी जाय, यह सम्भव नहीं है। मैंने आज आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सरकार के उत्तर को देख कर तो आपको यह अधिकार होगा कि दो तीन मिनट में आप अपनी बात कह लें।

श्री राजबहादुर : एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, अभी अभी आपने कहा सरकार का उत्तर आयेगा और उत्तर आने के बाद···

श्री अध्यक्ष : जिसको मैं उपयोगी समझता हूं, सरकार का बिना उत्तर आये हुए भी मैं कह देता हूं कि सरकार का वक्तव्य होगा, लेकिन आम तौर पर सभी प्रश्नों की जानकारी नहीं होती है।

श्री राजबहादुर : अन्तिम निर्णय तो तभी होगा, जब सरकार की तरफ से उत्तर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से उत्तर आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ देरी हो जाती है इसको आप और हम अच्छी तरह समझते हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी मेरा निवेदन है, जो कल रात को जयपुर में डकैती हुई है······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उसमें सूचना मांगी है, अगर सूचना नहीं आती है, तो कुछ और व्यवस्था की जायगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं, उन

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तरकाल नहीं होगा, माननीय सदस्य। श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चन्द्रवीर सिंह। राजस्थान नहर की बुरजी 1045 से 1460, दो मिनट में।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट में ही समाप्त करने को कोशिश करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जब पश्चिमी राजस्थान में भीषण अकाल पड़ता है, तब तब यह बात आती है कि इस अकाल में पेयजल का परमानेन्ट समाधान होना चाहिए, अक्सर यह बात होती है, सदन में होती है और अखबारों में होती है लेकिन वस्तुस्थिति····

व्यवस्था का प्रश्न

वक्ता सदस्यों व आसन के बीच में से प्रांगण पार करना

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ये चीफ व्हीप सदन में चर्चा चलते हुए, बोलते हुए सदस्यों के बीच में से, सामने से नहीं जायें। यदि कोई साधारण मेम्बर ऐसा करता है, तो समझ में आता है, लेकिन बहुत पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकारी दल के मुख्य सचेतक है पुराने...

श्री अध्यक्ष : इनको क्या कह सकते है?

श्री परसराम मदेरणा : सामने से निकलने में अभी तक किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अगर वह बोलने वाले के बीच में से निकलें, कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पालियामेन्ट में बीच में से नहीं जाते....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह असेम्बली है। बोलने वाले के बीच में से नहीं निकलें, यह है रूल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्यों से यह एक्सपेक्ट है कि वे इधर से क्रास करके न जायें, रूल्स में यह है कि कोई माननीय सदस्य बोलता हो, तो चेयर और माननीय सदस्य के बीच में से नहीं निकलें।

श्री अध्यक्ष : हमारे रूल्स तो यही अलाउ करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये ऐसे फिर रहे हैं, जैसे अपने बंगले पर घूम रहे हों।

श्री परसराम मदेरणा : पालियामेन्ट के अन्दर तो, मैं लोक सभा और राज्य सभा दोनों की बात करता हूं। लोक सभा में तो माननीय सदस्य जा कर अध्यक्ष महोदय से बात भी करते हैं, लेकिन अपने यहां नहीं करते। वहां पर मैंने यह भी देखता हूं कि माननीय सदस्य निकलते हैं। अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य बोलते रहे हों, उनके बीच में से नहीं निकलें।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री चन्द्रवीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस जिले की पेयजल समस्या को हल करने के लिये केवल मात्र एक चारा है, वह है राजस्थान नहर। कल

(४४)

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

भी अकाल की चर्चा के दौरान मैंने माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि 18 इंची पाइप लाइन से बुरजी 1045 से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास 1460 तक राजस्थान सरकार दिसम्बर 81 तक जोड़ने का विचार रखती है, ऐसी सूचना मुझको सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इस भीषण अकाल की स्थिति में अगर इस 18 इंच या 12 इंच पाइप लाइन को युद्ध स्तर पर लेकर मोहनगढ़ तक भी पहुंचा दिया गया, जैसा कि सरकार विचार रखती है, तो मेरा यह मानना है. अध्यक्ष महोदय, कि इस भीषण अकाल से बड़े भारी पशुधन को अपन बचा सकेंगे। जिन गांवों में पेयजल की भारी और विकट समस्या है, उनको भी जल प्राप्त करवा सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान कैनाल बनने में समय लगेगा। हम सब इससे भली भांति परिचित हैं, लेकिन 18 इंची पाइप लाइन या 12 इंची पाइप लाइन रामगढ़ तक पहुंचा दी जाय, तो जैसलमेर जिले में मेरा मानना है कि भारी मात्रा में पशुधन को बचाया जा सकेगा। जिले की पेयजल समस्या का भी निवारण हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। सवाई माधोपुर नगर व अन्य गांवों में पीने के पानी के संबंध में।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सवाई माधोपुर नगर में तथा गांवों में पीने के पानी अव्यवस्था के सन्दर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। सवाई माधोपुर नगर में जो पेयजल की योजना है वह सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से है। राज्य सरकार का इस प्रकार का एक कम्प्रोमाइज किया हुआ है कि सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर नगरपालिका को पर्याप्त मात्रा में पानी देती रहेगी। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां की 50 हजार की आबादी को केवल मात्र 50-60 हजार गैलन पानी दिया जा रहा है। यहां तक भी देखने को मिला है कि 19-7 से 31-7 तक सीमेंट फैक्ट्री ने अपनी मोटर बनास नदी से उठा ली और उसके बीच में अपने क्षेत्र के लिए सवाई माधोपुर नगर से जो गन्दा नाला आता है, उसी गन्दे नाले के पानी को सीमेंट फैक्ट्री में लेकर वहां की जनता को पीने के लिए दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 4 किलोमीटर से गन्दा नाला जिस स्थान पर आता है, वहां से पीने का पानी दिया जा रहा है। इस बात का अफसोस है कि राज्य सरकार के और सीमेंट फैक्ट्री के बीच में पानी देने का प्लान बनास नदी से था। यद्यपि गन्दे नाले पर सीमेंट फैक्ट्री की व्यवस्था की हुई है, किन्तु वह पानी केवल मात्र सीमेंट के उपयोग के लिए था। उसे सीमेंट उपयोग के लिए नहीं लिया गया और वह सवाई माधोपुर की जनता को पीने के लिए दिया गया मैंने यहां तक भी सुना है कि संबंधित विभाग से वह पानी टास भी नहीं करवाया गया था।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : वहां के जल विभाग के अधिकारियों से जब हमने सम्पर्क

(श्री हंसराज शर्मा)

किया, तो उन्होंने कहा कि एक हजार रुपये हमें रोजाना दवाइयों का खर्च करना पड़ता है और पानी साफ करके देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सीमेंट फैक्ट्री जो अपना स्वयं का पानी लेती है, वहां बनास नदी पर मोटरें लगा रखी हैं। सवाई माधोपुर को जो पानी दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हंसराज शर्मा : वह केवल 50 हजार से 60 हजार गैलन की मात्रा में दिया जा रहा है। इस प्रकार 50 हजार की आबादी को सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री द्वारा 60 हजार गैलन पानी दिया जा रहा है। यद्यपि मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एक व्यवस्था की है। 5 या 6 मोटर लगा रखी है और गांवों में 5-6 मोटरों से पानी दे रहे हैं, किन्तु वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से अन्य गावों में भी यही व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार बार-बार यह कहती रही है कि हमने कई गांवों में योजना प्रारम्भ कर दी है और पर्याप्त मात्रा में पानी देना प्रारम्भ कर दिया है। मैं सम्बन्धित विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उनके क्षेत्र में ग्राम पाली है वहां 5 सौ कुओं का पानी देने का साधन है, लेकिन विभाग द्वारा उस क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। लम्बा नहीं।

श्री हंसराज शर्मा : ज्यादा कनेक्शन दे रखे है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सीमेंट फैक्ट्री ने हमें इतने दिनों तक इंतजाम में पानी नहीं दिया और गन्दे नाले का जो पानी दिया गया है, उसकी जांच कराई जाय। साथ ही साथ, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां कोई अन्य प्रकार की पानी पीने की व्यवस्था कराई जाय। मैंने ऐसा सुना है कि विभाग द्वारा वहां पानी की योजना को चालू करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में पानी देने के लिए एक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, यदि उस योजना को अविलम्ब लागू कर दिया जाय तो सवाई माधोपुर नगर में और मानटाउन नगरपालिका में...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : सीमेंट फैक्ट्री से 50 हजार की पापुलेशन को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए। श्री अनंग कुमार। झालावाड़ में जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है, आप देखिये उसमें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से स्थगन प्रस्तावों में एक से अधिक संख्या में माननीय सदस्य दस्तखत कर देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 16 माननीय सदस्यों ने दस्तखत कर दिये, तो 16 को ही यहां पर इजाजत दी जाय। उस विषय पर इस तरह से, इतनी लम्बी डिबेट की मैं इजाजत नहीं दे सकता। किसी विषय को सदन के सामने

(श्री अध्यक्ष)

लाना है और सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है, तो एक अथवा दो···

(व्यवधान)

अभी आपने यह कैसे समझ लिया कि मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा ? लेकिन एक या दो से ज्यादा को मैं इजाजत नहीं दे सकता। आपका नाम नहीं है उसमें दो प्रस्तावों पर दस्तखत किये होंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आप मेरे दो स्थगन प्रस्ताव बताइये।

श्री अध्यक्ष : आज तीन पर दस्तखत किये हैं आपने। एक तो सवाई माधोपुर कस्बे में पीने के पानी के सम्बन्ध में।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इस पर नहीं है। हमने तो झालावाड़ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के सम्बन्ध में दिया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। एक है झालावाड़ जिले में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वह भी नाम नहीं आया मेरा। कोई तो आना चाहिए। आपने बिल्कुल ही सफाया कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी मांगी है। माननीय सदस्य, अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने एक पर ही दस्तखत किये हैं।

(व्यवधान)

इस बात पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, आखिर हमारा क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा अधिकारी के सम्बन्ध में तीन-तीन के दस्तखत हैं। हमारे यहां व्यवस्था यह है कि एक के अन्दर एक ही नाम दिया जावे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : एक पर तो बुलाइये आप।

श्री अध्यक्ष : वह तो अभी इतनी व्यवस्थायें दी है मैंने।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह झालावाड़ जिले में शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त होने से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि उसका मुख्य सम्बन्ध वर्तमान में जो अधिकारी कार्यरत हैं उन्होंने जो शिक्षा मंत्री द्वारा नीति घोषित की थी, उस नीति के अनुरूप नहीं, बल्कि उस नीति के खिलाफ साढ़े तीन सौ अध्यापकों के स्थानान्तरण किये हैं, द्वितीय और तृतीय वेतन श्रेणी में वेतन पाने वाले गरीब अध्यापकों के जो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। उन 350 अध्यापकों के स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध अलग-अलग जगहों पर उप-जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने एक नीति तय की थी। उस नीति की प्रति सारे सम्बन्धित विभागों को भेजी गई और उसकी प्रति विधायकों के पास भी भेजी थी। उस नीति के अन्दर

(श्री अनंगकुमार जैन)

कुछ पाइन्ट तय किये थे । उस नीति के अन्तर्गत वह अध्यापक आते होंगे तो ही उन अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जायेंगे, लेकिन वहां पर वर्तमान में जो उप जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने साढ़े तीन सौ अध्यापकों के स्थानान्तरण, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विभिन्न स्थानों पर किये हैं। इन स्थानान्तरणों को करने से कई स्कूलों पर अध्यापक नहीं पहुंच पाये हैं। कई अध्यापकों ने अभी तक जोइन नहीं किया है। दूसरे जो रिलेक्टेंट अध्यापकों के ट्रांसफर हुए हैं वह अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से नीति के विरुद्ध ट्रांसफर किए गए हैं। इन स्थानान्तरणों की वजह से कई स्कूलों में सम्बन्धित विषयों के अध्यापक नहीं पहुंच पाये हैं। अध्यापक नहीं पहुंच पाने की वजह से उन तमाम स्कूलों में जो छात्र हैं, वे मारे-मारे फिर रहे हैं। उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे जिले में इतनी अधिक संख्या में ट्रांसफर करने की वजह से जिले के सारे स्कूल इससे प्रभावित हुए हैं। स्कूलों में अध्यापक समय पर नहीं पहुंचने के कारण विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की समय पर अध्यापक नहीं होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं तो वैसे ही ज्यादा नहीं बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां के जो जिला शिक्षा अधिकारी ने नीति के विरुद्ध इतनी अधिक संख्या में ट्रांसफर किये हैं, उनकी राज्य सरकार जांच करवाये। यदि उन्होंने नियमों के विरुद्ध ट्रान्सफर किये हैं, तो उन ट्रान्सफरों को, निरस्त किया जावे और उनको उन्हीं स्थानों पर रखा जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिकारी ने जो हनुमान प्रसादजी प्रभाकर शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : लेकिन झालावाड़ जिले के अन्दर एक नए हनुमान प्रसादजी प्रभाकर पहुंच गए हैं, जो तमाम उन अध्यापकों के पीछे पड़े हुए हैं। बेचारे गरीब अध्यापकों को फिर परेशान करने पर उतारू हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जांच की जाकर जो अध्यापक इससे प्रभावित हुए हैं, उन अध्यापकों को राहत दिलवाई जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में सभी स्कूलों में बड़ी अव्यवस्था हो रही है। मैं अभी वर्तमान में

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

मेरे क्षेत्र में होकर आया हूं सैकण्डरी स्कूल में वहां पर अध्यापक नहीं हैं। जिनके ट्रांसफिर हो चुके हैं; वह अभी तक आये नहीं हैं। वहां पर विद्यार्थियों की पढ़ाई की बड़ी हालत खस्ता हो रही है। इसी प्रकार पिड़ावा क्षेत्र में दो अध्यापकों की कमी है और एक अध्यापक का प्रमोशन होने की वजह से वह चला गया है। इस प्रकार से तीन अध्यापकों की कमी हो चुकी है। पूरे जिले में ट्रांसफर नीति गलत होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई की हालत बड़ी खस्ता हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अनंगकुमारजी ने बताया है कि वैसे ही हमारा जिला पिछड़ा हुआ जिला है और शिक्षा में हमें वैसे ही पिछड़ा रखा गया है। क्योंकि हनुमानप्रसाद जी प्रभाकर तो चले गये, लेकिन हमारी हालत खस्ता कर गए वहां पर इस प्रकार के हनुमानजी बिठा दिये कि जिन्होंने पूरे शिक्षा विभाग की हालत खस्ता कर दी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां तुरन्त सारी जांच करवा कर दूसरे उप जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की अनुकम्पा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन। चाकसू, हिंगोनिया आदि गांवों में बाढ़ सहायतार्थ गई महिलाओं के साथ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मेरा नाम भी है!

श्री अध्यक्ष : हां, है। आर्डर आर्डर। श्री अनंगकुमार जैन!

श्री जयकृष्ण शर्मा : इनको क्या पता कि हिंगोनिया कहां है?

(व्यवधान)

इनको पता ही नहीं है कि हिंगोनिया कहां है? पहले ये बोल लें फिर उसी को रिपीट कर देना।

श्री अध्यक्ष : यह हिंगोनिया कौन सी तहसील में है? पूछ रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : मुझे तो अच्छी तरह से पता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में 30 जुलाई को राज्य सेविका समिति की 33 महिलायें एक बस करके, उसमें सारा आटा सामान, कपड़ा, दालें, दवाइयां भर करके जयपुर से 12 बजे रवाना हुईं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वह साढ़े छः बजे पहुंची। वे हिंगोनिया, धर्मपुरी अन्य सभी इलाकों में सारा सामान वितरण करके जब वापस लौट रही थीं, तो वहां "सिरकी" नाम का एक नाला पड़ता है, उस नाले को टेम्प्रेरी चालू कर रखा था। वैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस नाले पर उस समय साढ़े नौ बजे वे महिलायें पहुंचीं, जबकि उनके वहां आने से पहले, उनकी बस जाने से पहले, उस नाले पर बीस वाहनों को पास करा चुके थे। उस समय उप अधीक्षक श्री अर्जुनसिंह और पी. डब्ल्यू.डी. के कनिष्ठ अभियन्ता भी मौजूद थे। अन्य कर्मचारी

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

भी वहां मौजूद थे। बीस वाहन पार करवाये उसके बाद एक एस. पी. साहब की जीप को पार करवाया, लेकिन जब यह देखा कि आर.एस.एस. वालों की मोटर, बस आ रही है, तो उन लोगों ने उस नाले को टेम्प्रेरी चालू कर रखा था, उसमें से जान-बूझ कर पत्थर निकलवा कर और मजदूरों को काम पर लगवा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ××× सरकार के ××× अफसरों ने महिलाओं के साथ इस प्रकार जघन्य अत्याचार किया, जो कि बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता करने गई थीं। यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से इस सरकार और इस सरकार के अफसरों में······

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इतनी मानवता भी नहीं है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, बाढ़ पीड़ित लोगों को जो महिलायें सहायता करने गई थीं, उनकी सुरक्षा की जाय, क्या उनका कर्त्तव्य नहीं था? रात का समय था। क्या यह कर्त्तव्य नहीं था कि उनकी सुरक्षा करके उनको अपने स्थानों पर पहुंचाया जाते, जबकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि पुलिस विभाग के जो डीवाईएस.पी. हैं अर्जुनसिंह उनको सस्पेन्ड किया जावे और जो कनिष्ठ अभियन्ता पी. डब्ल्यू. डी. के है, उनकी भी जांच करें और उनको भी तुरन्त निलम्बित किया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुखद घटना है। एक तरफ मानवता रो रही है और दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े अखबारों में यह दे रही है कि हम बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में यह कर रहे हैं ..

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस××× सरकार के इन ××× अफसरों ने महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, मैं उसकी जांच की मांग करता हूं।

श्री अनंगकुमार जैन : एक मिनट में निवेदन कर देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, उसमें एक पुलिस अधिकारी के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। सदन के अन्दर कई बार यह आवाज उठाई जाती है कि पुलिस पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता पर ज्यादतियां की जाती हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनायें सदन में उठाई जाती रही हैं। कल की ही बात है कि सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य और माननीय राज्य मंत्री महोदय के बीच में कटु वाद-विवाद हुआ था। जब से प्रद्युम्न सिंहजी ने गृह राज्य मन्त्री का कार्य सम्भाला

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

50

(श्री अनंगकुमार जैन)

है, तभी से आए दिन दोषी पुलिस अधिकारियों को बचाने की पुरजोर तैयारी की जाती रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और गृह राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भी पुलिस के मामले में इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं। जिनकी शिकायत की गई उन पुलिस अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से बचा गये। पूर्व में मनोहर थाना के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे मेरा मतलब है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की ऐसी स्थिति में भी सरकार पुलिस अधिकारियों की जांच नहीं करना चाहती, बल्कि उनको इनाम दिया जाता है। उन अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यह घटनाएं माननीय प्रद्युम्न सिंहजी के समय में हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे दोषी अधि-कारियों अर्जुनसिंह, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, की निश्चित रूप से जांच करके दंड दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवान दास शास्त्री।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना से संबंधित मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : किसी अन्य तरीके से इसको उठा सकती हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही सैन्टेन्स में निवेदन करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें यह था कि पुल पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। होना तो यह चाहिए था कि वह महिलाओं की मदद करते। जब पुलिस एक सीनियर आफिसर की गाड़ी नाले को पार करा सकती थी तो उसके बाद दूसरी गाड़ी भी चली गई होती, तो कौनसी समस्या आ जाती। पुलिस का यह दृष्टिकोण अवांछनीय है। यह अवांछनीय घटना है, इसको गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवान दास शास्त्री, अजमेर के नला बाजार में दुकानदारों की लूट के सम्बन्ध में।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना 24 अगस्त, 1981 को सायंकाल चार बजे शुरू हुई है। पड़ाव एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। वहां से 15 और बीस की संख्या में गुण्डे पहले तो आपस में लड़े कुछ पैसों के मामले में उन्होंने कोई डकैती की थी, हिस्सा पूरा नहीं मिलने के कारण लड़ने लगे। तलवारें, साइकिलों, की चैनें, उसके साथ-साथ लाल मिर्ची की पुड़ियायें उनकी जेब में थीं। जहां यह दुखद घटना घटी, वहां से खारी कुआं जो मेरा इलाका है, वहां आये। फिर मुंदरी मोहल्ला

(श्री भगवानदास शास्त्री)

में गये। जिस जिस चीज की जो-जो दुकानें थीं, चाहे चाय की हो, चाहे अण्डे की हो, चाहे पान की दुकान हो उनका गल्ला लूटते गये और माल खाते गये। बोतलों के प्रहार करते रहे जैसे गोली लगती है, वैसे बोतले मारते गये। मुंदरी मोहल्ला आकर वे दो हिस्सों में बंटे। एक हिस्सा नला बाजार की तरफ आया। यह आपस में छह जने थे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वे नला बाजार में घुसे तो दूध की टंकी जो कि करीबन 15 टंकी थीं, जिनमें एक-एक में एक-एक मन दूध था वह डेयरी का सारा दूध बखेर दिया कि तुम पीयो, नहीं तो जमीन पीयेगी। उसके बाद सुनार की दुकान में गये, उसके साथ-साथ रेडियो सेंटर में गये जिनका शो केस आप देखें, तो मैं कहता हूं बाम्बे याद आता है। हजारों रेडियो सेट, ट्रांजिस्टर, टेप, रिकार्ड आदि पड़े थे, शीशे को तोड़कर उन्होंने पांच तो वहां से रेडियो सेट लिये जिसका मालिक दयालदास पेऊमल था। उसके बाद विष्णु दास धर्मदास की कपड़े की बढ़िया दुकान थी उसका शो केस तोड़कर साड़ियां लीं, उसके साथ-साथ गल्ला लूटा और गले से ही सोने की चैन ले गये निकाल कर। साथ ही उसके सीधे हाथ की हड्डी को तोड़ा। इतना फ्रैक्चर आया कि आज तक उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मैं कहता हूं, इतनी घनी आबादी के बाद जिन्दल ब्रादर्स की रेडियो की जो दुकान थी, वहां से तीन सेट रेडियो के ले गये। उसके बाद कारण यह बनता है, मैं प्रभारी मंत्री से प्रार्थना करता हूं आप इन्क्वायरी करें केवल अजमेर ही नहीं, सारे राजस्थान में गुण्डों ने अपने साधन बना रखे हैं। स्टालों पर, ठेलों पर जो सोडा फैक्ट्री की गैस सिलेण्डर लगाकर सोडा बनता है, यह हथियार है। आज आप हजारों आदमी मैदान में आ जायं, उनकी दो सोड़े की बोतलें, ऐसी बोतले फकते हैं, जो आपकी मौत का काम करती हैं। यह सब उसके मालिक हैं, चलाते वही हैं। उनमें शराब भरा हुआ होता है। यह अनैतिक व्यापार है। मैं कहता हूं, ऐसा कोई संशोधन लाया जाय कि रास्ते में बिना किसी परमिशन के कोई भी ठेले पर सोडा की फैक्ट्री बनाकर चलाता है, यह कतई नहीं होना चाहिये। बड़े शहरों में पांच लाख की आबादी है आज यह हमारे लिये मौत के घाट का एक कारण बनता है।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं, महिलाएं, जो हमारी दरगाह की तरफ हैं, वह तो अच्छा हुआ दुकानदार जो कि मेरे इलाके नला बाजार रहते हैं, उन्होंने अपनी ताकत से जब लूटमार देखी, तो दो हजार दुकानदारों ने उतर कर उनकी पिटाई करके उनको रोका अगर दरगाह की तरफ जाते तो हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हो जाता। यह विदेशों तक सुना जाता कि हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हो गया। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि बीस तारीख को चार दिन पहले से अगर दिमाग है, ताकत है····

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वे पुष्कर रोड से टैक्सी में आते हैं। चार दुकानों को लूटा। मदार गेट की घनी आबादी की दुकानों को लूटा। जब मैं खुद पुलिस थाने में, सदर

52

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कोतवाली मे गया, मेरे कहने से उन्होंने एफ.आई.आर. तो दर्ज की, किन्तु एस.पी. के पास चार केस हैं—डिग्गी बाजार, उसके साथ-साथ मदार गेट और अस्पताल के। यह जवाब मिला, "नला बाजार के एसोसियेशन के पास जाओ। जो मर्जी का काम किया है। मैं तो छुट्टी पर हूं।" यह कोई जवाब है। यह कोई उत्तर है। यह अधिकारियों का कर्तव्य हो जाता है, नला बाजार वालों ने ताकत से गुण्डों को वहां रोका, तो नला बाजार वालों से शिक्षा ले लो, मैं तो छुट्टी पर हूं। यह प्रशासन का काम नहीं है कि मैं आज छुट्टी पर हूं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। 20 तारीख के बाद 24 को यह घटना घटी। अगर 20 तारीख को पुलिस अधिकारी और मैं क्या बताऊं, वह थानेदार जो हमारा क्लाक टावर दुनिया में मशहूर है, माननीय हमारे विरोधी दल के नेता सारी उनकी डायरी तक को जानते थे कि हजारों

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक थानेदार बदलेंगे नहीं, तब तक यह जो एस. पी. है, उसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। थानेदार इनके घरों का सामान, बच्चों की पढ़ाई की किताबें आदि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। भाषण नहीं होगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य में (अश्रव्य) शांतिमय वातावरण को सताते हैं। मैं एक बात बता देता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री भगवानदास शास्त्री : घटना के बाद पुलिस ने जो कार्यवाही की है, वह पुरानी है।

(व्यवधान)

किन्तु बात न सुनी। अगर बीस तारीख को ध्यान देते तो इस तरह की घटना न घटती। मैं अजमेर की सुरक्षा के लिए प्रभारी मंत्रीजी आपसे प्रार्थना करता हूं कि गुण्डों से हमें सुरक्षा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री चतुर्वेदी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। वह सम्बन्ध रखता है, जयपुर शहर में एक बहुत बड़ी डकैती हुई उससे।

श्री अध्यक्ष : उसमें मैंने जानकारी चाही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह था, यह घटना कल रात्रि की नहीं है, परसों रात की है। परसों से आज तक क्या सरकार के पास जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो आज दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह था कि स्थगन प्रस्ताव आने से पहले ही सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिये था। इतनी बड़ी शहर में घटना हो जाये, पांच लाख का माल मकान में घुस कर एक बजे रात को घनी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आबादी के इलाके में लूट कर ले जायें और सरकार को पता भी नहीं लगे। उसके लिये समय मांगा जाये। आज जयपुर में इस प्रकार की घटना से इतना आक्रोश और भय व्याप्त है कि लोग रात को सोते समय विचार करते है कि सुबह जिन्दा उठेंगे या नहीं, कोई हमारे को सुरक्षित छोड़ेगा या नहीं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शास्त्री : ऐसी घटनाओं पर इतना विलम्ब लगे और सरकार उसका उत्तर न दे। मेरा यह निवेदन है कि आज ही सरकार (अश्रव्य) से इसका उत्तर दिलवाये।

श्री अध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि आज का यह स्थगन प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : अभी मैं चेम्बर में जाकर मालूम करूंगा कब उत्तर देना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : थाना पास में ही इधर है फिर क्या कठिनाई है ? है क्या कठिनाई जवाब देने में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उसके बारे में जो आपका आदेश होगा, उसका पालन करूंगा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां तक कि एस. पी., डी. आई. जी. मौके पर पहुंच गये हैं और इस मामले में जो जयपुर में डकेती पड़ी है, उसके लिये स्पेशल स्क्वायड गठित किया गया है। पूरी चेष्टा की जा रही है। जहां-जहां वायरलेस भेजने हैं, वायरलेस भेजे गये हैं। मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। इस वक्त तो इतना ही कहना चाहूंगा। अभी पूर्व में अजमेर से आने वाले शास्त्रीजी ने सभी बात कही, लेकिन साथ में यह बात भी कही कि पुलिस का कार्य सराहनीय रहा है। जो नामी गुण्डे थे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी अजमेर में घटना हुई, उसके बारे में मुस्तैदी से कार्य किया है। अब वहां वातावरण शांत है। लोगों में भय नहीं है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री चतुर्वेदी जी !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं डकेती के मामले में निवेदन करना चाहूंगा। आज से कुछ दिन पहले माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी जानते हैं कि जौहरी बाजार में जो डकेती हुई, जो इस प्रकार की घटना हुई थी....

श्री प्रद्युम्नसिंह : चोरी हुई थी, उसका प्रश्न हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह मैं नहीं कह रहा हूं। आप उत्तर देने में तो माहिर है और आपसे अपेक्षा भी यही की जाती है। उत्तर तो आप दे देंगे, लेकिन जहां तक काम का सवाल है, वह विवाद का विषय है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। इस बारे में स्थिति यह है कि इसमें जो गेंग था, वह गिरफ्तार हो गया है। कुछ सबूत मिले हैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और चोरी के रहस्य मिलने की पूरी संभावना है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस को एक गेंग को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और कुछ माल, जो जौहरी बाजार में चोरी हुआ वह बरामद हो गया है। आगे कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं अगर माननीय राज्य मन्त्री महोदय पहले वक्तव्य दे देते तो मैं समझता हूं कि सरकार का पक्ष प्रबल होता। अगर दोनों घटनाओं के संबंध में सरकार स्वत: ही कोई वक्तव्य देती, आप कह रहे हैं कि मुल्जिम पकड़े गये हैं माल बरामद हुआ। इसकी सूचना यदि सदन में दे देते, तो पब्लिक में जिस प्रकार का भय व्याप्त है, उसका कुछ न कुछ अंशों में निराकरण होता। इसी प्रकार डकेती की घटना है, इसे आप महसूस करेंगे। क्या लोग इससे चिंतित नहीं होंगे? ऐसी बात नहीं है, आपको महसूस करना चाहिये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से दोनों प्रश्नों, एक के बारे में तो कह रहे हैं कि स्थगित कर दिया, लेकिन डकेती के मामले में तो वक्तव्य देना चाहिये कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन्स दिये गये? जनता में जिस प्रकार का भय पैदा हो रहा है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने तो यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जन मानस में जिस प्रकार का भय पैदा हो रहा है, उसका निराकरण किस प्रकार हो ऐसा वक्तव्य सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व आप दे सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो, आप चाहें तो कल इस पर मैं संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं, दे दूंगा। जो कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है, उसके बारे में सदन को जानकारी, घटनाओं के तथ्य क्या हैं उसके बारे में जानकारी कल संक्षिप्त में अगर आपकी आज्ञा हो, तो दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 14 तारीख को दिया था कि उदयपुर विश्वविद्यालय में पांच दिन से हड़ताल चल रही है। इस इश्यू को लेकर विश्वविद्यालय के उप कुलपति को जिस ढंग से निकाला गया, चार दिन से विश्वविद्यालय बन्द है।

श्री अध्यक्ष : उस पर तो स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी, वक्तव्य दिलाया जा रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कब दिलाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : मुझे जुबानी याद नहीं है, कल रखा है।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न
बेरी वेतन आयोग पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विषय को आपके सामने सदन में रखने की इजाजत चाही थी, उसके लिये आपने मुझे इजाजत दी, धन्यवाद। 31 मई, 1979 को बेरी कमीशन का निर्माण इसलिये हुआ कि राजस्थान के साढ़े तीन लाख

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यह भी निश्चय हुआ कि एक वर्ष में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा और उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। उसके बाद 6 महीने की एक्सटेंशन बेरी आयोग को फिर दिया गया। 31 दिसम्बर को वह अवधि खतम होने के बाद भी एक दूसरा एक्सटेंशन 6 महीने का और दिया गया। इस पर उन्होंने तय किया 31 जून, 81 को यह प्रतिवेदन जनता के समक्ष और राजस्थान सरकार के समक्ष आ जायेगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी 3 महीने का एक्सटेंशन उन्होंने और मांगा। 30 सितंबर, 80 अंतिम तिथि थी। मैं बेरी साहब को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 30 सितम्बर के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने वेतन आयोग की रिपोर्ट को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सामान्य रूप से इस प्रकार की स्थिति रहती है कि ऐसे आयोग जो रिपोर्ट सरकार को देते हैं, वह रिपोर्ट सरकार के पास आती है। सरकार उस पर निर्णय लेती है और फिर जनता और प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। किन्तु शायद बेरी साहब के मन में यह बात होगी कि विधान सभा का सत्र चल रहा है, 30 सितम्बर लास्ट डेट थी फिर भी 15 सितम्बर को रिपोर्ट साया करने का एकमात्र प्रयोजन यह होगा कि पिछले डेढ़ महीने से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है, जब कि राज्य कर्मचारियों का सारा वेतन फिक्स है और आज की बढ़ती हुई महंगाई में वेतन से सारे काम चलाना मुश्किल है। इसलिये 15 दिन पूर्व ही अखबारों में रिपोर्ट साया कर दी। वह हमारे सामने आ गई, उनके मन में ऐसी बात होगी कि राज्य कर्मचारी जिस मंहगाई से पीड़ित है, परेशान हैं, 15 तारीख होते होते सारी तनख्वाह समाप्त हो जाती है। इस पर मैंने सारी वेतन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज 35 रुपये से लेकर 70 रुपये तक थोड़ी सी बढ़ोतरी फिक्सेशन के बाद मिलेगी...

श्री अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य आप संक्षेप में कहना चाहते थे, मैंने इसलिये इजाजत दे दी। बेरी आयोग की यहां पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। आप भूमिका इतनी लम्बी बांध रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बिन्दु रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इतना समय नहीं है। 295 अपना जो नियम है, उसमें जो मामले व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से नहीं उठाये जा सकते, उस प्रकार के मामले बहुत ही अल्पकाल के लिये सदन के समक्ष रखे जा सकते हैं, ध्यानाकर्षण किया जा सकता है लेकिन आप भाषण दे रहे हैं, यह मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप कहना चाहते हैं तो दो मिनट का समय मैं और देता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पांच मिनट का समय तो लगेगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने 15 दिन पहले रिपोर्ट परोसी हुई थाली के रूप में ही राज्य कर्मचारियों

56

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के सामने आ गई। मगर राज्य सरकार बीच में डण्डा लेकर खड़ी रही। किन्तु उनकी साजिश थी 15 दिन पहले की। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जिस प्रकार की रिपोर्ट है, यह सारा विवरण है उस पर तुरन्त राज्य सरकार को निर्णय करना चाहिये और निर्णय करने के पश्चात् थोड़ा सा कहा गया कि 26 करोड़ मिलेंगे, किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि 55 से 58 वर्ष की आयु···

श्री अध्यक्ष : आपने स्वयं पूरी रिपोर्ट पढ़ी है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि 55 से 58 वर्ष आयु सर्विस की गई है। इससे जो 3 वर्ष तक साढ़े तीन हजार नौजवानों को नौकरी में जाने का चान्स नहीं मिलेगा किन्तु एक बात अवश्य की गई है कि 55 से 58 वर्ष की आयु करने से सरकार के डाकूमेंट में जैसा कि वर्णन किया गया है इन तीन वर्षों में 58 करोड़ रुपये की सेविंग हो जायेगी। 19 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बचेगा। 28 में से 19 चला गया तो केवल 9 करोड़ रह गया। और दस करोड़ की अन्तरिम राहत पहले ही दी जा चुकी है। इस वर्ष राज्य सरकार को कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्य सचिव ने कहा है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक विस्तृत प्रश्न को हमारे सामने लाना चाहते हैं। नियम 295 है, उसमें इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती। आप केवल ध्यान आकर्षित कर दें। अपनी बात कह दें, परन्तु इस पर फुल डिबेट नहीं होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ध्यान ही आकर्षित करना चाहता हूं···।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह नियमों का दुरुपयोग है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अविलम्ब सरकार इस पर निर्णय ले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, आज यह स्थिति हो गयी है, राणावत आयोग, एक आयोग और बना था, उसके बाद बेरी आयोग और बना है, जिसमें किस प्रकार से उनको प्रमोशन ऐवेन्यूज देवें, यह शामिल किया गया था। इस आयोग ने प्रमोशन एवेन्यूज का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोमोशन ऐवेन्यूज कितने हो सकते हैं, निश्चित रूप से प्रमोशन एवेन्यूज पर चर्चा हो सकती है। यह रिपोर्ट मंगवाई जाये। अभी जो रिपोर्ट आ गई है, उसके आधार पर निर्णय लिये जायें और प्रमोशन ऐवेन्यूज पर विचार बाद में कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन हजार लोगों के रोजगार पर असर होगा 55 से 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति आयु कर देने पर तीन वर्ष जिनको मिल रहे हैं, परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि 55 से 58 कर देने···।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को आप अन्य किसी माध्यम से उठावें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो यह स्थिति बनी है, वह इसलिए बनी है कि उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। एक वर्ष में साढ़े तीन हजार लोगों को रोजगार मिलता। तीन साल तक ये लोग वंचित रहेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन नौजवानों को नौकरी की अपारचुनिटी मिले और आयोग की रिपोर्ट को तुरन्त स्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1977 से 31 मार्च, 1978)

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1978 से 31 मार्च, 1979)

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच सदस्यों से हस्ताक्षरित (1 जमवा रामगढ़ की तहसील के छोटे-छोटे नदी-नालों पर बांध व एनीकट निर्माण न करने से पानी के अभाव के कारण कृषि की संभावनाएं समाप्त होने विषयक...

श्री अध्यक्ष : पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरूंलाल : (2) जमवा रामगढ़ तहसील राजपुरवास ताला से भामोद तक सड़क निर्माण करवाये जाने,

(3) जमवा रामगढ़ से ग्राम ताला से रायसर रोड का निर्माण करवाये जाने, एवं

(4) जमवा रामगढ़ को नकटी घाटी से नायला रोड को पूरा करवाये जाने ... से सम्बन्धित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मैं दो व्यक्तियों से हस्ताक्षरित

(1) सोजत, जिला पाली के लिए मीठा पानी उपलब्ध करवाये जाने,

(2) ग्राम धाकड़ी, तहसील सोजत, जिला पाली में माध्यमिक विद्यालय खुलवाये जाने,

(3) ग्राम सियार, तहसील सोजत, जिला पाली में डिस्पेन्सरी खुलवाये जाने तथा

(4) सोजत, जिला पाली में राजकीय चिकित्सालय में स्वीकृत पलंगों की संख्या बढ़ाये जाने

से संबंधित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : हजारीलाल शर्मा।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर–झुंझुनूं जिले के काश्तकारों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी एवं एन फार्म जमा कराने के बाद भी विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में विलम्ब करने से संबंधित याचिका उपस्थापित करता हूं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई (अनुपस्थित)।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि। श्री शिवचरण माथुर।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (सदस्य प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने हेतु नियत समय में ······

व्यवस्था का प्रश्न विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने की तिथि

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इससे पहले दूसरा है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानकारी चाहता हूं कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने का इस सदन में निर्णय कब लिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा समझा गया है कि प्रवर समिति को जो बिल सौंपा गया है पिछले सत्र में जब बिल प्रस्तुत किया गया है या उसके पहले निर्णय लिया गया होगा ···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी जानकारी में यह है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें सदन की अनुमति नहीं ली गई है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : सदन की अनुमति से या सरकारी पक्ष के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष यह व्यवस्था देते हैं। इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अनुमति का जो प्रश्न है, वह तो रिकार्ड से ही देखा जा सकता है

श्री अध्यक्ष : इस पर कुछ समय पश्चात् मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। इससे पहले दूसरा ले लेते हैं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी बजट सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (सदस्य, प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी बजट सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति

(श्री अध्यक्ष)

के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी बजट सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने का नियत समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया।

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण,(संशोधन) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा, (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी बजट सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की तिथि

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मेरी आपत्ति है। ऐसा कोई प्रस्ताव हाउस में पारित नहीं हुआ है कि इनके लिये सलेक्ट कमेटी बना दी जाये ·····

श्री अध्यक्ष : वस्तुस्थिति का मैं अध्ययन करने के बाद में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री राजबहादुर : उससे पहले प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय कैसे बढ़ा सकते है ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव ही रखा है। आपका जो ऐतराज है, उस पर मैं जानकारी लूंगा। ··

श्री परसराम मदेरणा : तीन अप्रेल सत्र का आखरी दिन था, मुझे ऐसा याद है कि आपने इस सदन में प्रवर समिति के सदस्यों की घोषणा निश्चित तौर से की थी। मैं भी उस समिति का सदस्य हूं, इसलिये मुझे मालूम है कि मुझे आपने मनोनीत किया था। अब यह व्यवस्था का प्रश्न है, यह माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने उठाया है। इस सम्बन्ध में तो रिकार्ड से ही जानकारी ली जा सकती है·······

श्री अध्यक्ष : "राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन विधेयक,1981 को2अप्रेल,1981) को श्री हीरालाल देवपुरा, प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा आज की गयी जो निम्नलिखित है :"

यह विधान सभा बुलेटिन भाग (1) दिनांक 3 अप्रेल, 1981 है।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज ही ले रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब क्या आपत्ति है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बुलेटिन में तो आया हुआ है, लेकिन प्रोसिडिंग्स में मेरे ख्याल से कुछ और ही है। जिस तारीख को प्रश्न रखा गया था, उस तारीख को ही पास हुआ था ?

(60)

श्री परसराम मदेरणा : बुलेटिन में यह बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव भी आया है, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल सेवा के लिये अपील अधिकरण विधेयक, 1981 को प्रवर समिति को विनिर्दिष्ट किया जाय।

जगन्नाथ पहाड़िया।"

2 अप्रेल, 81 को विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह प्रस्ताव क्या है? इन दोनों विधेयकों के संबंध में हाउस के अन्दर प्रस्ताव पर वोट हुआ है पहला प्रश्न यह है कि ....

श्री अध्यक्ष : यह तो मानकर चलते हैं कि वोट हुआ ही होगा। यह तो कार्यवाही देखने से ही पता लगेगा !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कार्यवाही में देखना है।

श्री अध्यक्ष : वह तो आफिसियल रिकार्ड है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आफिशियल रिकार्ड है, मैं यह मानता हूं परन्तु उसमें भी यह लिखा गया होगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया।

श्री अध्यक्ष : सैक्रेटरी ने सर्टीफाई किया है कि विधेयक 2 अप्रेल, 1981 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया। यह आफिशियल

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सही है लेकिन इसके साथ साथ हम भी देख लें प्रोसिडिंग्स को थोड़ा। भूल मेरी भी है कि मैंने आज के पहले कार्य विवरण को नहीं देखा वैसे मेरी जानकारी है यह दोनों बिल प्रवर समिति को सुपुर्द नहीं किये गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, टैक्निकल प्रश्न उठाया है विरोधी दल के नेता ने कि सचिव के केवल लिखने से तो हाउस की अनुमति नहीं हो जाती है। हाउस की अनुमति आवश्यक है या नहीं, यह बात नियमों की है। इस को देख कर ही आप अपनी व्यवस्था दें कि यह है या नहीं। हम यह चाहते हैं कि इसकी अवधि बढ़ायी जाये, इस प्रश्न पर सदन का मत लेने से पहले आप प्रोसिडिंग्स देख लें, दो और तीन तारीख की। दो को तो प्रवर समिति को सुपुर्द किये गये और तीन को सदस्यों का मनोनयन किया गया है। उसकी सदन में घोषणा निश्चित तौर पर की थी और वह भी अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने के बाद की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही बात तो आपत्तिजनक है। आपने कहा है कि सदस्यों का मनोनयन किया गया, इसी पर मेरी आपत्ति है। हाउस जब सैशन में हो, तो हाउस ही सदस्यों को नोमीनेट करता है अध्यक्ष नहीं करता है ..

श्री अध्यक्ष : सदस्यों की तरफ से अध्यक्ष

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं कह रहा है, आप बुरा नहीं मानें। आखिर मेरी पार्टी के 32 सदस्य हैं, विरोधी दल को मान्यता दे रखी है दोनों प्रवर समितियों में मेरी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं हाउस में नाम रखे होते तो निश्चित रूप से प्रस्ताव रखा जाता। आपने मनोनयन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर दिया। मैं मनोनयन की इस प्रथा के खिलाफ हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको कल ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : कल ले लिया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मनोनयन का प्रश्न नहीं है, प्रभारी मंत्री ही कुछ नाम देता है, उनको ही यहां पर लिया जाता है। यह प्रक्रिया हमारे यहां रही है, जैसा कि आप भी जानते हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है और किसका हुआ है? मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आप आपत्ति कर रहे हैं, तो हम भी देख लें कि नियमों में क्या है, हमारी परम्परायें और परिपाटी क्या रही है, हमारी लोक सभा में क्या परम्परा है और अन्य विधान सभाओं में क्या परम्परा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित
मकानों का ढहना

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों के ढह जाने की ओर आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : पहले ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर नगर के अन्दर आवासन बोर्ड की ओर से काले कुआ के पास लगभग 3500 मकानों के निर्माण की योजना है। इस वर्ष भी काम चालू है। इसके अन्तर्गत अब तक 800 मकानों का निर्माण हो चुका है और 1200 मकानों का निर्माण का काम चालू है। जब यह मकान निर्माणाधीन हैं, तो अभी 28 जून को इस मानसून की प्रथम वर्षा अलवर में हुई और 29 जून को सुबह लोगों ने जाकर देखा कि जो मकान निर्माणाधीन थे, पहली ही वर्षा में उनका नुकसान हो गया, कुछ मकान गिर गये। उसके अन्दर 14 मकानों का जो एक ब्लाक था वहां तो पिटाई पिटी नहीं थी, उनमें काफी नुकसान हुआ। सात के पखाने में दरार चल रही है। दो एक मकान ढह गये हैं इस प्रकार की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : पूरे हुये मकान भी गिरे हैं क्या?

श्री जीतमल जैन : हां साहब, 16 मकान धराशायी हो गये हैं। इस सारे मामले के अन्दर एक बात सामने आती है कि ये मकान कम्पलीट हो गये होते, आवंटन कर दिया होता, उनमें आकर के नागरिक बस जाते और इस प्रकार पहली ही वर्षा, जो कोई बहुत तेज बरसात भी नहीं थी, में मकान ढह गये जाते, तो उनमें रहने वालों की क्या दशा होती, कितना जन धन का नुकसान हुआ होता। यह अब केवल कल्पना की ही बात है, लेकिन नुकसान तो हो गया है। इसके बाद आज प्रश्न खड़ा होता है कि जिस प्रकार के मकान बने हैं और जितने साल की इनकी लाइफ मानी जाती है कि इतने साल इनकी लाइफ हैं, क्या ये निश्चित रूप से मकान रहेंगे उतने समय तक? क्या उसके बाद जानकारी करेंगे

(62)

(श्री जीतमल जैन)

कि इसकी लाइफ पूरी नहीं है। अगर मकान कम्पलीट करके लोगों को आवंटित कर दिये गये और उनके दुर्भाग्य से फिर बरसात आ जाय, मकान ढह जाये, तो इन आवंटित मकानों में जो लोग जाकर बसेंगे जो कि निम्न श्रेणी के लोग, निम्न मध्यम श्रेणी के लोग हैं तो उनके साथ किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, कितने जन धन की हानि हो सकती है, यह सोचने की बात है।

तो आज प्रश्न यह है कि इन मकानों को आवंटित करने से पहले सोचना होगा, जानकारी करनी होगी कि ये मनुष्यों के रहने लायक हैं या नहीं। यह सरकार को निश्चय करना चाहिये। इस संबंध में जो बात मेरी समझ में आई है····

(1.3 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह 3500 मकानों का निर्माण आरम्भ हुआ था। जब इतनी बड़ी कालोनी का निर्माण कर रहे है, तो हमें यह बात सोचनी चाहियें, टैक्निकल दृष्टि से देखना चाहिये कि पानी किधर से निकलेगा, बरसात का पानी किधर से आयेगा ? नालियां किधर बनेंगी ? इस प्रकार की पहले व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो टैक्निकल लोग थे, उन्होंने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। बरसात का पानी जो निकलेगा उसके लिये न कोई नाला बनाया, न ही कोई और व्यवस्था की गई और न नालियां बनाई गई। वहां पर एक बरसाती नाला है जो बरसात में काफी तेजी से आता है, जैसा कि इस बार हुआ वह तेजी से आया और 6 मकान धराशायी कर गया। इस प्रकार की बिल्कुल नेग्लीजेंसी डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। जिन अधिकारियों ने यह भ्रष्ट काम किया है, वह वास्तव में इस जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाले हैं। इसके साथ-साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सारे मकानों में जो मैटीरियल लगाया गया है, आज जो मकान खड़े है, मैं समझता हूं कि किसी टैक्निकल आदमी का कमीशन बिठाया जाये, इसकी जांच कमेटी बनाई जाये जिसमें कि इस सदन के माननीय सदस्य भी हों, जो इस बात को देखें कि जो मैटीरियल लगाया गया है, वह सब-स्टेन्डर्ड तो नही है। मै तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो माल इसमें लगाया, वह सब-स्टेंडर्ड है। जैसा मैंने कहा कि यदि ये मकान आवंटित कर दिये गये निर्माण करके, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने की सम्भावना है। अलवर नगर के लोग और नागरिक जो आवास करेंगे, उनकी निश्चित रूप से जन धन की हानि होगी। इसलिए यह सोचना पड़ेगा आवंटन करने से पहले कि जो मसाला है, वह सब स्टेन्डर्ड तो नहीं है। यह बात देखने की है।

दूसरी एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मकान की जो प्लिंथ है वह काफी ऊंची है एक तरफ तो मकान की जो प्लिंथ है वह कोई दो फीट नीचे है, बाकी एक फुट है। इसलिए बरसात आने के पहले उसमें मिट्टी, सीमेंट भरनी चाहिये थी लेकिन हमारे यहां पर जो आवासन अधिकारी हैं, वे सोते रहे, बरसात आ गई। बरसात के आने से चार दिन पहले ट्रक बरामद किया गया मिट्टी डलवाने के लिये और

(श्री जीतमल जैन)

28 तारीख को बरसात आ गई। चार दिन पहले मिट्टी डलवाई गई। इस प्रकार की नेग्लीजेंसी अधिकारियों के द्वारा बरती गई है। आपको आश्चर्य होगा कि यह प्लिंथ इतनी ऊंची क्यों की गई. केवल एक प्लिंथ मकान बनाने से पहले बना दी गई थी। वह सड़क वहां पर थी, ऐसा मैं मानता हूं कि सड़क पर जो मिट्टी डाली जाती हैं, उसमें ठेकेदार को मुनाफा कम होता है और जब ठेकेदार को मुनाफा कम मिलता है, तो अधिकारियों को कमीशन भी कम मिलता है। इसलिए दूसरी सड़क का निर्माण जो किया गया है, वह प्लिन्थ लेवल मे डेढ़ फीट ऊंचा किया गया है ताकि उस आधार पर उसकी प्लिन्थ ऊंची बनानी पड़े, मिट्टी डलवानी पड़े और मिट्टी डलवाने के अन्दर सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों को अधिक मुनाफा हो सके, इसलिए वह बात रखी गई।

तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो प्रारम्भ में ही टैक्निकल दृष्टि से डिजाइन किया जाता है, मकान की चिनाई कैसे हो सकती है, कैसे जर्क नहीं लग सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। प्रारम्भ के अन्दर जो मकान बनाये गये थे, उनके लिए उन बातों को ताक में रखकर अधिकारियों ने नक्शे में परिवर्तन किये अपने तरीके से। उसका परिणाम यह है कि मकान ढह गये। मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष महोदय, जो पिलर दो फीट ऊंचे, मोटे होने चाहिए वह बाद में एक फुट कर दिये गये, उनकी मोटाई एक फुट कर दी गई। इसी प्रकार से प्लिन्थ के निर्माण में ड्रमन मशीनरी का उपयोग होना चाहिये उसके स्थान पर दूसरी मशीनरी का उपयोग किया गया। अगर वह होता, तो न खर्च ज्यादा आता और न नुकसान ही होता। इसमें ठेकेदारों की अधिक कमाई हुई। इसके साथ यह भी निवेदन करना है कि प्लिन्थ लेवल पर लाइम प्लास्टर किया गया है जब कि वास्तव में सीमेंट का उपयोग होना चाहिये। इसलिए टैक्निकल दृष्टि से गलतियां हुई हैं और इसके लिए मिस्टर सरीन और आर. एन. माथुर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समय-समय पर यह परिवर्तन किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय, सदस्य।

श्री जीतमल जन : दो मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, जनहित का मामला है, काफी लोगों के जीवन का सवाल इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बात को कहना चाहूंगा। इसी बीच में तीन क्वालिटी कण्ट्रोल इन्सपेक्टर वहां पर विजिट करने गये और आर्य साहब भी वहां दो-तीन बार विजिट करने गये। वहां पर उन्होंने देखा या नहीं, क्या देखा, यह समझ में नहीं आता, क्वालिटी कण्ट्रोल के एक्स ई.एन. मिस्टर गोयल वहां पर गये। उन्होंने वहां देखा कि क्वालिटी सब-स्टेण्डर्ड है। इस प्रकार का मसाला लगाया। क्या टैक्निकल दृष्टि से मकान सही बन रहे हैं या निर्माण नहीं हो रहा है, इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। मेरी मान्यता है, इसके अन्दर आवासन बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदारों का मिला-जुला षडयंत्र है। राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है उन लोगों के साथ जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, क्योंकि बड़े

(श्री जीतमल जैन)

आदमी प्लॉट खरीदकर मकान बना सकते हैं। जिनकी जेब में पैसा नहीं है, आवासन बोर्ड का मकान वही लोग लेते हैं, जो इस महंगाई के युग में मकान बना नहीं सकते हैं। वे चाहते हैं किसी प्रकार से उनके पास मकान हो, जिसमें अपने परिवार को रख सकें। उन गरीब लोगों के साथ और मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ राजस्थान का आवासन बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मैंने पत्र भी लिखा..........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उसके बाद उन्होंने आवश्यक रूप से तत्परता दिखाई, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कमिश्नर साहब को भेजा, लेकिन वहां के अधिकारियों के केवल ट्रान्सफर कर देने से ही काम नहीं चलेगा। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का ट्रान्सफर कर दिया, असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ट्रान्सफर कर दिया। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस सारे कार्य के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, उनको सजा क्यों नहीं दी गई। केवल ट्रान्सफर कोई सजा नहीं है। ट्रान्सफर किसी बात की सजा का द्योतक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आप देखना चाहें, तो चित्र मेरे पास हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं। किस प्रकार से गलतियां की गईं। मैं सरकार से इस मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाकर जो दोषी अधिकारी हैं, उनको दण्ड दिया जावे। एक बात और है कि मकान आवंटन किये जाने से पूर्व निश्चित रूप से इस बात का विचार किया जावे कि वे रहने लायक हैं या नहीं। जितनी लाइफ है, उतने वो टिक पायेंगे या नहीं, तभी लोगों को आवंटित किये जायं और राजस्थान के प्रत्येक के नागरिक हैं, उनके साथ इस प्रकार खिलवाड़ नहीं करें कि उनको नुकसान उठाना पड़े, बाद में उनको पछताना नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा, आवासन राज्य मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, आवासन): उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आवासन बोर्ड के द्वारा बनाये गये मकानों के ढह जाने के संबंध में माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उसके संबंध में अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 28 और 29 जून, 81 को तथा 15 जुलाई, 81 को अलवर शहर में अत्यधिक वर्षा के कारण कुल 1158 निर्माणाधीन मकानों में से 47 निर्माणाधीन मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. दिनांक 28 व 29 जून को—

31 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें से 15 मकानों की या तो दीवारें गिर गईं या पट्टियां गिर गईं। 15 मकानों में केवल दरारें आईं। इस प्रकार अनुमानतः कुल क्षति 29,000/- रु. हुई।

2. दिनांक 15 जुलाई को

16 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी भी या तो पट्टियां या दीवारें गिर गईं, अनुमानतः क्षति करीब 40,000/- रु. हुई।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उपरोक्त क्षतिग्रस्त मकानों का ठेका श्री हनुमानसिंह, मैसर्स गर्ग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मेसर्स बी. एस. एसोसियेट्स, मैसर्स आर. के. एजेन्सीज तथा श्री वाई. आर. मनचन्दा को दिया गया। इन क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत आदि कराने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की है और जितना भी व्यय उन्हें ठीक कराने पर होगा, उपरोक्त ठेकेदारों को ही वहन करना होगा।

दिनांक 23 व 29 जून, 81 को जो मकान क्षतिग्रस्त हुए उनकी जांच आवासन मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करा ली गई है। जांच रिपोर्ट से मकानों का क्षतिग्रस्त होने का कारण सही स्पेसिफिकेशन (तकनीक) द्वारा काम का ना होना पाया गया व इसमें मौके के अधिकारियों व ठेकेदारों की लापरवाही होना भी पाया गया है। पानी के निकास के कार्य के लिये नाली वगैरह बनाई जा रही है।

मौके पर इन क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिये ठेकेदारों को आदेश दिये जा चुके हैं तथा जो अधिकारी दोषी पाये गये, उनका अलवर से स्थानान्तरण कर दिया है। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।

15 जुलाई, 81 को जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उनकी जांच अभी करवायी जा रही है।

शहर की बढ़ती हुई आबादी एवं औद्योगीकरण को देखते हुए आवासीय मकान हाउसिंग बोर्ड से बनाया जाना आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण विकास हो।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बता देना चाहता हूं कि जैसे ही यह मकान क्षतिग्रस्त हुए, मैं भी अलवर गया हुआ था। मैंने भी उनको मौके पर जाकर देखा है। उन मकानों में जो पहले क्षतिग्रस्त हुए उसके दो कारण हैं, जो मेरे भी देखने से समझ में आये हैं- एक तो जो भारसिद्ध से जो नाला आता है, उस नाले का पानी आया। अब की बार भगवान की मर्जी से बरसात आई और एकदम पड़ी। कहीं 11 इंच पड़ी, कहीं पांच इंच एक दिन में पड़ी। जो पानी एकदम पड़ा और भारसिद्ध नाला आया, उस नाले का पानी आने से कुछ मकान तो पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गये और कुछ मकान जो घटिया क्वालिटी का मैटीरियल लगा हुआ था, उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गये। मैंने जो मैटीरियल है उसका नमूना भी जांच के लिए भरवाकर भिजवा दिया है। जैसे ही जांच होकर आ जायेगी, उसमें भी कार्यवाही की जायेगी। जैसा उन्होंने कहा, यह मालूम होता है कि मकानों के अन्दर कितना घटिया क्वालिटी का मैटीरियल लगा होगा। यह बात उन्होंने कही, इसके लिए मैंने मैटीरियल जांच करने के लिए भिजवा दिया। परन्तु मैं आपको कहना चाहता हूं कोई भी पूरा का पूरा मकान कोलेप्स नहीं हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं-पूरे-पूरे मकान कोलेप्स हो गये। कोई भी पूरा मकान कोलेप्स नहीं हुआ है। किसी मकान में तरेर आ गई, दरार आ गई है। जो हमने लैट्रिन और बाथरूम बनाये थे उनके अन्दर कहीं तरेर आ गई या कुछ मकान, जो दीवारों तक बने थे, की बरसात में दीवारें गिर गई क्योंकि उनके ऊपर पट्टियां नहीं गिरी थी। इसलिए वह मकान घटिया क्वालिटी की

(66)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मसाला लगाने की वजह से और पानी के कारण, हो सकता है, मकान ढहे थे। जैसा आपने कहा कोई भी पानी के निकास का साधन नहीं था। पानी के निकास के साधन तो वहां अण्डर कन्स्ट्रक्शन्स हैं, पूरे नहीं हुए हैं। अगर वह पहले पूरे हो जाते तो शायद कुछ मकान कम क्षतिग्रस्त होते। उससे भी, आपकी बात से सहमति प्रकट करता हूं। जहां तक प्लिन्थ लेवल का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं अलवर में प्लिन्थ लेवल नीचा होता है, तो मकानों के अन्दर सील आ जाती है। इस लिए प्लिन्थ लेवल ऊंचा होना आवश्यक है। कुछ लोग हैं, जो आपके पास आकर कहते होंगे क्योंकि आप जानते हैं ठेकेदारों और दूसरे लोगों की एक दूसरे से जलेसी होती है काम करने के टाइम पर, तो कोई लोग आप के पास आ गये होंगे, उन्होंने कहा होगा कि प्लिंथ इतना ऊंचा क्यों दे दिया। परन्तु आप अलवर की स्थिति को जानते हैं और काला कुआ की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि माननीय सदस्य काफी अर्से से वहां रहे हैं, वैसे आप वहां से भाग गये हैं, परन्तु अलवर में रहे है वहां पढ़े हैं तो वहां की स्थिति ऐसी है अगर प्लिन्थ ऊंची नहीं होगी तो वहां पर जो मकान हैं, उनके अन्दर सील आने वगैर नहीं रह सकेगी। इसलिए जो कुछ वहां हुआ है 1448 के करीबन मकान बन रहे हैं, 381 के करीबन मकान बन चुके हैं, अलाट कर चुके हैं। जो 1448 मकान हैं, उनके अन्दर से जो मकान तैयार हो गये हैं, उनकी संख्या 357 के करीबन है जिनको हम अलाट करने जा रहे हैं। 1141 मकान जो मकान अधूरे हैं, जो आपने बताया इतनी बड़ी कमियां और खामियां नहीं हैं, केवल कुछ मकानों में है, जो यहां से नये ठेकेदार गये थे, खास तौर से जैसा मैंने कहा केवल दो ठेकेदारों के कामों में ज्यादा गलतियां पाई गई हैं। इसलिए ठेकेदारों के खिलाफ और जो हमारे अधिकारी थे और जो उनके इन्चार्ज थे उनके खिलाफ भी कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। कोई भी दोषी व्यक्ति हो उस को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं इस बात से सहमति ही प्रकट करता हूं कि तबादले ही इसका केवल दंड नहीं है। तबादले करने से हम सब कर लें परन्तु तबादले हमने इसलिए कर दिये कि जांच पर उसका कोई असर न पड़े। इसलिए वहां से हमने उनको हटा दिया। उसके बाद जांच करवा रही और जैसा मैंने बताया बाद में, जो बारिश में ढहे हैं, उन मकानों की मैं जांच कर रहा हूं। इसलिए उनके तबादले किये है। उनको और भी जो दंड दिया जाना चाहिये, वह दिया जायगा चाहे वह ठेकेदार हो चाहे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी हों ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम-131 के अन्दर प्रस्तुत किया जाता है। उसमें केवल ध्यान आकर्षित करना चाहिए उसके बाद में केवल प्रश्न पूछने का प्रावधान है, तो भी अन्दर से आने वाले माननीय सदस्य ने 22 मिनट का समय पूर्व में भाषण में लिया। अब फिर बाकी क्या रह गया है ?

श्री जीतमल जैन : केवल एक बात कह दूं, मेरी शिक्षा दीक्षा अलवर में नहीं हुई, यह गलतफहमी है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ

श्री गोकुलचन्द शर्मा : प्रश्न काल नहीं है । ध्यानाकर्षण पर मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया उसके बारे में हम प्रश्न करना चाहते हैं । अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि जो मकान अलवर में आवासन मंडल के बने हुये थे, वे गिर गये और बरसात के कारण गिर गये । यह बताया गया कि इन्क्वायरी के अंदर 47 मकानों में 38 हजार रुपये का नुकसान हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री गोकुलचंद शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि 47 मकानों में जो 38 हजार का नुकसान हुआ है, उसकी इन्क्वायरी क्या होगी ? 38 हजार लगाने के बाद क्या वे मकान ऐसे हो जायेंगे कि उनमें ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह डिबेट का मौका नहीं है, डिबेट नहीं हो सकती

श्री गोकुलचंद शर्मा : डिबेट नहीं है । मेरा प्रश्न है 38 हजार. .

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय ।

श्री गोकुलचंद शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

श्री गोकुलचंद शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जवाब नहीं दिया जायगा ।

श्री जीतमल जैन : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, उसमें केवल एक जानकारी

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले अवसर दिया जा चुका है । आपने सवाल किया था । दुबारा मौका नहीं दिया जायगा ।

श्री जीतमल जैन : केवल एक मिनट । मैंने कहा आवासन मंडल के सुपरवाईजरी अधिकारी थे, अधिकारी थे क्वालिटी कन्ट्रोल के, जो यहां से बराबर जाते रहे, उन्होंने क्या देखा उनके खिलाफ सरकार क्या करने जा रही है ? 3-3, 4-4 आफिसर जाने के बाद भी इस बात को तय नहीं कर सके. .

श्री उपाध्यक्ष : वाद विवाद का प्रश्न नहीं है । सरकार ने बताया ए.ई. एन. को तो आपने ट्रांसफर कर दिया ।

विधायी कार्य विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981

विधायी कार्य ।

पुरः स्थापित किया जाने वाला विधेयक । श्री शीशराम ओला, प्रभारी मंत्री, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री शीशराम ओला : मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(68)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1981 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री शीशराम श्रोला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर: स्थापित करता हूं

राज्य में अकाल एवं बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होगी । पहले श्री राज बहादुरजी ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दैवी प्रकोप की छाया में सदन का वर्तमान अधिवेशन हो रहा है । अकाल लगातार एक दूसरे वर्ष के बाद और फिर प्रलयंकारी बाढ़ । कहा जाता है कि जहां धर्म की हानि होती है, जहां पाप बढ़ता है, वहां दैवी प्रकोप आते हैं । यह मानी जानी बात है । मैं यह कहूंगा कि यह बहुत गंभीरता से सोचने का प्रश्न है । आप गम्भीरता से सोचें । हो सकता है अंतरात्मा में हम झांकें तो आज की जो देश की स्थति है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता । पर अंतरात्मा में झांकना हमने छोड़ दिया और शायद यही कारण है । गलता जैसा तीर्थ स्थान · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इस बहस में हिस्सा लेने के लिये 4–5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा । कृपया सहयोग करें ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये ज्यादा समय रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बोलने वाले हैं ।

श्री राजबहादुर : आपने समय की पाबंदी लगाई · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रात को 10 बजे तक बैठना हो, तो बैठें ।

एक माननीय सदस्य: सदन का समय एक दिन और बढ़ायें ।

श्री राजबहादुर : मैं हेलीकोपटर में तो नहीं लेकिन जीप में गया जहां बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुई सड़कें थीं । काफी जगह गया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसा लगता था जैसे बाम्बिंग हुआ है । जगह-जगह जो दृश्य था ऐसा ही था । बाढ़ की चपेट में आये हुये जयपुर के चारों तरफ जो गांव थे उनकी भयंकर दशा हुई । मेरे जिले में 120 गांव चपेट में आये, वह तो अलग बात है लेकिन जो हमारे बंधे थे, एक बंध बयाना इलाके में है, जहां गंभीरी नदी आती है । वहां लगता था काफी भयंकर बाढ़ है और जगह जगह गांव चपेट में आये हैं, उनको देखकर मैं इतना कह सकता हूं कि बरबादी बहुत हुई है । तत्काल कोशिश की गई कुछ राहत पहुंचाने की, लेकिन जिन गांव वालों से हम मिले ज्यादा विस्तार में न जाकर इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ उदासीनता के भाव से कहा कि हम को मात्र पौन-पौन किलो

(श्री राजबहादुर)

अनाज दिया गया है। खैर मैं इतना कहूंगा तीनों अकालों से और चौथे इस बाढ़ से भी क्या हमारी आंखें न खुलेंगी ? ईश्वर न करे अगर ऐसे ही अकाल आते रहे, तो आखिर क्या होगा ? कोई अन्त है ? कल भी मैंने प्रश्न पूछा था। अकाल का जहां तक ताल्लुक है, तीन साल से भुगत रहे हैं सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि 29 जिलों में 21530 गांवों में लगभग 2 करोड़ जनता अकाल से प्रभावित है। मैं रिलीफ के बारे में बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूं। आपके यहां से जो पुस्तिका मिली है, उसके अन्दर जो आंकड़े दिये हैं, उनके अन्दर आंकड़े दिसम्बर 1980 तक के आंकड़े हैं। चार हजार गांवों में आपने 45 हजार के लगभग लोगों को काम दिया है। वह बढ़ कर मई, 1981 में 7 लाख 77 हजार 023 तक पहुंच गये। इसको अगर 8 लाख भी मान लें तो एक आदमी के पीछे अगर पांच आदमी हों तो 40 लाख लोगों को राहत दी जानी चाहिये। करीब दो करोड़ लोग अकाल से प्रभावित हुए। इस प्रकार बाकी के लोग राहत से वंचित रह गये। अब आपने पानी के लिये जो व्यवस्था की है टैंकर के जरिये, मैं यह बता रहा हूं, आपने कागज सरक्यूलेट किया है उसके अनुसार बता रहा हूं कुल 7 हजार 6 सौ 92 गांवों में टैन्करों से पानी दिया गया है। ट्यूब वैल्स के जरिये जो पानी दिया गया है, वह है, 745 गांवों को और रेल टैंकर्स के जरिये 60 गांवों को पानी दिया गया। पिवाई से 726 गांवों को पानी दिया गया। आर्मी के जरिये 120 गांवों को पानी दिया गया। कुल मिला-कर 10 हजार 617 गांवों को पानी दिया गया। इस प्रकार कुल 21 हजार गांवों में से आपने सिर्फ 10617 गांवों को पानी दिया। मैं मानता हूं कि 21 हजार गांवों को, सभी को पीने का पानी आप नहीं दे सके। किन्तु यह बात तो निश्चित है कि बहुत से गांव रह गये जिनमें कि पेयजल की पिलाई, पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी। जहां हुई भी है, वह पूरी हुई या नहीं हुई, इस तरह की व्यवस्था वहां हुई। कल यहां पर जैसलमेर के माननीय सदस्य ने सदन में बताया कि जैसलमेर में दस-दस दिन टैन्कर की बाट लोग देख रहे थे। इस तरह से हमारे यहां पर पानी की गहरी समस्या बनी हुई है इसके बारे में चर्चा करते हुए बहुत चिंता के साथ बहुत ही अदब के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम वहां पर पानी नहीं पहुंचा सके। दस हजार गांव में जैसलमेर के इलाके में वैसे भी पानी बहुत नीचा है। इस वर्ष भी वर्षा नहीं होने के कारण कुओं के पानी का लेबल बहुत नीचा चला गया है ग्राउन्ड लेवल वाटर का बहुत नीचा गया। रेगिस्तानी इलाके में पानी नमकीन हो गया। वहां फ्लोराइड बढ़ गया है। यह सभी कुछ प्रश्न है। ट्यूब वैल के जरिये हो चाहे टैन्कर्स के जरिये हो या और कोई भी साधन आप ले लीजिये अगर जमीन में पानी नहीं होगा, तो कहां से आयेगा ? अन्ततोगत्वा हमें उसी पर जाना पड़ता है कि यह तो सारी बीमारी का ऊपर को सतह का इलाज है, बीमारी का अन्दरूनी गहराई से इलाज यह नहीं है। इसलिये यह डिपेन्डेबल नहीं है। इसमें यही कहा जा सकता है कि इस तरह इसका इलाज नहीं हो सकता है। फिर भी

70

(श्री राजबहादुर)

यह कहा जा सकता है कि इसका इलाज हो सकता है। जाहिर है कि फैमिन को मीट करने के लिये, इससे मुकाबला करने के लिये पानी की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है, फोडर की आवश्यकता है। इसके लिये संसद में चर्चा हुई। संसद में चर्चा क्या हुई, उस बात को यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। वह तो अखबार में आ चुका है। मैं आपको यहां एक छोटी सी पंक्ति, जो जसवन्त सिंह जी जो कि बी.जे.पी. के सदस्य हैं, कहीं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

He said there was no truth in the statement that there were fodder banks and people were getting water and food. He said the State, whose economy was mainly animal husbandry oriented was today on the verge of losing the very foundation of its economy. The cattle today were being sold for Rs. 30/- each and still there were no buyers.

तो यह उनका वर्णन है, कथन है। इस पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है हमारे जो मिनिस्टर फौर फूड एन्ड एग्रीकल्चर राव बीरेन्द्र सिंह जी हैं, ने संसद में अपना काफी असन्तोष और गुस्सा व्यक्त किया हमारी राज्य सरकार पर। उन्होंने कहा और एक तरह से आश्वासन भी संसद में दिया कि राज्य सरकार की स्थिति के बावजूद केन्द्रीय सरकार राजस्थान में किसी को भी स्टार्व नहीं होने देगी। किसी को भी भूखा नहीं मरने देगी।

Mr. Singh's ire against the Government was for the latter defiance of the Central directive for procurement of food grains. The Rajasthan Govt. ignored the directive. Mr. Singh said "This led to the foodgrains produced in the State being channelled to other States where prices were high. The food crisis in Rajasthan was thus the outcome of the State Government's failure to procure food grains.

मैंने पानी के बारे में आपको निवेदन कर दिया है. लेकिन अगर फूड ग्रेन नहीं मिले तो यूनियन मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमारे यहां पर जो कुछ थोड़ा बहुत पैदा हुआ था वह तो इधर उधर पास हो गया।

इसी प्रकार दूसरी ओर फोडर बैंक की बात है। मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं और कई बार यहां पर हाउस में दोहरा चुका हूं कि हजारों करोड़ नहीं, तो कम से कम एक हजार करोड़ तो खर्च हो ही चुका है फेमिन और ड्राट रिलीफ को मीट करने में। परन्तु ग्राउन्ड के ऊपर जमीन पर हमारे यहां पर कोई फीजेबल चीज ऐसी नहीं है जिसमें यह मालूम पड़े कि इतना पैसा खर्च हुआ, एक हजार करोड़ रुपया, तो फेमिन या फ्लड डिसास्टर की रोकथाम के लिए ज्यादा न कह कर जो रिपोर्ट सरकार ने दी है उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं मोटे मोटे आंकड़े जो दिये हैं वह ही बता रहा हूं।

(श्री राजबहादुर)

पहला तथ्य है बाढ़ की समस्या के बारे में, अतिवृष्टि से इस जिलों के 1576 गांव प्रभावित हुए । इनमें 84794 परिवार प्रभावित हुए । 143 व्यक्ति मर गये और 224 लापता है, लापता हो गये उन्हें भी सरकार ने मृत मान लिया है । इस प्रकार कुल 367 व्यक्ति मर गये, यह दूसरा तथ्य है । तीसरा तथ्य है कि 33430 पशु मर गये । चौथा तथ्य यह है कि 66968 कच्चे और पक्के मकान जो ध्वस्त हो गये हैं उनमें से कुछ आधे ध्वस्त हुए हैं । इनमें पक्के मकान जो ध्वस्त हुए हैं, वह हैं 5857 । इस तरह करीब 70–71 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 248 लाख हैक्टेयर में खड़ी फसल बह कर नष्ट हो गयी । इसके अलावा 1.37 लाख हैक्टेयर में कृषि भूमि या तो बह गई अथवा पूर्णतया मिट्टी भर गई, यह छठा तथ्य है । सातवां और सातवां तथ्य यह है कि 15599 कुएं, इनको 16 हजार ही मान लेता हूं, क्षतिग्रस्त हो गये । यह क्षतिग्रस्त का अनुमान है । इसके साथ में राज्य के साधन क्या हैं, क्षति 400 करोड़ की हुई इसका सबका ब्यौरा इस पुस्तक में दिया गया है । मैं यहां पर उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं । मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि खुद राज्य सरकार ने अपनी इस पुस्तक के पेज में यह लिखा है कि राज्य के स्रोत, जैसा कि सर्व विदित है, अत्यधिक सीमित हैं । हमें अभी तक पुनर्वास के लिये अग्रिम भुगतान के रूप में पांच करोड़ रुपये मिले हैं लेकिन समस्या इतनी व्यापक और गंभीर है कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार से भारी मात्रा में वित्तीय सहायता की आवश्यकता बनी हुई है । इसके बिना यह आशंका बनी रहेगी कि राज्य सरकार सम्भवतः इस भीषण विध्वंस की स्थिति से निपटने की स्थिति में न रह पाये । It is almost throwing one's own hands up in despair, राज्य सरकार ने अपनी लाचारी और मजबूरी जाहिर की है और है भी । 400 करोड की क्षति इसमें सभी काम करना है, सड़कों का पुनर्निर्माण, मकान पुनर्वास, यह सबकी इतनी जटिल समस्या है इसलिये मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद अब यह समय आ गया है कि हमें खुद को सोचना चाहिये । फ्लड आता है और पानी तो अपने आप में एक करान है । दूसरी ओर फेमिन आते हैं, इनके लिए कोई उपाय आप आज करें । आज नहीं तो दस वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 20 साल बाद की आप कार्य तिथि तो निश्चित कीजिये । आप कोई टार्गेट डेट फिक्स करें कि हमारी यह टार्गेट डेट है, इसके बाद जब फेमिन या ड्राट आयेगा वह तो आयेगा सूखा आयेगा तो हम इस तरह उसका मुकाबला करेंगे । फ्लड और फेमिन तो आयेंगे । एक वर्ष नहीं आयेगा दो साल नहीं आयेगा कभी तो किसी जमाने में आयेगा । किन्तु इनका सामना करने की कोई व्यवस्था करिये । It is not too late to make the beginning.

हम जानते हैं कि इस कार्य को हम अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर सकेंगे, किंतु कोई काम कर सकें और इस बात के लिये उसकी बुनियाद भी हम रखें । तो उसके लिये पहला सवाल मैं अपने से करता हूं और आप सबसे भी करता हूं ।

Do we and can we face the famines and disasters like

(72)

(श्री राजबहादुर)

this by any possible means or ways? What shall we do to overcome years of drought & famine disasters?

आज न तो साधन हैं, न वित्तीय क्षमता है और न कोई तरीका है जिसके जरिये से यह कठिन कार्य हो सकता है। फिर हो क्या रहा है? बहुत सच्ची और कड़वी बात लगेगी शायद। एक और यह हो रहा है कि इस सरकार की तरह से ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ होगा नहीं। तो कुछ क्षेत्रों को निरन्तर सूखा और अकाल में भार उठाना पड़ेगा सारे राजस्थान का। पानी का ही लीजिये, इरिगेशन का। इरिगेशन मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कास्ट है पर एकड़ पिलाई की? और कितना टैक्स वसूल करते हैं और क्या बाकी रहता है जो टैक्स से कवर नहीं होता है? इरिगेशन टैक्स या सैस को आप बढ़ा नहीं सकते। इरिगेशन टैक्स से जो कवर नहीं होता है, वह कौन देता है? कहां से आता है? राज्य से या जनता से लिया हुआ कर और अन्य क्षेत्रों से आता है, वही तो काम में आता है। इसका मतलब यह होता है कि एक साइड हमेशा पेरासाइट बना रहे हैं और दूसरा साइड हमेशा स्वैट करता रहे। यह स्टेज कभी नहीं होनी चाहिये। इसलिए मौलिक रूप से मैं आपसे यह कहूंगा कि दूर दृष्टि से विजन और रियलिज्म के साथ यानी दूर दृष्टि और वास्तविकता से सोचिये, बिलकुल कठोर सत्यता से ही देखकर काम चलायें क्या आवश्यकता है? मैं आपसे विनती करूंगा। फिर सवाल करूंगा, Can we supply even drinking water to our people of desert and drought prone area? ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो आपने कहा कि इसके लिए स्रोत चाहिये। आपके पास पानी चाहिए, तभी तो ड्रिंकिंग वाटर दे पायेंगे। अब ट्यूबवैल लगा लीजिए या और साधन चाहिए, लेकिन जब पानी ही नहीं है, तो कहां से लायेंगे पानी? Can you supply water? Can you supply food? How can you, when you have no water, have no food? क्या हमने 22 हजार गांवों को भी पानी दिया? और वह भी अधूरा कि क्या हम फोडर दे सके हैं। इसीलिए एक तो यह मानना पड़ेगा कि हमारी ग्रेटर इनएबिलिटी है इस प्रदेश की पानी की व्यवस्था करना किन्तु राजस्थान देश का भाग है, तो सारे देश को मालूम होना चाहिए कि सैंकड़ों वर्षों से राजस्थान के लोग भुगतते आये हैं और अब आगे भी न भुगतना पड़े इसका कोई रास्ता निकालिये। इसलिए मेरा पहला अनुभव यह है कि यह सदन, सत्ता दल और हम सब मिलकर, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों मिल कर यह तय कर लें कि राष्ट्रीय सरकार को यह समस्या हल करनी चाहिये। राष्ट्रीय आधार पर The nation has to treat this problem not as a problem of the state but as a vital national problem. केन्द्रीय सरकार को यह कहा जाये that this is to be treated as a national problem. यह समस्या जिससे हमें जूझना है, यह केवल इस प्रदेश की नहीं है। यह प्रदेश सारे देश का भाग है, तो it is to be treated as a national problem. राष्ट्रीय समस्या है और उसके लिए क्या

(श्री राजबहादुर)

करना चाहिए ? मैं बहुत अदब से विनती करूंगा कि एक नेशनल अथोरिटी - मैं कमीशन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कमीशन तो किसी मामले को टालने में भी सहायक हो जाता है, जिसकी पूरी रेस्पान्सिबिलिटी हो we must have a National Arid Zone and Desert Reclamation Authority. That is the only way. इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हो, कोई पहल हो, तो किया जाये कि हम इस तरह से एक बाडी बनायें। अगर फ्लड प्रोटेक्शन के लिए कमीशन हो सकता है, केवल गंगा में फ्लड है, तो उसके लिए कमीशन हो सकता है, गंगा फ्लड कमीशन। आपका नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन कमीशन है। मैं कहता हूं कि हमारे यहां कमीशन से काम चलने वाला नहीं है। मैं अथोरिटी स्थापित किये जाने की बात मानता हूं जिसके जरिये से यह करना संभव हो इम्प्लीमेंटेशन में। इसलिए इस डेजर्ट को, इस एरिड जोन को अगर यह माना जाता है कि सारे राष्ट्र की विकास योजनाओं में इसका भी कुछ भाग है, तो निश्चित रूप से एक तो इसको नेशनल प्रॉब्लम ट्रीट कीजिये और दूसरे इतना कीजिये कि Arid Zone and Desert Reclamation Authority बनाई जाय जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो। जिसको पर्याप्त धनराशि और साधन उपलब्ध हो।

इस सन्दर्भ में कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कहीं से पानी नहीं मिलता है, तो चम्बल बनास और दूसरी नदियां हैं उनसे ही पानी लीजिये। इसमें एक बूंद भी कोटा या धौलपुर के नीचे क्यों आने दिया जाता है। फिर मुझे पुरानी चीज पर आना पड़ता है। अब तक नहीं सोचा, लेकिन अब सोचिये कि इसके अलावा कहां से आपके पास पानी का साधन है। अभी अखबार में खबर निकली कि रावी और व्यास का झगड़ा है पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि हम अपने पानी को उपयोग में नहीं लाये है। हम कहते हैं कि हमारे हिस्से का पांच मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग होता है और दूसरे कहते हैं कि मात्र चार मिलियन क्यूसेक्स होता है। खैर, जो भी हो, लेकिन वहां पर अखबारों में खबर छप गयी कि राजस्थान का शेयर रावी और व्यास में काटा जायेगा और पंजाब और हरियाणा को निपटने के लिए दिया जायेगा।

मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे भी चिन्ता हुई। मैंने बाद में अखबार में पढ़ा और स्टेटमेंट भी पढ़ा। मैंने प्राइम मिनिस्टर और मुख्य मंत्रीजी पहाड़ियाजी थे, उनको भी तार दिया, लम्बा तार दिया और मैं उस तार की कापी पढ़कर सुना दूंगा वह आ जायेगा, लेकिन उस तार के साथ मैंने एक चिट्ठी भी दी और उसका थोड़ा सा अंश आपको पढ़कर सुना देता हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर और मुख्य मंत्रीजी को भी भेजा। जो चिट्ठी मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी उसका थोड़ा अंश पढ़ देता हूं :

"I reproduce below the text of a telegram I sent to you on Saturday the 4th instant :-

"Rajasthan people shocked and distressed at Newspaper reports that Rajasthan's share in

(श्री राजबहादुर)

Ravi-Beas water is expected to be reduced and Rajasthan may become sacrificial goat to satisfy Panjab and Haryana. Rajasthan allotted an irreducible share of eight million acre feet under an unalterable and irrevocable inter-state agreement. Pray prevent infringement of said agreement in any shape, manner or extent and safeguard and defend the rights and interests of backward Rajasthan.

"According to press reports a plea seems to have been made on behalf of the Punjab and Haryana States that Rajasthan has not yet been able to provide the necessary feeder canal etc. to be able to utilise its full share of Ravi-Beas waters The people of Rajasthan have already been groaning for generations under the curse of economic backwardness and lack of resources added to which has been the inability or incompetence of the successive State Government to provide the necessary resources to build up the requisite infrastructure to make full use of the State's share of Ravi-Beas waters. It would be heaping yet another curse on the people of Rajasthan if for no fault of theirs they are now deprived or cheated of their rightful and legitimate share of Ravi-Beas waters, which so far remains the only hope for their future on the specious plea of the failure on the part of the Rajasthan State authorities to build up the feeder canal. If this plea were taken to its logical conclusion, this failure may be held to be attributable not only to the State Governments but in a considerable measure, to the Central Government as well, which refused or failed to provide the resources needed to complete these works. On the other hand, however, the fact remains that while the periodic floods afflicting the far eastern and the eastern parts of the country are treated as some sort of a national calamity and the Central Government shoulders a lot of burden and responsibility to provide help and assistance to the victims of the havoc caused by such floods as well as to provide funds to meet the cost of flood protection schemes or measures; in the case of recurring droughts and famines afflicting the dry areas of Rajasthan, the Central government does not so far seem to have recognised, much less

(श्री राजबहादुर)

assumed, any share of responsibility for itself to plan and execute permanent and lasting measures to project these areas from the repeating scourge of famines . The people of Rajasthan can reasonably claim that the Central Government should treat the calamity of recurring famines in Rajasthan on the same footing as the havoc caused by floods in the eastern parts of the country and the flood protection measures undertaken there to provide permanent relief and protection against floods.

"It now seems that Rajasthan is facing a new threat and the frightful prospect of losing a substantial quantity of water out of even its rightful share of 8 million acre feet of Ravi-Beas water secured and guaranteed to it under the inter-State agreement. The people of Rajasthan would and must regard this contemplated step as an unmitigated tragedy and must resist it at all costs. This is a matter on which the entire people of Rajasthan, irrespective of political affiliations or loyalties would and must stand united to demand that even the slightest reduction in their legitimate share of Ravi-Beas waters shall not be allowed or tolerated."

6 जुलाई को मैंने चिट्ठी लिखी। 11 तारीख को प्राइम-मिनिस्टर का जवाब आया और 20 तारीख को श्री वीरेन्द्र सिंहजी का जवाब आया। उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर जी ने जो पत्र मुझे लिखा था, उसका हवाला दिया था। प्रधान मन्त्री ने मुझे लिखा था कि राजस्थान के रावी-व्यास के पानी के हिस्से को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैंने गंगा के पानी में भी राजस्थान को हिस्सा दिया जावे यह मांग की थी किन्तु जो मुझे जवाब में चिट्ठी लिखी उसमें राव वीरेन्द्र सिंहजी ने लिखा था कि गंगा का वाटर जो यू.पी. का है वह आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास जो रिपोर्ट्स थीं मैंने उनको इकट्ठा कर के उनमें दिए गए तथ्यों के आधार पर एक नोट बनाया एक रिपोर्ट बनाई और कहा कि गंगा में बहुत पानी है और वह हमें दे सकते हैं। राजस्थान का एक भाग जो अरावली के पूर्व में है, वह सब का सब बेसिन, जमुना का बेसिन है और जमुना का बेसिन है, इसलिए गंगा से हमको पानी मिलना चाहिये। मैंने पुनः पत्र राव वीरेन्द्र सिंह और प्रधान मन्त्री को लिखा। राव वीरेन्द्र सिंह का एक जवाब और आया है। उसको पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं—

"I am asking the Central Water Commission, to examine your suggestion regarding the possibility of transfer of surplus

(श्री राजबहादुर)

flood waters of the Ganga, in consultation with U. P. Government.''

मैंने इसलिए इसको पढ़ कर सुनाया क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से जवाब नकारात्मक या निराशाजनक हमको मिलता रहा है। मुझ से एक वयोवृद्ध नेता हैं, उन्होंने कहा था कि राजबहादुर जी भूल जाइये, गंगा का एक बूँद पानी आपको नहीं मिलेगा। तो आज मेरा खयाल उपरोक्त पत्र व्यवहार के बाद ऐसा नहीं रहा है कोशिश की जरूरत है सफलता मिलेगी। गंगा जल राजस्थान में आयेगा। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, न ही मैं इसका क्रेडिट लेना चाहता हूं। क्रेडिट राज्य सरकार ले ले, सारा सदन ले ले। मैं तो बारबार यही कहता हूं इसमें आपका कोई कल्याण नहीं है, आपका कोई उद्धार नहीं है, आपका कोई भविष्य नहीं है अगर आपको पानी न मिले तो आप इस सूखा और अकाल से कैसे निपटेंगे। फेमिन है पानी के लिए तरसेंगे, फेमिन है अन्न और चारे के लिए तरसेंगे, अन्य खाद्य पदार्थों के लिए तरसेंगे। एक बात मैं कह दूं कि अगर आपको यहां पर गंगा का पानी नहीं मिलता तो यहां पर सदा यह कठिनाई बनी रहेगी। हम सोचे हुए बैठे हैं कि ग्राम रिवोल्यूशन आ गया, सारे देश में हरियाली आ गई और फसल हमारी बहुत बढ़ गई है। 132 मिलियन टन हो गई है लेकिन मैं आंकड़ों से चैक करूंगा, आपको बताना शुरू करूंगा कि यह फाल्स है, झूठ है। एक बहुत छोटी बात कहता हूं, हमारे इम्पोर्ट्स हैं फूड ग्रेन के। सन् 1956 में 1.39 मिलियन टन इम्पोर्ट्स 1966 में बढ़कर हुआ 10.34 मिलियन टन, फिर कुछ टेक्निक इस्तेमाल होती है, इसका परिणाम यह रहा कि 72 में इम्पोर्ट्स निल हो गया। लेकिन 73 में फिर 3.5 मिलियन टन हुआ और 75 में 7.39 मिलियन टन हुआ। फिर तीन साल राहत रही। लेकिन तीन साल के बदले ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसके बाद राहत रही। पिछले तीन सालों, 75 से 78 में 22.16 मिलियन टन रहा। लेकिन इस पर भी जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है फूड ग्रेन का, वह न्यूट्रीशन लेवल से बहुत कम है। और अगर न्यूट्रीशन लेवल के मुताबिक फूड ग्रेन दिया जाय, तो हमारी आवश्यकता कहीं ज्यादा होगी। तीसरी बात यह कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कॉस्ट अधिक पड़ती है पर हमें एक हजार करोड़ खर्च करना पड़ता है।

आप सोचें कि एक हजार करोड़ रुपये यह खर्च हुए और लगभग 800 करोड़ रुपये फास्फोरस फर्टिलाइजर पर खर्च हुए इस तरह एक हजार आठ सौ करोड़ खर्च हुए। इसके स्थान पर अगर राजस्थान में जो भूमि उपजाऊ है उसे थोड़ा सा पानी मिल जाये, तो उपजाऊ बन सकती है। अगर पानी मिलता है, तो राजस्थान का ही भला नहीं होगा, सारे देश का भला होगा। इसलिए यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, यह प्रश्न सदन का है, यह प्रश्न सारे देश का है। आज आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे प्रहरी हैं, अगर प्रहरी सुस्त रहेगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? इस विभीषिका को हम लगातार तीन साल से सहते आ रहे हैं। इसको ब्लेसिंग समझना चाहिये। हम सोये पड़े हैं, काम नहीं किया है। सोते हुए पकड़े गये हैं। आप इतनी भीषण स्थिति में अटके हैं। यह क्लियर बात है। यदि इसकी बात नहीं

(श्री राजबहादुर)

करते लेकिन यह भी निश्चित बात है कि कल लड़ाई होती है या और कोई संकट आता है तो हम लड़ाई की फ्रन्ट लाइन में है इस देश के लिए we are sentinels of the freedom, independence and sovereignty of our land, of our country and we must behave like that; we must gird up our loins for that.

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, हमारी नागौर तहसील में संवत् 2032, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 इन सालों में भी करीब-करीब काफी गांवों में लगातार अकाल पड़ता आया है। संवत 2033 के अन्दर नागौर तहसील के अन्दर और नागौर शहर के अन्दर भी औसत बरसात हुई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में औसत से भी कम हुई है। 2035 के अन्दर 489 मिलीमीटर, 36 के अन्दर 502 मिलीमीटर, 37 में 450 मिलीमीटर बरसात हुई है। इस साल की बरसात का तो सब लोगों को विदित ही है। अकाल राहत मन्त्री जी इन गांवों से अच्छी तरह से परिचित हैं। पिछले सालों के अन्दर जो अकाल राहत कार्य हुये हैं, वह सन्तोषजनक नहीं रहे और खास कर के गये साल के अन्दर तो 216 गांव ऐसे है जो सारे के सारे भयंकर अकाल की चपेट में हैं। इनमें जो कार्य हुए वह सन्तोषजनक नहीं रहे। यही स्थिति मजदूरों की है, उन्हें भयंकर तकलीफ उठानी पड़ी थी। पीने के पानी की व्यवस्था का तो कुछ अता-पता भी नहीं है। पानी, चारा अनाज और मजदूरों के लिए खाने को कुछ भी नहीं हैं। लोग-बाग त्राहि-त्राहि करते रहे। मैंने राज्य सरकार और हमारे अकाल राहत मन्त्रीजी को कई दफे इस संबंध में लिखा-पढ़ी की और अन्त में श्रीमान् भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री जगन्नाथ पहाड़ियाजी को एक पत्र भी लिखा। उनको भी इस संबंध में पूरी जानकारी करवाई कि हमारे क्षेत्र में भयंकर अकाल है। कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया है। मजदूरों को सड़क पर मजदूरी नहीं मिलती है। अकाल राहत काम कतई नहीं हुआ। पेयजल व्यवस्था के संबंध में तो सरकार के आदेश के अनुसार जो नवम्बर और दिसम्बर में कुएं जोते जाने चाहिए थे लेकिन हमारे यहां पर बहुत कम कुएं जुताये गये। मेरे पास लिस्ट है 125 गांवों की जिनके अन्दर बहुत कम कुएं पिवाई से जोते गये। इन गांवों के अन्दर सरकार ने जब अकाल राहत कार्य शुरू किये थे, तब हम लोगों ने निवेदन किया था कि इन गांवों में पानी बहुत गहरा है और नीचे चला गया है, इसलिए कुएं गहरे कराये जावें।

(2.28 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

सरकार ने 400-500 की आबादी पर 40) रु. और उससे ज्यादा आबादी पर 60) रु. खर्च किया है। उपाध्यक्ष महोदय, कुओं का पानी 300-350 फीट गहरा है, वहां पर 40) रु. और 50) रु. से किस प्रकार खिलाई की व्यवस्था हो सकती है। उन कुओं में पानी भी इतना गहरा चला गया है कि हमारे यहां साटों का कवां, साटों का खुर्द में कुएं ऐसे हैं, उन कुओं में आदमी अन्दर उतर कर या तो किसी बर्तन से पानी डाला है या हाथ से पानी का चरस भरा है। सरकार के सामने कई बार

(78)

(श्री महाराम चौधरी)

निवेदन किया कि उन कुओं को गहरा करने के लिये ब्लास्टिंग मशीन या बोरिंग मशीन की व्यवस्था करें, लेकिन वह व्यवस्था नहीं की गई ...

श्री उपाध्यक्ष : कुएं गहरे किये जाने का प्रबन्ध नहीं हुआ।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हुई किसी आदमी के 6 महीने का धान हुआ था, तो उसने सोचा 12 महीने का अनाज नहीं है, इसलिये पहले 6 महीने तो भूखा रह जाऊं और बाद के 6 महीने में खा लूंगा, तो वह तो पहले 6 महीने में मर गया और उसका धान यूं का यूं ही रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नागौर का आयुना क्षेत्र है, जिसको कहना चाहिये नागौर से नोखा, नागौर से मेड़ता के पश्चिम के सभी गांव भयंकर अकाल ग्रस्त हैं। इनमें पेयजल की समस्या हमेशा से बनी हुई है। इसलिये आप विशेष ध्यान देकर आज की आज पिवाई की व्यवस्था की जाय तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उन कुओं को गहरा करने के लिये तुरन्त ही कोई न कोई व्यवस्था की जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो बोलना ही शुरू किया है....

(व्यवधान)

आप चमकाओ मत मने।

श्री उपाध्यक्ष : पहले क्या बोल रहे थे, अब तक ?

श्री महाराम चौधरी : अभी तो शुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल अकाल के गांवों में टैंकरों से पानी की जो व्यवस्था की गई थी, वह तो इतनी असन्तोष-जनक थी; मेरे पड़ोस में भाखरोद गांव के अन्दर करीब एक महीने तक तालाब का पानी नहीं मिला। कभी चार रोज से टैंकर आता था, कभी पांच रोज से टैंकर आता था। लोगों को भरोसा रहता था कि टैंकर आयेगा, तो उस आशा में दूसरी जगह भी पानी भरने नहीं जा सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कुओं को गहरा करवाने का काम तुरन्त करें। ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत जो अभावग्रस्त गांव हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। उनको जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं थी, पहले अभावग्रस्त गांवों में जल प्रदाय योजना बनानी चाहिये थी, उस जगह शुरू करनी चाहिये थी, वह तो की नहीं गई और दूसरी जगह की गई, हालांकि उनको भी पानी की जरूरत थी। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह मनचाहे ढंग से बनानी शुरू कर दी। हमारे यहां जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम बूढ़ा के अन्दर एक जल प्रदाय योजना लागू की और उस जल योजना से आधे घण्टे भी पानी पाइप से नहीं आता था और जो थोड़ा पानी आता था, यूं समझ लीजिये कि उन गांवों में बड़ा भारी झगड़ा होता था। उस समय हमारे प्रभारी मंत्री जी मांगीलालजी आये थे तो उनको ले जाकर बताया, तो उन्होंने देखा घड़े भिड़ रहे थे। तब यह कहा था कि

(श्री महाराम चौधरी)

यह तो भयंकर स्थिति है और मैं जयपुर जाकर कोई न कोई व्यवस्था करूंगा। मेरा निवेदन है, जो हमारे क्षेत्र में जल प्रदाय योजना बन रही है, उससे 15 से 25 प्रतिशत जनसंख्या को भी लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, आपने ज्यादा टाइम ले लिया है।

श्री महाराम चौधरी : अभी तो शुरू किया है मैंने। उपाध्यक्ष महोदय, अब जल्दी जल्दी कह दूंगा। जो तुरन्त राहत की बात है, वह कह दूंगा। मैं अकाल राहत मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां इस साल अकाल होने से वहां के आदमी अपने अपने मवेशी लेकर जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी कहतसाली पड़ी है, तो आदमी अपने मवेशी लेकर मालवा की तरफ जाते रहे हैं। इसलिये निष्क्रमण के लिये डिपो का प्रबन्ध भी तुरन्त होना चाहिये। अगर यह व्यवस्था कर देंगे, तो लोग बागों का जाना शुरू हो जायेगा। मेरा निवेदन है, इस साल मालवे की तरफ भी ज्यादा चारे की उपलब्धि नहीं है, तो भी वहां कहीं न कहीं तो उनको जाना पड़ेगा। यदि सरकार को नागौरी नस्ल को बचाना है तो उनके लिये ट्रकों का प्रबन्ध करें। ट्रकों का पूरा का पूरा प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 50 पर्सेन्ट आर्थिक सहायता का प्रबन्ध तो करें, ताकि उनके जानवर, जो तीन-तीन, चार-चार हजार की जोड़ी है, को बचा सकते हैं।

मजदूरों के लिये मैं आपकी मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं मजदूरों के पास आज कोई काम नहीं है। बहुत से गांवों में बीज के बोने की जरूरत ही नहीं पड़ी है उन गांवों में से मजदूर जाने को तैयार है। यदि उनको ट्रकों या बसों की सुविधा दी जाय, तो वे आदमी राजस्थान कैनाल पर भी जाने को तैयार हैं लेकिन राजस्थान कैनाल पर उनको पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये। जो मजदूर जिस गांव का है, उसको काम में एक ही क्षेत्र में रखा जाय तो उसको यह भी महसूस नहीं होगा कि हम परदेश में हैं। इसके लिये व्यवस्था करेंगे तो मजदूर बिखरेंगे नहीं और आपका राजस्थान कैनाल का काम भी हो जायेगा।

इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है, हमारे क्षेत्र के मजदूर राजस्थान कैनाल में काम करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन खाने को भोजन और रहने की व्यवस्था कर देंगे तो वे सब तैयार हो जायेंगे। राजस्थान कैनाल का पानी भी नागौर साइड में पहुंचाने की व्यवस्था की जाय क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। नागौर क्षेत्र में तभी पीने के पानी की कुछ व्यवस्था हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो हमारे क्षेत्र में काम हुआ है वह सन्तोषजनक नहीं हुआ है। मैं छोटी सी बात कहूंगा ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत काफी मजदूरों को पेमेंट नहीं हुआ है। कई पंचायतों में सबसे बड़ी मुसीबत है जो इस बार भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वह यह है कि अकाल राहत कार्यों में ओवरसियरों की बड़ी भारी कमी रही है। दो-दो पंचायत समितियों में

(80)

(श्री महाराम चौधरी)

एक ओवरसियर होने से न तो एस्टीमेट बने हैं और एस्टीमेट नहीं बनने से काम भी टाइम पर शुरू नहीं हुए और पेमेन्ट भी नहीं करा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात यह कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात.......

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : ग्राम पंचायत बेऊ में दो कुएं ऐसे हैं ...जल्दी में भूल गया लिस्ट नहीं निकाली, बाद में दे दूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट दे देना आप।

श्री महाराम चौधरी : वहां के भूतपूर्व जागीरदार ने अपने नाम से पिवाई के कुएं ले लिए और ग्राम वालों को पानी नहीं दिया। कन्नीसागर और गंगासागर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदार का एक का नाम है गंगा सिंह और दूसरे का अभी मैं ढूंढ़ता हूं, आपको बाद में बता दूंगा उनको पिवाई का पैसा भी मिला है लेकिन पानी नहीं पिलाया।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, इस भयंकर अकाल की वजह से तुरन्त सहायता कार्य शुरू किये जावें तो राहत मिलेगी और इधर उधर भटकेंगे नहीं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से इस विधान सभा के अन्दर राजस्थान में अकाल और बाढ़ की स्थिति के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, जो सरकारें थीं और सम्बन्धित मन्त्री थे, उन्होंने केवल इस बात के अलावा कि हम किसी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने देंगे और हम सब तरह की व्यवस्था करेंगे, पिछले 40 साल के अन्दर ऐसा कोई पक्का समाधान नहीं निकाल पाये। हमारी सरकार, हमारे नेता और हम लोग समाधान नहीं निकाल पाये जिसका परिणाम यह है कि आज करीब 10-15 अरब रुपये खर्च करने के बाद भी हम 40 साल के बाद उसी स्थिति में है, जब हमारा देश गुलाम था। यह बात सच है आज जोधपुर संभाग के अन्दर आप किसी गांव में जायें तो आप अन्दाज लगा सकते हैं वहां चारे का एक अगोला किसी गांव के किसी किसान के पास उपलब्ध नहीं है। पानी की योजना के ऊपर हमारी सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये। मैं मानता हूं 80 प्रतिशत गांवों को पानी की योजना से जोड़ दिया गया। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी बिजली और पेयजल का चार्ज लिया है, जो मन्त्री हैं जो जानकार हैं, जिन्हें तजुर्बा है, वे अकाल से जूझने का बहुत बड़ा काम पिछले कई वर्षों से करते आये हैं। मै उनसे कहना चाहता हूं, एक योजना जो दस गांव की योजना है के ऊपर लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किये राज्य सरकार ने जनता के, आज एक गांव को छोड़ कर जोधपुर जाकर गांव के लोगों से पूछिये कि आपको एक महीने के अन्दर कितने दिन तक पानी आता है। जिस सरकार के अन्दर, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की यह स्थिति हो वहां पर रहने वाले आदमी तरसते है पानी के लिए, लेकिन पानी आने का नाम नहीं। यह स्थिति है। जहां अकाल हो, जहां तालाब में पानी नहीं

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हों, नाली में पानी नहीं हो, जहां पर पोखर और कुएं सूखे हों वहां पर क्या स्थिति होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरी बातों पर जाऊं लेकिन मैं मन्त्री महोदय, जो जानकार हैं जिन्होंने कई कार्य किये हैं अपने क्षेत्र के अन्दर, राजस्थान के अन्दर से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान, जो गरीब राज्य है, हिन्दुस्तान का बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां एक-एक पैसे के लिए लोग तरसते हैं, में कुछ ऐसे पक्के कार्य किये जाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी तो याद करे। हमारे जो लोग बाग हैं, वे प्रपसैट नहीं हो। आज पिछली जनता पार्टी की सरकार से लेकर इन 4-5 सालों के अन्दर पचीस हजार, सौ-सौ करोड़ रुपये इस अकाल से जूझने के लिए हमें खर्च करने पड़े। गंगानगर जिले के अन्दर महाराजा गंगासिंहजी ने आज से पचास साल पहले गंग नहर का निर्माण किया। आप कल्पना कर सकते हैं एक गंगानगर जिला है हिन्दुस्तान के अन्दर जिसके मुकाबले का कोई जिला नहीं। आज एक जिला है जो पूरे राजस्थान को अनाज के मामले में पूर्ति कर सकता है, चारे की पूर्ति कर सकता है, पानी की पूर्ति कर सकता है। वह एक मिसाल थी। आज से 50 साल पहले जिसके पास साधन और पैसे की कमी थी लेकिन उस आदमी के दिमाग का कमाल देखिए आज लोग उस को भागीरथ के नाम से पुकारते हैं। मैं चाहता हूं कि गंगानगर जिला जो बाड़मेर और जोधपुर से बदतर जिला था जब पानी की वजह से वह हरा-भरा हो सकता है, वहां पर करोड़ों अरबों रुपये की सम्पत्ति लोगों को मिल सकती है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली जो जिले हैं जहां की जमीन का मुकाबला हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं, जहां के पानी का मुकाबला नहीं, जहां के पशुपालन का मुकाबला नहीं जहां के आदमियों का मुकाबला नहीं तो ऐसे इलाके के अन्दर अगर पानी लायें, चाहे नर्मदा से लायें, चाहे गंगा से लायें और चाहे राजस्थान कैनाल से लायें। लेकिन उस जमीन के अन्दर पानी लाते हैं तो, मैं समझता हूं, अपनी राजस्थान सरकार, यहां रहने वाले मुख्य मंत्री, जो सम्बन्धित मंत्री हैं वे इसके विकास में बहुत ही भागीदार बन सकते हैं। हम नहीं चाहते कि सौ-सौ करोड़ खर्च करें। हमने यहां सौ करोड़ खर्च किये। मैं पूछ सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई के अन्दर हमारे जोधपुर में 80 और 90 हजार मजदूर काम कर रहे थे। हमारे सम्बन्धित मंत्री मदेरणा साहब को मालूम है, जब एक लाख मजदूर जुलाई में काम कर रहे थे और 28 जुलाई के बाद में कौन-सी बरसात हुई, काश्त में कौन-सी पैदा हुई कौन-सी ज्यादा पैदा हो गई, कहां चावल पैदा हो गया, कहां मक्का पैदा हो गई, कौन-सी चीज ऐसी पैदा हो गई जिससे वहां का किसान खुशहाल हो गया जो आज एक मजदूर वहां पर काम नहीं कर रहा है, उन लोगों ने हजारों रुपये खर्च किये, अपने खेत बोये, अपनी कमाई उसमें लगाई मजदूरी की आज पिछले अगस्त, सितम्बर के अन्दर पिछले तीन महीने से एक मजदूर को वहां पर रोजगार का काम नहीं है। यह स्थिति है। तालाब में पानी नहीं है; मुश्किल से कुल मिलाकर 2-3 इंच बरसात कुल 3-4 महीनों में हुई है। चारा उपलब्ध नहीं है,

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

आप जाकर दिसम्बर और जनवरी में व्यवस्था करेंगे। किसान को मरता छोड़ देंगे। मरने नहीं देंगे, कौन-सा जादू है जो आप मरने नहीं देंगे ? चारा आपके पास उपलब्ध नहीं है, पानी आपके पास नहीं, आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं, एक मजदूर को काम करने देंगे नहीं। कहते हैं हमने कोई काम बन्द नहीं किया, आदमी काम नहीं करते। यह आपको मालूम है, हमें मालूम है और हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है। यह स्थिति आपके राजस्थान के अन्दर आपके अकाल की है। आपको इसका समाधान निकालना चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपके पास काम नहीं होगा तो आप सड़कों के अलावा राहत कार्य खोलते हैं नहीं, इसलिए यह वे बातें हैं जिनके अन्दर लोगों को मजदूरी तक नहीं मिलेगी। हमारे यहां कोई नहीं चाहता राजस्थान कैनाल आवे, वे नहीं चाहते पक्के काम हों। वे चाहते हैं करोड़ों रुपये हम ट्रान्सपोर्टेशन के नाम पर ठेकेदारों के माध्यम से, सामान खरीदने के माध्यम से हमको प्राप्त होते रहें और इसी तरह से इस सरकार और जनता को लूटते रहें। आपको इसका समाधान निकालना चाहिये। मैं चाहता हूं, जयपुर से बीकानेर, कोलायत, फलौदी बिलाड़ा से गढ़, अहमदाबाद दिल्ली यह जो बड़ी-बड़ी रेल लाइनें हैं, मैं मानता हूं ये स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट के कार्य-क्षेत्र में नहीं है लेकिन आप सक्षम मंत्री हैं, मुख्य मंत्री से सम्पर्क करके आप ऐसे इलाके जो पूरे राजस्थान का भार बने हुए हैं, हर वर्ष जयपुर कोटा और दूसरे डिवीजन में जिनकी लाखों करोड़ों जनता बसती है, उनके ऊपर जो भार बने हैं, हमेशा भार बनते हैं उन इलाकों के अंदर आपको इस तरह के काम करने चाहिएं ताकि आइंदा की पीढ़ी आपको याद करें तथा रुके काम हो सकें। बजट फरवरी, मार्च में होने वाला है। दिसम्बर में जाकर इन रेलवे लाइनों के ऊपर हजारों आदमियों को काम मिल सकता है और काम हो सकता है। आपके पास राजस्थान कैनाल की एक लिफ्ट योजना है आप राजस्थान कैनाल से नागौर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी, शेरगढ़ पूरा का पूरा बाड़मेर में ऐसे गांव हैं, जहां पर अगर राजस्थान कैनाल की एक लिफ्ट योजना का पूरा पैसा खर्च करते हैं मजदूर पर, कानून कायदे में आप जायेंगे तो कभी काम नहीं कर सकते हैं जैसे एक सियार था जो अधिक सोता था और हमेशा कहता था कि मैं आज नहीं खोद पाया कल खोद दूंगा, तो आज तक ईश्वर साक्षी है कि वह खोद ही नहीं सका और उसकी सर्दी मिटी नहीं। हमारी सरकार हमेशा कहती रही पहले तो सिर पर अकाल आ गया, हमारी जनता मर रही है भूख और प्यास से, पर राजस्थान कैनाल कब आयेगी ? मैं कहता हूं, दो साल बाद आवे लेकिन अगर आप काम शुरू करेंगे तो केन्द्रीय सरकार को भख मारकर जनता को राहत देने के लिए काम करने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि सड़कों का काम हमारे मजदूर और गांव के लोग इस अकाल के नाम पर इतने बेकार हो गए हैं, वे काम नहीं करना चाहते। वे बैठे बैठे पैसा लेना लेना चाहते हैं, वे अनाज चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इसलिए इस तरह का पक्का काम करना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे पशुओं की बदतर स्थिति हो जायेगी इसलिए आप युद्ध स्तर पर उचित समझें तो मेरा निवेदन है खिलाड़ा तहसील के अन्दर और जोधपुर में जो कुए है, उनके लिए आप सब्सिडी दें या जितने चरागाह हैं उनके लिये अगर सब्सिडी देते हैं, तो लाखों मन चारा पैदा कर सकते हैं। इस मामले में अगर आप आर्डिनेन्स निकालते हैं तो इससे काफी हरा चारा पैदा कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सब्सिडी तो अभी आधे हैक्टेयर पर 260) रुपया देते हैं। इसलिए स्पेशल से आपका क्या मतलब है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा मतलब यह था कि पंचायत समितियों के माध्यम से, सरपंचों के जरिये अगर आप प्रचार करते हैं तो जो आज आप खाखला मंगाते हैं, खाखला मंगाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को आपको ट्रांसपोर्ट के लिए राशि देनी पड़ेगी वही फायदा अगर आप वहां के काश्तकारों को देते हैं तो उनकी माली हालत ठीक हो सकती है। आपको वहीं पर एक्सपर्ट्स को बुला कर बताना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जो बेकार बैठे हुए हैं, उनको बुला कर बताइये कि आपको गेहूं पैदा करने के अन्दर, कपास पैदा करने के अन्दर और रायड़ा पैदा करने के अन्दर जो आमदनी होती है, उससे ज्यादा आमदनी चारा पैदा करने के अन्दर आपको हम देंगे। यह आपको बताना पड़ेगा। तभी जाकर के किसान खुशहाल हो पायेगा। अपने मवेशी बच जायेंगे और आपको मोटर वालों को, पंजाब वालों को, जो कुछ देना पड़ेगा उससे राहत मिल जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दूसरी, मेरी छोटी सी बात और है कि जो आपके दुधारू जानवर हैं, पहले उनको सब्सिडी आपने गोसेवा संघ के मार्फत बीकानेर में देकर व्यवस्था की थी। वहां पर लाखों रुपयों का फायदा लोगों को हुआ, मवेशी जिन्दा रह गए। इसी प्रकार से पूरे राजस्थान में जहां पर ढाई हजार के करीब दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, अगर आप सब्सिडी से उनको चारे की व्यवस्था कर देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की होगी और मवेशी बच जायेंगे।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारे जो सुझाव हैं, आप पक्का काम कराने की कार्यवाही करें ताकि हमारे पश्चिमी राजस्थान की जनता से जो हमेशा से भार बनी हुई है पूर्वी राजस्थान पर, उससे हमेशा-हमेशा के लिए बचाव हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिहारीलाल।

श्री महाराम चौधरी : मैं एक बात भूल गया। मैं ग्रामीण क्षेत्र से ये छोटे छोटे सिट्टे के टुकड़ लाया था उन्हें मैं पहले देना भूल गया। ये मैं इसलिए देना चाहता हूं कि शुरु में थोड़ी सी बरसात हो गई, बरसात के अन्दर यह खेती हुई लेकिन दाना एक नहीं पड़ा। इसलिए सरकार को गिरदावरी के समय ध्यान रहे।

(84)

श्री परसराम मदेरणा : बिना अनुमति के कैसे रख रहे हैं। पहले आप आसन की आज्ञा लें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से बराबर माननीय सदस्यों ने....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : बाढ़ और अकाल पर....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बहुत लेट याद आती है हर एक चीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : चर्चायें की। मैं भी अकाल के सम्बन्ध में आपके माध्यम से कुछ चर्चा रख रहा हूं राजस्थान में लगातार तीन चार सालों से अकाल है और इस साल बाढ़ भी आ गई। मैं समझता हूं कि सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ और हमारे अकाल राहत मंत्री जी और सारे लोगों ने मिल कर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है। जो कुछ काम की स्थिति जो बना रखी है. अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री विश्नोई जी ने रखी, मैं उनका बड़ा समर्थन करता हूं। वास्तव में सरकार खूब पैसा लगा रही है। अकाल के काम भी खूब खुले हैं और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की मंशा है कि काफी काम और चलें। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस समय जो, हमारे क्षेत्र की स्थिति है, वह भयंकर है। आपके भी ध्यान में है कि काम जिस प्रकार से चलाये जाते हैं पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत, सिंचाई विभाग की मार्फत, भू-अभिलेख विभाग की मार्फत, कई तरह की इकाईयां लगाई गई हैं और काम कर रही हैं, उसमें मेरा सुझाव है। जैसे मेरे क्षेत्र भीलवाड़ा की मांडल तहसील में नगरपालिका है, उसमें अभी तक, श्रीमान्, आपकी मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं बगैर परिचय-पत्र के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कई लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं हो सका है। अब आइन्दा ध्यान रखा जावे, क्योंकि इस साल भयंकर अकाल है। आपकी मंशा है कि वहां काफी काम चलें। तो नगरपालिका क्षेत्र में जो चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकायें हैं, वहां पर उन गरीबों को काम मिल सके इसके लिये उनको परिचय-पत्र बांटे, ताकि वे लोग काम पर लग जावें। जिन जिन लोगों को आपने काम दिया है, मैं आभारी हूं। अकाल में हर दृष्टि से उनकी पीड़ा मिटाई है। पर जो लोग अकाल में काम करते हैं, दुर्घटनायें हुईं और उन दुर्घटनाओं में जो लोग दुर्घटना-ग्रस्त हो गए, मतलब मर गए या जिनके चोटें आईं, माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उनको सहायता के रूप में दो-दो हजार रुपया, तीन हजार रुपया, जहां जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार दें। किसी का पैर कट गया, किसी के लग गई, ऐसी स्थिति में अंधा हो गया, जो मिट्टी खोद रहा था वहां गिर गया, हाथ पैर टूट गए, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उनको सहायता प्रदान की जावे ताकि पीछे के जो परिवार वाले हैं, वे पल सकें, जी सकें। ऐसी मैं आशा करता

(श्री हि. रीलाल पारीक)

हूं। इस समय तीन बातों की जरूरत है, काम, अनाज और घास। मैं समझता हूं कि काम आप खोलने जा रहे हैं। हमें काम के बारे में खूब आशा है हमारी सरकार जागरूक है और जो पीड़ित लोग हैं, उनको काम देंगे। इसमें एक सुझाव यह है कि सिंचाई विभाग के काम काफी तादाद में लिए जावें। हर पंचायत समिति क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब हैं, उनको सिंचाई विभाग वाले नहीं करना चाहते। हमने काफी ध्यान आकर्षित किया, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन स्थानों पर पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत जो काम चल रहे है, उनको चलने दिया जावे। पक्के काम करवाये जावें। पंचायत समितियों के जितने तालाब हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि सिंचाई विभाग को या तो एक इकाई मान लिया जावे जैसे वन विभाग को इकाई मान कर काम करते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. का काम करते हैं, भू-संरक्षण का काम करते हैं और पंचायत समिति के जितने छोटे छोटे बंधे, तालाब, एनीकट के काम पड़े हैं, वह इस अकाल की स्थिति में करावें। मैं समझता हूं आपकी मंशा है, आप काम देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि तत्काल यह व्यवस्था की जावे जिससे कि पंचायत समितियों के तालाब बन सकें, बड़े हो सकें और उन पर रोजगार भी लोगों को मिल सके। इससे पीछे आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि जब हम अकाल का मुकाबला करने जा रहे हैं, काम कराना चाहते हैं, तो इससे तालाबों के काम होंगे। इससे लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी और पीछे भी, मतलब कि जो स्थिति बनेगी, वह काश्तकारों के लिये एक अच्छी उपलब्धि होगी। इससे हमारे टैंक बन सकेंगे। मेरा विश्वास है कि पंचायत समिति को आज इकाई नहीं मान रखा है। एन. आर. ई. पी. के तहत जो काम चल रहे थे, वे काफी समय से बन्द हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मूड ही नहीं बनने दिया, बड़ी मुश्किल से मौका दिया और आपने बीच में ही पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। घण्टे भर में तो आप टाइम देते हो और बीच में ही कुछ का कुछ हो गया। मैं निवेदन करना चाहता था कि कुछ बोलने दीजिये। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति को आपने इकाई नहीं मान रखा है, उसकी मार्फत काम बन्द है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति को इकाई माना जावे या उसको फण्ड दिया जावे या फिर सिंचाई विभाग में इन सारे तालाबों को ले लिया जावे, ताकि जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वह तालाबों पर काम कर सकें और उन तालाबों को बना सकें।

दूसरी बात, मेरा यह निवेदन है श्रीमान, कि अकाल में काम तो खूब किए और जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उनकी मैं बड़ाई भी करता हूं, लेकिन जिनकी भावना नहीं है, नीति नहीं है, जो इसमें दुखी हो गये हैं, उनको उस पोस्ट से हटा दिया जावे। मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आपकी मार्फत कि पी. डब्ल्यू. डी. के जितने भी काम हुए या सिंचाई विभाग के लोग जो काम करते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है और जो नहीं करते, उनको मिल जाता है। इस स्थिति को सुधारा जावे। वहां पर स्टाफ की कमी बताते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि स्टाफ पूरा दिया

(86)

(श्री बिहारीलाल पारीक)

जावे ताकि जो लोग काम करते हैं उनको पैसा पूरा मिल सके। हम जगह जगह घूमे हैं। हम वहां के जन प्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं कि जो काम करते हैं, उनको पूरा पैसा मिले। हमने जगह जगह पर जाकर लोगों को समझाया है। वहां पर जो मस्टर रोल मिलते हैं, पहली बात यह है कि शुरूआत काम की होती है आठ दिनों तक तो मस्टर-रोल के लिए घूमा करते हैं। 15 दिन के काम में 8-9 दिन का मौका मिलता है, उस पर काम नहीं करवाते हैं और लोग फायदा उठा जाते हैं। न तो सिंचाई विभाग की ही नपती का काम हो रहा है और न पी. डब्लू. डी. ही नाप करती है। उनको जो पेमेंट होता है, सात रुपये हमारी रेट है। सात रुपये रोज का काम मिलना चाहिए, उसकी बजाय डेढ़ रुपया, दो रुपया, पौने दो रुपया माप के आधार पर मिलता है। हमने काफी कोशिश की। हमने अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया। हमने जगह जगह लिख कर बताया कि जो आदमी पूरा काम करता है, उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। इसका तरीका यह है कि जो आदमी काम करता है, उसका मेजरमेंट 15 दिन के पीरियड में 10 दिन के पीरियड के अन्दर करना चाहिए। जो गरीब आदमी इससे काम करता है, जो आदमी रोजगार के लिए आता है, जो अपना पेट पालने आता है, जो अकाल की पीड़ा मिटाना चाहता है, पांच में से एक दो आदमी काम पर लगाते हैं, उसके घर वाले समझते हैं कि पूरा पैसा मिलेगा। गरीबी के कारण वह समय पर आपको अपील भी नहीं कर सकता, लड़ाई भी नहीं कर सकता। अन्त में महीने डेढ़ महीने के बाद में पेमेंट डेढ़ रुपया, दो रुपया लेना पड़ता है। इसमें कमी क्या है? अधिकारियों की कमी है। मैं आपकी मार्फत अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वैसे तो आप खुद जागरूक हैं, आपको खुद को पता है। यह जो स्थिति बन रही है जो काम करते हैं उसको पूरा पैसा मिले, उसका यह तरीका है कि अधिकारी वहां से आयें और उनका काम देखें। 15 दिन की कम से कम स्थिति बता दें कि तुमने इतना कम काम किया, इसलिये इसका पैसा नहीं मिलेगा। श्रीमान्, वहां की यह स्थिति है, जो आदमी काम नहीं करता है उसको पैसा मिले ....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट न करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : जो काम करता है, उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि उसको पूरा पैसा दिलायें। मैंने मिनिमम वेजेज सेवन की बात निवेदन की है। अब अनाज वाली बात निवेदन कर रहा हूं। हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र में अकाल है। अकाल राहत मंत्री भी खूब ध्यान दे रहे हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम हर महीने दो सौ बोरी अनाज पहुंचाई जानी चाहिये। अनाज की स्थिति यह है कि अगले साल भी अनाज नहीं था और इस साल भी अनाज होने वाली बात नहीं है। लोग आप पर डिपेण्ड हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी भी तरह अनाज की व्यवस्था करें।

घास की हालत बिलकुल खराब है। घास की इतनी हालत खराब है, कहीं डिपो खुले नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि हर पंचायत क्षेत्र में घास का एक डिपो खोला जाय। नगरपालिकाओं वाली बात निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : नगरपालिका क्षेत्र में 12-13 छोटे गांवों को मिला कर छोटी नगरपालिका है। वहां पर इस साल कतई काम नहीं मिल सके हैं। मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि चौथी श्रेणी की नगरपालिका है, वहां अकाल में काम हो जिससे अकाल में उन पीड़ित मजदूरों को पेमेंट मिल सके। जिनको पेमेंट नहीं मिला है, उनको पेमेंट दिलाने की व्यवस्था करायी जाये। जितने अधिकारियों ने बगैर मेजरमेंट किये उनका पेमेंट जोड़ दिया और पेमेंट हिसाब करने पर जो कम आता है, मैं निवेदन करूंगा कि उनको पूरा पेमेंट दिलाया जाय। थोड़ा बहुत मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

एक माननीय सदस्य : हुकुम ध्यान तो रखें।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले छोटे-छोटे बोल लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले बड़े-बड़े, फिर छोटे-छोटे।

एक माननीय सदस्य : हमें वक्त देने का वायदा किया था, समय दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है, कैसा टाइम दूं आपको।

एक माननीय सदस्य : फिर हमारे पास सामान ही क्या रह जायगा?

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में टाइम दूंगा, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जो इस बाढ़ में बह गये हैं और जिनकी मृत्यु हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने इस संकट के समय बाढ़-पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक केवल हम अकाल से ही संघर्ष किया करते थे, लेकिन पिछले आठ-नौ वर्षों से राजस्थान में हमें बाढ़ से भी संघर्ष करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की ऐसी भयंकर स्थिति है, जिसका राजस्थान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अनुमान भी नहीं लगा सकता है। राजस्थान के बाहर के व्यक्ति भी, अनुमान लगाने का तो प्रश्न ही नहीं, शायद यह विश्वास भी नहीं कर पाते कि राजस्थान में इस प्रकार की भीषण बाढ़ आई जिसमें गांव के गांव साफ हो गये, कई व्यक्ति बह गये और करोड़ों रुपये की हानि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थिति में जब हम अकाल और बाढ़ की चर्चा एक साथ करते हैं, तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि सरकार अपनी वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से कर पायेगी। सरकार चाहे इस पक्ष की हो, चाहे उस पक्ष की हो, आखिर राजस्थान में

(88)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

यदि अकाल और बाढ़ का सामना करना पड़े, तो हमें वित्तीय व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हमारे आज के मुख्य मंत्री ने कहीं पर यह वक्तव्य दिया था, "मुझे दो सौ करोड़ का विरासत में घाटा मिला है।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी यह भी कह गये कि योजना में जिस घाटे की बार-बार चर्चा हो रही थी, हमने बहुत कम समय में उस घाटे की पूर्ति कर ली है, जिसके कारण योजना के आकार में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस अकाल और बाढ़ की स्थिति का ईमानदारी से कोई भी जायजा लेगा, तो निश्चित रूप से वह इस परिणाम पर पहुंचेगा कि इस अकाल और बाढ़ के कारण होने वाली क्षति का मुकाबला राजस्थान अपने वित्तीय साधनों से नहीं कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में प्रश्न आकर खड़ा होता है कि राजस्थान क्या अपनी योजना को बन्द कर दे? योजना के आकार को छोटा कर दे? भारत सरकार से एडवान्स प्लान असिस्टेंस लेकर उस असिस्टेंस के आधार पर बाढ़ की समस्या का समाधान करे, तो परिणाम एक ही निकलेगा कि राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में अब भी पीछे है। फिर यदि विकास पर होने वाला व्यय अकाल और बाढ़ में लग गया तो विकास की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में और भी पीछे हो जायगा। इसलिये सबसे पहला प्रश्न तो यह होगा कि क्या राज्य सरकार भारत सरकार से यह निवेदन करे सकती है, मेरा दल और मैं समझता हूं विरोधी पक्ष, जिसमें अन्य दल भी शामिल हैं, इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि सदन एक प्रस्ताव के रूप में भारत सरकार से निवेदन करे कि संविधान की धारा 282 के अन्तर्गत भारत सरकार इस अकाल और बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति राजस्थान को अनुदान के रूप में करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां संविधान की धारा 282 के अन्तर्गत हम भारत सरकार से सहायता, अनुदान की मांग कर रहे हैं, वहां यह सदन भारत सरकार से यह भी सिफारिश करे कि फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन में जो प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था में जो दूसरी सिफारिश की है राज्य सरकार इस प्रकार की विपदा जिसकी तुलना या मुकाबला राज्य सरकार अपने वित्तीय स्रोतों से नहीं कर सकती है, भारत सरकार उसको एक विशेष आपदा मानकर आधी ग्रान्ट और आधे लोन के रूप में उस राज्य सरकार की सहायता करे, मैं चाहूंगा कि माननीय अकाल राहत मंत्री, मुख्य मंत्री जी, इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करने की व्यवस्था करें कि भारत सरकार हमें इस मसले के ऊपर विशेष रूप से सहायता दे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध आता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे शब्दों में नहीं, स्वयं मुख्य मंत्रीजी के शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्री ने 19 तारीख को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करने के पश्चात् एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि यह शताब्दी का सबसे बड़ा कहर है।

एक माननीय सदस्य : 14 तारीख।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे ज्यादा याददाश्त मेरी है। इनको अभी पता ही नहीं है अफसोस तो यह है कि मंत्री तो बन गये, इनको पता नहीं है कि शपथ कब ली?

श्री उपाध्यक्ष : No. interruption.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी से तो सारे मंत्रिमंडल की योग्यता का रिफ्लेक्शन मिलता है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी ने शपथ 14 को ली थी। माननीय मंत्री जी ने शपथ 19 को ली थी, इसलिये वह कह रहे हैं कि हमने शपथ 19 को ली थी। इससे ज्यादा योग्यता का और क्या प्रमाण हो सकता है!

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस योग्यता का आनन्द हमारे अकाल राहत मंत्रीजी ने भी ले लिया, बहुत खुशी की बात है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया, "इस शताब्दी का सबसे बड़ा कहर" इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार का कहर था, क्या उसी प्रकार से मुकाबला करने के लिए सरकार सक्षम है? कोई छोटी बात होती तो उपेक्षा भी की जा सकती थी लेकिन शताब्दी का सबसे बड़ा कहर और उसका मुकाबला किस प्रकार कर रहे हैं? इन दोनों की तुलना करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा तो सदन कहेगा कि मैं विरोधी पक्ष में हूं, इसलिए कह सकता हूं। अगर पहाड़िया जी होते तो समाचार पत्रों में उनके खिलाफ कोई बात छपी होती, तो पहाड़ियाजी पत्रकारों के लिए कह देते कि ये तो मनचले हैं, जो चाहे लिख देते हैं, लेकिन शिवचरणजी माथुर, मुख्य मंत्री और परसरामजी मदेरणा, अकाल राहत मंत्री दोनों के लिए समाचार पत्रों ने काफी लिखा है। अगर उनके संबंध में समाचार-पत्र कुछ लिखें, तो हमें गहराई से, गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सारे विवाद में न जाकर समाचार-पत्रों में बाढ़ के संबंध में क्या टिप्पणी हुई है वह एक टिप्पणी पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि जहां स्वयं-सेवी संस्थाओं ने तन, मन, धन से सहायता की, वहां इस बात को भी नहीं भूल सकते कि राजस्थान के पत्रकारों ने भी सरकार को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं यह बात कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जहां सरकार का पटवारी तहसीलदार, एस.डी.ओ. और कलेक्टर कोई भी नहीं पहुंचा, मंत्रीजी धरती पर नहीं उतर सके, उस हालत में कई पत्रकार नदी, नाले पार कर भूखे प्यासे उन गांवों में पहुंच गये।

(3.13 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदा... जहां उन गांवों के व्यक्तियों के अला... बाहर के एक व्यक्ति ने भी उ... नहीं देखी या उनकी परेशानिय... जानकारी नहीं ली, यह ... पत्रकारों ने जो स्थिति ...

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, तो उनकी रिपोर्ट निश्चित रूप से सही होगी। इस आधार पर मैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले टाइम्स आफ इंडिया 7 अगस्त, 1981 का एक उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे सरकार को पता लग जायेगा कि सरकार किस स्थिति में थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है --

Times of India 7th August, 1981. Jaipur- This year the floods came when the State was going through a change of ministry. The administrative machinery was preoccupied with arrangements to airlift to Jaipur the newly sworn-in Chief Minister, Mr. Shiv Charan Mathur, who was stranded in New Delhi. An IAF helicopter had to be arranged for the Chief Minister to reach the State Capital.

But Mr. Mathur was not alone. Other prospective ministers were also in Delhi, having gone there in the first place to press their claims for inclusion in the Cabinet. Frantic efforts were made to locate them so that they could board the helicopter arranged for Mr. Mathur. Since their number was quite large, a bigger helicopter had to be pressed into service.

While the bureaucracy could spot who was to be included in the ministry by going though the list of Mr. Mathur's fellow passengers, almost all senior officials remained busy speculating on the status of their 'patrons' in the ministery rather than attending to the revages wrought by the rainfall.

They kept burning the midnight oil to ensure all possible comforts for the new ministers, who were sworn in on July 19 and 20 The next three days were spent on speculating who would get which portfolio.

There was thus an almost total absence of the decision-making authority at the political and official levels at the critical juncture between July 17 and 21. This was perhaps the biggest single factor responsible for much of the avoidable misery

मैं फिर रिपीट कर दूं --

This was perhaps the biggest single factor responsible for much of the avoidable misery the flood-affected people had to undergo.

It was only after the aerial survey of some of the affected areas of the state on July 21 by Mrs. Gandhi that the State Government woke up to the gravity of the situation and sought army help.

एक माननीय सदस्य : आप भी उस समय दिल्ली में विराजते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनते जाइये। मैं दिल्ली में ही बैठा था ऐसी क्या बात है।

मैं निवेदन कर रहा था। मैं ऐसी स्थिति में इस बात का दोष मंत्रिमंडल पर तो डालना चाहूंगा ही लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस स्थिति में जब 17, 18 और 19 को बाढ़ की स्थिति थी, शपथ ग्रहण का समारोह हो गया, मंत्रियों में विभागों का विभाजन हो गया, क्या सरकार उस समय सोच नहीं सकती थी कि इस बाढ़ के समय में लोगों के सामने कितनी मुसीबतें आ रही होंगी और इसका समाधान कैसे किया जाय ? लेकिन मंत्री महोदय कहेंगे कि हमने यह किया, वह किया। मैं आपसे जवाब में पूछना चाहूंगा कि 20 तारीख को जयपुर जिले में कितना खर्चा हुआ, 21 को कितना खर्चा हुआ ? 21 से लेकर 30 तारीख तक का खर्चा बता देंगे, तो सदन को जानकारी हो जायगी कि सरकार ने 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इतनी भयंकर बाढ़ होने के बावजूद लाख रुपये से ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि जगह-जगह सड़क की मरम्मत के लिए पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने इतना पैसा खर्च किया या तार उठाने के लिए इतना पैसा खर्च किया लेकिन मैं अकाल राहत मंत्री से पूछना चाहूंगा कि 21 से लेकर 27 तारीख तक वास्तव में जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनको किस प्रकार से रियायत दी जाय, किस प्रकार से उनकी सहायता की जाय इस मद पर कितना पैसा खर्च हुआ यह और आंकड़े दे दें कि बैंक से, ट्रेजरी से इतने रुपये निकाले गये इससे इसका समाधान होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना खर्चा किया ?

श्री अध्यक्ष : हैलिकाप्टर पर भी तो काफी खर्चा हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बिल्कुल सही है। हैलिकाप्टर पर भी काफी खर्चा हुआ। हैलिकाप्टर को इसमें शामिल कर लेंगे तो मैं समझता हूं खर्चा तो अपने आप इसमें चला जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं हैलिकाप्टर पर भी खर्चा हुआ है, जीपों पर भी खर्चा हुआ है, पुलियाओं के लिए भी सामान खरीदा, इस पर भी खर्चा हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आफिसर्स ने इस काम की सीरियसली नहीं लिया और वह इसलिये नहीं लिया कि इसका मूल कारण यह है कि सरकार नहीं बनी। आज सारा चार्ज शिवचरणजी माथुर और परसराम जी मदेरणा पर डालना चाहूं, तो व्यावहारिकता के नाते मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि माथुर साहब 20 को आये और 20 को ही यह संकट आया। अब यह संयोग था कि दोनों साथ-साथ आये। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न इस बात पर आकर खड़ा होता है कि राजस्थान के मुख्य सचिव क्या कर रहे थे ? शासन के हैड वह हैं, उन्होंने उस समय क्या किया ? अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है, जिस समय खवासजी का बंधा टूटा, इसकी सूचना वहां के जमादार ने अधिकारियों को दे दी कि बन्धा सुबह तक टूट जायेगा और बंधा टूट गया तो सांगानेर तबाह हो जायेगा। उसने पुलिस को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और तहसीलदार को यह सूचना दी । पुलिस और तहसीलदार दोनों देख कर गये । मैं आज चार्ज लगाता हूं राजस्थान के मुख्य सचिव पर कि उनकी यह नेग्लीजेंसी थी कि उन्होंने सर्विसेज को कंट्रोल नहीं किया और वर्क को ठीक प्रकार से नहीं चलाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि खवासजी का बन्धा टूटा और सांगानेर में सारी तबाही हुई। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि सर्विसेज के बारे में आप एक बात मान कर चलें कि सारे इल्जाम मंत्री मण्डल पर आ जायं इस प्रकार की उन्होंने चेष्टा की होगी वरना कोई कारण नहीं होगा, सांगानेर और खवास जी के बन्धे में सिर्फ एक मील का डिफरेंस है। बंधा टूट रहा है इसकी सूचना सांगानेर में दी जा सकती थी और जो वहां तबाही हुई, वह तबाही नहीं होती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे एक कारण हो सकता है। आप चाहे जांच न करवायें, हमारे मुख्य सचिव बार-बार कहते हैं कि Shivcharan is my choice। अगर यह बात है तो मैं कहता हूं कोई जांच नहीं होगी लेकिन यह स्थिति न हो और सरकार ईमानदारी से किसी दोषी अधिकारी को दण्ड देना चाहे, तो तीन पटवारियों को मुअत्तिल कर दिया, उससे काम नहीं चलने वाला है। एक तहसीलदार को जनता ने घेरने की कोशिश की उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। किन्हीं दो पुलिस सिपाहियों को आपने सस्पेन्ड कर दिया उससे काम नहीं होने वाला है। हम यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा कि खवासजी के बांध के टूटने की इत्तला मुख्य सचिव को मिल गई, फिर भी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि हमने यह देखा है इस सारे मामले में कि हमारी सेना तैयार है। पूना में सेना का हमारा हैडक्वार्टर है। वहां से पूछा जा रहा है जयपुर के एरिया कमाण्डर से कि यहां पर हम सुन रहे हैं कि इस तरह की जयपुर में बाढ़ आई है और मिलिट्री एरिया की क्या स्थिति है? क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलिट्री की असिस्टेन्स मांगी है और क्या हम इस तरह की असिस्टेन्स दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आज आप कहते हैं कि सरकार ने बड़ी सजगता और सक्रियता से काम किया है। क्या आप यह सदन में जानकारी देंगे और डेफिनेट जानकारी देंगे कि आपने आर्मी की हैल्प क्यों नहीं ली है? आखिर आर्मी छोटे-मोटे काम में हैल्प करती है। जहां आपके आंकड़ों के हिसाब से लगभग 350 आदमी मर गये, 400 करोड़ की क्षति हो गई फिर आपने आर्मी की हैल्प क्यों नहीं ली? मैं यह कहना चाहता हूं, जो कुछ मेरी जानकारी का आधार है, आर्मी के लोग हैल्प के लिये सैक्रेटेरियेट में जाकर बैठ गये। वहां जाकर वे कहते हैं आप क्या हैल्प चाहते हैं? आर्मी वालों को लिख कर नहीं दिया गया। आप कहेंगे भरतपुर में हमने सहायता ली है। मैं पूछना चाहता हूं भरतपुर के बारे में आर्मी के पास क्या आपका लिखा हुआ है? नहीं है। उन लोगों से एक्सप्लेनेशन लिया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको लिख कर देने में डरता है। उन्होंने कहा, सेवा-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना हमारा फर्ज है हम बिना लिखे हुए ही सेवा करेंगे। और बिना लिखे हुए ही सेवा की है। यह राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बड़े शर्म की बात है, जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज सरकार ने आर्मी की हैल्प नहीं ली आप कहेंगे नावें मंगवाई थी। नावें इसलिये नहीं आई कि रास्ता बंद हो गया। ट्रक, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां बंद हो गई। यह सब कुछ बंद हो गया, इसलिये नहीं आ सकती थीं। अगर आर्मी से आप कहते कि हम को अमुक स्थान पर लोगों को उतारना है, वहां से लाना है. आर्मी की हमें इस प्रकार की हेल्प की जरूरत है, तो आर्मी अपने आप प्रबन्ध करती। आपको यह संकोच हो गया कि कहीं आर्मी सैक्रेटेरियेट को टेक ओवर नहीं कर ले, कहीं आर्मी चीफ मिनिस्टर को टेक करने वाली है। आपने आर्मी को नहीं बुलाया और इसका नतीजा यह हुआ कि जो संकट आर्मी के द्वारा हल किया जा सकता था जिस संकट का आर्मी के द्वारा निराकरण किया जा सकता था, हम उस प्रकार की सहायता नहीं ले पाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अखबार को आपने देखा है, कहीं पर चार लाख लिखा है। आज मरने वालों का प्रश्न आता है कि कितने आदमी मर गये और कितने आदमी नहीं मरे हैं। हमारे अकाल राहत मंत्रीजी बड़े चतुर हैं। चतुर इस तरह से हैं कि 10 वर्ष से, जब से मैं विधान सभा का सदस्य रहा हूं, 30 वर्षों से और जब से माननीय सदस्य अकाल राहत मंत्री बने हैं, उनके पास ही यह विभाग रहता आया है और हमेशा ही उनके पास यह विभाग रहता है। इस विभाग में किस प्रकार से आंकड़े दिये जायें और किस प्रकार के आंकड़े नहीं दिये जायें, इसमें वे बड़े चतुर हैं और इसमें उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। इसलिये जो मरने वालों की संख्या है, आप ताज्जुब करेंगे आपने यह कहा है कि 367 आदमी मरे हैं। जो मर गये उनमें वयस्क मर गया, तो उसको पांच हजार रुपया दे दिया और जो नाबालिग मर गया तो उसको ढाई हजार रुपया दे दिया। आपने इस तरह की व्यवस्था की है। आपने जो रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े बताये हैं, वह 18 लाख 35 हजार इसमें हैं। आपने 18 लाख 35 हजार रुपया जो 367 आदमी मरे हैं, उनको सहायता दी है। मुझको यह मालूम है कि सीकर में एक बच्चा जो मर गया था, उसके परिवार को ढाई हजार रुपये की सहायता दी है। वहीं पर तीन आदमी मरे हैं। वहां एक बच्चा मरा है, उस बच्चे के परिवार को आपने ढाई हजार रुपया दिया है। मैं समझता हूं कि और भी कई बच्चे मरे होंगे, उनके परिवार को सहायता दी है। जो 18 साल से कम उम्र के मरे हैं उनको ढाई हजार रुपया। लेकिन आपने हिसाब श्रीमान दिया है, जो लगाया है 367 का पांच हजार से गुणा कर दिया जाये तो 18 लाख 35 हजार, पूरा पूरा हिसाब दे दिया। इसका मतलब यह है कि न तो हिसाब आपने देखा है और न अधिकारियों ने देखा है और विधान सभा के अन्दर आपने चतुराई दिखाने के लिये प्रतिवेदन में लिख कर दे दिया। आप बता दीजिये सब आदमियों को आपने पांच—पांच हजार रुपया दे दिया है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल जवाब देंगे।

(94)

श्री परसराम मदेरणा : यह छोटे मोटे आंकड़े हैं। इसमें गलती रह सकती है। मैं इसको देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो मैं कह रहा हूं। आप में चतुराई बहुत है। पूरा हिसाब दे दिया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह है मैं मंत्री महोदय से एक बात की जानकारी करना चाहता हूं। एक विवाद चला था, मर गये, वह गये या लापता हो गये तो कई दिनों तक यह विवाद चला। क्या आप सदन को यह जानकारी दे सकेंगे कि मरने वालों को कब-कब सहायता दी गई? क्या आप यह जानकारी दे सकेंगे कि मरने वालों के नाम क्या क्या थे, किन किन गावों के थे? क्या यह आप कान्फिडेन्स से कह सकते हैं? इसमें कोई प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकता है लेकिन सदन के सदस्यों को जानकारी हो जायेगी कि कौन-कौन आदमी इस लिस्ट में नहीं है। अभी तो समस्या यह है कि 317 आदमियों की आपने संख्या दे दी। नाम का पता होता तो शायद इसमें एडीशन, आल्ट्रेशन हो सकता था। उसमें बताया जा सकता था किन-किन का नाम नहीं है। यह जानकारी आप दे दें। इसके साथ ही मैं यह चाहूंगा, यह जानकारी दें कि किन को पांच हजार, ढाई हजार का पेमेन्ट कब किया गया और मैं यह एक महीने बाद पूछूंगा कि आपने जिनको लापता बताया था, उन लापता को आपने मरा हुआ माना है। आखिर आपने उनको जिन्दा नहीं माना है। जिन्दा मान लेते तो ऊपर से चैक न देते? आपने जिन्दा नहीं माना, मरा हुआ मान लिया। मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने उनको सहायता कब दी? यह सहायता देने में बहुत देरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 25 ग्राम और 66 ढाणियां सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बह गई हैं। कई जगह पर मकान टूट गये। गांव बह गये। सहायता का स्केल क्या रखा है? एक हजार रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये 100 रुपये और 50 रुपये। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके मकान टूटे हैं, आपने लिखा है कि प्रत्येक मकान को 600, 500, 300 पूर्ण तया ध्वस्त हो गये या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये, यह आपने उसके लिये स्केल तय किया है। अकाल राहतमंत्री जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इस रुपये के बंटवारे में भारी अनियमितता हुई है। इस रुपये के बंटवारे में भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे एक आदमी ने तीन दिन पहले ही यह सूचना दी है। इस रुपये में हमारे से पर्सेंटेज काटा गया है। मैंने स्वयं पूछा है। इस तरह का पर्सेन्टेज काटा है और यदि आप जानकारी करेंगे कान्फिडेन्स से, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं यह नहीं कहता कि आपके इशारे से काटा गया है, मैं यह नहीं कहता कि किसी बड़े आफिसर ने कटवाया है लेकिन नीचे इस प्रकार की अव्यवस्था जरूर फैली है, जिससे लोगों को समय पर जितना पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका है। कहीं पांच मकान टूटे, सरकार के अन्दर एक लिखा दिया और किसी का एक मकान टूटा वहां पर पांच लिखा दिये। इस प्रकार की अव्यवस्था हुई है। इस अव्यवस्था की जांच करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जब से बाढ़ आई है, हमारे मुख्य मंत्री जी एक ही बात बार-बार कहते हैं। इस बाढ़ को वरदान में बदल दिया जाएगा। मुझे यह डर लगता है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भगवान कहीं उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर लें। अगर कहीं उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो ऊपर से बाढ़ आई और इन्होंने उसको वरदान में बदल दिया, तो रोज बाढ़ आएगी और रोज वरदान में बदलेंगे और हम लोग तबाह हो जाएंगे। बार-बार कहते हैं कि वरदान में बदल दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। जिनके मकान टूट गये, जिनको एक हजार रुपये की सहायता मिल गयी, उनको तो वरदान मिल गया लेकिन इस वरदान के अन्दर जयपुर में एक हिस्टोरिकल स्केण्डल हो रहा है और इस हिस्टोरिकल स्केण्डल को करने के अन्दर, आज तो नहीं, दो-तीन बाद में इस मुद्दे पर चर्चा उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी के नाम पर यह ऐतिहासिक स्केण्डल राजस्थान में चलता आ रहा है और उनको मान्यता दी जाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत जिन लोगों की जमीनें एक्वायर हो गई, जिन पर उनका राइट नहीं है, जो लैण्ड गवर्नमेंट में वेस्ट करती है, उस पर इन लोगों ने हाउसिंग को-आपरेटिव के नाम से कब्जा कर लिया है, मकान बना लिये हैं, लोगों को ठग लिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो जमीन बेरी कमीशन के सिफारिश के अनुसार उनकी नहीं है, जो जमीन अरबन सीलिंग में आती है, जिस जमीन का कोई कन्वर्शन नहीं हुआ है, आज उसको नियमित करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। कच्ची बस्तियों के नाम पर, हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी के नाम पर चर्चा है, चर्चा चल रही है कुछ बस्तियां पानी से भर गयी हैं कुछ मकान ढह गये हैं, बस्तियों को ऊंचा लाना है, बस्तियां ऊपर आयेंगी या नहीं आयेंगी, यह तो समय बतायेगा लेकिन जिन लोगों ने हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी के नाम पर घपले किये हैं, उन लोगों को तो यह बड़ा वरदान के रूप में सिद्ध होगा। मुख्य मंत्रीजी वरदान कहते हैं तो 50 परसेंट वरदान तो अचीव कर लिया है और यह सदन जागरूक नहीं रहा, तो 50 परसेंट और वरदान जल्दी ही अचीव कर लेंगे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में आज तो इतनी ही बात कहना चाहूंगा आपसे। फिर दो तीन दिन बाद में पूरी बात करूंगा।

एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, वहां पर हम क्या करें? हमारी सरकार कहती है कि हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है लॉ एण्ड आर्डर की। एक गांव है मांडल। मैं उस गांव में गया था। वहां पर कई आदमी मर गये लेकिन वहां कोई सरकारी अफसर नहीं पहुंचा, वह तो जाने दीजिये। गांव वालों ने बताया कि एक औरत की लाश नदी किनारे पड़ी थी। उठाने पुलिस नहीं आयी, पुलिस आई सुबह और सुबह आयी उस समय औरत की लाश हाथ और पैर कटी पड़ी थी। हाथों में उसके जेवर थे और पांवों में भी जेवर थे जिनको प्राप्त करने के लिये हाथ पैर काट दिये गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह तो ऐसा मामला था जिस पर एक्शन लिया जा सकता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई सरकारी अफसर खड़े थे। सांगानेर के पास पानी में लोगों का सामान आ रहा था कुछ लोगों ने बीच में लाइन लगाकर के वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समान, बसें उतारे और नहीं तो गैस के सिलेंडर सैकड़ों की संख्या में बह गये और पुलिस देख रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, कुछ नहीं किया पुलिस ने और कुछ नहीं तो पुलिस के पांच आदमी पहुंच जाते, तो जो बसें जा रहे थे, लोगों का सामान जा रहा था, वह रुक जाता। वह सामान जो बाढ़ में बह रहा था उसको आप रोक लेते लेकिन यह नहीं किया आपने। आपने देखा होगा किशनगढ़ के पास रोड बंद हो गयी। सैकड़ों ट्रक, बसें आकर खड़ी हो गयीं। खाने पीने का कोई इन्तजाम नहीं। सीकर की तरफ झोटवाड़ा की तरफ जावें, तो दूध का भाव एक रुपया किलो और जयपुर शहर में दूध का भाव 12-13 रुपये किलो। अगर नाला पार कर दिया जाता, लोग ला भी रहे थे लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। अध्यक्ष महोदय, अनाज के भाव बढ़ गये, सब्जी के भाव बढ़ गये, खाने पीने की हर चीज के दाम बढ़ गये, तेल के भाव बढ़ गये, घी के भाव बढ़ गये, दूध की समस्या पैदा हो गयी। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक प्रबन्ध जरूर हुआ, एक अखबार में रोज जयपुर के नागरिक बन्धुओं के नाम पर अपील निकला करती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पत्रकार बन्धुओं ने, राजस्थान के जर्नलिस्टों ने इस बाढ़ में जितना हमारा सहयोग किया, वह भुलाया नहीं जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि सहायता की कोई व्यवस्था करना चाहते और उसकी कोई अपील छापना चाहते थे, तो वह बात तो समाचारपत्र मुफ्त में भी छाप सकते थे। कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारे नये मंत्री बने हैं। मुख्य मंत्री के फोटो छपें या नहीं छपें, लेकिन जयपुर के नागरिक बन्धुओं को श्री श्रीराम गोटेवाला रोज अखबार में सुबह-सुबह देखने को मिल जाते थे कि अपील की गयी है। यह सारी स्थिति चल रही है।

मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी शक्ल में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कौनसी बात है कि जिसके कारण वे लोग आकर्षित होते और तड़ातड़ पैसा दे रहे होते करोड़ों रुपया दे रहे होते। मुख्य मंत्री जी अपील कर रहे हों तो समझ में आता है, राज्यपाल महोदय कोई अपील करते हैं, तो बात समझ में आती है। कोई अकाल राहत मंत्री अपील करते हैं, तो मेरी समझ में आता है लेकिन सुपर चीफ मिनिस्टर कौन थे, अपने यहां? जो भी बड़ी से बड़ी घोषणा करनी हो कितने स्कूल खोले जायेंगे, तो घोषणा यह करेंगे। लोगों को कितनी सहायता दी जायेगी, तो यह देंगे यह घोषणा यह करेंगे। पर्चे बंटवायेंगे, तो ये बंटवायेंगे। जो भी घोषणा करेंगे, ये करेंगे। ये आपके सुपर चीफ-मिनिस्टर होंगे। परन्तु मैं एक बात यह निवेदन कर दूं कि कोई अपील निकालते हैं, तो उससे राजस्थान को किसी प्रकार की कोई सहायता मिल जाये, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए।

यह बात सही है कि उनको मौका मिला है कि वो डी. पी. आर. के मन्त्री हैं, उनको फोटो छपवाने का शौक है। पहले उनकी फोटो नहीं छपी है, भगवान करे उनकी फोटो छप जाये, अच्छी शक्ल में छप जाये, दर्शनीय शक्ल में छापी जाये,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की बात से, इस प्रकार के खर्च की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल और बाढ़ में क्या फर्क है? कहा गया कि आप हिंगोनिया को आदर्श गांव बना रहे हैं। बनाइये हमें कोई आपत्ति नहीं है। कैसा बनायेंगे इसको भी देखेंगे, वह तो बाद की बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम चीज तो पूर्ण रूप से कर दें। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो परसराम जी मदेरणा ने जब मैं मुख्य मंत्री था और बाढ़ आयी थी, उस वक्त जो मांगें रखी थीं, वही मैं आज रख रहा हूं। मैं समझता हूं कि आज उनको मंजूर करने का मौका मिला है....

एक माननीय सदस्य : आपने की होंगी तो ये करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आशा है कि वे उनको मंजूर करेंगे। उस समय भी मंजूर हुई थी और अब भी होंगी। इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए....

एक माननीय सदस्य : आपने तो नहीं की थीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके दिल में दर्द है, ये करेंगे। सोइल कन्जर्वेशन—जो लोगों ने कर्ज लिये हैं, वे माफ कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल उचित है और आप भी इसको मानेंगे कि इसको कर लें। एक जो कुओं के लिये, लैण्ड लेवलिंग के लिये एनीमल हस्बेंडरी में एनीमल्स को खरीदने के लिये जो छोटे किसानों ने मार्जिनल किसान ने, कर्जा लिया, उस सारे कर्जे को राइट ऑफ आप करवा देंगे। जिनके कुएं खतम हो गये, खेत खतम हो गए, उनके परिवार खतम हो गए और मवेशी खतम हो गये इन लोगों से आप लोग क्या लेना चाहते हैं? आपको इन लोगों से क्या मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय, मवेशी कितने मर गये, यह हिसाब सरकार ने सही रखा था कि इतने मवेशी मरे, बिलकुल सही 33 हजार 430। और शुरू में श्री मंत्री महोदय के बयानों में ठीक संख्या बतायी गयी, जैसे—17 हजार 230 मर गये। कभी 25 हजार 430। ऐसा लगता था जैसे एक-एक पशु के पीछे सरकार का एक-एक आदमी लगा हुआ हो। मरते ही जैसे रिपोर्ट कर दी। आदमियों के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। आदमी कितने मारे गये, कितने बह गये कोई पता नहीं है। लेकिन इस काम के लिये सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी हिन्दुस्तान में राजस्थान सरकार ने रिकार्ड कायम किया है कि मरे हुए पशुओं की संख्या सही दी है। नदी में इनके पटवारी पूंछ पकड़ कर बह गये कि इस गाय की तो गिनती ही नहीं हुई है, इसलिये सही गिनती लिखवायी गयी है। सरकार आदमियों की गिनती नहीं कर सकती है वह पशुओं की करेक्ट गिनती ले रही है। यह तो मैं समझता हूं कि इन्होंने मेहनत की है इसलिये मैं इनको धन्यवाद देता हूं,

98

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सही पशु गणना के लिये। चाहे मरने के बाद ही सही गणना की गयी हो यह बात अलग है कि जब पशु जिन्दे होते हैं, तो सही गिनती नहीं होती है।

मैं इसलिये कह रहा था कि कर्जा माफ कर दें। जो परिवार नष्ट हो गये हैं और जिनके खेत नष्ट हो गये हैं, जिनके कुएं नष्ट हो गये हैं, ऐसे लोगों को कुएं बनाने के लिये कर्जा दिया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले इस भूमि पर जो लोग काबिज हैं, जयपुर जिले में जो लोग हैं, उनको दूसरी जगह काश्त के लिये जमीन दे सकते हैं, वह दें। आज जो जगह-जगह अलाटमेंट हो रहा है, उसको रोकें। जिन लोगों के कुएं और खेत बरबाद हो गये हैं, वह अपने खेतों को ठीक करना चाहते हैं, तो जमीन के लिये चाहिए तो जमीन के लिये, कुएं के लिये चाहिए तो कुएं के लिये सहायता दी जाये। मैं समझता हूं कि यह भी काम आप करना चाहें, तो बहुत अच्छी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुएं बनवाना चाहें, कुओं की मरम्मत कराना चाहें तो सीमेंट उपलब्ध करायें। आपने अभी काफी सीमेंट का अलाटमेंट अपने लिये करवाया है। सीमेंट को आप निश्चित रूप से ज्यादा दिलवायें, जिससे कि लोग ठीक प्रकार से खड़े हो सकें और काश्त शुरू कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के अन्दर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन कुओं के ऊपर बिजली के कनेक्शन थे और जो कुएं नष्ट हो गये हैं, उनसे उस समय का जो चार्ज आज वसूल किया जा रहा है, वह वसूली नहीं करें, चाहे मिनिमम चार्ज के नाम से हो, चाहे फ्लेट रेट के नाम से हो, किसी भी प्रकार के बिजली के चार्जेज उनसे वसूल नहीं किये जायें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो इससे ज्यादा गम्भीर है, अकाल का, उसको हम भूलकर नहीं चल सकते। अकाल की राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति है? माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और माननीय सदस्य यह स्वीकार करके चलेंगे कि राजस्थान में 1979 में 31 हजार गांवों में अकाल था और इस बार भी मेरा अपना खयाल है कि गांवों की संख्या 31 हजार से कम नहीं है, ज्यादा बढ़ रही है। इस बार जो संकट है, उस तरह का संकट, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा इस शताब्दी का सबसे बड़ा कहर है, यह अकाल भी इस शताब्दी का सबसे बड़ा कहर है। दुर्भाग्य तो यह है कि ये दोनों कहर इनके जमाने में क्यों आये? यह एक दूसरा विषय है जिसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता लेकिन अकाल का कहर है। इस अकाल के टाइम में, माननीय मुख्य मन्त्रीजी आपको दर्द हो रहा होगा, माननीय सदस्यों को भी है। हम इस अकाल से पशु नहीं मरने देंगे, इस अकाल में अनाज से नहीं मरेंगे। इस अकाल में पानी और चारे का अभाव है। पानी और चारे का पूरा इन्तजाम करना पड़ेगा। आपने पिछली बार सेना की मदद लेकर 104 गांवों में पानी पहुंचा दिया। टैंकर खरीदे, सब कुछ हो गया लेकिन माफ करना पिछली सरकार ने ट्यूब वैल्स की व्यवस्था की थी, उस ट्यूब वैल्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की व्यवस्था का क्या हुआ ? पाइप लाइन्स की स्कीम थी, वह स्कीम खराब हो गई है वह पड़ी हुई है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता जो कुछ भी है हमारा अरेन्जमेंट है, चाहे अरेन्जमेंट हैण्ड पम्प का हो, चाहे अरेन्जमेन्ट ट्यूब वैल्स का हो, चाहे नये कुओं का हो, चाहे उसमें पाइप लगे हुए हैं। और चाहे उसमें पम्प लगा हुआ हो, एक तारीख सदन में आप घोषित कर दें, मैं समझता हूं आप करेंगे। एक तारीख घोषित कर दें कि अमुक तारीख तक जितने भी पानी के सोर्सेज हैं, वे निश्चित रूप से चालू होंगे। आपके मुख्य मन्त्रीजी बार बार कहते हैं "हम आंकड़ों में विश्वास नहीं करते, अचीवमेंट में विश्वास करते हैं"। इसलिए आप आंकड़े न दें, अचीवमेंट की बात कहें कि अमुक तारीख तक सब कुओं में पानी मिलने लग जायगा। लूणकरणसर में एक गांव है उस गांव के कुएं में पम्प लगा हुआ है। पम्प खराब है, लोगों को पानी नहीं मिल सकता। दस मील से जाकर बीस रुपये टंकी के ज्यादा देकर टंकी पानी की लेकर आते हैं। मैं समझता हूं ये इस प्रकार की ज्यादतियां हैं। इसी प्रकार अन्य सभी जगह हो रहा होगा, तो इसको रोकने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाय। अध्यक्ष महोदय, मै एक चार्ज लगाता हूं अकाल मन्त्रीजी पर और चार्ज यह लगता हूं कि पिछले अक्टूबर में जो इन्होंने आंकड़े दिये, उन आंकड़ों के हिसाब से 44 लाख 85 हजार 69 यह सारी संख्या है, दिसम्बर, 80 से अगस्त, 81 तक जितने लोगों को मजदूरी दी। मैं वह कम्पेरिजन नहीं करना चाहता, जो आपने भारत सरकार को प्रतिवेदन देकर सहायता मांगी है, उसकी तुलना में जो लेबर लगाई है वह तो मैं समझता हूं 11 लाख कम होगी। खैर, जाने दीजिये जो काम है उस काम का आपने भुगतान किया 26 करोड़। 26 करोड़ के उस भुगतान का हिसाब लगायें, तो एक मजदूर को दो रुपये से ज्यादा की मजदूरी नहीं मिलती। सरकार ने घोषणा की है कि सात रुपये की मजदूरी मिलेगी। दो रुपये मजदूरी। आप मानेंगे, अकाल राहत मंत्रीजी, इसलिए आपने आंकड़े नहीं दिये कि अकाल पीड़ितों पर वेजेज में कितना खर्च हुआ, पानी के आंकड़े दिये, चारे के आंकड़े दिये वेजेज पर कितना कितना खर्च किया, ये आंकड़े नहीं दिये। मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान में मजदूरों का जितना बड़ा एक्सप्लायटेशन हुआ वह आज तक नहीं हुआ। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उन्होंने कहा था, मजदूरी पांच से सात रुपये बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तारीफ की बात है। पहाड़ियाजी की बड़ी उदारता है और उदार होने के नाते पांच से सात रुपये कर दिये। लेकिन जाते समय जो कन्सेशन मिलते थे पी. डब्ल्यू. डी. के कार्यों में 80 पर्सेन्ट काम मिले, तो 100 परसेन्ट का भुगतान किया जाता है उसमें आर्डर कर दिया, अब कोई कन्सेशन नहीं है मतलब सात के बजाय पांच के पांच रह गये। उस समय, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि मार्च के महीने में राजस्थान के मजदूरों के लगभग आठ करोड़ रुपये इस सरकार में बकाया थे। हिन्दुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं मिल सकती, जिस सरकार में आठ करोड़ की राशि उन मजदूरों की बकाया हो, जो पेट की रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। उनका भुगतान किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार से हुआ? माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, सब जानते हैं। अपने-अपने लेवल पर सभी संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष में हालत यह हो गई कि पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता है उस अनुदान में कटौती हो गई और मजदूरों के भुगतान में चुकारा कर दिया। एक अन्याय को रोकने के लिए दूसरा अन्याय किया। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, उनका भुगतान उस समय नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अब भी बकाया चल रहा है। बून्दी में दो मार्च से मजदूरों का पेमेन्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार, से अध्यक्ष महोदय, पेमेंट के बारे में मैं ही नहीं कह रहा हूं श्री भीखाभाई ने भी लिखित में भेजा है। दो माह तक पेमेन्ट नहीं हुआ, उन्होंने यहां तक कहा कि मर्जी आये जब मजदूरों की संख्या घटा दी जाती है और मर्जी आवे जब मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के अन्दर 40 राहत कार्यों की बीस अधिकारियों ने जांच की और जांच करने पर पाया कि मस्टर रोल में बीस से 25 प्रतिशत तक नाम झूठे हैं। वह रिपोर्ट माननीय मन्त्री महोदय के पास है। मैं पूछना चाहूंगा, आज तक क्या एक्शन लिया? क्या रिपोर्ट को दबाकर बैठ गये या किसी प्रकार का एक्शन लेना है?

श्री परसराम मदेरणा: कौन-सी रिपोर्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: बाड़मेर जिले में 40 कामों की सरप्राइज चैकिंग हुई।

श्री परसराम मदेरणा: वह मैंने नहीं देखी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इस बारे में आपको मैं कारीगर मानता हूं। वह भी आपने नहीं देखी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के कई मसले हैं। पहाड़ियाजी बीकानेर से डूंगरपुर होते हुए आ रहे थे। कई कामों की उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद कहा कि मजदूरों को 1 रु० 82 पैसा मजदूरी मिलती है। आपका आब्जर्वेशन था, मैं समझता हूं आप भूले नहीं हैं। आपने अच्छा काम किया। उस समय जांच का आदेश दे दिया। उसकी जानकारी मैं करना चाहता हूं भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी की जांच की कद्र इस समय की सरकार किस प्रकार से करती है।

श्री परसराम मदेरणा: बिलकुल कद्र होगी और मैं देखूंगा, सच बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप सच्चाई से बोलते हैं, तो मैं फट विश्वास कर लेता हूं। मैं बहुत सीधा आदमी हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं जांच का आदेश हो।

अब एक नई बात दो जिलों की कहता हूं। चूरू और बाड़मेर में 28 लाख गांव हैं, परन्तु रामसिंहजी विश्नोई आप अनुमान लगा सकते हैं, पिछले साल अक्टूबर में 1 लाख 83 हजार क्विंटल कुल चारा डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप बता दीजिये राजस्थान में कितना चारा डिस्ट्रीब्यूट किया मैं अर्ज करूं, अध्यक्ष महोदय, आंकड़े बड़े इण्ट्रेस्टिंग हैं, मैं समझता हूं नहीं लिखते तो ज्यादा अच्छा था। पाली जिले में 74 हजार क्विंटल चारा तकसीम किया जैसलमेर में 40 हजार क्विंटल, बाड़मेर में 15 हजार क्विण्टल, वहां पशु कम हैं, कोटा में दो हजार क्विंटल, उदयपुर में तो बिलकुल 300 क्विंटल। बड़ी कृपा की आपने और चित्तौड़गढ़ में 3900 क्वि., सिरोही में 3400 क्वि.-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बीकानेर में 5 हजार क्विटल, गंगानगर में 8 हजार क्विटल, यह आपने चारा डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं पूछना चाहता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी, जिस प्रकार का अकाल है, जिस तरह से चारे का अभाव है, उसमें क्या इस चारे से काम चल जायेगा ?

श्री माणकमल मेहता : यह तो उपलब्ध है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपलब्ध नहीं इसमें जो लिखा है, उपलब्ध है और इसमें जो बांटा है, आपका मतलब है कि इससे भी कम बांटा है। यह अन्दर की बात क्या है, मुझे पता नहीं। लिखा क्या है और अन्दर क्या है, हम इसकी गारन्टी नहीं देते और इसके बारे में कोई जिद भी नहीं करता। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि मैंने अकाल से प्रभावित लोगों के लिये और चारे और पानी के लिये सुझाव दिये। चारे के लिये कहना चाहता हूं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करिये और कहिये कि सूरतगढ़ फार्म के अन्दर खेती की आवश्यकता नहीं है, केवल चारा बोया जाय। फार्म पर चारा बोने की व्यवस्था कर लेंगे, तो मैं समझता हूं काफी इन्तजाम इसमें हो जायगा। अभी माननीय सदस्य, जो लूणी से जीत कर आये हैं, ने काश्तकारों को इन्सेन्टिव देकर चारा उगाने की बात कही। हालांकि इसका अनुभव बहुत कटु है। पिछली दो-तीन बार इसका अनुभव किया गया और रत्ती भर भी सफलता नहीं मिली लेकिन खुद उनके मवेशियों को बचाने के लिये थोड़ा बहुत इन्सेन्टिव देंगे तो उस इन्सेन्टिव से वह किसी को मदद दे या नहीं, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। जिसको इन्सेन्टिव दें कम से कम उसको पशुओं के लिए चारा देना नहीं पड़े, इतनी शायद बचत हो सकती है, हमारे यहां। अध्यक्ष महोदय, इसका इन्तजाम हमारे यहां कर सकते हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इस सारी स्थिति में पानी और चारे का प्रबन्ध हमको करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खास तौर से अकाल राहत मंत्री के सामने समस्या जोधपुर की भी है। जोधपुर, मुख्य मंत्री कह कर आये कि हम राशनिंग करेंगे और जोधपुर जिले के विधायक कहते हैं कि जवाई से जोधपुर को पानी नहीं मिलना चाहिये। मैं समझता हूं विधायकों ने अकाल राहत मंत्री की राय से लिखा हो, ऐसी बात तो नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : पाली वालों ने कहा, जोधपुर वालों ने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पानी है, लेकिन आये या नहीं, पानी लाना पड़ेगा, रुकेगा नहीं, चाहे एम. एल. ए. दरख्वास्त दें, चाहे लिखकर दें पानी तो आयेगा।

प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। आज हम अनाज के लिये इंतजार कर सकते हैं लेकिन पीने के पानी के लिये इंतजार नहीं कर सकते। प्रायोरिटी का क्वेश्चन है वह तो देना पड़ेगा और देना पड़ेगा तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करके चलें कि जिस व्यवस्था के आधार पर जोधपुर शहर को और भी किसी सोर्स से पानी दिया जा सकता हो। अगर जोधपुर को पानी नहीं मिला तो भारी संकट आपके सामने उपस्थित हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस अकाल को लेकर किस प्रकार की

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

समस्या चल रही है, उसमें एक समस्या आयेगी माइग्रेशन की। हमारे मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश जाते हैं, बिजली ले आते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, पानी ले आते हैं। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह कम से कम मध्य प्रदेश में जाकर, मध्य प्रदेश में वह वन के क्षेत्र में अपने मवेशी भेज सकते हैं, कुछ तो रिजर्व करायें। हालांकि भेड़ से तो उनको चिढ़ हैं, लेकिन मैं समझता हूं भेड़ अब बच जाय मुख्य मंत्री के रहते हुये, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भेड़ जात ऐसी है, चाहे कोई मुख्य मंत्री आ जाय, वह जिंदा रहेगी उसको चिंता नहीं हैं लेकिन आपको लार्ज स्केल पर माइग्रेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप हरियाणा में माइग्रेशन नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा : इस भेड़ से मुख्य मंत्रीजी को क्या खतरा हो गया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको तो ज्ञान है, आप क्या कह रहे हैं ? आपके और उनके बीच में बहुत संघर्ष चला हैं।

श्री परसराम मदेरणा : निष्क्रमण के समय रेग्यूलर माइग्रेटरी बर्ड बच सकें, यही बात थी। उनके बारे में मुख्य मंत्री चाहते थे कि इनको बचाया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मन्त्री की इच्छा है कि उनके मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में एक भी भेड़ न रहे और आप ताज्जुब करेंगे यहां से भेड़ निकल रही हैं। अब भेड़ का कहर बृजसुन्दर शर्मा पर पड़ा। बूंदी के एरिया में सारी भेड़ें चली गई, क्योंकि मन्त्रिमण्डल में आ गये, चुप बैठे हैं। भेड़ का स्वभाव जैसा इनका हो गया। आज वह बोल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में या तो बेगूं में बैठीं, उसके बाद बूंदी में आ गई। दो तीन दिन पहले केला देवी गया था। सारे मथुरा क्षेत्र में सपोटरा इलाके में सारी भेड़ें वहां हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां भेड़ वालों की क्या स्थिति है ? आप अन्दाज नहीं लगा सकते। वहां रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते, दोनों दुखी हैं। जिनके यहां चराई होती है, वह भी सुखी नहीं जो चराने गये वे भी सुखी नहीं। अब जाये कहां ? सुनने वाला नहीं है। ऐसी हालत में राजस्थान के पशुओं को बचाना है, तो आपको लार्ज स्केल पर माइग्रेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह माइग्रेशन गुजरात में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, हरियाणा में नहीं होगा। अगर यू.पी. में चरे, तो चराई के एरिया में माइग्रेशन हो सकता है। इस व्यवस्था के लिये आपको अभी से विचार करके चलना पड़ेगा। अबसे यदि नहीं की, तो एक बात और सदन में कहना चाहता हूं। चारा आपको काफी मात्रा में खरीदना पड़ेगा। वह किस प्रकार से खरीदें, यह एक अलग विषय है उस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि चारा सस्ता मिले, ज्यादा मात्रा में मिले, उस सम्बन्ध में कोई रूल्स के मामले में, कोई अपनी परम्पराओं के मामले में किसी प्रकार का हेर फेर करने की आवश्यकता हो तो हमें आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि हमको पहले कान्फीडेन्स में ले। वरना मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में चारे के कारण से या पानी के कारण से इतना बड़ा संकट आने वाला है, जो संकट किसी भी रूप में यदि सरकार सतर्क नहीं रही और बाढ़ की तरह सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने काम किया, तो निश्चित रूप से राजस्थान की बहुत बड़ी तबाही होगी ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस ह्यूमन मिजरी पर मुझे अफसोस इस बात का है कि हम किसी भी प्रकार से राजनैतिक खेल नहीं खेलना चाहते, कोई राजनीति नहीं है । मैं पूर्ण ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बाढ़ हो या अकाल हो, हम सरकार को इस समस्या का समाधान करने में सहायता देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस केवल इतना सा है कि मैं एक दिन हैलीकॉप्टर पर चला गया, कोई अन्याय नहीं किया । आखिर विधान सभा का सदस्य हूं और सदस्य के नाते यदि सरकार ने मुझे सुविधा दे दी, तो कोई बड़ी बात नहीं । माननीय रामसिंह बिश्नोई जानते हैं, माननीय परसराम भी जानते हैं, जिस समय पिछली बार बाढ़ आई थी, हमने इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया । कोई हेलिकॉप्टर में जाय, कोई जहाज में जाय, कार में जाय लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन सुनकर, रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्य मन्त्री के पास हमारा डेलीगेशन गया कहते हैं, हमने तुम्हारे नेता को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं । मेरा समर्थन इसलिये भी किया कि मुझे यह जानकारी मिली है कि माथुर साहब की तरफ से विधायकों से कहा गया है कि यह बात तुम उठाना कि हमने हेलिकॉप्टर दिया अब मुझे यह भी लगा है कि यह बात इसलिए कही है कि प्रचार चले । इस छोटी सी बात के लिये कहते हैं । यह जो राजनीति चलाई जा रही है वह चलने नहीं देंगे । माथुर साहब, आखिर हम दुकान नहीं लगा कर बैठे हुये हैं, हम भी राजनीति में हैं । इस प्रकार की धमकियों में आने वाले नहीं हैं । चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, परसरामजी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी राष्ट्रीय संकट आया है, तो उस संकट के समय हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं । सरकार ने सहयोग लिया, तो दिया है, नहीं लिया, तो हमें जो कुछ करना था, किया है और अब तक विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अकाल और बाढ़ के सम्बन्ध में कन्स्ट्रक्टिव वर्क्स में हमारा सहयोग लेना चाहेंगे, हम निश्चित रूप से सहयोग देंगे । सहयोग का आधार यही बनेगा कि विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से कहें कि हमें आर्टिकल 282 के तहत टोटल ग्रांट दी जाये, टोटल ग्रांट के साथ वह आप तय कर लें कि टोटल ग्रांट की मांग यदि नहीं करनी है, तो फाइनेन्स कमीशन के सैकेण्ड पार्ट की रिकमन्डेशन है, अकाल और प्राकृतिक विपदाओं के संबंध में, विधान सभा रिकमण्ड करे, तो हम आपके साथ खड़े होकर भारत सरकार से कहेंगे कि राजस्थान सरकार को इस प्रकार की सहायता दी जाय । यदि यहां से श्रीगणेश होता है, तो काम अच्छा होगा, बाढ़ और अकाल के मामले में मिलकर समाधान कर पायेंगे, यदि इसमें भी हम आपस में लड़ते रहे, आपस में मेरे से नहीं, आप लड़ेंगे, यह निश्चित बात है, इसमें कोई सन्देह नहीं आपके लड़ने के बावजूद आपके साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहयोग करेंगे। इस आश्वासन के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता की सारी चर्चा के बाद मैं एक ही बात निवेदन करता हूं कि उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से जिस बात की चर्चा की, मैं समझता हूं कि दूसरे समाचार पत्रों ने जो कुछ सरकार ने काम किया, उसको नजरन्दाज कर दिया। यह बात

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दें उन्हें।

श्री देवेन्द्र सिंह : बोल रहा हूं। यह पहला अवसर है कि देश के समस्त समाचार पत्रों ने, जिस मुस्तैदी से सरकार ने बाढ़ का मुकाबला किया, उसकी एक स्वर में प्रशंसा की। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने जिस दैवी प्रकोप का मुकाबला किया और जिस रिकार्ड टाइम में असेन्सियल सर्विसेज को वापस रेस्टोर किया, उससे अपने आप में यह प्रमाण हो जाता है कि सरकार या अधिकारियों ने किसी तरह की लापरवाही इस बाढ़ के समय में नहीं बरती। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के बनिस्पत अकाल की सिचुएशन पर आता हूं। हमारे यहां पर बहुत भयंकर अकाल है इसलिए अकाल के संबंध में कुछ सुझाव आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। जैसा अभी कहा गया, पानी का बहुत ही भयंकर संकट भीलवाड़ा जिले में आने वाला है। भीलवाड़ा शहर राजस्थान के उन सौभाग्यशाली शहरों में से है जहां पर आज तक 24 घन्टे से कम पानी शहर को नहीं मिला लेकिन अबकी बार मेजा बांध, जिससे भीलवाड़ा शहर को पानी दिया जाता है, में केवल 8 फीट पानी है और 8 फीट पानी से राशनिंग भी करें, तो फरवरी और मार्च के बाद भीलवाड़ा शहर में पीने का पानी नहीं मिल पायेगा।

राज्य सरकार से, पी. एच. ई. डी. से, अकाल राहत मन्त्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा शहर को पानी नहरों के माध्यम से दिया जाता है वह पानी नहरों के बजाय पाइप लाइन से दिया जाय। इससे पानी का सेवरिंग भी होगा तथा साथ में खेतों को पानी भी अधिक मिलेगा। उसके साथ साथ भीलवाड़ा शहर में पानी पीने के लिए स्वच्छ मिलेगा और जो बीमारियां होती हैं, वह बीमारियां भी नहीं होंगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां पर हैण्ड पम्प लगे हुए हैं जहां पर डी. टी. एच. स्कीम है, जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम में जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, वह मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हुए हैं। कुछ हैण्ड पम्प्स में पाइप नहीं होने के कारण उनमें पानी नहीं आता है। डी. टी. एच. स्कीम जनता पार्टी की सरकार के समय निकाली। यह किसी जगह सफल हुई हो, यह तो मुझे पता नहीं लेकिन भीलवाड़ा जिले में यह कम्पलीट फेल्योर रही है। आज की तारीख में जहां भी मोटरें डाली हैं पंचायतों में वहां पर 90 प्रतिशत गांवों में आज दिन तक एक भी बून्द पानी बाहर नहीं निकला।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

वहां पर बिजली के कनेक्शन दे दिये गये, बिजली के कनेक्शन देने के बाद वहां पर उन पंचायतों पर मिनमिम चार्जेज लागू हो गये और आज तक मिनिमम चार्जेज लागू हैं। पी. एच. ई. डी. कहता है कि हम तो आपको सौंप चुके हैं। पंचायतें उसके लिये जिम्मेदार हैं। पंचायतों की जिम्मेवारी है कि हैंड पम्पों को वह चलावें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपने मोटर लगाई ही नहीं, जब आपने वहां पर मोटर पाइप ही फिट नहीं किया और टंकी ही नहीं बनायी तब आप कैसे कहते है कि हमने पंचायतों को सौंप दिये। सौंप तो क्या दिया कि एक मोटर खरीद करके और सौंप दी। पंचायत के सरपंच से दस्तखत करा लिये कि मोटर हमारे यहां मौजूद है। उसके बाद में कमीशन हो गया। मेरी आपको यह प्रार्थना है कि आप इस संबंध में पूरी जांच करवाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डी. टी. एच. स्कीम सभी जगह पर फेल हो गयी है। मैं यह कह सकता हूं कि, कम से कम भीलवाड़ा में तो यह स्कीम कम्पलीट फेल्योर है। ये जो मोटरें पंचायतों में पड़ी हैं, जिस जगह स्कीम सफल हुई है वहां पर ले जाकर आप चलावें।

श्री अध्यक्ष : अकाल में फसल की क्या हालत है, उसके बारे में बात कहें।

श्री देवेन्द्रसिंह : पीने के पानी का तो अकाल से संबंध है। अकाल का जहां तक आप फरमा रहे हैं, अकाल का क्या हाल है? मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आज की तारीख में यह पहला अवसर है जब कि भीलवाड़ा जिला भयंकर रूप से अकाल से ग्रसित है। राजस्थान के दूसरे जिलों से कहीं कम नहीं है। फसल के नाम का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। वहां पर फसल के नाम पर बिलकुल जीरो है।

मैं निवेदन करूंगा कि घास का जहां तक सवाल है, वह तो देखने को भी नहीं मिलती है। यह पहला अवसर है कि भीलवाड़ा में ऐसा हुआ है। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह अधिक से अधिक हमारी मदद करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अकाल राहत मन्त्री जी से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। यह आमतौर से पहले सरकार में हुआ करता था, पर अब पता नहीं क्या दिक्कत आ गयी है जब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अकाल राहत डिपार्टमेन्ट को राशि आवन्टित कर देता है उसके बाद स्वीकृतियां निकालने के लिए वापस फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को वह जाती हैं। यह व्यवस्था खतम की जानी चाहिए। जब आपने एक राशि किसी डिपार्टमेन्ट को स्वीकृत कर दी है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वह किस तरह से उस राशि को खर्च करें। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट उस पर बैठ कर सैंक्शन में डिले करता है जो सुविधा सरकार काश्तकारों और गरीबों को देना चाहती है, उसमें डिले होती है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि केबिनेट में यह निर्णय लें कि एक दफा फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अलॉट करदे उसके बाद में वह अकाल राहत डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के माध्यम से पंचायतों के अन्दर काम शुरू किया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आज की तारीख में वह प्रायः बन्द हो गए हैं। काम बन्द हो जाने के कारण पंचायतों

(श्री देवेन्द्र सिंह)

के अन्दर वह काम अधूरे पड़े हैं। आज उनके पेमेन्ट नहीं हो रहे हैं। पंचायत विभाग को कहते हैं, तो वह अकाल राहत विभाग को ओर देखता है और दोनों के बीच में पंचायतों को छुटकारा नहीं हुआ है, पिछले तीन-चार महीनों से।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना और अकाल राहत विभाग, दोनों को एक करके दोनों के माध्यम से अकाल राहत कार्य मीट किये जाने चाहिए। अगर ऐसा हो, तो मैं समझता हूं कि लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी। पंचायतों के जरिये भी अगर आप काम करवाना चाहते हैं, तो सरकार को एक निश्चित नीति अपनानी पड़ेगी। आज इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के पास जायें, तो वह कहता है कि हम पंचायतों के तालाब बनाना नहीं चाहते हैं। अगर पी. डब्ल्यू. डी. के पास जायें, तो वह कहता है कि हम पंचायतों के तालाब नहीं बनाना चाहते हैं। पंचायतों स्वयं के पास टैक्निकल हैण्ड नहीं हैं। जिस विभाग से पंचायत और पंचायत समितियों को, टैक्निकल दिये जाते हैं, उस विभाग के जो अधिकारी सबसे खराब होते हैं उनको पंचायत समितियों में भेजते हैं। पंचायत समितियों की यह हालत है कि वहां कोई काम होता नहीं है। चार-चार, पांच महीनों का पंचायतों का पेमेन्ट आज भी बाकी है। इस सम्बन्ध में मैं, इस अवसर पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अन्त में।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वेस्टर्न राजस्थान और उदयपुर जिले के भीम और दूसरी तहसीलों में डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम चलाते हैं और वह इसलिए चलाते हैं कि वहां पर निरन्तर अकाल पड़ता है। भीलवाड़ा जिले की माण्डल, रायपुर, टोड़ा, सारड़ा और बनेड़ा तहसीलें ऐसी हैं कि इनको भी उसी श्रेणी में गिना जाय, तो मैं समझता हूं कि वह गलत नहीं होगा। आप पिछले सालों का रिकार्ड देख लें, हमने इस बात को स्टडी किया है कि पिछले 39 सालों से बारिश बिलो एवरेज इन तहसीलों में हुई है। ऐसी स्थिति मे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले की इन तहसीलों में डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत कराने की कृपा करें। भीलवाड़ा जिले की यह तहसीलें जो निरन्तर अकालग्रस्त हैं, उनमें अकाल को समाप्त कराने में सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मेरे क्षेत्र में भी 25 प्रतिशत गांव ऐसे हैं, जहां पर अनाज की कमी है। मुख्यतया मेरा क्षेत्र सांचौर पेयजल समस्या से पीड़ित है। वहां जल की समस्या इतनी भीषण है कि 25 प्रतिशत गांव तो ऐसे हैं, जहां पर न तो पानी नाड़ियों में ही आया है और न धरती पर ही पानी है। अगर पानी है भी तो वह नमकीन है, जो पीने के काबिल नहीं है। उस पानी को न मवेशी पी सकते हैं और न ही इंसान पी सकता है। हमारे यहां पर जो जल योजनायें हैं, वह भी व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही हैं। उनके अन्दर भी कभी-कभी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। वहां पर कभी-कभी बिजली

(श्री कनकराज मेहता)

समय पर नहीं आती है। लोगों को पीने के लिए पानी एक महीने तक नहीं मिलता है; कभी एक हफ्ते तक नहीं मिलता है, इस तरह की अव्यवस्था है। यह जल विभाग की अव्यवस्था मिटाने की बहुत जरूरत है क्योंकि पेयजल संकट अगर नहीं मिट सकता है, तो मेरे ख्याल से वहां की कोई प्रगति नहीं हो सकती है और न वहां का इंसान सुखी हो सकता है। पशु का तो और भी हाल बेहाल हो जाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल संकट को दूर करने के लिये जहां-जहां भी आपकी यह जल योजनाएं चल रही हैं उनको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए पेयजल विभाग को आप निर्देश दें कि जहां पर जल नहीं पहुंचता है या समय-समय पर बन्द हो जाता है ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जल विभाग वाले कह देते हैं कि बिजली नहीं आती है, तो पानी नहीं आता है। पता नहीं लगता कि कब तो बिजली और कब पानी नहीं आता है। यह दो डिपार्टमेन्ट एक दूसरे डिपार्टमेन्ट की गलती निकालते रहते हैं और जनता को राहत नहीं मिलती है। नतीजा यह होता है कि जनता को पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

यह जो गैर जिम्मेदारी का तरीका है उसके लिए इन दोनों विभागों का को-आर्डिनेशन और को-आपरेशन नहीं होने के कारण जनता दुखी है। इनका समन्वय बैठाना भी जरूरी है ताकि जनता को समय पर पानी उपलब्ध हो सके। जब कभी बिजली बिन्द होती है तो उसका सुधार जल्दी होना जरूरी है, क्योंकि सांचौर में कम से कम 30-40 पर्सेन्ट गांव हैं, वह पाईप लाइन के ऊपर मुनस्सर है। अगर समय पर पानी नहीं आता है, तो इतने गांवों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि इस सांचौर तहसील के अन्दर सन् 1979 में बाढ़ आई थी और काफी जोर से आई थी। उससे कम से कम 30 गांवों के लोग प्रभावित हुए थे। उन गांवों के लोगों के घर बह गए थे। किसी को 50 रुपये मिले, किसी को 100 रुपये मिले और किसी को 300 रुपये और 500 रुपये तक मिले हैं। लेकिन आज तीन वर्षों के बाद और हमारे सतत् प्रयासों के बाद भी जिन लोगों की जमीन नदी में चली गयी, उन लोगों को आज तक आवास हेतु जमीन नहीं दी गयी, इसलिए मैं अकाल राहत मंत्री, जो राजस्व मंत्री भी है से निवेदन करूंगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आवास भूमि के कागजात हैं, वह राजस्व विभाग के अन्दर पेन्डिंग है। उन लोगों को तीन वर्षों के बाद भी जमीन नहीं मिली है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्रीजी इस ओर ध्यान देकर ऐसे लोगों, जिन्हें राहत देना जरूरी है, को आवासीय भूमि देने के लिए शीघ्र व्यवस्था करेंगे। यह तो अच्छा भाग्य है इस साल हमारे यहां नदी नहीं आई अगर नदी आती तो यह लोग जो उस जगह पर स्थित हैं, उनकी क्या हालत होती? ये लोग पानी में बह जाते, इससे गवर्नमेंट की बदनामी हो जाती। मेरा निवेदन यह है कि

(108)

(श्री कनकराज मेहता)

जो उनको आर्थिक मदद मिलनी थी वह तो मिल गयी लेकिन जो स्थाई रूप से मदद मिलनी चाहिए थी वह प्रशासन की तरफ से इस तरफ सहानुभूति नहीं होने से नहीं मिली। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि अकाल में कुछ सड़कें बनाई जाती हैं लेकिन उन सड़कों के ले आउट प्लान नहीं होने से वह सड़कें खड्डों में रुक जाती हैं और इसकी वजह से राहत कार्य रुक जाते हैं जिससे जनता को नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कनकराज मेहता : हमारे यहां पांचला और हरियाली के अन्दर सड़कों का ले-आउट प्लान नहीं होने से कार्य रुक गये रेवेन्यू आफिसर्स वहां गये हैं लेकिन मौके पर अपना फायदा उठा कर आ जाते हैं व समस्या का हल नहीं करते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की जो अव्यवस्थायें हैं यानी अकाल राहत कार्यों के अन्दर जो लोग चालबाजी करते है और कार्यों के अन्दर सहयोग नहीं देते हैं तो ऐसे सहयोग नहीं करने वाले आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अंत में मेरा यह भी निवेदन है कि इस साल हमारे क्षेत्र के अन्दर अनाज का संकट तो नहीं है लेकिन पेयजल का संकट भीषण है जिससे निपटने के लिए जो पेन्डिंग जल स्कीम 6-7 है उनको युद्धस्तर पर चालू किया जाय ताकि लोगों को शीघ्र पेयजल की राहत मिल सके

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य। आपकी तो कुछ फसलें हैं।

श्री कनकराज मेहता : साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे यहां टकर्स से कुछ गांवों में पानी पहुंचाया जाता है। टैंकर वाले गांवों में असुविधा होने के कारण अन्दर जाने में हिचकिचाते हैं और वे लोग टैंकर खराब करके बैठ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जहां रोज पानी पहुंचाना होता है, वहां पानी हफ्ते में पहुंचता है। मेरा यह भी इस संबंध में निवेदन है कि टैंकर वाले अपनी ड्यूटी ऐसे भीषण समय में ठीक नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही जहां से टैंकर चालू होते हैं जहां से जल ले जाते हैं, वहां सड़के बनाना बहुत जरूरी है। बिना सड़कों के टैंकरों से पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। देरी से पानी पहुंचने में जनता को बड़े भारी संकट का सामना करना पड़ता है।

अंत में मेरा यह निवेदन है कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, मुझे उम्मीद है कि राहत मंत्रीजी इन पर ध्यान देकर सुव्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : समय सीमा आगे भाषणों पर 7 से 10 मिनट...

श्री देवदत्त तिवाड़ी : यह बात हम पर ही क्यों लागू हो ? हम लोगों को भी उतना ही समय देना चाहिए जितना दूसरे लोगों को दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप समय और खराब कर रहे हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी: निवेदन यह था कि अकाल और बाढ़ के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया है। मेरी यह पूरी मान्यता है कि अकाल व बाढ़ हमारा मानवीय, दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सही सूझ-बूझ नहीं होने के कारण ही आती है। जब तक हम इस चीज का पूरा उपचार नहीं कर लेंगे, यह अकाल और बाढ़ हमें सताते ही रहेंगे। जब तक हम कोई ऐसा इन्तजाम नहीं कर लेते हैं, तब तक बीच-बीच हमें यह दुविधा भोगनी पड़ेगी। जैसे हमारे जिले में अकाल पड़ता है, वह अकाल पहले तो तीन बातों का पड़ा करता था परन्तु अब चार,पांच बातों का पड़ने लग गया। पहले तो अनाज, पानी और घास का अकाल पड़ता था लेकिन अब बिजली और मजदूरी का भी अकाल पड़ने लग गया है। दो अकाल और पड़ने लग गए हैं। इस कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ जाती है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस बार जो गया वर्ष था उसमें सरकार ने हमारे जिले के अन्दर काफी पैसा लगाया और बहुत मजदूरी लोगों को दी है। करीब 1लाख 26 हजार आदमियों को काम दिया गया और सारे जिले के अन्दर जहां-जहां भी कमी थी, वहां काम कराये गये। जो भी सरकार के पास साधन उपलब्ध थे, उनको देखते हुए यह बहुत कुछ काम था। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो हम काम करते हैं, वह बहुत ही अमानवीय तरीके के हैं। प्रचण्ड धूप में लोग दो-दो, तीन-तीन मील से चल कर आते हैं और 10-11 बजे तक पहुंचते हैं, फिर हम 4 बजे तक काम कराते हैं और घर पहुंचने के लिए 5 बजे छोड़ देते हैं। ऐसी हालत में जबकि हम यहां ठंडे महलों में बैठे रहते हैं, उन लोगों के हाथों में फावड़े और तगारी भी नहीं है, इक्विपमेन्ट्स भी नहीं है और हम कंकर निकालने के लिए कहें, मिट्टी खोदने के लिए कहें, मैं समझता हूं यह काम बहुत ही अमानवीय है। इस तरीके से किसान से काम नहीं लेना चाहिये।

(4.17 म०प०)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

जो कुछ भी हम काम कराते हैं, उस काम का कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। यह एक तरह से पैसे का बड़ा भारी दुरुपयोग है। आखिरकार यह पैसा हमारी पंचवर्षीय योजना में से कटता है और हमें ही उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस पैसे को हम दूसरे तरीके से काम में लें तो ज्यादा अच्छे काम हो सकते हैं, बनिस्पत अकाल के अन्दर जो काम होते हैं। लोगों की यह भावना होती है कि सरकार हमारा पालेवा कर रही है, सरकार हमें पालने के लिये पैसा दे रही है और सरकार यह देखती है कि यह पैसा जो बीच में मशीन लगी हुई है, उसकी मार्फत वह बांटती है। मशीन इतनी अच्छी नहीं है, हो भी नहीं सकती है। 1 लाख 26 हजार आदमियों को बराबर काम पहुंचाना हर एक की गिनती होना और हर एक के काम को देखा जाना बहुत कठिन है। छोटे से छोटा ऑफिसर, चाहे ओवरसियर हो, चाहे मेट हो यह लोग हर जगह नहीं हो सकते। अतः हर तरह की बुराई होने की वहां आशंका रहती है। इस तरह से जो पैसा हम काम में ले रहे हैं, उसके बदले में हम जो चीज बनाते हैं-मान लीजिए कि एक सड़क बनानी है और वह

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

कच्ची सड़क बना कर छोड़ देते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि दो तीन महीने में वह सड़क साफ हो जाती है। दुबारा फिर अकाल पड़ता है और हम कहते हैं कि वही सड़क पुनः बनाई जाय। अगर उसमें आप कंकर डाल दें तो जहां आप एक फीट कंकर चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी भी सड़क हैं जहां 3 इंच या 2 इंच ही मोरम उस पर डालते हैं और सम्भवतः वह पैसा एक फीट का ही उठाते हैं, 9 इंच का उठाते हैं। जब वहां चलने का काम पड़ता है तो वह मोरम या तो दब जाता है या बिखर जाता है। जब तक हम काफी मोरम नहीं डालेंगे और उसको अच्छी तरह से रोल नहीं करेंगे तो वह सड़क थोड़ी सी बरसात होते ही जगह–जगह से टूट जायेगी। वह न तो आदमी के चलने के काम में आती है और न पशुओं के चलने के काम आती है। वह जगह-जगह से टूट जाती है और नतीजा यह होता है कि उसके बाद में लोग नई पगडंडी बनाते हैं, उसी पर जानवर चलते हैं और वह सड़क टूटी हुई पड़ी रहती है। इस तरह से जो पैसा हम काम में ले रहे हैं। उस सारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों नहीं इसके बदले में ऐसे स्थाई कार्य किये जायें जिससे हमेशा के लिए यह मुसीबत हमारे ऊपर से टल जाय। सभी लोग सभी तरह की बातें करते हैं लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के लिए बहुत कम अच्छे तरीके से सोचा जाता है। जो राजस्थान नहर का पहले प्लान बनाया गया था, उसका जो पहले प्लान था, उसमें बाड़मेर से होकर ग्रेविटी से पानी बहता हुआ बताया गया था कि वहां से पानी निकलेगा लेकिन उसके बाद में करटेल कर दिया गया। दुबारा फिर करटेल कर दिया गया। अब तो यह बातें होने लग गयी हैं कि उसका पानी पाइपों से उठा कर चार छः जगह ले जायेंगे और बाड़मेर में भी कोई पाइप लाइन दी जायेगी। अब यह प्रश्न यहां पर आ सकता है और इस बात को जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि इंजीनियर्स हमको यह बतायें कि जहां आज नहर आई हुई है, वहां से वह नहर बाड़मेर और जैसलमेर में क्यों नहीं ले जाई जा सकती है। बीच में कौन–सी ऐसी ऊंचाइयां या पहाड़ आ गये हैं जिनको पार नहीं किया जा सकता। मैंने देखा है कि जो एक जमाने से नदी बहती थी, उस नदी का नाम काक या सरस्वती है, उसका जो पानी बहता था वह किस रास्ते से होकर जाता था? आज जहां नहर आ गई है, उस नहर में से इस नदी में पानी डाल दें, चाहे थोड़ा ही पानी डालें फिर उस पानी को भरने दिया जाय। उसके जगह-जगह डेम्स बना दिये जायें और उसको बहने दिया जाय। इस पर भारत सरकार और पंजाब की सरकार यह कहेगी कि आप पानी का मिस यूज कर रहे हैं। मिस यूज नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, सदुपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से आज भी बाड़मेर और जैसलमेर में जितने भी ट्यूबवेल हैं, जिनसे हमारी आज रक्षा हो रही है, जिनसे हम पानी प्राप्त कर रहे हैं, यह मत सोचिए कि इनका पानी अथाह है। यह पानी भी खत्म हो जाने वाला है। एक जमाने में जो सरस्वती नदी बहती थी उसकी वजह से नीचे जो पोरस चट्टानें हैं, उन चट्टानों के नीचे जो पानी भरा हुआ है, वह पानी हम ले रहे हैं, जिस दिन वह पानी खत्म होगा तो जो थोड़ा बहुत पानी हम प्राप्त कर सकते हैं

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

वह भी प्राप्त नहीं होगा। 50 साल, 100 साल तक यह पानी बिलकुल समाप्त हो जायेगा। इसलिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि राजस्थान कैनाल वहां लाई जाय। मैं यह नही कहता हूं कि आप सीधे सबका सब पानी उसमें छोड़ दें। आप धीरे-धीरे छोड़ें और धीरे-धीरे पानी की मात्रा बढ़ायें। आज जो पानी हम पंजाब से प्राप्त कर रहे हैं, वह करीब 33 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं। इससे ज्यादा पानी हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इतना पानी हम में, जो हमारे लिये पर्याप्त हो। यह नहर हम 20-30 सालों के अन्दर बना सकेंगे। अगर 20-30 साल तक उस पानी को पंजाब इस्तेमाल करता रहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 30 साल बाद पंजाब अपना पानी हमें नहीं दे। आज भी पंजाब के मुख्य मन्त्री यह कहते हैं कि राजस्थान हमसे पानी क्यों मांगता है ? राजस्थान को पानी प्राप्त करने का हक ही क्या है ? आपको मार्फत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके, हम लोगों को जिन्दा रखने के लिए, बाड़मेर को जिन्दा रखने के लिए, इस पश्चिमी भाग को जिन्दा रखने के लिए यह जो नहर आ रही है, इस नहर के पानी को आप वहां तक लाने का प्रयत्न करें। इस नहर के पानी को आप पाइप से उठायेंगे और वह भी एकदम से नहीं उठा सकेंगे। उसके लिए आपको बड़ी-बड़ी पाइप लाइनें लानी पड़ेंगी जिसमें बहुत समय लगेगा। आसान तो यह हो सकता है कि हम नहर के पानी का कुछ हिस्सा उस नदी के अन्दर डाल दें, तो हमारा काम इससे सरल हो जायेगा।

एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज अकालग्रस्त घोषित करने का जो तरीका है, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। कई जगहों पर आज भी बरसात कम हुई है। मेरे इलाके बाड़मेर में कई ग्राम ऐसे हैं, करीब 200 ग्राम ऐसे हैं, जहां बरसात कम हुई है, फसल नहीं हुई है, लेकिन कुछ बरसात हुई है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां बरसात की एक बून्द नहीं पड़ी है। जब बरसात की एक भी बून्द नहीं पड़ी है तो आप गिरदावरी करवायें, उसके बाद टैस्ट वर्क करवायें, उसके बाद जाकर आप डिक्लेयर करें कि यहां अकाल जैसी पोजीशन है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की यह बात बिलकुल गलत है कि अकाल ऐसे घोषित करें। जहां अकाल पड़ा हुआ है, जहां पर बरसात नहीं हुई है, वहां हम जनता के लिए कुछ काम खोलें। आप कहते हैं कि वहां पर काम नहीं चलेगा, यह तो बिलकुल गलत है। कई गांवों के अन्दर काम चला हुआ है लेकिन कोई भी काम वहां ठीक से नहीं चल रहा है। जहां 2000 व्यक्ति काम कर रहे थे, आप, मंत्री महोदय, बतायें कि आज वहां क्या स्थिति है ? कितने मजदूर वहां लगे हुए हैं ? तो इतने आदमी क्या खा रहे हैं ? उनकी हालत बहुत खराब है। अगर गांवों के अन्दर बरसात नहीं होती है तो आपको चाहिये कि जो आर्टिफिशल बादल हैं, उन बादलों से आप अपने वैज्ञानिकों द्वारा बरसात करवायें। आप इनाम निकलवा दें इस काम के लिये। लाख, 2 लाख रुपये दिये जायेंगे। इस काम से जो फसल की हानि हो रही है, उसको बचाया जा सकता है। हमें इसके लिये

(112)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए यह दो ही कारण हो सकते हैं।

दूसरा बिजली का जाल बिछाया जाये। बिजली की कमी के कारण हमारे जो नलकूप हैं, वह काम नहीं कर पा रहे हैं... कुएं गहरे हैं। बिजली की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए बिजली का जाल बिछाया जाना चाहिये। जाल कैसे फैलाया जाय ? सब लोग कहते हैं कि यह टेलएंड है। और टेलएंड होने के कारण वहां बिजली की बड़ी भारी दुर्दशा है। बिजली न होने की वजह से हमारे क्षेत्र में कोयले की खोज को बन्द कर दिया गया। क्या उन्हें डर था कि वहां पावर हाउस बन जायेगा, इससे वहां कम्पीटिशन हो जायेगा ? या कोई और खतरा हो जायेगा ? या पश्चिम राजस्थान की कोई जगह नहीं होनी चाहिये ? बाड़मेर में सबसे अच्छा लिग्नाइट निकलता है और किसी दूसरी जगह इससे अच्छा नहीं निकलता है, यह मैं आपको बता दूं। इसलिए लिग्नाइट की वहां पर खोज करवाई जाय और वहां पर एक पावर हाउस बनाया जाय। जिससे कि अधिक से अधिक गांवों में पानी जा सके और हम इन गांवों के कुओं को पानी दे सकें। आज हमारे लोग दूर-दूर के कुओं से पानी भर रहे हैं। बिजली देने से हम बड़ी-बड़ी स्कीमें बना सकेंगे। यह कहना कि स्कीम बनाना असम्भव बात है, गलत है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इससे हमारी कई समस्यायें दूर हो जायेंगी। यहां पानी से डूबे हुए हैं, पानी की मुसीबत है। हमारे यहां पानी की इतनी किल्लत है कि एक-एक बून्द के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है। वहां का पानी बहुत खराब व खारा है। अगर उसे थोड़ा बहुत भी साफ कराने की व्यवस्था हो जाय तो जानवरों के लिये पानी मिल सकेगा।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां अकाल पानी बरसने से खतम हो जाता है।जब दूसरे जिलों में दो-दो फसल पा जाती हैं, दिसम्बर में बरसात हो जाती है और जनवरी में फिर बरसात हो जाती है, तो उनके यहां तो कम से कम अकाल समाप्त कर दिया जाय ताकि उनका शेयर हमको मिल सके। ऐसा भी नहीं करते.. हमारे यहां तो बरसात की एक बूंद आई और अकाल खतम और जहां पर दूसरी फसल आ जाती है दो-दो, तीन-तीन फसल आ जाती है, वहां तो अकाल चलता ही रहता है सारे इलाके में, लेकिन बाड़मेर के इलाके में थोड़ी सी बरसात आई जून में और जून में ही काम बन्द कर देते हैं। कम से कम यह चीज देखनी चाहिये कि जहां बरसात कतई नहीं हुई है, वहां काम चालू रखे जाय कोई टैस्ट वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं हो, न गिरदावरी कराने की जरूरत हो और काम चालू रखने चाहिये। मैं समझता हूं हमारे इलाके को अकाल में कुछ राहत मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पेशानिये हालात पर कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा, आंसू निकल पड़े.

(श्री देवीसिंह भाटी)

हंसने को हंस रहा हूं पी पी के अश्के गम,
गर कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े।

सभापति महोदय, बीकानेर में बाढ़ की स्थिति बनी है। उसका प्रचार जिला प्रशासन द्वारा जिस ढंग से किया गया अखबारों में, ऐसा कुछ नहीं था। बाढ़ की स्थिति बनी, सभापति महोदय, महज एक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही की वजह से। जिसके लिये बार-बार चेतावनी दी गई और बार-बार अखबारों के द्वारा कहा गया, लिखित में कहा गया, विजीलेन्स कमेटी के द्वारा और अन्य तरीकों से ध्यान में लाया गया। इसके लिये 6-10-80 को जिलाधीश के सामने, जो साथी भूख-हड़ताल पर बैठा था, उसके सामने यह समझौता हुआ था कि जो बीकानेर के अन्दर सूरसागर है, उसके अन्दर गन्दा जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसको साफ किया जायगा। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, उसके अन्दर जो सैन्ड भरी पड़ी है, उसको साफ करके इस समस्या का समाधान करेंगे।

सभापति महोदय, इसकी भी एप्लीकेशन और सूचना जिला प्रशासन को दी गई; 25-4-81 को, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। 28-5-81 को इस बाबत फिर ज्ञापन दिया गया, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसमें यह साफ लिखा गया था कि सूरसागर की सफाई करवाई जाय और जो ड्रेनेज है, उसकी सफाई करवाई जाय। जो ओपन ड्रेनेज है, जब तक उसकी सैन्ड, मिट्टी नहीं निकाली जायेगी तब तक पानी की निकासी ठीक नहीं होगी। सभापति महोदय, इस सूरसागर के बारे में अलग-अलग नागरिकों ने अखबारों के द्वारा, लिखित रूप में जिला प्रशासन का ध्यान दिलाया। सभापति महोदय, विजीलेन्स कमेटी की मीटिंग के अन्दर जो 1-6-81 को एप्लीकेशन पेश हुई, उसमें जिलाधीश महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि उपरोक्त वर्णित गन्दे नाले में जहां-जहां रुकावटें एवं कच्ची दीवारों की जो टूट-फूट है, उसको साफ करवा दिया जाय, परन्तु उस पर कोई गौर नहीं किया गया। सभापति महोदय, यह बाढ़ की स्थिति जो बनी है, इसके हालात अगर आप सुनें, तो महज एक प्रशासनिक अधिकारी की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। जो पक्के मकान थे, वे धराशायी हुए हैं। जिन मकानों में दरारें आ गईं, आज यदि उन पर 30 हजार, 50 हजार रुपया भी लगाया जाय, तो वापस तैयार नहीं हो सकती हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। इसके बाद में हमारे केन्द्रीय उप मंत्री, जो बीकानेर को बिलांग करते हैं, माननीय उस्मान आरिफ साहब ने प्रेस कान्फ्रेन्स में एक स्टेटमेंट दिया। उनके साथ हमारे राज्य के डिप्टी मिनिस्टर साहब, श्री कल्ला भी साथ थे। इन दोनों उप मंत्रियों ने जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि यदि अधिकारी जागरूक रहते, समय रहते उचित कदम उठाते, सूरसागर के नाले की सफाई करवा देते, निम्न स्तर पर हुए सरकारी निर्माण कार्यों पर नियंत्रण रखते तथा अन्य कार्यों में अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करते तो बीकानेर में इस प्राकृतिक प्रकोप से इतनी बड़ी क्षति नहीं होती।

(श्री देवीसिंह भाटी)

सभापति महोदय, यह तो एक प्रेस कान्फ्रेंस में दिया गया स्टेटमेंट था। उसके तुरन्त बाद पता नहीं क्या दबाव पड़ा 29 जुलाई को राजस्थान पत्रिका में दुबारा छपा, आरिफ साहब ने दुबारा फरमाया कि कल यहां मैंने जो प्रेस कान्फ्रेंस में बात कही थी, अतिवृष्टि से हुई अपार क्षति के लिये जिले के प्रशासनिक अधिकारी दोषी नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद् के आयुक्त के सन्दर्भ में मैंने यह बात कही थी, न कि किन्हीं अधिकारियों के सन्दर्भ में, क्योंकि नगर परिषद् के आयुक्त के पास तीन-तीन विभागों का भार है, इसलिये उन्हें थोड़ी कठिनाई है। आरिफ साहब ने यह भी कहा, यह सुझाव भी दिया कि वे तुरन्त प्रशासक की व्यवस्था करें। अब वे भी उप मन्त्री होकर जिलाधीश को अपनी तरफ से यह रिक्वेस्ट करें कि मैं सक्षम नहीं हूं और आप प्रयास करें, जिससे परमानेन्ट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाय। सभापति महोदय, अब किस-किस की बात पर विश्वास करें। उन्होंने बीकानेर में दर्शन दिये और यह कांट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया। सभापति महोदय, उसके बाद मनफूल सिंहजी, जो हमारे यहां के एम. पी. है, ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक प्रकोप से नहीं, किसी को दोषी मानना पड़ेगा और उन्होंने स्पष्ट कहा, जिला प्रशासन का दोष है। सभापति महोदय, इस सूरसागर के बारे में आपसे यह भी निवेदन करूं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व एक याचिका इस विधान सभा में पेश की गई थी। दिनांक 10 अप्रेल, 71 को जो याचिका प्रस्तुत की गई थी, उसके संदर्भ में याचिका समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, याचिका समिति के समक्ष जो बयान लिये गये व सूरसागर का बार बार जो निरीक्षण किया गया, उससे यह स्पष्ट है कि सूरसागर की समस्या जिस रूप में हल होनी चाहिये, उसका आभास सूरसागर व आस-पास के क्षेत्रों का निरीक्षण करने से नहीं लगता। समिति के सदस्यों को सूरसागर के पास गन्दे पानी की दुर्गन्ध के कारण वहां खड़े होकर निरीक्षण करना अत्यन्त ही असुविधाजनक प्रतीत हुआ। निश्चित ही यदि जन-प्रतिनिधि कुछ क्षण के लिये भी नाले की दुर्गन्ध व सडान्ध को सहन नहीं कर सकते, तो आस-पास के क्षेत्रों में रात दिन रहने वाले नागरिकों की दुविधा व उनके कष्टों की कल्पना सहज ही की जा सकती है।

इससे इसके बारे में स्पष्ट, सभापति महोदय, हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कृपया मन्त्री महोदय जांच करें। पी. एच. ई. का जो विभाग इनके पास है, उसने इस नाले का निर्माण किया है। समिति ने स्पष्ट कहा है, एक रहस्यमय प्रश्न जो समिति के सम्मुख उभर कर आया वह इसकी तकनीकी योजना में टेण्डर स्वीकार करने के पश्चात परिवर्तन करने के बारे में था। यह तो स्पष्ट है कि इस गन्दे पानी को निकालने के लिये जो मूल योजना थी, जिसके लिए टेण्डर स्वीकार कर लिया गया था व वर्क आर्डर जारी कर दिया गया था, उसे ठेकेदार ने पूरा नहीं किया बल्कि जमानत की राशि वापस ले ली इसके बाद में स्कीम को बदल दिया गया। प्रमुख परिवर्तन जो मूल योजना में किया गया, वह यह बताया गया कि यह नाला पहले 15 बाई 4 फीट का बनाना था, परन्तु बाद में बदली हुई

(श्री देवीसिंह भाटी)

योजना के अनुसार उसे 12 इन्च का डाई-मीटर का बनाया गया। लास्ट में इस समिति का यह मत है कि सूरसागर से सम्बन्धित इस नाले का सम्पूर्ण हल अभी तक नहीं हो सका है। 26 लाख रुपया इस पर खर्च हो चुका है और अभी तक यह स्कीम सफल नहीं हुई है जिससे जन-स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(4.17 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, ऐसी सारी स्थिति हमारे बीकानेर में बनी। पहले कोई जबर्दस्त वर्षा हुई थी और अब यही 16 व 17 को वर्षा हुई है. फर्क इतना हो रहा कि सूरसागर के नाले साफ कर दिये होते तो यह नहीं होता ...

श्री अध्यक्ष: ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज पानी, चारा ये कुछ है या नहीं? यह बतायें।

श्री देवीसिंह भाटी: बीकानेर से केवल मैं ही बोलने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष: इसीलिये हम कहते है कि ज़िले की अकाल की स्थिति को भी बतायें। चारे की व्यवस्था है या नहीं ? यह भी बता दें।

श्री देवीसिंह भाटी: बाढ़ की स्थिति से, अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में 7-7 फीट पानी इकट्ठा हो गया और सारे वहां के मोहल्लों में पानी भर गया ......। सिर्फ इस लापरवाही की वजह से उनको बार बार लिखित में लोगों ने चेतावनियां दी हैं। अगर इस नाले की सफाई नहीं की गयी, वर्षा का ऊपर से मौसम आ रहा है, तो इसमें सावन भादों में पानी भर जायेगा। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे डर है कि ऐसी शिकायतों पर कोई गौर नहीं किया जायेगा। जिला प्रशासन अधिकारियों का पता नहीं क्या बचाव है. जैसे उप-मन्त्री ने अपना स्टेटमेंन्ट बदला है, मेरी बात का क्या असर होगा ? हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि अकाल राहत कार्य मन्त्रीजी जो भी हम बात करते हैं, उस पर गौर करते हैं और जांच भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बाढ़ आयी, उस दिन ये लोग बार-बार जिला प्रशासन अधिकारियों से मिले कि हमारे यहां चारों तरफ पानी भर गया है। हमें पानी पीने के लिए सुविधा दी जाय, हमें बाहर निकाला जाय और हमारा सामान बस्तियों से बाहर निकाला जाय परन्तु ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, 48 घण्टे तक चारों तरफ जूनागढ़ के सामने और कचहरी के अन्दर, हनुमान हत्थे और गिन्नाणी में पानी भरा रहा, परन्तु उस पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। आखिर उसी बस्ती के लोगों ने मजबूर होकर खाई की दीवार को तोड़कर जूनागढ़ के पानी को उसके बाहर डाला और 8 घण्टे में पानी खाई से बाहर निकाल कर आये। अध्यक्ष महोदय, दुख तो इस बात का होता है, ऐसी हालत बनी हुई थी उस वक्त सारे लोगों को इन्वीटेशन मिला, जिला प्रशासन की ओर से इन्वीटेशन मिला "You are cordially invited to attend the presentation audio visual programme on Rajasthan by

(श्री देवीसिंह भाटी)

Shri Vijay Verma, I.A.S. Desert Development Commissioner."

चार दिन तक उनका वहां कैम्प रहा। एक तरफ तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी दूसरी तरफ वहां 4–4 जिलाधीशों की मीटिंग थी उनके खाने का आयोजन था। मीटिंग हुई, दौर हुए जिलाधीश महोदय उनको मना कर सकते थे कि हमारे यहां ऐसी स्थिति बन गयी है इस वजह से हम लोग और हमारे अधिकारी सहयोग नहीं दे सकते, परन्तु उसमें जिक्र किया गया कि राजस्थान की नारी का क्या नाक नक्शा है, उसका क्या पहनावा है ? इस प्रकार की बातें हो रही थी, तो दुख होता है कि ऐसी हालत में भी ध्यान नहीं देते हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय हम अपना दुख, अपनी बात कहें तो किसके आगे कहें ? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, जो नाला निर्मित किया गया, उसके उपर 26 लाख रुपये खर्च हुआ। मन्त्री महोदय, एक तरफ तो 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद में ऐसे इंजीनियर्स को नौकरी दी जाती है और वह सारी प्लानिंग बनाते है। जो प्लानिंग बनती है उसके बाद याचिका समिति रिपोर्ट देती है कि मूल योजना को टैक्निकली गलत बनाया गया है जिसकी वजह से आज हमें यह भुगतना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छा हुआ कि 17 के बाद वर्षा नहीं हुई, अगर 17 के बाद में हमारे यहां आधा इंच भी वर्षा होती तो पता नहीं उसमें कितना नुकसान होता। 19 बच्चे तो बिलकुल जान से मर गये और जिनके पक्के मकान गिरे हैं, उन्हें न तो कोई सहायता राशि दी गयी है और न सीमेण्ट की व्यवस्था की गई है। आज वे दर-दर भटक रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे है लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय इस बाबत जिलाधीश महोदय ने बाढ़ सहायता समिति की एक मीटिंग भी बुलायी। उसमें जो एजेण्डा था उस एजेण्डा के अन्दर बिल्कुल एक-एक पाइन्ट क्लीयर था कि आप इस तरह से लोगों को जाकर सहायता देंगे। जो पानी भरा हुआ है, उसको बाहर निकालेंगे। जिनको सीमेण्ट नहीं मिला है उनको सीमेण्ट उपलब्ध कराएंगे। जिनका मलबे में सामान दबा हुआ है, उसको बाहर निकालेंगे लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि गरीबों के साथ बड़ा मजाक हुआ। कच्ची बस्तियों के अन्दर, सहायता राशि बांटी गयी। अमरसिंह-पुरा के अन्दर व सहवारपुरा के अन्दर सौ-सौ रुपये की राशि बांटकर उनके राशन कार्डों में दर्ज करके और यह बात कहकर छीन ली गयी कि तुमने अपने मकान जान बूझकर गिराये हैं। ऐसा मजाक उन गरीबों के साथ होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। जब आपकी खुद की एजेन्सी, यू.आई.टी. ने सर्वे किया, जब पटवारी गया वह सर्वे करके आया मकानों का, उसके बावजूद उन कच्ची बस्तियों के साथ मजाक किया गया। उनके राशन कार्डों पर दर्ज करके पैसा देकर वापस छीन लिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बातें हैं जिन पर गौर हो। इस बारे में पूरे खुलासा रूप से मैंने एक एक प्रॉब्लम मन्त्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय तथा सम्बन्धित अधिका-रियों को भी लिखकर भेजी, परन्तु अभी तक गौर नहीं किया गया, उनका सारा ध्यान अगर आकर्षित होगा

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो जयपुर की ओर आकर्षित होगा। जयपुर शहर के अन्दर मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मन्त्री महोदय, परन्तु बीकानेर में किसी ने प्रयास नहीं किया। आज की स्थिति देखते कम से कम जो जिला प्रशासन मान रहा है, 1500 मकान धराशायी हो गये या बिल्कुल गिरने की स्थिति में सारे पक्के मकान हैं। जिन्होंने 10 हजार, बीस हजार, तीस हजार रुपये की पूंजी से मकान बनाये आज वे उनमें बैठ नहीं सकते, बाहर खड़े हैं। वे देख नहीं सकते। सम्बन्धित जिला अकाल या राहत अधिकारी नहीं पहुंचे, इस बात का हमें बड़ा दुख है। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय, इस बाबत में किसी उच्च अधिकारी को भेजेंगे या स्वयं वहां समय निकाल कर पहुंचेंगे और मौके का निरीक्षण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक उसमें सुभाव देना चाहूंगा, मन्त्री महोदय, ध्यान दें। हमारे बीकानेर के अन्दर पुरानी स्टेट टाइम का अण्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज सिस्टम है, उसका दुबारा सर्वेक्षण किया जाय कि वह कहां-कहां से निकली हुई हैं। उसकी हिस्ट्री शीट यू.आई.टी. में पूरी की पूरी पड़ी है। अगर उसे देखा जाय, तो सौ साल तक ड्रेनेज की प्राब्लम खड़ी नहीं हो सकती। परन्तु उसके बारे में प्रयास तक नहीं किया। अगर प्रयास करें, तो कम से कम बीकानेर शहर तो सौ वर्ष तक बाढ़ की समस्या से उबर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुभाव था मन्त्री महोदय को कि जैसे लोकसभा में माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का सुभाव माना राव वीरेन्द्रसिंहजी ने कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोकसभा सदस्यों की एक मीटिंग बुलायेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित विधायकगण की एक मीटिंग बुलाये, उनकी प्राब्लम सुनें तो उससे एक अच्छी परम्परा पड़ेगी और अच्छे सुभाव भी आयेंगे। इससे एक समाधान की ओर आशा रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर के लिए 70 करोड़ का एक प्लान बनाकर बैठ गये जिससे पुनर्निर्माण हो सकता है, सहायता मिल सकती है। लोगों को इससे फायदा मिलेगा, नई जगह बसाया जायेगा परन्तु बीकानेर में पुनर्निर्माण के लिए न तो कच्ची बस्तियों के लिए कोई जगह चुनी गई कि इनको बाहर निकाल कर दूसरी जगह बसाया जायेगा। जिनके पक्के मकान हैं, जो ढाणियों के अन्दर बैठे हैं, जो सौ-सौ वर्षों से बैठे हैं, उनके लिए जिलाधीश महोदय का कहना है कि यहां ये लोग बसे ही क्यों? यू.आई.टी. ने जिनको पट्टे दिए हैं, जिनको बसाया है उनके लिए यह कहा जाय, ये ढाणी और ऐसे मोहल्ले में आकर बसे ही क्यों? तो मन्त्री महोदय कम से कम जाकर निरीक्षण करें या किसी अधिकारी को भेजें और उसके लिये जो नई जगह उचित समझें, वह दी जाय जिससे वह अपने मकान बना सकें।

एक मेरा निवेदन और है कि जिनके पास सीमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप उनको ब्याज मुक्त करके या कम से कम ब्याज के ऊपर ऋण दिलाने की व्यवस्था करवायें। अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह समाप्त करता हूं। अकाल की बाबत कुछ कहना चाहता हूं..

एक माननीय सदस्य : अतिवृष्टि और अनावृष्टि में...

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। मेरे बीकानेर जिले में 45 हजार वोटर, सारे के सारे मेरी कांस्टीट्यूएंसी में अफेक्टेड हैं और मैं इधर अकाल में मारा गया। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में पानी के टैंकर उनके लिए आप कम से कम....

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास जो अभी तक सूचना है, आपके जिले में तो एवरेज वर्षा होती है, उससे भी 56 मिलीमीटर ज्यादा है, शायद अकाल तो नहीं होगा ?

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर शहर का अर्ज कर रहा था, अब मैं गांवों की तरफ भी जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीकानेर जिले में पानी के टैंकरों की जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत कम है। कोलायत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। जो दूरदराज के गांव हैं वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। आप ध्यान दें व्यवस्था तो हो गई है परन्तु दूर दराज के गांवों में टैंकर से व्यवस्था करके लोगों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। पिछले वर्ष से आज तक हमारे कुल 3 टैंकर कोलायत तहसील में उपलब्ध थे, जिनमें से 2 खराब हो चुके हैं। ऐसे में हम क्या आशा रखते हैं कि दूर-दराज के गांवों में पीने का पानी उपलब्ध हो जायेगा। आज अपने आखिर पानी की बैल्ट है तो, मन्त्री महोदय, आप ऐसे टैंकर्स की व्यवस्था करवायें या बुल कार्टस, दूसरे कैमल कार्टस है, उनसे इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए निर्देश जारी करें। अध्यक्ष महोदय, वहां सेना द्वारा जो कार्य किया गया वह काफी लेट चालू किया गया, जो भी चालू किया गया उसके लिए हम उनके आभारी हैं, परन्तु उसमें भी हम चाहते हैं कि आप जिला प्रशासन के आंकड़ों पर न जायें वहां उन्होंने उनको वहीं लिखकर लगाया जो बिल्कुल नहर से लगते हुए गांव थे। वहां पांच गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई और फिर आंकड़े यह दिये गए कि आज इतने लीटर पानी सप्लाई कर दिया गया, आज इतने लाख लीटर पानी सेना द्वारा सप्लाई कर दिया गया। आज आपके पास जो रिकार्ड है, उसके अन्दर आप एक्चुअल में देखें, हकीकत में देखें कि वह फिजिकल है कि नहीं ? अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मेरी ग्राम पंचायत परबतपुरा और मांडलासर के अन्दर ऐसे 25 गांव हैं जिनके अन्दर 31 मई तक पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके कारण गांव शेरूवाला और मीरावांवाला की रोही में रहने वाले ममूखां और सरदारखां ने अपने प्राण दे दिये। अध्यक्ष महोदय यह बड़े दुख की बात है कि वहां नजदीक में कोई मीठा पानी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अकाल नहीं हो तो भी कई दफा आदमी मरुस्थल में भटक करके मर जाते हैं। यह बात हो सकती है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और मन्त्री महोदय भी ऐसे क्षेत्र को बिलांग करते हैं। आप जानते हैं कि क्या अपना आदमी रास्ता भूल कर कहीं भटक करके ऐसे जा सकता है ? वह एक एक पगडंडी, एक एक थांक जानता है, एक एक टीबे को बता सकता है। आधी रात को बता सकता है कि मैं कहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि 27 अप्रेल को अखबारों में यह खबर आती है, तो 29 अप्रेल को ही हमारे जिलाधीश महोदय ने धड़ाधड़ यह आर्डर निकाल दिया कि इन गांवों की पिवाई मंजूर की जाती है। फिर उनको समझ में आया कि यदि मैं मंजूरी कर दूंगा, तो मुसीबत में आ जाऊंगा क्योंकि सरकार की ओर से ऐसे निर्देश हैं कि जहां डेढ़ सौ फीट से कम गहरे कुएं हैं वहां पर पिवाई मंजूरी नहीं दी जावे। मत करो मंजूरी ! हम नहीं कहते कि आप पिवाई मंजूर करो, परन्तु कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करो कि कैमल कार्ट से या वाटर टैंकर्स से या किसी अन्य साधन से आप पीने के लिए पानी देंगे। एक तरफ तो हमारे यहां पाकिस्तानी बोर्डर आ गया, जहां हम जा नहीं जा सकते और दूसरी तरफ हमारे बीकानेर रह गया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, तो ऐसी हालत के अन्दर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आप ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर रहा था घास, चारे के बारे में। घास सिर्फ हमारी बार्डर के ऊपर उपलब्ध है, जहां पानी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे वहां पर ऊंट धन बहुत ज्यादा है। ऊंटों के चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल सौ-सौ डेढ़ सौ रुपया प्रति क्विन्टल तक ग्वार की पनगटी बिक चुकी है। ऐसी हालत में अकाल के अन्दर लगातार पिछले तीन चार सालों से किसान लोग, ग्रामीण लोग सौ सवा सौ रुपये प्रति क्विंटल में खरीद कर ऊंटों को पनगटी डाल कर मंजूरी नहीं करा सकते, उनको जिन्दा नहीं रख सकते इसलिए मैं चाहता हूं कि सब्सीडाइज रेट पर चारे की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक हमारे यहां पर पिवाई की व्यवस्था कर रखी है। वह पुरानी चली आ रही है। गहरे कुएं हैं और दूर दराज में हैं, वहां पर चारे की रेट बढ़ाई जावे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में राहत कार्य चलते हैं, उसके बारे में मेरा निवेदन यह था कि आज आप सारा एजेण्डा मंगा कर देख लीजिये कि जहां जहां जिलाधीश ने निर्देश दिए जितने भी कार्य पी. डब्ल्यू. डी. को दिए गए; उनमें से 25 प्रतिशत काम आज तक पूरे नहीं हुए हैं। हम तो आशा लगाये बैठे रहते हैं कि अब तो हमारे लिए आदेश जारी कर दिए जिलाधीश महोदय ने, फलां गांव में राहत कार्य चालू कर दिए आर पी. डब्ल्यू. डी. वाले आयेंगे पर पी. डब्ल्यू.

(120)

(श्री देवीसिंह भाटी)

डी. वाले दूर दराज के गांवों में, मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी भी जाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब हम प्रेशर डालते हैं कि आप जाइये, काम स्टार्ट करवाइये तो या तो जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं अगर ज्यादा प्रेशर डालने से एक दफा चले गए, तो फिर कहते हैं कि पहले सामान की व्यवस्था करेंगे, फिर कहते हैं कि हम सुपरवाइजर लगायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अच्छी तरह से विचार करें। या तो पंचायत समितियों की एजेन्सी को दीजिए या पी. डब्ल्यू. डी. के अलग सेल की व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। भाषण समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी: बीकानेर के बारे में...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के बारे में कुछ सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट का समय और देता हूं। दो मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री देवीसिंह भाटी: तो, मन्त्री महोदय, कृपया इस बारे में आप दुबारा गौर करें। पी. डब्ल्यू. डी. वाले कतई दूर-दराज गांवों में नहीं जाते हैं। इसलिए आप ऐसी एजेन्सी को काम दें ताकि लोगों को तुरन्त मजदूरी मिल सके और राहत मिल सके। अब इस पर विशेष नहीं कहते हुए, यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, अपने ऐसे क्षेत्र हैं जहां सांप और सर्पदंश के केसेज होते हैं। दूर दराज गांवों में, नजदीक में न तो कोई उनकी चिकित्सा की व्यवस्था है, न कोई सुविधा है। अगर लोगों को मलेरिया हो जाता है तो नजदीक में दवा देने वाला भी नहीं है। जहां अपने कैम्प लगे हैं, उन फैमिन कैम्पों में मोबाईल यूनिट से उनके उपचार के लिए व्यवस्था करेंगे।

मेरा एक और सुझाव था। मंत्री महोदय, हमारे बीकानेर में, चारों तहसीलों के अन्दर एक ही ए.ईएन. की व्यवस्था है। एक ए. ईएन के पास कोई साधन नहीं है, गाड़ी का साधन नहीं है, कभी मिल जाय तो वह जा सकता है और पूरी तहसील में घूम कर सही टाइम पर एस्टीमेट बना सकता है। अगर एस्टीमेट समय पर नहीं बना सकता तो फिर समय पर काम चालू नहीं हो सकने। उसके बाद वह दुबारा जाता है और मेजरमेंट करता है। उसके बाद में काम होता है, इससे बहुत डिले होती है।

श्री परसराम मदेरणा: एस्टीमेट की जरूरत क्या है, राजस्थान नहर बहुत नजदीक है।

श्री देवीसिंह भाटी: राजस्थान नहर पर अपनी नीति है, सरकार की ओर से कम से कम उसको गांव नहीं छोड़ना पड़े।

श्री परसराम मदेरणा: यह कोई सरकार की नीति नहीं है कि गांव में ही काम मिलेगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत उपयोगी काम लेने चाहिए, स्थायी काम लेने चाहिए, जो अकाल का मुंह तोड़ सके। अकाल का मुंह राजस्थान नहर

(श्री परसराम मदेरणा)

से ज्यादा कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए इस परियोजना के अन्दर लोगों को आप तैयार कीजिए। अगर वे वहां जायेंगे, तो काम मिलेगा। राजस्थान कैनाल का एस्टीमेट बना हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय, इस बारे में हमने बहुत प्रयास किया। आप जानते हैं कि लोग भाग मर जायेंगे, परन्तु अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, यह प्राब्लम आती है। हमने काफी समझाया कि नहर बन जाएगी तो पानी आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता था कि बीकानेर के अन्दर जो एक ए. ई एन की व्यवस्था है, जो कि चारों तहसीलों को सम्भालता है, एक ए. ई. एन. के लिए यह पासिबल नहीं है कि वह सारे···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समय समाप्त हुआ। समाप्त कीजिए, भाषण।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने पांच दफा माननीय सदस्य से निवेदन कर दिया। आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : कम से कम मेरी हालत तो देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी हालत सब देखी हुई है। सबसे पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : एक दोहा तो केवण दो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण करें। भाषण समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से···

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन के समक्ष विचारणीय जो विषय है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी वाद-विवाद में कई माननीय सदस्य और भी हिस्सा लेना चाहते हैं। अतः सदन की अनुमति हो तो बैठक का समय दो घन्टे के लिये बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

दो घण्टे के लिए बैठक का समय सदन की अनुमति से बढ़ाया जाता है।

राज्य में अकाल व बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

मंत्री महोदय का जवाब कल होगा। अब मैं श्री त्रिलोक सिंह से कहूंगा कि वे भाषण जारी करें।

श्री देवीसिंह भाटी : एक मैं ही तो बीकानेर से बोलने वाला था, उसको भी आपने नहीं बोलने दिया।

श्री अध्यक्ष : बोलने में कहने की बात तो आप फरमाते नहीं। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : बात ही नहीं कहने देते यहां।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अकाल और बाढ़ की समस्या के बारे में""

श्री देवीसिंह भाटी : आप नहीं कहने देते, तो मुझे भी निपटना आता है। ऐसा क्या है ? न तो पूरी बात कहने देते हैं यहां पर""

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप इस तरह से बाधा डालेंगे तो नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

श्री त्रिलोकसिंह : अकाल और बाढ़ के बारे में...

श्री देवीसिंह भाटी : अपने पर बीतती है तब मालूम पड़ता है। कौन से नियम हैं? मेरी जनता रो रही है।

श्री अध्यक्ष : जनता रो रही है लेकिन जनता को रोने वाली बात तो आपने फरमाई नहीं, रोने वाली बात ...।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने अकाल और बाढ़ की समस्या है। बाढ़ का एक तूफान आया और चन्द दिनों में तबाही कर के चला गया। आस पड़ौस के इलाकों को भी तबाह कर गया। जान और माल का नुकसान बहुत हुआ, पर अकाल की समस्या इतनी बड़ी है कि राजस्थान का पूरा इलाका उससे ग्रस्त है। एक जमाना था, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अकाल की समस्या ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में होती है, पर आज अकाल पूरे राजस्थान को अपने जबड़ों में जकड़े हुए है। यह ऐसी समस्या है कि जिसे हमें युद्ध स्तर पर मुस्तैदी से लेना पड़ेगा। ऐसे साधारण तरीके से इस पर चर्चा करने से यह समस्या हल नहीं होगी। जब यहां बाढ़ का तूफान था, तो हमारी सरकार दिल्ली में सत्ता और कुर्सियों के बंटवारे में लगी हुई थी। लोग यहां मर रहे थे। हमने देखा कि तमाम इलाका बाढ़ से तबाह हो गया था उसमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की गई थी। इसकी लम्बी चौड़ी तस्वीर यहां पर रखी गई। आज सबसे बड़ा मसला यह है बाढ़ का जो गुजर गया सो तो गुजर गया, जो बाढ़ से तबाह हो गये सो हो गये, पर कल हमारे देश का क्या होगा। यह अकाल की समस्या क्यों होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

आज 35 साल से जो हुकुमत इस देश में है, एक जमाना था कि हमारे देश में राजा, नवाब, जागीरदार राज करते थे। हर मुल्क में हम उनके लिये कहा करते थे कि यह जुल्मी राजा है, यह अत्याचारी राजा है, जनता को दुःख देता है। मैं पूछना चाहता हूं 35 साल की आजादी के बाद हमें क्या मिला? हमें अकाल मिला, हमें मौत मिली। यह निकम्मी सरकार खेत को पानी नहीं दे सकी इंसान को रोटी नहीं दे सकी। अगर यह सरकार और मुल्क में होती, तो जनता का दरबार बैठ कर इस सरकार को बर्खास्त किया जाता। इस सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाता। आज हम बेकार की बातें करते हैं। हम यह योजना बना रहे हैं, हम पानी देंगे, हम अकाल पीड़ितों को काम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार क्या देगी? पिछले साल अकाल था, यह पांचवा अकाल है। हमने अपने इलाकों में एक आदमी को काम नहीं

(श्री त्रिलोकसिंह)

दिया, एक आदमी को पानी नहीं दिया। आज हरियाणा से लेकर पाकिस्तान के पास के इलाकों में जो लाखों लोग रहते हैं वह पानी के लिए तड़फ रहे हैं। राजस्थान की शानदार गाय, भैंस, ऊंट और मवेशी पहले हमारे पानी के अभाव में तबाह हो गये और अब चन्द दिनों में अकाल के शिकार हो जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या कर रही है? खाली कागजों पर लिखने से और इस निकम्मी सरकार, के जो यह भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो राजस्थान के डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने राजस्थान को लूट कर खाया है, ऐसे लोगों के हाथ में क्या राजस्थान के लोगों को बचाया जा सकता है? कभी नहीं। ऐसी हालत में राजस्थान के इस सदन, जहां किसानों का वोट लेकर हर मेम्बर आया है, को फैसला करना पड़ेगा। राजस्थान के हर आदमी, जो अकाल पीड़ित है, को काम देना पड़ेगा। हर आदमी, हर इलाका पानी की मुसीबत से तबाह हो रहा है उसको पानी देना पड़ेगा। यह खाली इस सरकार के बल बूते की बात नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि यह सरकार ऐसी अवामी कमेटी कायम करे जो हर पार्टी की कमेटी हो, वह अकाल के बारे में फैसला करे कि किसको कैसे काम देंगे, कैसे पानी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जब हरियाणा में भिवानी, लुहारू के भयंकर टीबों में गंगा यमुना का पानी आ सकता है, तो क्या वजह है कि चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर और जोधपुर जैसे समतल उपजाऊ इलाकों में, मैदानों में पानी नही जाये? यह किसका अपराध है? यह इस सरकार का अपराध है। इस सरकार ने राजस्थान प्रदेश के किसानों के साथ घोर जुल्म किया है। एक जमाना आयेगा राजस्थान का किसान इस सरकार से मुकाबला करेगा पूछेगा कि यह तबाही किसने बरसायी, किसने पैदा की? आज राजस्थान के किसानों ने क्या गुनाह किया है? जो देश को रोटी देता है, जो देश के इन निट्ठले लोगों को मक्खन देता है, उसका देश, उसका बेटा भूखो रोटी के लिये तरस रहा है? उसकी गाय, को भैंसें चारे के लिए दम तोड़ रही हैं। उस इलाके के लिये यह सरकार क्या कर रही है? मैं मांग करूंगा कि गंगा और यमुना नहर से नागौर, सीकर, शेखावाटी, चूरू और जोधपुर के इलाकों को पानी दिया जाय व युद्ध स्तर पर किया जाय। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह राजस्थान के हर अकाल पीड़ित आदमी को दस रुपये रोज की मजदूरी दे। यह सात और पांच से काम नहीं चलेगा। यह हमारा अमला सरकारी अधिकारियों के हाथ में काम नहीं करेगा। यह अवामी कमेटियों से काम करेगा। मुझे कोई एतराज नहीं, उसमें हर पार्टी का आदमी हो, कांग्रेस वाले भी हों तथा और पार्टियों के आदमी भी हों, खास तौर से गांव के लोग हों, किसान हों। यह सारे निठ्ठले लोग उसमें खड़े नहीं होंगे, हाजिर नहीं होंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार द्वारा अकाल पीड़ितों तथा उन इलाकों की समस्या की सूची बनायी जाये और वह देखें कि लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। आज बाड़मेर, जैसलमेर की क्या हालत है? चारों ओर पानी नहीं है। जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई वहां कुओं का पानी सूख गया है। वे लोग तबाही के शिकार हैं। जिन इलाकों में एक बारिश हुई और उसके बाद बारिश खतम हो गई, वहां आज बिलकुल भयंकर अकाल है।

(124)

(श्री त्रिलोकसिंह)

ऐसी हालत में मैं अकाल राहत मंत्री से मांग करूंगा कि तमाम किसानों का कर्जा चाहे वह किसी भी तरह का हो, माफ किया जाये। मैं सदन के तमाम माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह इस मसले में एक होकर मांग करें। किसानों का कर्जा, जो उनको तबाह करता है, की वसूली में हमारे अधिकारी किसानों के साथ घोर अनाचार और दुर्व्यवहार करते हैं, उस कर्जे को हमारा अकाल राहत मंत्री माफ करेगा। राजस्थान से सदा—सदा के लिये अकाल का मुंह तोड़ने के लिए यह लाजिमी है कि राजस्थान को पानी दिया जाय। चाहे कहीं से भी दिया जाय, चाहे यमुना से, गंगा से, चम्बल से, कहीं से भी योजना बनाकर युद्ध स्तर पर राजस्थान के इलाकों को पानी दिया जाय। राजस्थान का यह मजदूर किसान, शानदार किसान कुछ भी कर जो देश की हिफाजत के लिये अपने बच्चों का बलिदान देता है, वह अकाल से तबाह हो जाता है। यह सरकार उस गरीब के लिये यहां बैठी बैठी योजना बनाती हैं और फिर हमारे भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में देती है। मुझे अनुभव है कि बिजली के मामले में आज अकाल में छोटी मोटर मिल सकती है। यह बिजली बोर्ड किसान के साथ क्या करता है? जब किसान अपना सब कुछ बेचकर कुआं तैयार करता है, तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। अगर कनेक्शन मिल जाता है, तो उसकी फसल जलती है, पानी नहीं मिलता। इन धन्ना सेठों जे. के., टाटा और बिड़ला को दिन में बिजली मिल जाती है, जब कि किसान को रात में बिजली दी जाती है। वह फसल, के लिये भयंकर काली रात और भयंकर अकाल में अपनी रोटी के लिये बिजली लेने का प्रयत्न करता है। मैं मांग करूंगा कि हमारे कृषि मन्त्री से, अकाल राहत मन्त्री से, कि किसान को दिन में बिजली दी जाय। बिजली के बारे में जो लूट है अकाल पीड़ित किसानों से, जो वह सब बन्द की जाय। यह बिजली का कर्जा है, चाहे वह फ्लेट सिस्टम से हो, चाहे मोटर सिस्टम से हो, वह आज तक का माफ किया जाय। अगर ये बातें नहीं होंगी, तो राजस्थान का किसान मरेगा। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान अपने बच्चों को मरता हरगिज नहीं देखेगा। अकाल से, भूख से मरने के पहले इन शहरों को घेर लेगा तब यह कुल जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। आज हमारे सामने कोई मामूली आपदा नहीं है, एक भयंकर समस्या है राजस्थान के लोग, राजस्थान के किसान अकाल से तबाह हो गये उनको बचा लें। राजस्थान की सरकार से राजस्थान का किसान भीख नहीं मांग रहा है, यह उसका पुश्तैनी हक है, इंसानी हक है। सरकार को उसने बनाया। अगर वह इसकी व्यवस्था नहीं करेगी, अगर अकाल का मुंह तोड़ा नहीं जायेगा, तो हम इस सरकार को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं कड़े शब्दों के साथ इस तमाम सरकार को फिर से चेतावनी देना चाहता हूं, इस साल अकाल की समस्या है, यह कोई मामूली समस्या नहीं है। यह राजस्थान के सामने चुनौती है और इस चुनौती का मुकाबला तभी हम कर सकते हैं जब हम विशाल पैमाने पर सभी लोग मिल कर अकाल का मुकाबला करें।

(श्री त्रिलोकसिंह)

मैं पुनः राजस्थान के अकाल मन्त्री से अपील करूंगा कि किसानों की मदद करने के लिए आज तक का कर्जा माफ किया जाय और नई योजना बनायें। तमाम जिलों को पानी दिया जाय। गंगा यमुना का पानी लाया जा सकता है और उस पानी को चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर और जोधपुर को दिया जा सकता है। मगर ऐसी व्यवस्था हो तो अकाल सदा-सदा के लिए राजस्थान से खतम हो सकता है। मैं यह चाहता हूं कि यह एक ऐसा अवामी मसला है जिसका हम सदन के जितने लोग हैं, जिन लोगों ने हमें भेजा है उनको आज जिन्दगी और मौत से बचा कर मदद करेंगे।

(5.12 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री जगदीश तिवाड़ी। आपने मैं निवेदन कर दूं कि दस मिनट का समय रखा गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा...।

श्री सभापति : मुझे स्पीकर महोदय जिस क्रम से बोलने के लिए कह कर गये है...

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको लिस्ट दी गई है, लेकिन...

श्री सभापति : आपका जब नम्बर आयेगा, तो बुला लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : सभापति महोदया, राजस्थान में बाढ़ से बरबादी हुई है और जयपुर जिला बरबादी का क्षेत्र रहा। जयपुर जिले में जहां बाढ़ से क्षति पहुंची है, उसमें जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, जहां बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको कम से कम समय में तत्परता से सहायता पहुंचाने में जो राज्य सरकार ने समय-समय पर निर्णय लिये और जो कार्यक्रम बनाया, उसके कारण कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई, उसके लिए राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ-साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में अपनी जी जान से जुटे और दिन भर परिश्रम किया। मैंने आंखों से देखा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये अधिकारी पानी के अन्दर नदी को पार करके बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने में लगे। उसी का परिणाम है कि वहां बाढ़ से प्रभावित लोगों में से एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। समय-समय पर जहां हैलीकाप्टर से खाद्य सामग्री डालनी पड़ी उसमें प्रशासन और सरकार ने बाढ़ के समय में तत्परता बरती। इसके साथ-साथ जहां हम पुनर्वास की बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने समय पर कार्यक्रम बना कर जो गांव उजड़ गये थे, उनको बसाने के लिये प्रयास किया है। उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं लेकिन अभी बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां लोगों को आवासीय भूखण्ड आवंटित नहीं किये हैं, जो करने हैं। इसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि जो पानी से प्रभावित होकर बेघर हुए हैं, ऐसी बस्तियों में ऐसे बेघर परिवारों को ऊंची जगह पर बसाने के लिए आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जायं और ऊंची जगह बसाने

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

की व्यवस्था की जाय। माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी से एक और निवेदन करूंगा। जहां भूमि, आवासीय भूखण्ड आवंटित किये व जहां चरागाह हैं, जहां सिवाय चक जमीन है, उस भूमि को अभी ही साथ के साथ आबादी भूमि में परिवर्तित कर दें अन्यथा आज जिस भूमि को हम आवासीय भूखण्ड के रूप में दे रहे हैं, वह किसानों के काम की नहीं रहेगी और गांव के लोग विवाद खड़ा करेंगे। कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिये जहां भी बसायें, जिस जगह पर हम आवासीय भूखण्ड आवंटित करें, इस भूमि को नियमानुसार आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाय। इसके साथ ही जहां हमने नई बस्तियां बसायी हैं, वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। कई बस्तियां ऐसी हैं, जिनमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। उनको पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये जितनी जल्दी सम्भव हो, हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिये। इसके साथ-साथ कई गांवों में सिंचाई के कूप नष्ट हो गये। खेती की जमीनें बरबाद हो गईं। आज उन जमीनों को ठीक करने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता होगी। वे आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हो गये हैं कि उन जमीनों को दो साल तक ठीक नहीं करा पायेंगे। ऐसी स्थिति में जहां कृषि भूमि बेकार हो गई हैं, उन स्थानों पर तत्काल राहत कार्य खोलने की आवश्यकता है। राहत कार्य नहीं खोलेंगे, तो उनको इस समय जीवीकोपार्जन के लिए बड़ी कठिनाई होगी। माननीय राहत मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन लोगों को हम वास्तव में राहत देना चाहते हैं, तो अगर इस समय कर्जा भी उपलब्ध करवाते हैं, तो वह भी कोई उपयोगी नहीं होगा। इस समय जरूरत इस बात की है कि वे जीविकोपार्जन कर सकें, उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त राहत कार्य खोले जायं। इसके साथ साथ जो कृषि भूमि बेकार हुई है, उसका सर्वेक्षण किया जाय। चाहे भू-सर्वेक्षण में विभाग या कृषि विभाग करें लेकिन सर्वेक्षण होने के बाद में पर्याप्त राशि ऋण और अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायें तो किसानों को राहत मिलेगी। किसान कहीं से ऋण लेकर उस जमीन को ठीक नहीं करा पायेगा। आज कर्जा उपलब्ध करा देते हैं, तो उस जमीन पर जो लागत है, वह काफी तादाद में खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा विनम्र शब्दों में सुझाव है कि जो काश्तकार प्रभावित हुए हैं, जिनकी कृषि भूमि बेकार हुई है या जिनके सिंचाई कूप नष्ट हो गये हैं, उनको 50 प्र.श. अनुदान और 50 प्र.श ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करवावें ताकि वे पुनःस्थापित हो सकें और अपनी जीविका के स्रोत दुबारा कर सकें। इसके साथ-साथ बाढ़ से जो हर वर्ष बरबादी हो रही है, उसको रोकने के लिए जहां-जहां हर साल बाढ़ आती है वहां बाढ़ नियंत्रण कार्य चालू किये जायें। जयपुर जिले में बाढ़ नियंत्रण के कार्य शुरू नहीं हुए। मेरा सुझाव है कि जिन नदी या नालों के कारण बाढ़ से सर्वत्र क्षति पहुंची है, उन नदी-नालों का सर्वे कराया जाय और वहां बाढ़ नियन्त्रण कार्य चालू किये जायं।

माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, सिंचाई विभाग आपके पास है और जलदाय विभाग भी आपके पास है। आज जयपुर जिले में जो सर्वाधिक बरबादी हुई है, वह ढूंढ नदी की बाढ़ के कारण हुई है। मेरा एक सुझाव है कि ढूंढ नदी पर कानोता बांध बना

(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)

दिया जाय इससे हर वर्ष होने वाली बरबादी से बच सकेंगे। कानोता प्रोजेक्ट का सर्वे हो चुका है। कानोता की योजना स्वीकृत हो चुकी है लेकिन सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग के झगड़े के कारण यह कार्यान्वित नहीं हो पाई है। इसी का परिणाम है कि हमारे क्षेत्र की बरबादी हुई है। ढूंढ नदी, जो जिले में सर्वाधिक बरबादी का कारण है, को रोककर कानोता प्रोजेक्ट के बांध का काम शुरू करवाया जाये तो इससे आगे भी हमको राहत मिलेगी। जिन किसानों की जमीनें बरबाद हुई हैं वे इस नदी के भय के कारण वापस उन्हें ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे लोग आज गांव छोड़ कर जाने की तैयारी में हैं। वे यह कहते हैं कि यह नदी हर साल बरबादी करेगी। इस भूमि को हम ठीक करें और अगर फिर पानी आये तो जमीन बरबाद हो जाएगी। इसलिए मेरा यह विनम्र सुझाव है कि ढूंढ नदी पर जो कानोता प्रोजेक्ट का काम है, चाहे उस बांध को जलदाय विभाग बनावे चाहें सिंचाई विभाग बनावे, उस योजना की क्रियान्विति इस वर्ष हो जाएगी, तो जो किसान जमीन को ठीक करने के लिये तैयार नहीं हैं, वे उस भूमि को ठीक कर सकेंगे। यह जो जमीन है उसको सुधार करके खेती करने योग्य बना सकेंगे।

इसके साथ ही मेरा एक सुझाव है। जो काश्तकार प्रभावित हुए हैं, उन काश्तकारों के कर्जे, चाहे वह बैंक का कर्जा हो चाहे वह सरकारी कर्जा हो, को माफ कर दें तो अच्छा होगा। माफ नहीं कर सकें, तो कम से कम आसान किश्तों में पैसा वसूल करने की व्यवस्था करें। दूसरा जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका चाहे पशुधन का मामला हो, चाहे कृषि भूमि का मामला हो, उसके लिए विशेष योजना तैयार की जानी चाहिये। बैंक से आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराई जाये। इसके लिये यदि हम ज्यादा देरी करेंगे, तो किसानों में निराशा होगी। मैं समझता हूं कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर यदि आप कोई विशेष योजना तैयार करें, बैंक के द्वारा इन काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करा सकें और राज्य सरकार 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध करा सकी, तो वास्तव में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी।

जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। आपने समय के अन्दर भाषण समाप्त कर लिया। श्री सोहनलाल बंशीवाल।

श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय सभापति महोदया, हमारे यहां दौसा व सब-डिवीजन में लालसोट, सिकराय, बस्सी आमेर आदि इलाकों में भारी वर्षा हुई। मेरे यहां तो बांध नहीं टूटा लेकिन तिवाड़ीजी के यहां पाटन का एक बांध टूटा। 17/18 तारीख को भारी बरसात हुई उसका पानी लालसोट में आया, सरकार ने इसको नहीं माना और उसके लिये पैसा नहीं दे रही है। 19 तारीख को इतनी बरसात हुई जिससे कि जितने कच्चे मकान थे, वे सब के सब टूट गये। उधर ढूंढ नदी और मोरेल का पानी आगे नहीं बढ़ा, वह वहां का वहीं रह गया और ठोकर मार कर हमारे गांव के सारे कच्चे घरों के टूटने

(श्री सोहनलाल बंशीवाल)

का कारण बना। जिनके पास थोड़ा अनाज था, चारा था, वह भीग गया। रास्ते, सड़कें टूट गयीं। 19 तारीख को मैं गांव तीन, चार फीट पानी में गया। सारा अनाज भीग गया, सारा चारा भीग गया ढोर मर गये थे। कुछ संस्थाओं ने सरकार ने, हमारे तहसीलदार और एस. डी. एम. ने वहां का दौरा किया, मदद भी की, अधिकारी लोग गये, अनाज, चना वगैरह बांटने के लिए हमारी प्राइवेट संस्थाओं ने भी मौके पर जाकर सहायता की, परन्तु गवर्नमेंट ने आटा, चना अच्छी तरह से नहीं बांटा। कहीं पर एक किलो दे दिया, कहीं पर आधा किलो और कहीं पर पांच, सात किलो दे दिया। इस तरह का हमारे साथ में सरकारी अधिकारियों द्वारा पक्षपात एवं दुर्व्यवहार किया गया है। पटवारी लोग मौके पर नहीं पहुंचे। तहसीलदार ने आर्डर कर दिया कि मौके पर जाओ, रिपोर्ट दो कि किस-किस के मकान टूटे और बह गये परन्तु पटवारी ने ढंग से रिपोर्ट नहीं की। आप जानते हैं जैसी कि चर्चा चल रही है, पटवारी ने जिनसे पैसा लिया उनका काम हो गया, जिन्होंने नहीं दिया उनका काम नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है कि तहसीलदार को रिपोर्ट की, उसने इन्क्वायरी की परन्तु कार्यवाही नहीं हो पायी। हमारे लिये सरकार ने मन्जूरी दी, सहायता दी है, वह 600 रुपये, 6 चद्दरें व 10 बल्लियां दी हैं। परन्तु इसमें भी कुछ लोगों को 100 रुपये, किसी को 50 रुपया और किसी को 300 रुपये दे दिया। इसलिये मैं सरकार और मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। इस बाढ़ में सबसे ज्यादा बैरवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। रामनिवासपुरा में 74 आदमी मरे, यह रिपोर्ट की गयी है परन्तु जो मेरी जानकारी है, वहां पर 86 मरे हैं उसमें 46 बैरवा और 16 राजपूत मरे हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। लालसोट, सिकराय, बांदीकुई, चाकसू, निवाई, टोंक इन जगहों पर मैं खुद जाकर आया हूं। वहां की जो रिपोर्ट दी गई है, वह सही नहीं है। सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं पहुंची है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं उनकी सहायता करना चाहते हैं, यह सही है परन्तु सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, बस्सी तहसील में, मैंने तिवाड़ीजी से भी कहा था, महावार कौम का एक मास्टर है, उसको मार-मार कर गांव से निकाल दिया। शिक्षा मंत्रीजी से मैंने कहा था, इसको गांव वाले नहीं चाहते हैं क्योंकि यह शिड्यूल्ड कास्ट का है, इसलिए इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। बांदीकुई में बैरवा कौम की एक बेवा है उसकी जमीन जबर्दस्ती शिड्यूल्ड कास्ट की होने की वजह से छीन ली गई है। कांग्रेस वाले, जनता पार्टी वाले, सब लोग कहने वाले हैं लेकिन कोई इनकी ओर ध्यान देने वाला नहीं है। आज शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने को अनाज नहीं है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं और तहसीलों में भी गया हूं। दौसा तहसील में सिर्फ तीन पंचायतों में चद्दरें दी गई हैं। हमारे यहां पर बरसात अधिक हुई है, बाढ़ से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, परन्तु बरसात ज्यादा हुई है। मंत्री महोदय, ध्यान देकर कृपया मेरी बात को सुनें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : सुन रहे हैं।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : आप पास में बैठ कर बात कर रहे हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जैसे शिड्यूल्ड कास्ट के सब लोग हो जाएं जिस प्रकार की आपकी आर्थिक स्थिति है वैसी सभी शिड्यूल्ड कास्ट की हो जाए तो यह प्राब्लम ही नहीं रहे।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : शिड्यूल्ड कास्ट के बल पर ही आप लोग यहां पर बैठे हो...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप गुस्से में न बोलें...

सुश्री पुष्पा जैन : आप जैसे लोगों ने इनका नामोनिशान मिटा दिया...

श्री सोहनलाल बंशीवाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा तहसील में पशुओं के लिये घास नहीं है। आज किसान बाजरा काट-काट कर खिला रहा है और आज के 15 दिन बाद में चारे का नाम भी नहीं रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल चारे की आने वाली है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आठ मिनट हो गये हैं।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : मैं बहुत कम बोलता हूं।

श्री सभापति : आप दो मिनट और बोल लें।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि दौसा तहसील में लालसोट, सिकराय, जमवा रामगढ़ का जो इलाका है, पानी और चारे की समस्या से ग्रस्त है। यहां पर अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री द्वारकाप्रसाद।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा (निवाई) : सभापति महोदया, मैं निवाई विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूं और जिला टोंक से संबंधित भी हूं। मेरा जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है जब कभी भी कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है, तो मेरा जिला उससे वंचित नहीं रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हिंगोनिया ग्राम भी मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है...

श्री भंवरलाल शर्मा : तभी तो डूब गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा : जहां पर कि 92 लोग बह गये। उसमें सबसे अधिक एस.सी. और एस.टी. के हमारे लोग थे। आज तक उनमें से लगभग 10 लाशें ही बरामद हुई हैं और बाकी लोगों का अभी तक पता नहीं है। न मालूम वे लोग कहां हैं। उनका पता नहीं है। उनकी लाशें कहीं दब गई हैं या उनकी लाशों को जानवर खा गये है, कहने का मतलब यह है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब 19 जुलाई को बाढ़ आई और अतिवृष्टि हुई, तो अकेले हिंगोनिया ग्राम में ही 748 मवेशी बह गये। अकेले हिंगोनिया ग्राम में ही 423 बीघा जमीन

(130)

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

बंजर हो गई। हिंगोनिया ग्राम में ढूंढ़ नदी बहती है। उसके आस पास तीन किलोमीटर का क्षेत्र था जहां वहां के लोग काश्त किया करते थे, वह जमीन बंजर हो चुकी है। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। मैं मुख्य मंत्री महोदय तथा अकाल राहत मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं कि उन्होंने समय पर जाकर लोगों को सम्भाला। सरकार ने 15 दिन तक उन पीड़ित लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था की। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भौरा नाम का लड़का है, जिसके परिवार के 6 सदस्य बह गये, वह लड़का 22 घण्टे तक खजूर के पेड़ पर लटका रहा और अपनी जान बचा पाया। सरकार को उसे कोई बहादुरी का पदक देना चाहिए क्योंकि वह लड़का मौत से जूझता रहा। जब बेहोश हो गया तो उसने अपनी जान बचाने के लिये अपने को पेड़ पर धोती से बांध लिया और पेड़ से लटका रहा, उसने यह बहादुरी का काम करके अपनी जान बचायी।

इसी प्रकार वहां पर एक गंगाराम बैरवा था उसके परिवार के भी सात सदस्य बह गये। ये लोग अत्यधिक पीड़ित हैं। इन्हें राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलनी चाहिये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इसी तरह के और भी अन्य ग्राम हैं, जो बरबाद हुए हैं। इनमें प्रमुख राहोली, मण्डावर सोखला और जगसरा, बाढ़ जगसरा लक्ष्मी दामोदरपुरा दमवास इत्यादि गांव हैं।

मुझे एक बात मुख्य मंत्री से निवेदन करनी है कि कुछ गांव ऐसे हैं, जो अतिवृष्टि से अधिक पीड़ित हैं लेकिन वहां के पटवारी या तहसील के जो अधिकारी हैं, उनकी हठधर्मी के कारण उन गांवों को कोई मदद नहीं मिली। खिड़मी, सुनारा दहलोद, जलबाड़ी, संगरामपुरा, जिलायी, खण्डवा आदि प्रमुख गांव ऐसे हैं, जो अतिवृष्टि से प्रभावित गांव हैं। इनमें एस. सी., एस. टी. के लोग ज्यादा हैं लेकिन उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली है इससे उनमें रोष है। दूसरे जो प्रमुख गांव हैं जहां पर घनी आबादी है और जो बाढ़ ग्रस्त हैं उन्हें सरकार ने अभी तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है, मुझे इस बात का दुख है। ये गांव हैं, सिरस खण्डवा, जोहना पराणा, हथुना, भरणिया, केदार, मण्डावर, सोथका, बरौली।

मैं माननीय राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित करवायें और सरकार से जो भी संभव सहायता हो, वह दिलवायें। सांगानेर से आने वाली माननीय, विधायक श्रीमती विद्या पाठक कल जब अकाल के संबंध में चर्चा हो रही थीं तब कह रही थीं कि एक बूढ़ी औरत है— एक ओल्ड एज लेडी है, जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला है और उसके परिवार से कोई बह गया। परन्तु मैं वहां पर हिंगोनिया में पचास बार गया हूं जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनका मैंने बीसों बार दौरा किया है वहां पर मुझे ऐसी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। कल वे सदन में बता रही थीं, तो मुझे सुन कर बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लगता है कि वह राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी बातें कर रही थीं। दूसरी बात, उन्होंने यह कही……

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें भी क्या राजनीति हो सकती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा : बिलकुल एक उप सरपंच है उन्हें छः प्लाट दे दिये गये। मैं खुल्लम खुल्ला खण्डन करना चाहता हूं उस उप सरपंच के परिवार में 13 सदस्य हैं और उसके जवान-जवान लड़के हैं अच्छी घर-गृहस्थी वाले हैं । अगर उसको 6 प्लाट दिये हैं तो वह कोई नाजायज नहीं है और शासन ने बिलकुल ठीक प्लाट दिये। इसमें आलोचना करने की कोई बात नहीं थी लेकिन उन्होंने इस बात को सदन में मनगढ़न्त तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर कहा, मुझे इस बात का दुःख है। उस उप सरपंच ने कितनी जान मारी वहां के लोगों के लिये की है—रात दिन घूमा है। मैं उसको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं कि उन्होंने रात दिन अपनी जान लगाकर लोगों की सहायता की है और जो भी राज्य सरकार ने मदद दी है, वह पहुंचायी है। लेकिन कुछ लोग हुआ करते हैं आलोचना करने वाले, क्योंकि अच्छाई होती है उसकी बातें नहीं करना चाहते हमारी माननीय प्रधान मंत्री वहां पर पधारीं 28 अगस्त को, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी सुख दुख में मां रही है और जो भी पीड़ित है चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो श्रीमती गांधी जब भी तकलीफ हुई है वहां गई हैं, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं और इन्सानों की मदद की है। चाहे वह प्रधान मंत्री रही हों या नहीं लेकिन उनकी हमेशा पीड़ितों के प्रति हमदर्दी रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी अपना अमूल्य समय निकालकर हिंगोनिया ग्राम में पधारीं। आपको मैं सच कह रहा हूं कि वहां पर सवेरे 9 बजे से लोग इकट्ठे हुए, तपती हुई धूप में भूखे प्यासे बैठे रहे, श्रीमती गांधी के दर्शन लाभ करने के लिये वहीं बैठे रहे उनका भाषण सुनने और अपने जनप्रिय नेता के दर्शन करने के लिये बैठे रहे। आज भी वहां लोग आशा करते हैं। मुझे मालूम है वहां पर विपक्ष के लोगों ने आकर राजनैतिक चालें चलने की कोशिश की और वहां पर.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तरह तरह की बातें कही लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदया को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिये अपने कोष से 10 लाख रु० सैंक्शन किये, स्वीकृत किये। प्रधान मंत्री कोष से 10 लाख रुपये हिंगोनिया के अन्दर स्वीकृत कर बाढ़ पीड़ितों की बड़ी भारी मदद की है इसलिये वे धन्यवाद की पात्र हैं। वहां पर राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच-पांच हजार रुपये दिये ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिससे उन्हें काफी सहानुभूति मिली है। उनकी आर्थिक दशा में थोड़ा बदलाव आया है। माननीय सभापति महोदय, जो विनाश लीला हुई है वह तो हो गई लेकिन मैं उसके संबंध में सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ और अकाल से अत्यधिक पीड़ित है। पिछले तीन वर्षों से वहां लगातार अकाल पड़ता रहा और अब बाढ़ आई है उसने वहां पर जन-धन को अपार क्षति पहुंचाई है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

बीस सूत्री संकल्प का जो निर्णय लिया है उसमें राज्य सरकार ने 245 आवासीय भू-खण्डों की व्यवस्था की है। मैं माननीय राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह कम है उनकी संख्या बढ़ाई जाय क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वहां पर अत्यधिक हैं और अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ाई जाय, यह संख्या बिलकुल कम है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा वहां पर पिछले वर्ष 112 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे जिनकी गति बहुत धीमी चल रही है। यहां अकाल पीड़ित लोग हैं क्योंकि यहां हर साल अकाल पड़ता है। कम से कम हैण्ड पम्प वगैरह जो स्वीकृत हैं, उनकी तुरन्त व्यवस्था कराई जाये युद्ध स्तर पर कराई जाये जिससे उन लोगों को राहत पहुंचेगी।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर मांसी बांध है उसमें 20--25 फीट पानी भरा रहता है। काफी बड़ा बांध है, वहां मछलियों के ठेके लाख रुपये के देते हैं। वहां पर लिफ्ट योजना लागू नहीं। माननीय मदेरणा साहब सिंचाई मंत्री हैं, वे वहां पर लिफ्ट योजना की व्यवस्था करायें उससे हजारों बीघा भूमि सिंचित होगी।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 201 गांवों में से 94 गांवों का पानी खारा घोषित किया गया है। कई बार सेम्पल लेकर भी जाते हैं लेकिन कोई सुधार जनक बात नहीं हुई है। इसी का परिणाम है कि वहां के जो गरीब लोग हैं वे लोन आदि से वंचित रह जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, मुझे दो मिनट का समय और दीजिये। कम से कम आप कोई रिंग मशीन मंगवा कर व्यवस्था करवा कर कुओं को गहरा करा दें, जिससे पानी ठीक मिल सके और उनको लोन उपलब्ध हो सके।

पांचवीं बात मैं यह कहूंगा कि 104 गांवों में हाल ही में बिजली की योजना स्वीकृत हुई हैं। उन गांवों को भी माननीय मंत्री जी, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफाई करवा दें।

छठी बात यह कहूंगा कि वहां पर अकाल राहत के अन्तर्गत जो सड़कों का निर्माण हुआ था, अतिवृष्टि और बाढ़ से काफी सड़कें बह गई हैं। जो कुछ भी सड़कें बची हैं और प्रमुख रोड हैं सरकार ने घोषणा की है कि तीन हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों को तहसील हैडक्वार्टर से जोड़ा जायेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें अकाल राहत के अन्तर्गत बनी हैं। उनकी डामर रोड बनवाया जाय तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। ज्यादा न बोलते हुए माननीय राहत मंत्री जी, मुख्य मन्त्रीजी और राज्य सरकार का आभारी रहूंगा कि उन्होंने वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों को समय-समय पर संभाला। वे लोग आज भी इनके गुणगान करते हैं और करते रहेंगे।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़ !

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदया, बाढ़ की जो स्थिति

(श्री मेघराज तावड़)

राजस्थान के कुछ इलाकों में हुई, खास तौर से जयपुर में राजधानी की नाक के नीचे जहां हमारे तमाम मन्त्रिगण रहते हैं और तमाम और लोग भी रहते हैं, सरकार कोई भी हो जनता के ऊपर किसी भी प्रकार की परिस्थिति आयेगी, या जो भी समस्या आयेगी उसका हल करने के लिए उसका नैतिक कर्त्तव्य है। सरकार ने जो कुछ किया, वह ठीक है। मन्त्री वगैरह दौड़े लेकिन सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अधिकारियों की नौकरशाही किस हद तक निष्क्रिय है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। सभापति महोदया, अमानीशाह का नाला बढ़ रहा था। उसके नीचे का जो प्लान जिस अधिकारी ने बनाया, उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस नाले को तोड़ने के लिए, अमानीशाह के नाले के पास की सड़क है, उस सड़क को तोड़ने के लिए जिलाधीश से मिलिट्री ने इजाजत मांगी थी लेकिन कलेक्टर ने उनको इजाजत नहीं दी। सभापति महोदय, उसके बाद उन्हें बिना कलेक्टर की इजाजत के वह सड़क तोड़नी पड़ी, नहीं तो मिलिट्री का सारा का सारा इलाका खत्म हो जाता। यही नहीं लोग इधर भयंकर रूप से तबाह हो रहे थे और यहां के अधिकारी सिनेमा देख रहे थे, दारू उड़ा रहे थे। इसमें भी जो कच्ची बस्तियां थीं, उनमें कौन लोग आये? धन देने के लिए चन्दा लेने के लिए मै तो यह कहूंगा हमारे मुख्य मन्त्रीजी स्वागत करा रहे थे, के. के. बिड़ला से। सबसे पहले जो भी मुख्य मन्त्री आया, उसने धन्ना सेठों के द्वारा स्वागत कराया। सभापति महोदया, गरीब के घरों में जाकर उनके साथ नहीं रह सकते, धन्ना सेठों से स्वागत करवाते हैं। यही नहीं पोद्दार ने पांच हजार का चैक देकर उनके लड़के और खुद के दो बार फोटो खिचवायें। सभापति महोदया, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं तो जो सरकार का करेक्टर है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदया, जो कच्ची बस्तियां और गांव बहे हैं, उनमें भी राजनैतिक भेद भाव किया जा रहा है। कच्ची बस्तियों में अपने-अपने लोगों के अलग-अलग फार्म भरवा कर यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रभाव डाल कर राजनैतिक फायदा उठाया जाय। सभापति महोदया, जहां ऐसी बाढ़ की स्थिति हो, चाहे अकाल की स्थिति हो, वहां पर राजनैतिक पक्षपात किया जाय, यह प्रजातन्त्र की निशानी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह एक तानाशाही और राजा-महाराजाओं की तरह की स्थिति थी। मैं मानता हूं कि आज तानाशाही प्रवृत्ति और नादिरशाही प्रवृत्ति से कोई काम नहीं चलने वाला है। सभापति महोदया, बाढ़ की जो परिस्थिति आई, उसमें जन-प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया। उसमें कौन लोग थे? अफसर और बड़े-बड़े सेठ, उन लोगों की उनके प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई, उनको लिया गया लेकिन जन-प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया। जब तक जन-प्रतिनिधियों और वहां के लोकल लोग, जो अच्छी तरह से वहां की जनता को जानते हैं, कि कितनी हालत गम्भीर है, को नहीं लिया जायगा, तब तक किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी, यह न्याय नहीं हो सकता। इसलिए जन-प्रतिनिधियों की कमेटी बनानी चाहिये। उसमें जन-प्रतिनिधि हो, चाहे सभी पार्टियों के लोग हों, यह न्यायोचित होगा।

134

(श्री मेघराज तावड़)

अबकी बार सभापति, महोदया, अकाल से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर कुछ कहना चाहता हूं। सरकार चाहे इधर बैठने वालों की हो या उधर बैठने वालों की हो, सभापति महोदया, आज 34 साल गुजरने के बावजूद हमारे राजस्थान की सरकार बार-बार यह कहती है कि अकाल से निपटा जायगा, बाढ़ से निपटा जायगा। राजस्थान का पश्चिमी इलाका जो हमेशा अकाल से पीड़ित रहता है और हमारे इलाके जहां बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं, इन दोनों के ऊपर कण्ट्रोल करने के लिए 34 साल में हमारी सरकार सक्षम नहीं हुई न उसमें कोई दूरदर्शिता है और न चिन्ता है। राजस्थान नहर, सभापति महोदय, 1957-58 से शुरू होकर 68 में पूरी हो जानी चाहिये थी और 200 करोड़ रुपये खर्च होने थे। अभी तक राजस्थान नहर का एक ही चरण पूरा हुआ है और एक ही चरण में 3278 करोड़ का खर्चा हो चुका है। आप महंगाई की बात करते हैं, सीमेन्ट की चोरी हो जाती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। बड़े-बड़े अधिकारी चोरी करते हैं। सीमेन्ट चोरी हो जाती है, अधिकारियों को बचाया जाता है। उनको जेल के सींखचों में क्यों नहीं रख देते? तो फिर क्या होगा, खर्च ज्यादा ही आयेगा। आज नहर का एक चरण पूरा हुआ है, और पीछे की जो रख रखाव की हालत है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है। सभापति महोदया, आज राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए हम विदेशों और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं। इन्दिरा गांधी या सत्ता में बैठने वाला कांग्रेस दल, दो तीन अरब रुपया रैली में तो खर्च कर सकता है, पर तीन हजार करोड़ रुपया राजस्थान नहर को पूरा करने में खर्च नहीं कर सकता। कहां है पैसा? यही नहीं, इस सरकार की काम करने की भी मन्शा नहीं है। आज पश्चिमी इलाका लहलहा सकता है, राजस्थान को पूरे अकाल से बचाने के लिये, राजस्थान में ही नहीं बाहर भी अनाज दे सकता है। आज हमारे राजस्थान में खाने के लिये अनाज नहीं है। इसलिये मैं तो यही कहूंगा, सभापति महोदय, राजस्थान नहर में लिफ्ट इर्रिगेशन की जो योजना बनाई गई थी, उस योजना को लागू किया जाना चाहिये।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, मैं अब अकाल पर आना चाहता हूं। जब तक राजस्थान नहर पूरी नहीं करेंगे, तब तक अकाल से नहीं निपट सकेंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि युद्ध स्तर पर मिलिट्री के जरिये राजस्थान कैनाल को पूरा करना चाहिये। रामगढ़ तक अगर नहर पूरी आ जाय, जो योजना है वह पूरी हो जाय तो राजस्थान में अकाल नाम की चीज नहीं होगी। यही सबसे बड़ी चीज है अकाल से निपटने की। जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां पर आज टैक्निकल योजना बनाई जानी चाहिये जिससे······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय अभी तो शुरू ही नहीं किया मैंने।

श्री सभापति : आपने शुरू नहीं किया लेकिन मेरी नजर में तो अंत हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, जो नदियां हैं, उन नदियों को बांधा जाना चाहिये। अकाल पर थोड़ा सा सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तांवड़ : मेरा लास्ट मे नम्बर आया है । 5 मिनट भी बोलने नहीं दिया, मेरे साथ अन्याय होगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुके ।

श्री मेघराज तावड़ : अकाल राहत के काम जो शुरू किये जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है. चाहे इधर की सरकार हो चाहे उधर की । इस सरकार ने राहत कार्य खोलने के समय यह कहा था कि 7 रुपये मजदूरी दी जानी चाहिये, लेकिन 7 रुपये के बजाय जैसा विरोधी दल के नेता कह गये, दो रुपये मजदूरी मिलती है । मैं कहना चाहता हूं, उनके राज में भी जब उनकी सरकार थी, एक मजदूर को 500 ग्राम अनाज मिला है । इसलिये चाहे वह सरकार हो, चाहे यह सरकार हो, आज गरीबों के साथ, राहत कार्यों में काम करने वालों के साथ से भ्रष्टाचार करती है और कहती हैं कि हम 7 रुपये देंगे । शर्म आनी चाहिये, 7 रुपये देने की बात करते हैं और दो रुपये दिलाते हैं । आज विधायकों और मंत्रियों का भत्ता बढ़ाया जा सकता है, आप तो गांवों से आती है मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे ही न्याय कराना चाहता हूं आज 50 पैसे में चाय की कप आती है, 2 रुपये 2॥ रुपये प्रति किलो गेहूं हैं, गांवों में 3 रुपये किलो मक्की मिल रही है । आज इस हालत में दो रुपये में एक परिवार को कैसे पाला जा सकता है जिसमें 5 आदमी हों ? सभापति महोदय, आपके माध्यम से राहत कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी राहत कार्य खोले जायं, उनको मुस्तैदी से पूरे तौर से करवाये जायं । आज 1॥ करोड़ लोग प्रभावित हैं, 3-4 लाख आदमियों को काम देकर जिंदा नहीं रखा जा सकता ।

रहा सवाल पानी और चारे की व्यवस्था का । आज राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पशुधन है, उसके खत्म होने का अंदेशा है । चाहे बाहर से चारा मंगवाया जाय, चाहे कहीं से भी मंगवाना पड़े लेकिन मवेशियों की रक्षा करना आवश्यक है । आदमी जिंदा रह जायगा । लेकिन यह नहीं हुआ और काम नहीं खोले. डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह अंदेशा है, पहले भी हुआ था कि पटवारियों ने जिस तरह से रिपोर्ट दी, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने इलाके को अकालग्रस्त घोषित किया, यह नहीं होना चाहिये । आज भी उस इलाके में पूरी तरह से अकाल है । फसल खड़ी हैं उसमें अनाज का दाना नहीं है। इसलिये यह नहीं, जैसे मुख्य मंत्री ने कहा 13 जिलों में अकाल हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : इसलिये पूरे राजस्थान के इलाकों में पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम खोले जाने चाहिये नहीं तो नतीजा क्या होगा ? इन्सान भूखा नहीं मरेगा, गरीब भूखे नहीं मरेंगे, जहां भी अनाज होगा, एक भी दाना होगा, लूटकर लायेंगे, भूखे नहीं मरेंगे ।

(श्री मेघराज तावड़)

अगर सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं और गम्भीर स्थिति पैदा होगी। अगर पूरी तरह से सरकार जागरुक नहीं रही . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : इसलिये जहां भी काम हो, हम लोगों को उसमें लिया जाय, जन प्रतिनिधियों को उसमें लिया जाय, यही बात कह कर आप कम्पेल कर रही हैं बैठने के लिये, मेरी पार्टी का पूरा टाइम भी नहीं दिया फिर भी, आपको धन्यवाद देकर आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : बहुत बहुत शुक्रिया। श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की ओर से अकाल राहत और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में जो पुस्तिका विधायकों को दी गई है, उसको देखने पर मालूम होता है कि राजस्थान के जो 26 जिले हैं उनके अंदर जितनी वर्षा होनी चाहिये उतनी वर्षा नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 26 जिलों में से 15 जिलों के अंदर वर्षा नहीं होने के कारण भारी अकाल हो गया। बड़ा दुख तो इस बात का है कि 15 जिलों के अंदर जो सामान्य वर्षा होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई लेकिन राजस्थान सरकार ने सिर्फ 6-7 जिलों के अंदर ही राहत कार्य चालू रखे हैं। अन्य जिलों के अंदर ये कार्य अभी तक स्टार्ट नहीं कराये, यह बहुत ही दुख की बात है।

मैं अजमेर जिले के संबंध में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर जिले में जितनी सामान्य वर्षा होनी चाहिये, उससे बहुत कम वर्षा हुई है और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो मुश्किल से दो तीन दिन वर्षा हुई है, जिसके कारण स्थिति बहुत ही खराब है। जबसे विधान सभा आरंभ हुई है, मेरे क्षेत्र से कई सरपंचों के पत्र आये हैं, जिनके अंदर उन्होंने मांग की है कि अविलम्ब अकाल राहत कार्य आरंभ किये जायें, अन्यथा मजबूर होकर जो वहां के निवासी हैं, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे आदरणीय श्री माथुर साहब ने भी मेरे क्षेत्र का दौरा किया था, हमारे हैल्थ मिनिस्टर ने भी हमारे क्षेत्र का दौरा किया था उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर-अंदर अकाल राहत कार्य आरंभ कर देंगे लेकिन अभी तक ये कार्य आरंभ नहीं हुये।

(व्यवधान)

आप शांति से सुनें। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा दुखी है इसलिये आपसे निवेदन है कि अब बिना कुछ देर किये जिन-जिन जिलों में सामान्य वर्षा नहीं हुई है, उनके अंदर अकाल राहत कार्य आरंभ कर दिये जायें। इसके अंदर किसी प्रकार की गिरदावरी या अन्य बात की आवश्यकता नहीं है। अगर गिरदावरी की फिर बात आती है तो निश्चित है कि जिन जिलों में सामान्य वर्षा नहीं हुई है, वहां स्थिति भयंकर हो जायेगी। जैसा मुझसे पूर्व अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है कि स्थिति बड़ी भयंकर है, उस स्थिति से निपटने का एक ही इलाज है कि जिन-जिन

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है, उनमें अविलंब अकाल राहत कार्य प्रारंभ किये जायं।

सभापति महोदय, मेरे ब्यावर नगर में जो स्थिति पानी की है, उस संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत एक वर्ष से जो हमारा स्वायत्त शासन विभाग है, उसके अधीन इस समय नगर परिषद् वाटर वर्क्स को संचालित करती है। पिछली विधान सभा में घोषणा की थी कि नगर परिषद् से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस काम को ले लेगा लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके कारण इस समय वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 15-20 मिनट हमारे नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध होता है जो कि हमारे लिये एक बहुत ही दुःख की बात है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी नगर परिषद् से यह कार्य जल प्रदाय विभाग अपने अधीन लें और उसको लेकर, उसके अन्दर जो कुछ भी सुधार करना है, वह करें अन्यथा इस तरह ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बहुत ही कठिनाई होगी। उस समय बहुत स्थिति आपकी खराब हो जायेगी। इसके लिये हमें अभी से ही समय रहते हुए ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में भी मैं अपने कुछ प्रस्ताव देना चाहूंगा, कि अकाल के अन्दर हमारी सरकार जो अकाल राहत कार्य शुरू करती है वे उसके अन्दर अधिकारियों द्वारा मजदूर लोगों को जो मजदूरी दी जाती है, वह इतनी कम दी जाती है कि एक प्रकार से उनके साथ बड़ा भारी अन्याय होता है। जो मजदूर सुबह जाता है 8 घंटे तक मजदूरी करने के बाद उसको उसकी मजदूरी एक रुपया 80 पैसा या एक रुपया 75 पैसा दी जाती है, यह वास्तव में उसके साथ में अन्याय है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मजदूर आवे, उनको कम से कम इतनी मजदूरी तो अवश्य दी जाय, कि वह अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकें। मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब वहां अकाल राहत कार्य शुरू हों, तो इस ओर अवश्य ध्यान दें। जो भी मजदूर भाई आवें उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिये, यह बहुत आवश्यक है। अन्यथा, जो गरीब लोग हैं, उनकी हालत बड़ी खराब होती है, सरकार की बड़ी भारी बदनामी होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी अकाल राहत कार्य आरम्भ किये जावें, उन लोगों को मजदूरी अधिक से अधिक देने की व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : सभापति महोदयजी, टोंक जिला लगातार पिछले तीन सालों से अकाल की चपेट में था और इस वर्ष भयंकर बाढ़ से ग्रसित है। राजस्थान में यदि कहीं जन-धन की अधिक हानि हुई है, तो वह टोंक जिले में हुई है ऐसा मानना है कि टोंक में बाढ़ के कोई कारण ही नहीं थे। टोंक शहर में यदि बाढ़ आई, तो उसके क्या कारण थे? बाढ़

(138)

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

से गांवों में बड़ा भारी नुकसान हुआ। मेरा चार्ज है इस सरकार के ऊपर कि इसकी अव्यवस्था के कारण, इनके गलत निर्माण कार्यों के कारण, टेक्निकल अधिकारियों की गलती के कारण जो गलत बांध निर्माण किये गये थे, उनका पानी वहां बहा था। एक तरफ बहाव होने के कारण एक बांध टूटा और एक बांध टूटने से दूसरा टूटा। साधना का बान्ध टूटा। साधना के बांध का पानी गासियो में गया, गासिया का सारा पानी लाम्बा बान्ध में गया और इस लाम्बा बान्ध का पानी चन्दलाई के बान्ध में गया। इस कारण से टोंक में पानी आया। टोंक तहसील के लगभग 62 गांवों में नुकसान हुआ और 35 गांवों का नुकसान तो केवल इस पानी की वजह से हुआ है। भयंकर नुकसान इस वजह से और भी बच गया कि उस समय बनास में पानी नहीं था। बनास में अगर पानी होता, तो और ज्यादा नुकसान होता। यह तो गनीमत थी की बनास में पानी नहीं था। वह सारा पानी बनास में चला गया और बनास में से होकर बह गया, मैं कहना चाहता हूं कि जो नुकसान हुआ है, वह अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ है। वह उस पानी को मोड़ नहीं सके उसको डाइवर्ट नहीं कर सके इसके कारण नुकसान हुआ। उसके कारण जो बाढ़ आई जो जन धन की हानि हुई है, उसको बचाया जा सकता था। यह मेरी मान्यता है कि यदि उस समय समय रहते उसको देखा जाता, यदि उस पानी को रोका जाता, उसके बहाव को चेन्ज कर दिया जाता, तो निश्चित रूप से बाढ़ को रोका जा सकता था। ऐसी स्कीम उनके द्वारा बनायी गयी थी कि वह बान्ध टूटे। बान्ध के टूटने से समस्या पैदा हो गयी। बाढ़ के कारण नुकसान हुआ। उसके बाद छोटे छोटे बान्ध टूटे। इस प्रकार 79 बान्ध पंचायत समितियों के टूटे। दिनांक 31-7-81 को हमारे मन्त्री महोदय वहां पर आये, अकाल राहत मन्त्री महोदय भी आये। उस समय उन्होंने आदेश दिया कि तुरन्त इनको बन्धवाने की व्यवस्था की जाय। परन्तु आज तक नहीं बन्धवाये गये। बाढ़ को आये दो महीने हो गये हैं और दो महीने के बाद भी उनको बन्धवाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं जानता हूं कि हमारे अकाल राहत मन्त्री. प्रोम्प्ट एक्शन लेते हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस पर एक्शन क्या हुआ? वहां पर इस तरह के इन्स्ट्रक्शन दिये पर उन बान्धों को आज तक नहीं बान्धा गया जिसके कारण अकाल का सामना करना पड़ा। 79 बान्धों को आज तक नहीं बान्धा गया और राज्य सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। 20 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गयी थी, इन बान्धों को बन्धवाने के लिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बाढ़ ही नहीं आई, वहां पर मन्त्रियों की बाढ़ आ गयी। मन्त्री एक के बाद एक आते गये, पर किया कुछ नहीं। यदि उन्होंने आदेश दिया, तो उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। बाढ़ आई और बाद में उसकी मीटिंग को कैन्सिल कर दिया गया, यह कह कर कि फलां मन्त्रीजी आ रहे हैं। फैसला कर दिया गया, आज तक कोई उपाय नहीं किया गया है। वहां पर मुख्य मंत्रीजी आये, उन्होंने कहा कि

(139)

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

सात दिन के अन्दर टौंक का मलवा उठा दिया जाय, 15 दिन के अन्दर पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ? आज 15 दिन बाद में क्या हुआ और सात दिन बाद में क्या हुआ? मैंने पिछले सत्र में भी कई बार सदन में कहा था कि टौंक की गन्दी बस्तियों की ओर ध्यान दिया जाय। टौंक की कच्ची बस्तियों की ओर ध्यान दिया जाय। वहां के ड्रेनेज की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाय, वहां की सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय, वहां के नालों की सफाई की जाय। अगर इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाता, तो टौंक में यह भयंकर विनाश नहीं होता। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि श्रीरामजी गोटेवाला यहां बड़ी बड़ी घोषणायें करते हैं कि जयपुर के लिये मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, हवाई सर्वे करा कर उसका ब्लू प्रिन्ट तैयार किया जा रहा है लेकिन टौंक में जहां पर भयंकर अव्यवस्था है, वहां कोई साधन नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी खुद देखकर आये हैं, अकाल राहत मन्त्रीजी देख कर आये और यहां दसों मन्त्रीजी देख कर आये, लेकिन आज तक वहां पर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गयी। भविष्य में कोई बाढ़ से नुकसान नहीं हो, उसके लिये कुछ भी कार्यवाही नहीं की गयी। यह राजनैतिक आधार पर सोचा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह राजनैतिक आधार पर भले ही आप सोचें, पर इसमें नुकसान जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी वालों का हुआ हो, यह बात नहीं है। इसमें नुकसान हुआ तो उन लोगों को हुआ है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं मानता हूं कि समय समय पर अकाल राहत मन्त्रीजी ने कुछ एक्शन लिये लेकिन समस्या का स्थायी हल किया जाय। उसके निवारण के लिये कोई उपाय नहीं किया गया है। यह हो सकता है वहां पर कोई व्यवस्था मन्त्रीजी ने मेरे कहने के बाद, दो रुपये की जगह चार रुपये देने की लेकिन वहां पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं की गयी। आज तक वहां पर मलवा पड़ा है उसे उठाया नहीं गया है। टौंक में भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये कोई योजना नहीं बनी। ऐसे आदेश दिये गये हैं कि 15 दिन में पुनर्वास कर दिया जाय लेकिन आज तक उनको वहां पर नहीं बसाया गया? टौंक में ऐसे तीन चार इलाके हैं जो बिलकुल नीचे के स्तर पर रहते हैं, बखियापुरा, जलवा बस्ती तथा छावनी की बस्ती पानी से निरन्तर घिरी हुई रहती हैं। वहां का जाम इलाका है, जो हमेशा पानी से घिरा रहता है। उनको बसाने की क्या व्यवस्था की गयी है? आज चन्दलाई बांध के सामने बैरवा लोगों की बस्ती है, जहां 62 घर बैरवाओं के बह गए। सारी बस्ती तबाह हो गयी। उसको बसाने के लिए क्या व्यवस्था हुई? लाम्बा बांध के बिलकुल सामने छापरिया की बस्ती बसी हुई है, उसको बसाने की क्या व्यवस्था की गयी? किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी। हमारे जिले में हिंगोनिया ग्राम है, जिसकी चर्चा सारे हिन्दुस्तान में है। हिन्दुस्तान में ही नहीं सारे विश्व में उसकी चर्चा हैं। जहां प्रधान मंत्री जी आई और मिनिस्टर और सारे अधिकारियों का काफिला था। मैं वहां गांव में गया हूं। मैंने पूछा है उन लोगों से। उन लोगों का कहना है कि हमारे यहां हैलीपेड बना

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

दिया गया, हमारे यहां सड़कें बन गयीं, लेकिन हमारे पास कौनसी मोटर है, कौनसी मोटर साइकिल है, जिसको घुमायें? हमारे न तो रहने की व्यवस्था की गयी और न कोई मदद दी गयी। जो प्लाट काटे गये वहां टीन शैड लगा दिये गये और सिरकियां लगा दी गयीं। मैं कह रहा हूं कि कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के जिलाधीश महोदय ने 30 तारीख को मुख्य मन्त्रीजी को एक ज्ञापन दिया उसमें कहा है कि जो लोगों को बसाने की व्यवस्था की गयी, उनकी सिरकियों में छेद हो रहे हैं। हवा के कारण उनकी चद्दरें उड़ने को हो गयी हैं और वह चद्दरें उड़ भी गयीं, सिरकियां गिर गयीं। इसी प्रकार हमारे यहां टोंक में बनास नदी में रजिया सुल्ताना की शूटिंग हुई थी...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इसमें भी इतनी ही भीड़ थी और उसमें भी इतना ही बड़ा काफिला था, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस शूटिंग में वहां घर बने, झोंपड़ियां बनीं, आज वहां पर कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार हिंगोनियां के लोगों के साथ किया गया। वहां भी आज कुछ नहीं है। वहां पर सिरकियां लगा दी गयीं लेकिन आज उनका कहीं पता नहीं है।

सभापति महोदय, आज इसी तरह से वहां पर वन विभाग का बीड़ है, उसके कन्वर्शन का क्या हुआ?

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि समय नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा क्षेत्र बाढ़ और अकाल से प्रभावित है और मुझे बोलने दिया जाय। मेरा आपसे निवेदन है...

श्री सभापति : सभी के जिले बाढ़ और अकाल से प्रभावित हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : प्रधान मंत्री जी हर जगह नहीं गयीं मंत्रियों का काफिला हर जगह नहीं गया।

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है कि आपका समय हो गया है। काफी लोगों को बोलना है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि समाप्त करें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं उन गांवों की बात आप और सारे माननीय सदस्यों तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री सभापति : कई माननीय सदस्यों ने पहुंचा दी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : वह नहीं पहुँचाई। मैंने जो बात कही वह कौन-से माननीय सदस्य ने पहुंचाई बतायें?

(व्यवधान)

मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, कि जिलाधीश महोदय की यह रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने इन बिन्दुओं की ओर इशारा किया है कि हमारे यहां सारी चीजों का अभाव है। 300 रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं, 750 रुपये हाउसिंग लोन के लिए दिए हैं। 1250 रुपये अब तक खर्च हो गये। हमारी इतनी डिमांड है, वहां पर कुओं की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं कि सन् 72 में एक बाढ़ आई थी उसमें दूधिया के लोग बह गए थे। उनको भी बसाया गया और वह जमीन अलाट कर दी गयी। आज जिन लोगों को बसाया जा रहा है, उस जमीन को कन्वर्ट नहीं किया गया। जिस समय मुख्य मंत्रीजी आप और अन्य मन्त्रियों का काफिला चला गया, उसके बाद उनको कौन पूछने वाला है?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं पूछना चाहता हूं कि उनके जानवरों के लिए क्या व्यवस्था की है? उनके पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था की है? वहां पर डाक्टरों की टोली गयी लेकिन डाक्टर कहां हैं, आज कम्पाउण्डर कहां हैं, आज उनको संभालने वाला कौन है? उनके जानवर समाप्त हो गए उनके लिए जानवर खरीदने के क्या उपाय किये गये? मेरा यह निवेदन है कि आज जब हम बाढ़ से निपटते ही नहीं हैं, अकाल की स्थिति और आ गयी लोगों को भूखों मरने की नौबत आयेगी, पीने के पानी की नौबत आयेगी। सभापति महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको कहने से आप मुझे वंचित कर रहे हैं। मैं आपको यह पोर्शन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें जिलाधीश महोदय ने इंगित किया है। फिर आप मुझे समय नहीं देंगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई प्रकार के क्राइटेरिया तय किये गये। टोंक में 1000 रुपया, हिंगोनिया में 1050 रुपया और गांवों में 600 रुपया। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारे अकाल राहत मंत्री स्वयं किसान हैं. बाहर गांवों में 600 रुपये

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दिये गये हैं उसमें भी केवल एक किश्त दी गई और दूसरी किश्त का आज तक भुगतान नहीं किया गया है। उनको 600 रुपये दिये गये हैं, जब कि मुख्य मंत्री सहायता कोष में लोगों ने दिल खोल कर दान दिया है, दिल खोल कर पैसा दिया है। उन गांव वालों का जिनका सब कुछ बह गया, चारा बह गया, पशु बह गया, अनाज बह गया, उनको केवल 600 रुपये की सहायता दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री रामनारायण डूडी।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : एक सवाल कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप सवाल क्यों कर रहे हैं? वैसे ही समय खराब हो रहा है।

श्री चतुर्भुज : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सभापति महोदय, यह डबल तरह के क्राइटेरिया तय किये गये। जिन लोगों को 600 रुपया दिया गया है, उन लोगों को भी 1000 रुपया दिया जाये। जिनका आंशिक नुकसान हुआ है, उनको सरकार ने सौ रुपया दिया है।

(समय-सामप्ति-सूचक घण्टी)

सौ रुपये को बढ़ा कर 500 रुपया कर दिया जाय, क्योंकि आजकल महंगाई के जमाने में 100 रुपये की क्या वेल्यू है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं मांग करता हूं कि 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये कर दिया जाय।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक-घण्टी)

मेरे यहां भूमि खराब हो गई है, कुए खराब हो गए है, तालाब खराब हो गए है, उनको ठीक करवाया जाय।

श्री रामनारायण डूंडी : मुझे बोलने का हुक्म हुआ है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सभापति महोदया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार आपसे निवेदन किया जा रहा है। आप कह चुके है, बोल चुके है। आपसे निवेदन किया जा रहा है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति : सभी के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिये। कुछ डेकोरम रखिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सभापति महोदया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे बार बार निवेदन कर चुकी हूं। आप काफी बोल चुके हैं और सभी को समय देना है। कुछ तो ख्याल रखिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि सारा पशुधन बह गया....

श्री सभापति : आप अपनी बात कह चुके हैं। बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि अभी जो वसूली स्थगित की गई है, वह 30 सितम्बर तक के लिए की गई है..

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूंडी आरम्भ करें।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर आया है। स्थान ग्रहण करें। यह शोभा नहीं देता है कि मुझे इस तरह से आपसे निवेदन करना पड़े।

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो यहां भाषण कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत है। इनके यहां सात हैंड पम्प लग रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देते हैं क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें। श्री रामनारायण डूंडी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सभापति महोदया केवल दो मिनट।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

(श्री सभापति)

श्री रामनारायण डूंडी ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): सभापति महोदया, इस सदन में कल और आज राजस्थान के अन्दर भीषण अकाल और बाढ़ के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये, उन विचारों के साथ मैं भी अपने विचार सम्मिलित करते हुए निवेदन करूंगा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां हमेशा हमेशा के लिए अकाल की छाया मंडराती रहती है । जब अकाल से किसी ने पूछा कि तेरा एड्रेस क्या है, पता क्या है ? तो सभापति महोदया, उसने कहा

पग पूगल धड़ कोटड़ा बाहू बाहड़मेर
आतां जातां बीकपुर, ठावों जैसलमेर

अगर परमानेन्ट अकाल देखना है, तो वह जैसलमेर के अन्दर है । मेरा निवेदन है कि अकाल से हम लोग कोई अनभिज्ञ नहीं हैं । राजस्थान के अन्दर हमें इसके निवारण के लिए परमानेन्ट तौर पर हल करना होगा । राजस्थान को अकाल से बचाना है, तो समय से, योजना बद्ध तरीके से काम करना होगा, बजाय इसके कि जो कदम इस राजस्थान के अन्दर बार बार उठाये जाते हैं । सभापति महोदय, एक ही हल है कि गांवों को हरा भरा बनाया जाये । सभापति महोदय, आज अकाल के निवारण के लिए हमें सोर्सेज को ढूंढना होगा । इस राजस्थान को हरा-भरा करने के लिए नदी-नालों की योजनाओं को, पूरा करना होगा मोटे तौर पर और अधिक उपायों को ढूंढकर भूमिगत पानी को बाहर निकालना होगा, तभी राजस्थान की समस्या हल हो सकेगी। सभापति महोदय, आज जितने भी सुझाव आये, उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें ऐसा काम कराना चाहिये जो स्थाई हो । आज अकाल में सड़कें बनी, नालें खुदें मगर मैं यह चाहता हूं कि अकाल के अन्दर सड़कों के साथ साथ तालाब जो 5-5 गांवों के बीच बांट देते हैं, उनको लिया जाये और उनकी खुदाई की जाये ताकि जब फिर कभी अकाल पड़े तो उस इमरजेंसी के समय में, लोगों के लिए पानी का इकट्ठा किया जा सकें । इस प्रकार के टैंकों का निर्माण किया जाय ताकि पेयजल की समस्या खत्म हो सके । इसके साथ साथ आज अकाल के अंदर जो पानी की भयंकर समस्या है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, आज राजस्थान के पश्चिमी गांवों के अन्दर जहां पीने का पानी दूर-दराज से 20-20 किलोमीटर से लाना पड़ता है, उस विपदा के निवारण के लिए वहां बिजली अधिक मात्रा में उपलब्ध करायी जाये । यदि बिजली अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी, तो वहां और टैंक बनाकर पानी आगे सप्लाई किया जायगा. जिससे टैंकरों का खर्चा तो बचेगा ही, साथ ही साथ गांव की पेयजल समस्या का समाधान भी हो सकेगा । जहां सोर्सेज हैं, वहां हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था की जा रही हैं । राजस्थान सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है । साथ ही, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां ओपन वैल हैं और जिन ओपन वैल में पानी उपलब्ध है, वहां ....

श्री सभापति : आपका समय हो गया है, लेकिन आप एकाध मिनट और अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री रामनारायण डूंडी : इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । वहां उन ओपन वैल में बिजली उपलब्ध हो, तो वहां पम्प सैट लगा कर उन गांवों की समस्या का हल किया जा सकता है । इससे गांव वालों को सुविधा होगी । इसी के साथ सभापति महोदय

(144)

श्री सभापति : आपका समय हो गया है, काफी हो गया है, इसे छोड़िये।

श्री रामनारायण डूंडी : आज म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जो····

श्री सभापति : आपका समय हो गया है, आपको जरूरत से ज्यादा समय दे दिया गया है। अतः कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंहजी। बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, जो पहले बोलता है, उसको अधिक समय दिया जाता है और जो बाद में बोलता है, उसे समय नहीं मिल पाता।

श्री सभापति : मैं, माननीय सदस्य, आपको अध्यक्ष महोदय की सूची के अलावा टाइम दे रही हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इस समय बाढ़, अकाल और सूखे पर चर्चा हो रही है। एक प्रकार से देखा जाय तो ये दोनों ही समस्यायें एक दूसरे से लिप्त हैं। आज जिस पानी से राजस्थान में बाढ़ आती है, उस पानी का सदुपयोग करने की व्यवस्था हो गई होती तो यह जो लम्बे समय से अकाल की स्थिति बनी हुई है वह न होती। पिछले दिनों बड़ी भयंकर बाढ़ जयपुर, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आई। 15 दिन पहले बारिश होने की भविष्यवाणी कर दी गई थी कि बारिश होने वाली है लेकिन उस समय कोई सरकार नहीं थी इसलिए इस भविष्यवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों का हाल तो हमारे विपक्षी दल के नेता ने बताया कि शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। 15 दिन पहले बारिश की सूचना मौसम विभाग की ओर से दे दी जाय उसके लिये सरकार सचेत न रहे, इसके लिये मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं। जो बाढ़ आई उसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने सरकारी मशीनरी पर ही भरोसा किया। जो सरकारी मशीनरी इस बाढ़ को लाने के लिये जिम्मेदार है, उसी सरकारी मशीनरी पर अगर सरकार भरोसा करके चलेगी तो उसका निदान कैसे हो सकेगा इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। बाढ़ से 4 से 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ उसके अलावा 15 हजार ट्यूब वैल बेकार हो गये, 5 हजार हैक्टेयर जमीन बेकार हो गई। गावों में तबाही मची, शहरों में तबाही मची, नुकसान हुआ। जयपुर शहर में पहली बार बाढ़ आई, जो कि भयंकर रूप धारण किये हुए थी। यहां के अधिकारी इतने सक्रिय न हुए होते यदि प्रेस वाले उनको कुछ न बताते। बाढ़ के आने के सात दिन बाद सरकार को पता लग पाया कि गांव के गांव इस भयंकर बाढ़ में डूब गये। इससे पता चलता है कि सरकार की मशीनरी पर कितनी ग्रिप है। इसके बाद यहां पर इंदिरा जी आई और दो दिन बाद केन्द्रीय दल आया। बाद में वहां पर रजिया सुल्तान की शूटिंग हुई, उसमें पता नहीं कितने हीरो हीरोइन आई, तब भी हिंगोनिया गांव में सरकार का ध्यान नहीं गया और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। यह दूसरी बात है कि इस बार हीरो और हीरोइन दूसरे थे। सरकार जिस स्तर पर काम करती है, यह एक देखने की बात है। प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी को वहां ले जाया गया। सरकार उनको वहां पर ले गई लेकिन

(श्री यदुनाथ सिंह)

दूसरे गांवों में दूरदराज तक के इलाकों में सरकार की चिन्ता ज्यादा हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी गई, वह तो आटे में नमक के बराबर है या यह कहें कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। केन्द्रीय सरकार क्या देती है? अगर यही बात होती, तो क्या राजस्थान कैनाल पूरी नहीं होती। जो नदियां राजस्थान में बाढ़ लाती हैं, क्या उन्हें रोक कर बान्ध नहीं बनाये जा सकते थे? वहां सूखा पड़ता है, वहां पर उस पानी को दिया जाता तो कितना उत्पादन बढ़ता? लेकिन इनका यह दृष्टिकोण नहीं है। इन्हें तो यह डर है कि कहीं लोगों के पास धन आ गया, लोग सम्पन्न हो गये तो वे जागरुक हो जायेंगे और उन्हें ज्ञान हो जावेगा इस बात का कि लोग इन्दिरा गांधी की पार्टी की नीतियों को कभी नहीं चाहते हैं। इसलिये ये कभी नहीं चाहते कि देश सम्पन्न हो। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जयपुर में बाढ़ आ जाय और रामगढ़ का बंधा पूरा भर जाय तो उसके पानी को निकालना पड़ता है और उससे हर साल भरतपुर में तबाही मचती है।

भरतपुर में चार प्रमुख नदियां हैं— बाणगंगा, रूपारेल, गंभीरी और चम्बल। बाणगंगा नदी से मेरे क्षेत्र भरतपुर, कुम्हेर, बयाना, रूपवास तथा वैर में पानी आता है। गंभीरी नदी पर पांचना बान्ध बनाया गया है, उससे कुछ राहत अवश्य मिली है। इसी प्रकार यदि बाण गंगा नदी पर बान्ध बनाना चाहे तो यह बान्दीकुई स्टेशन पर बनाया जा सकता है, लेकिन उससे बान्दीकुई का स्टेशन थोड़ा डूब में आता है इसलिये उस प्रपोजल को स्थगित कर दिया गया। अगर यह बान्ध बना दिया जाता है तो इससे हजारों एकड़ जमीन में सिचाई होगी और देश में खाद्यान्न बढ़ेगा। इसी प्रकार जो दूसरा स्टेशन बनाने पर खर्च होने वाला है, उससे, कई गुणा लाभ इस देश को होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, केवल इस बान्दीकुई के स्टेशन को डूब में आने की वजह से इस प्रपोजल को छोड़ दिया गया। मेरा निवेदन है कि वहां पर बांध बनाया जाय उससे भरतपुर में बाढ़ आना हमेशा के लिए बन्द होगा और समय पर सिचाई भी हो सकेगी।

भरतपुर में बाढ़ के समय में सरकारी मशीनरी बिलकुल ठप्प रही है। बहुत दिन बाद चाहे दबाव हो, जब परसरामजी मन्त्री बने तो उनके भय से, क्योंकि वे एक बहुत कड़क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काफी सचेत हुए। यह बात दूसरी है कि इसके बाद में इन्होंने जिला प्रशासन, सांसदों, राजनीतिक दलों की सभा बुलाई, जबकि कई बार मैंने पत्र लिखकर निवेदन किया था मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद गम्भीर स्थिति बनी। यह कोई राजनैतिक मामला नहीं था और इसके लिये एक संयुक्त मीटिंग बुलाकर पहले ही सोचा जाना चाहिये था कि किस तरह बाढ़ को टाला जा सकता है, यह करना चाहिये था।

मन्त्री महोदय को मैंने उस क्षेत्र की समस्या के परमानेन्ट निदान के लिये भी पत्र लिखा...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदया, हमारे यहां बाढ़ से हजारों आदमी प्रभावित होते हैं, इसलिये थोड़ा समय दें। मन्त्री महोदय को पत्र दिया तार दिया, टेलीफोन किया लेकिन मैं

(146)

(श्री यदुनाथ सिंह)

आरोप लगाना चाहता हूं जिला प्रशासन पर, कि उसने मन्त्री महोदय से शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही नहीं की। अब पता नहीं मन्त्री महोदय ने आदेश भी फरमाया या नहीं लेकिन बाढ़ आती रही। भरतपुर का इरिगेशन सिस्टम, जो स्टेट के टाइम पर बना था, वह इरिगेशन के लिये एक सूटेबिल सिस्टम था। फताना बान्ध एक बार टूटा था, अब वह 20 बार टूट चुका है। आज फताना बान्ध से पानी जा रहा है और दूसरी ओर जो डिस्ट्रिब्यूटरी कैनाल है, उनसे पानी नहीं दे रहे हैं। वहां उस पानी को ले जाने को कोशिश नहीं की। आज स्थिति यह है कि पीने के लिये खारा पानी है और ये उस टेल पर पानी नहीं पहुंचा सके। इरिगेशन डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन ने जो कसूर किया है, उनको इस बात की सजा नहीं दी जायगी तो अनुचित होगा।

वहां पर जो अधिकारी लगे हुए हैं, वे 15-15, 16-16 साल से लगे हुए है। कोई भेड़ काट कर बेच देते हैं, तो कोई पैसा लेकर पानी देते हैं। सभापति महोदय, वहां पर एक दरोगा है ये सारे अधिकारी उसके यहां जाकर अय्याशी करते है। उसकी जांच के लिये पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव भेजा लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई। इस शिकायत को मैं मन्त्री महोदय के पास भेजूंगा। वे कृपया इसकी जांच करवाने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब दो मिनट अकाल के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट आपके कैसे होते हैं?

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी घड़ी सुस्त है।

श्री सभापति : आप मेरी घड़ी से देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले वर्ष तो आपके भयंकर अकाल था?

श्री यदुनाथ सिंह : हम न राजनैतिक अकाल चाहते हैं और न हम उसके आदी हैं। मैंने सदन में घोषणा की थी कि हमारे जिले में अकाल नहीं है। जो पिछले साल घोषित किया था उससे कोई लाभ भी नहीं हुआ है। वहां लेबर की समस्या रहती है। जो दूसरे हमारे भाई रहते हैं राजस्थान में, उनसे मेरी कोई अलगाव वाली बात नहीं है और न मैं कोई अलगाव की बात ही करना चाहता हूं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जो दूसरों को लाभ मिलने वाला था वह नहीं मिला। फसल खड़ी सूख रही है। बिजली की मांग पर जब बहस चल रही थी, तो मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि बिजली एक छोटा साधन हो सकता है, तो मेरा यह निवेदन है कि डीजल की समुचित व्यवस्था करवाई जाय। खाद्यान्न की दृष्टि से भरतपुर एक बहुत उपजाऊ जिला है। और प्रांत का काफी खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर वहां अधिक से अधिक बिजली नहीं दी गई, तो फसल सूख जायेगी, मंत्री महोदय, आप तो गांव से आते हैं, जब शहरों में एयर कण्डीशन के लिये बिजली मुहैया की जाती है उस पर भी मिनिमम चार्ज लेते हैं, तो आप तो किसान वर्ग से आये हैं, इसके लिये आपकी

(श्री यदुनाथ सिंह)

सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, कहीं से भी कटौती करनी पड़े, किसानों को बिजली दीजिए. नहीं तो जब किसानों की फसल सूख जायेगी, तो उसके बाद कुछ होने वाला भी नहीं है।

पिछले साल से अकाल एक परमानेन्ट फिनोमिना बन चुका है। यह चौथे वर्ष अकाल है। इसके लिए मैं विशेष तौर से दो बिन्दु रखना चाहता हूं, सबसे पहले जीवन के लिये पानी की आवश्यकता है। पानी का भयंकर अकाल जब भरतपुर में हो रहा है, तो मैं सोचता हूं राजस्थान के अन्य जिलों में किस तरह की वेदना होगी। भरतपुर में पीने के पानी की समस्या पहले नहीं थी। अब जब भरतपुर में ही पीने के पानी की समस्या हो गई तो राजस्थान के दूसरे जिलों में तो क्या स्थिति होगी?

दूसरे एक समस्या पैदा होने वाली है, चारे की। चारे की समस्या से वहां के मवेशी पलायन कर रहे हैं। राजस्थान का मवेशी-पालक भीख मांगने का आदी नहीं है घास के अभाव में उसके मवेशी भूखों मर रहे हैं इसलिए दूर जाकर वह भीख मांगने का काम करता है। यह हमारे लिये डूब मरने की बात है।

मेरा निवेदन है, एक घास बैंक खुल जाय और वहां से सस्ता चारा मुहैया कराया जाय। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि बिजली, डीजल आदि की समुचित सप्लाई की जाय। गांव वाले चीनी की कमी से कभी नहीं मरते हैं लेकिन खाने को अन्न नहीं हो तो भूख से मरने लगता है। खाद्यान्न का पूरा स्टाक राजस्थान सरकार नहीं कर पाई। राव विरेन्द्र सिंह जो कृषि मन्त्री हैं, आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की गलती के कारण खाद्यान्न का स्टाक नहीं कर पाये। तो मेरा सरकार पर आरोप है इसकी जांच करवाने की कृपा करें। मैं यह चाहूंगा इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे। चारे को यहां से बाहर जाने दिया जाय। जो अकाल के टाइम पर खास तौर से बात है उसमें एक यह भी है कि तीन तीन महीने तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। वहां पर पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से जो काम हुए हैं, या रिलीफ के महकमे के माध्यम से जो काम हुए हैं उसका उनको तीन-तीन महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। यह इस नाम से धमकी देते हैं कि उसके ऊपर काम बराबर हो गया और वे कहते हैं कि यहां कोई मिट्टी डाली हुई नजर नहीं आती है उस मजदूर को समय पर पेमेंट नहीं किया है। उसको भूखा रखा, पेमेन्ट नहीं किया उसको दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? राजस्थान में इस साल ज्यादा भेदभाव बरता जा रहा है। सभापति महोदया, भेदभाव इतना बरता जा रहा है…

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब माननीय पहाड़िया, राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तब बड़ा आरोप लगाया गया था 15 डिस्पेन्सरी खोली गयीं, लेकिन आज एक लाख 40 हजार मजदूर आपके राजस्थान में अकाल राहत में काम कर रहे हैं और 65 हजार आदमी सिर्फ मुख्य मंत्री के जिले में काम कर रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें भेदभाव बरता जा रहा है। इतना ही माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल और बाढ़ का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाय। जितने भी प्रभाव

(श्री यदुनाथ सिंह)

इससे परिलक्षित होते है उसका एक पूल बनाकर एक लम्बी योजना बना कर हमें कार्यक्रम बनाना होगा। लेकिन लम्बी योजना जब बनेगी, उसमें टाइम भी लगेगा। लेकिन जैसी आज स्थिति है ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपकी मेहरबानी होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसी आप आज्ञा करती हैं, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ। आपसे भी मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि आप समय का ख्याल रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने तो पहले विश्वासघात किया है।

एक माननीय सदस्य : समय तो उधर गए इसलिए कम मिलना चाहिए था।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदया, नागौर में 1978 की प्रलयंकारी बाढ़ के बाद पिछले तीन वर्षों से पश्चिम राजस्थान अकाल से ग्रस्त था और नागौर जिला बहुत बुरी तरह से अकालग्रस्त रहा था। उसके बाद इस वर्ष 30 जून को बहुत अच्छी वर्षा हुई थी और नागौर जिले के लोगों को प्रसन्नता हुई थी कि तीन साल के अकाल के बाद में यह साल अच्छा जायेगा। वहां पर फसल अच्छी बोयी गयी थी और उगी थी लेकिन 17-18 जुलाई को बरसात ने जो प्रलय मचाया उसका हाल जयपुर का और जयपुर के साथ वाले इलाके टोंक वगैरह का आपने सुना। नागौर में भी इतना ही नुकसान हुआ था जितना जयपुर में हुआ था लेकिन पता नहीं चला। इसके कई कारण हैं। प्रशासन और पत्रकार जयपुर में रहते हैं उनकी नजरों के सामने सारी हालत हुई थी इसलिए जयपुर की जितनी भीषण कठिनाइयां और हालत थी वह समाचार पत्रों में आती रही लेकिन दूरदराज के इलाकों की हालत अखबारों में नहीं आने से मेरे ख्याल से राज्य सरकार के सामने या जनता के सामने नहीं आ सकी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17 और 18 को जिन 5 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई थी, उनमें नागौर जिले के डेगाना में दो दिन में 348 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। तहसील जायल में 322 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस 348 और 322 मिलीमीटर वर्षा ने जो प्रलय मचाया, वह देखते बनता था। यहां तो आपका जितना प्रलय मचा और पानी बहा, वह इसलिए हुआ कि नदी और नालों में, जो लोग बस गये थे, वह बह गये क्योंकि इतनी अधिक वर्षा हुई थी। लोगों ने बसने में और जमीनों को दबाने के लालच में यह ख्याल कभी नहीं रखा कि कहां बसना चाहिए और कहां नहीं। जब अत्यधिक वर्षा हुई तो नीचे

(6.35 सायं)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

बसे लोगों को पानी बहा के ले गया। हमारा इलाका तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं है, वहां बड़ी लेवल जमीन है। जब इस बार वर्षा आयी तो 10-10, 20-20 मील की चौड़ाई में पानी निरन्तर बहा और 4-5 और 7 फीट की ऊंचाई में बहा, और उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। लेकिन खुशकिस्मती इतनी थी कि यह पानी दिन में बह कर आया था, इसलिए कोई मानव दुर्घटना नहीं हुई।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

फिर भी, हमारे वहां पर जो मवेशियों की दुर्घटनाएं हुई, मवेशी मरे या बहे, वे हजारों की संख्या में है। इसके साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इलाका नागौर का, कुछ मूण्डवा का और कुछ लाडवा का भी इस बाढ़ में आया था लेकिन इसके बारे में कोई अखबारों में या राज्य सरकार की तरफ से चर्चा नहीं हुई। रिपोर्ट दी गयी है कि इन इलाका में अतिवृष्टि और बाढ़ आयी थी और नुकसान हुआ था। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सारे क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित जो क्षतिग्रस्त गांव हैं वह 109 हैं, अभी मेरे पास पूरे जिले के आंकड़े नहीं हैं। मैंने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया था कि एक मीटिंग करें ताकि बैठ कर चर्चा की जा सके कि बाढ़ का सामना किस तरह से करें लेकिन मेरे ख्याल से जिलाधीश महोदय को इतनी फुरसत नहीं थी इसलिए कोई इस तरह की बैठक नहीं हो सकी। मुझे अपनी तहसील और गांव के बारे में अनुभव है उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि डेगाना तहसील में 109 गांव प्रभावित हुए उनमें 14 गांव ऐसे हैं जो बहुत ही....

श्री अध्यक्ष : बाढ़ से हुए या अतिवृष्टि से हुए ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बाढ़ से। अतिवृष्टि से तो सारा इलाका ही प्रभावित हुआ लेकिन 14 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनमें पचासों घर बह गये और उनका नामोनिशान भी नहीं है। मैं निवेदन करने जा रहा था कि बाढ़ में बहने वाले पूर्णतया कच्चे मकानों की संख्या 150 है और पक्के मकानों की संख्या 80 है। जो रिपोर्ट तहसीलदारजी ने जिलाधीश या मेरे ख्याल से राज्य सरकार को भेजी है और इन गांवों में जाकर मैंने भी देखा था कि वास्तव में वहां पर कई मकानों का नामोनिशान नहीं था। ऐसे गड्ढे हो गये थे, जैसे यहां इतनी ही नहीं थी। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंशिक रूप से जो ग्राम क्षतिग्रस्त हुए उनकी कच्चों की संख्या 600 है और पक्के मकानों की संख्या 300 है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं. इन दिनों जब इतना पानी बहा, कई जगह रेतीली जमीन होने से पानी जज्ब नहीं हो सका और निरन्तर बहा। उससे मवेशी और भेड़ों में बीमारी आयी। हमारे निरन्तर प्रयासों के बाद और जिलाधिकारी महोदय से कहने के बाद कोई इलाज नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि भेड़ सैकड़ों की संख्या में मर गयीं। अतः....

श्री अध्यक्ष : सैकड़ों की संख्या में, हजारों में तो नहीं ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : गिनी तो नहीं, सैकड़ों में और हजारों में कोई संख्या होती है, तो हजारों में आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा है, कुछ भेड़ें तो उम्र पाकर के मरती ही हैं, ये भी तो है न।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : लाखों में भेड़ हैं, तो हजारों में ही मरी होंगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे यहां पर ऐसे 13 गांवों में—

श्री परसराम मदेरणा : भेड़ की आयु क्या होती है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : भेड़ की आयु तीन साल भी हो सकती है, दो साल भी हो सकती है, डेढ़ साल भी हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : तन्दुरुस्त भेड़ की आयु ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : तन्दुरुस्त भेड़ की आयु तो डेढ़ दो साल होती है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब हर साल 50 पर्सेन्ट मोर्टेलिटी होनी चाहिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप कह रहे हैं, तन्दुरुस्त भेड़ की आयु क्या होनी चाहिए। तन्दुरुस्त भेड़ की उम्र तो दो साल होती है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर दो साल है, तो 50 प्रतिशत तो हर साल मरनी ही चाहिए क्योंकि अगर लाइफ उतनी है...

श्री रामरघुनाथ चौधरी : प्रश्न इस बात का है कि बीमारी से कितनी मरी ? यूं तो चलता-फिरता आदमी 25 साल में मर जाता है और कई 108 साल की उम्र में भी नहीं मरते। मैं निवेदन कर रहा था डेगाना तहसील में 13 गांवों में पिछले 15-20 दिन पहले तक करीब 8 हजार एकड़ में पानी फैला हुआ था। वह पानी वहां फैला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी। आज भी बहुत से इलाकों और गांवों में पानी फैला है उससे काश्त की जमीनों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन दिनों में अकाल राहत मन्त्री महोदय की बड़ी कृपा थी, हमने निवेदन किया था और उन्होंने एयर सर्वे किया था। आपने खुद देखा था कि मूण्डवा, जायल और डेगाना के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुए थे। सैकड़ों मीलों में और हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ था। चूंकि हमारे यहां 30 जून को वर्षा हो चुकी थी, इसलिए वहां खड़ी फसल बरबाद हो चुकी थी। उसके बाद कोई फसल होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ये बाढ़ भयंकर अकाल में परिवर्तित हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे गांव के पास कानोता में डिप्रेशन आया हुआ है, वहां बहुत अच्छी काश्त की जमीन है। वहां आज भी देखा जा सकता है कि 11 किलोमीटर की एक परमानेन्ट लेक बन गयी है। मेरा कहना है कि 11 किलोमीटर में पानी फैला हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है या तो इससे सिंचाई की योजना बनायी जाय, या इस पानी को निकाला जाय। अध्यक्ष महोदय निरन्तर 75 में बाढ़ आयी, उसके बाद 78 में बाढ़ आयी और उसके बाद फिर बाढ़ आ गयी है। जब-जब बाढ़ आती है, तो यह पानी बाढ़ से फैल जाता है। इसके अलावा यह पानी इकट्ठा होने से कई झीलें तैयार हो गयी हैं। इसलिए इस पानी को अगर सिंचाई में उपयोग किया जाय तो वहां खाली स्थान में काश्त हो सकेगी, आगे जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई हो सकेगी और इससे उपज बढ़ सकेगी। इसके साथ ही मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई के लिए मेरे क्षेत्र में करीब 30 कुएं विभिन्न काश्तकारों के थे, वह इस बाढ़ से बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, मिट्टी से भर गए हैं, ढह गए हैं और बरबाद हो गए हैं। इसके साथ ही जो करीब 12 सार्वजनिक कुएं गांव में पानी पीने के काम में आते थे,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

वह कुएँ भी ग्राज नष्ट हो चुके हैं ग्रौर ग्राज गांव में पानी पीने का कोई जरिया नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जिन काश्तकारों के कुएं ढह गए हैं, उनका ग्रगर ऋण माफ कर सकें तो ऋण माफ करें ग्रौर उनको दुबारा कुग्रा खड़ा करने के लिए ग्रौर ग्रपनी ग्रार्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ऋण दिलवायें, ग्रनुदान दिलवायें। साथ ही यह निवेदन है कि जिन गांवों में सार्वजनिक कुएं बने हुए थे पानी पीने के लिए, उनके भी ग्रनुदान देकर कुएं बनवाने की कृपा करिये।

मैं साथ ही यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि . . .

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने की कृपा करें। बोलने वाले ग्रौर भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सात बजने दीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्यों की ग्रनुमति हो, तो बैठक का समय बढ़ाया जाये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बढ़ाया जावे।

श्री ग्रध्यक्ष : सदन की ग्रनुमति से एक घण्टे के लिए समय बढ़ाया गया।

राज्य में ग्रकाल व बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह था कि जिन गांवों में पानी पांच छः फीट बहा, उन गांवों के सार्वजनिक कुग्रों का पानी जहरीला हो गया। ग्रागे भी सन् 1975 में इस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद कोई उसके लिए इलाज तो नहीं किया गया लेकिन निरन्तर पानी निकलने से उनका पानी बदल गया था। इस बार फिर बाढ़ ग्राने से करीब 12 गांव ऐसे हैं जिनका . . .

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। ग्रापस में बातें नहीं करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : करीब 12 गांव ऐसे हैं जिनके कुग्रों का पानी जहरीला हो गया ग्रौर पीने योग्य नहीं है। ग्रागे यह भी निवेदन है कि उन गांवों को पास की जल योजना से जोड़ दिया जावे या कोई दूसरे कुएं खोद करके उनको पानी उपलब्ध कराने की कृपा करें ग्रन्यथा ग्रकाल से तो ग्रस्त हो ही रहे हैं ग्रागे ग्राने वाले दिनों में जनवरी, फरवरी के बाद में पानी की इतनी भारी समस्या खड़ी हो सकती है कि टैंकरों से या किसी तरह से पानी पहुंचा कर हम इन इन्सानों को कतई जिन्दा नहीं रख सकते। या तो फिर यह होगा कि उनको माइग्रेट करवाया जावे या ग्रन्य तरीका ढूंढना पड़ेगा। ग्रतः यह मेरा एडवांस में निवेदन है कि ग्राप किसी पास की जल योजना से उनको जोड़ दीजिए। मैं ग्रापको निवेदन करूं, भादवासी बामना, जालसू खुर्द, हढ़वर, डगोर, जैतनेरा, मांझी, किरोदा ग्रादि इस तरह के गांवों के नाम हैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जहां कि पानी बाढ़ ग्राने से जहरीला हो गया था। इसके साथ ही यह निवेदन है कि इस बाढ़ से पूर्व हमारे क्षेत्र में बाढ़ ग्राई थी, उसमें बहुत सी सड़कें टूट गई थीं। सड़कों के टूटने के बाद में उन सड़कों की मरम्मत के लिए

(152)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कुछ धनराशि करीब 16 लाख रुपया डेगाना के लिए दिया गया था। मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि सन् 78 में या 79 में जो भी हमारे पी. डब्ल्यू. डी के एक्सईएन थे, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, उन्होंने एक पैसे का काम नहीं करवाया और सारी राशि लप्स हो गई। उस साल बाढ़ में हमारे जिले को जो राशि मिली थी, वह राशि कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ बनता था, वह सारी की सारी राशि लैप्स हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए जो राशि मिली थी, वह सारा पैसा लैप्स हो गया और सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि मौजूदा अकाल राहत मन्त्रीजी इस बात को जानते हैं कि हमारे उस वक्त जो एक्सईएन थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया और सारी की सारी राशि लैप्स हो गई मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पुनः उसी एक्सईएन को हमारे यहां लगा दिया गया है। अगर वही रहे तो मुझे यकीन है कि हमारे जिले की कोई भी सड़क सुधर नहीं सकती क्योंकि वह सड़कें सुधरी नहीं। इस बार फिर फ्लड आया और वे सड़कें टूट गईं। हालत यह है कि किसी भी सड़क पर कोई भी बस, गाड़ी, मोटर गाड़ी चलने के लायक है ही नहीं। अतः आपसे निवेदन है कि उन सड़कों को सुधारने के लिए कोई अच्छे अधिकारी को लगायें और हमें पैसा उपलब्ध करवा कर हमारी सारी सड़कें दुरुस्त करवाइये।

जैसा कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है और मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाकों में जहां सड़कें टूटी हैं, वहां सड़कों की मरम्मत करा दी गई है। लेकिन मेरे जिले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हमारी सड़कों को ठीक करवायें। पहले तो दशा खराब थी ही अब और दुर्दशा हो गई है।

इसके साथ ही यह निवेदन है कि यहां पर जयपुर और जयपुर के आस-पास के जिन गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, या मकान ढह गये हैं, उनको आपकी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उसमें पूरी तरह ध्वस्त मकानों को एक हजार रुपया, नष्ट मकानों को छः सौ रुपया और आंशिक वालों को सौ रुपया दिया गया है। मैं आपको निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गये थे यानी ढह गये थे, जिनका कोई निशान तक नहीं है, उनको छः सौ रुपये में से तीन सौ रुपया एक बार और तीन सौ रुपया एक बार दिया गया। उनकी भी चूंकि हालत उतनी ही बुरी है, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ही दयनीय है, जितनी कि जयपुर या टोंक या दूसरे इलाकों की है। आपने जी. टी. टीन शीट्स दी और एक हजार रुपयों की मदद दी है, कृपा करके आप उनके साथ सौतेला व्यवहार मत बरतिये। उनकी भी उतनी ही दयनीय स्थिति समझते हुए जितनी जयपुर वालों की समझी है, उतनी ही धनराशि और सुविधा उपलब्ध करवाइये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ··

श्री अध्यक्ष : कितने पृष्ठ बचे हैं, समय काफी हो गया है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : बहुत जल्दी, दो-तीन मिनट में कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : नागौर के विषय में कभी कोई नहीं बोलता है । मेहरबानी करके इतना समय और बढ़ा दीजिए ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं थोड़ा यह निवेदन और कर रहा था, अध्यक्ष महोदय कि मैं माननीय अकाल मन्त्री महोदय से मिला था और निवेदन किया था । उन्होंने मुझे बताया कि जिन इलाकों में अकाल से नुकसान हुआ है, मकानों की क्षति हुई है या कुओं को क्षति हुई है, आंशिक रूप से सैंकड़ों कुओं को क्षति पहुंची है, उनके लिए सीमेंट उपलब्ध कराई गई है । ऐसा उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि वह सीमेंट मेरे जिले में, हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंची है । किन कारणों से नहीं पहुंची, इसकी जानकारी करना मेरे लिए मुश्किल है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि नागौर जिले में आंशिक रूप से नुकसान हुए क्षेत्रों के लिए या पूरे नष्ट हुए क्षेत्रों के कुओं के लिए सीमेंट अविलम्ब उपलब्ध करवाइये क्योंकि एक महीने के बाद में कुएं जोतना शुरू करेंगे । अकाल का मामला है इसलिए हर आदमी चाहेगा कि कुओं को ठीक करके कुछ उपज बढ़ायें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे । अतः सीमेंट आप उपलब्ध करवाइये ।

कुओं के लिये मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जिन कुओं को आंशिक नुकसान पहुंचा है या बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनके लिए पिछली बार पचास प्रतिशत अनुदान और पचास प्रतिशत ऋण की व्यवस्था की गई थी । मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधर सके ।

इसके साथ ही सिंचाई के जो बांध थे, उनको भी नुकसान हुआ है जैसे बनवाड़ा, रावजोना, ये बांध बन रहे थे कुछ सम्पूर्ण हो चुके थे लेकिन उनके ओवरफ्लो वाली साइडें तैयार नहीं हुई थीं, अचानक बाढ़ आने से; पानी ज्यादा भरने से इन बांधों को डेमेज, नुकसान हुआ है । अतः आपसे निवेदन है कि इन बांधों को आप तुरन्त अविलम्ब पूरा करवायें । मैं आगे भी इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि जो छोटे छोटे बांध आपने बनाए उनकी बरसात से पहले एक दफा ठीक-ठाक, देखभाल करा ली जावे तो टूटने की मुसीबत नहीं आवे । ठीक करने में इतना धन व्यय नहीं करना पड़ता, जो टूटने पर करना पड़ता है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बांध टूट गये हैं, उनको आप अविलम्ब ठीक करवाइये ताकि आइन्दा से इस तरह की शिकायतें नहीं हों । जिन गांवों में पानी बार-बार भर जाता है, उनके लिए आपसे निवेदन है कि उनकी ड्रेनेज ठीक कीजिए । जब गांव में पानी भर जाता है तो आने-जाने का सम्बन्ध टूट जाता है । कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं और लोग बड़ी मुश्किल की हालत में हो जाते हैं । जिन गांवों में आवागमन अवरुद्ध होता रहा है, उन गांवों के नाम आपसे छुपे हुए नहीं है । इसलिए अगर उनकी ड्रेनेज पहले से ठीक करा दी जाय तो उन गांवों की बरबादी रुक सकती है ।

(154)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ के बाद में जो भयंकर अकाल की स्थिति आने वाली है, उसके लिए हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए। पिछले तीन सालों में अकाल बड़ा भयंकर था। काम भी खोले गये थे और कुछ काम हुए भी थे लेकिन अकाल के बाद में अकाल की जो दशा होती है वह और भी भयंकर होती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन सड़कों का निर्माण करवाना है, उन्हें भी पक्की सड़कें बनवाइये ताकि जो सड़कें आप बनायें वह हमेशा के लिए कायम रहें। जहां तक हो सके तो तारकोल रोड बनाइये। सिंचाई के बंधों में जहां तक मैटीरियल कम्पोनेन्ट और लेबर कम्पोनेंट का जो रेश्यो है, उसको आप कतई नजर में न ला करके सिंचाई के बंधों को संपूर्ण करवाइये। जिस काम को हाथ में लेते हैं, उस काम को अधूरा मत छोड़िये।

इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि नागौर जिले में पानी की कमी तो अक्सर रहती ही है लेकिन चारे की कमी इतनी नहीं होती है। इस बार चारे की भयंकर कमी है। बाढ़ के आ जाने से इन खेतों में जो फसलें और चारा खड़ा था वह सारा नष्ट हो गया। इसके बाद में अब कोई बारिश नहीं हुई तो चारा हुआ ही नहीं। इसलिए यह भी बहुत ही विकट समस्या है। कुछ मवेशी तो माईग्रेट कर जायेंगे। इसलिए जो मवेशी माईग्रेट करने वाली है, उनके लिए आप जगह-जगह फोडर डिपो खोल करके और उनको जहां जाना है, उनको गंतव्य स्थान बता करके वहां जाने के लिए मदद कीजिए और जो मवेशी जा नहीं सकते हैं, जो पशु दूध या और किसी काम या खेती या काश्त के काम के लिए हैं, उन किसानों को आप चारा मुहैया कराने के लिए प्रबन्ध करिये। इसके साथ ही अन्त में....

श्री अमीन खां (शिव) : तालाबों का क्या गांवों के लिए महत्व नहीं है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि जो फेमिन में आप काम करवाते हैं उनमें तालाबों को आप लीजिए। पिछली बार तालाब बहुत कम खोदे गये थे। तालाबों के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था अपर्याप्त है। तालाब बन जाते हैं तो पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यापक तौर पर, बड़े पैमाने पर आप तालाबों को फेमिन के अन्दर बनवाइये। मैं अन्त में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर और जोधपुर का इलाका आपसे आशा करता है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, आप लिफ्ट योजना बनाकर इन जिलों के अन्दर और इनसे आगे वाले इलाकों को पानी उपलब्ध करायें ताकि जो पानी की समस्या है, वह दूर हो इससे फेमिन के लिये परमानेन्ट सोल्यूशन मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भयंकर अकाल की आशंका दिख रही है। उसके ऊपर मैं अपने चन्द सुझाव आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा ईश्वर द्वारा आती है परन्तु यह प्राकृतिक आपदा हमारे अपने कर्मों के द्वारा

155

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

आई है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि देश की सरकार की जो गलत नीतियां थीं उसकी वजह से यह हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इसके बारे में ज्यादा बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। आज हम सबको मिलकर, एकजुट होकर जो भयंकर संकट आया हुआ है उसका सामना करने के लिए अपने को तत्पर रहना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से जब से प्रजातंत्र प्रदेश में और देश में आया है, सदैव अकाल रहा है। कभी वास्तव में अकाल रहा और कभी कागजों में अकाल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अब हम सबको इन भावनाओं से ऊपर उठकर, काम करना चाहिये। पहले सुखाड़िया शासन में उदयपुर डिवीजन में उदयपुर के लिए अकाल इसलिए चलता था कि उदयपुर डिवीजन का विकास होता रहे, ×××उन्हीं××× का नतीजा है कि आज कहीं भयंकर बाढ़ आती है, कहीं भयंकर अकाल होता है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जहां वास्तव में अकाल होता था, वहां पर नगण्य मात्रा में पैसे लगते थे और पूरा बजट उदयपुर डिवीजन में चला जाता था। उसी की आज देन है कि उदयपुर डिवीजन, जो हरा भरा रहता था, में अकाल आया हुआ है। देखिये, सचेत होकर सबक लीजिये आज राजस्थान प्रदेश में बताते हैं कि एक लाख मजदूर अकाल में काम पर लगे हुए हैं उनमें से 45 हजार मजदूर भीलवाड़ा में लगे हुए हैं। कितना बड़ा मजाक है। वास्तव में अकाल बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में है वहां पर मजदूरों की संख्या नगण्य है। मैं पूछना चाहता हूं, चूरू, सीकर और झुंझुनू में कितने मजदूर लगे हुए हैं ? क्या जवाब है, अकाल राहत मंत्री महोदय का ? क्या अकाल भीलवाड़ा जिले में ही आया है? नहीं। परन्तु वहां पर चीफ मिनिस्टर पैदा हुए हैं उस ×××की कृपा से जिसने यहां सरकार को असमंजसकारी तरीके से बदल दिया। उसकी वजह से एक सिलसिला आया और जयपुर शहर में कहर आया, यहां पर तबाही मच गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वास्तव मे कारण थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। इसका ठोस हल यह है कि हमारे प्रदेश में, जैसा हमारे मंत्रि मण्डल के सदस्य श्री शीशराम ओला सदा इस सदन में चिल्लाते थे -- जवाहरलाल नेहरू कैनाल जवाहरलाल नेहरू कैनाल। परन्तु आज तक उसका एक शब्द भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलता। क्या बात है ? आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अगर सीकर झुंझुनू और चूरू से अकाल को मिटाना चाहते हैं तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू कैनाल लाइये। अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में अकाल राहत मन्त्री, ऊर्जा मंत्री और सिंचाई मंत्री हैं, वे अपने आप में सक्षम हैं, क्योंकि उनका पास्ट बहुत उज्ज्वल रहा है। यह माना जाता है कि वह कर्मठ मन्त्री रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, मेरे को बताएं कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल का क्या वजूद है ? हमारे यहां से बड़े बड़े मंत्री हो गये, पी.सी.सी. के प्रेसीडेण्ट हो गये लेकिन उन्होंने जिले की या उस क्षेत्र की जरूरी समस्या

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(158)

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल का कहीं अस्तित्व है, तो उसको हमारे क्षेत्र में लाइये। उससे हमारे क्षेत्र में बहबूदी होगी और अकाल नाम की कोई चीज नहीं आयेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र की एक करोड़ जनता है, वह अकाल के नाम से एक पैसे की मांग नहीं करेगी, अगर आप जवाहरलाल नेहरू कैनाल ले आते है तो। यह ठोस हल है। इस पर विचार करिये। क्यों नहीं आपकी आत्मा में यह सवाल उठता? इतना साधारण तरीका है, क्यों नहीं करते आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सुझाव दूंगा। मेरा दूसरा सुझाव है झुंझुनू और सीकर जिले मे कुछ छोटे मोटे बांध हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी नदी के पानी से नहर की बात कर रहे है?

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय मंत्री महोदय, इस विधान सभा की प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिये। जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, वह चिल्लाते चिल्लाते बूढ़े हो गये, जवाहरलाल नेहरू कैनाल। आप मालूम कर लेना।

श्री परसराम मदेरणा : जवाहरलाल नेहरू नहर की बात कह रहे हैं?

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : आप तो उस वक्त केबिनेट के सदस्य थे। हरिदेव जोशी ने राजनैतिक द्वेष की वजह से उसको नहीं बनवाया। बन्शीलाल जी ने कोई लैटर भी लिखा, पता नहीं, वह है या नहीं या तो शीशरामजी XX बोलते हैं। अब क्या बताऊं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जवाब दूंगा।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एक दूसरा सुझाव है। हमारे सीकर, झुन्झुनू जिले में छोटे-मोटे बांधों की स्कीम है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा बनाई गई एक टर्म है, बी.सी. रेश्यो। यह क्या बीमारी है? इसके माध्यम से थोड़े पैसों से ज्यादा काम हो सकता है परन्तु एक ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे बांध नहीं बनते हैं। पिछली विधान सभा में आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से कि बी. सी. रेश्यों में ढील दी जायगी। यह तत्कालीन सिंचाई मंत्री, प्रद्युम्नसिंहजी ने कहा था परन्तु इसकी पालना आज तक नहीं हुई। मेरे क्षेत्र में मावठा बांध ऐसा बांध है, जिसका बी.सी. रेश्यों बहुत डिस्ट्यूटेड है जिसके कारण वह बांध आज तक नहीं बन पाया। पता नहीं क्या कारण है? न उसको प्लान में लिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवायी जाय। वहां पर ऐसे अन्य कई बांध हैं। ढाकोली गांव है उसकी आज पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। आठ हजार की आबादी का कस्बा है। वहां एक महीने तक पानी नहीं मिलता है। लोग ढाणियों में जाते हैं, तीन-तीन चार-चार मील से पानी एक बाल्टी लेकर आते हैं। यह मजाक नहीं तो क्या है? आज के समय में इतने बड़े कस्बों में जल सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हमारे पहाड़ियाजी कहते हैं, हम छोटी ढाणियों में पानी पहुंचा देंगे।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

यह तो मुझे सपना नजर आता है। अब हमारे अकाल राहत मंत्री और पेयजल मंत्री बहुत सक्षम है, हो सकता है, उस सपने को साकार कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा निवेदन है कि घूम फिर कर बात इस पर आती है कि उर्जा के साधन क्या हैं? हमारे राजस्थान में विद्युत का भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं कटिबद्ध हूं इस संकट को मेट कर रहूंगा। उन्होंने एक संकट तो मेट दिया भीलवाड़ा की भेड़ों का। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उन्होंने भेड़-पालकों को भगाने के लिए आर. ए. सी. का प्रयोग किया। उसी तरीके से वह भाखड़ा उसके संग जायें, देखते हैं कि विद्युत कैसे लाते है। यह चुनौती है उनके सामने. अकाल राहत मंत्री और ऊर्जा मन्त्री के सामने आने वाले अक्टूबर मास में इस प्रदेश का किसान बिजली के लिये तरसेगा तो वह जा सकते है। वे भी किसान के बेटे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं आप बिजली उपलब्ध करा दोगे तो हम भी आपकी वाहवाही करेंगे, आप जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार हैं। परन्तु मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इस चुनौती को कत्तई पूरा नहीं कर पायेंगे वह नहीं कर पाये, तो इस्तीफा दे देना चाहिये। इस पद पर बैठे हुए आदमी को एक किसान के नाते उसकी भावना को समझना चाहिये। हमारे क्षेत्र के किसानों को रात को बिजली मिलती है, वह भी दो सौ वोल्टेज म. क्या करे वह? बिजली चालू करते है, तो मोटर जल जाती है और एक हजार का दण्ड आ जाता है। ऐसा लगता है आज ही उसका बाप मर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरीब किसान की सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। आये दिन उनकी रैलियां बुलाते हैं किसान रैली, किसान रैली, परन्तु सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है।

अब विद्युत के बाद में जो सबसे बड़ा संकट आयेगा मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी आदमी इस देश मे नहीं मरेगा, परन्तु लाखों पशु मर जायेंगे। क्योंकि चारे का भयंकर संकट आने वाला है। उसके लिये अभी समय हैं, हमको जो सुझाव रखना है, वह यही है कि राजस्थान कैनाल एरिया और अन्य जो भी इरिगेटेड एरिया है, उनमें हमको 50 प्र० श० भूमि डवलप करनी चाहिये, या जो कुएं हैं, वहां पर हरे चारे की व्यवस्था करनी चाहिये। केवल यही तरीका है, जिसके माध्यम से हम बच सकते हैं। यह भयंकर अकाल है, इस सदी का जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सुझाव और है सीकर, झुंझुनूं, चूरु के जो इलाके है, ये हरियाणा बोर्डर से लगे हुए है। यहां पर एक मंत्री की व्यवस्था कर दी जाय ताकि एक भी पशु बिना चारे के नहीं मरे इस चारे की हरियाणा से व्यवस्था की जाय जैसी कि हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर खेजड़ली गांव में घोषणा करी थी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे। हालांकि वह भी बहुत बड़े कलाकार है। कहते कुछ है करते कुछ है। परन्तु उनको भी देख लिया जाय, जो कहते हैं, वह करते है क्या?

अध्यक्ष महोदय, अब जो जैसलमेर, बाड़मेर के किसानों और पशुपालकों को

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

भयंकर समस्या है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। गुजरात का क्षेत्र है, वह बहुत हरा-भरा इलाका है। वहां के किसान यह चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक सुविधा सरकार प्रदान कर दे कि हमारे जो जानवर हैं, उनके लिये रेलवे के वैगन उपलब्ध करा दें। हम पशुओं को ले जायेंगे, खर्चा सरकार वहन करे और वहां से जब ठीक वर्षा होगी, हम आ जायेंगे। इसके लिये सरकार व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुझाव हैं जिनके माध्यम से, मैं सरकार को आगाह करता हूं और सूचित करता हूं कि आने वाला भारी अकाल से जूझने के लिये तैयार रहे। मेरा निवेदन है कि यह राष्ट्रीय संकट है और हम सबके लिये चुनौती है। इसका हम सब को मिलकर, पार्टी के भेदभाव को छोड़ कर मुकाबला करना है। अगर आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो हम तत्पर हैं। आप आधी रात को आव्हान करिये....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये, समय हो गया।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जितने सुझाव दिये उन पर सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरजाराम।

श्री सुरजाराम टांक (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान बीकानेर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अकाल है और बाढ़ से प्रभावित है। पहले तो वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई, उससे बीकानेर जिला पूर्णतया प्रभावित हुआ बीकानेर शहर में अतिवृष्टि जो 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश हुई, की वजह से सूरसागर तालाब भर गया और बीकानेर शहर के अधिकांश हिस्से पुरानी गिनानी, हनुमान हत्था, माजीसा का बास पानी में डूब गये। शहर की कच्ची बस्तियां पानी में डूब गई। कच्ची बस्तियों का नरसिंग सागर तालाब भर गया, जिसके कारण सर्वोदय बस्ती, शुभपुरा, इन्द्रा कालोनी और भुट्टों का बास पानी से भर गये। लोगों के कच्चे मकान पानी में ढह गये। पानी की पाइप लाइनें और विद्युत लाइनें टूट गई। बीकानेर शहर में पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण पानी शहर में इकट्ठा हो गया। हमारे जिले के विपक्षी दल के विधायक ने बताया कि यहां पर अभी तक सहायता नहीं पहुंची है, जबकि बीकानेर जिले में शासन की ओर से और सरकार की ओर से पूर्ण सहायता समय पर लोगों को पहुंचाई गई है।

एक माननीय सदस्य : तो फिर क्यों बोल रहे हो?

श्री सुरजाराम टांक : इसके अलावा बीकानेर शहर के और भी कई इलाके ऐसे थे, जिनमें पानी बहुत ही भर गया था। रेलवे लाइन अवरुद्ध हो गई, लेकिन शासन की ओर से एवं सेना की मदद से पानी बाहर निकाल दिया गया शहर की कच्ची बस्तियों में पानी निकालने की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दी गई थी। इसके अलावा एक तरफ तो शहर में बरसात अधिक हुई और दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाका है, उसमें कोई बरसात नहीं हुई, अगर हुई तो बहुत कम हुई। आज भी कम से कम 60-70 गांव ऐसे हैं, जहां बारिश नहीं हुई है। वे गांव आज खाली

(श्री सुरजाराम टांक)

होने की हालत में हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों, जहां बारिश बिल्कुल नहीं है, जो अकाल से प्रभावित हैं, उनको जल्दी से जल्दी अकाल सहायता पहुंचाई जाय। पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाय और अकाल राहत कार्य खोले जायं। बीकानेर जिले में कई जगह ऐसी है, जहां अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां अविलम्ब अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जायं। गांवों में पानी की बड़ी समस्या है। रेगिस्तानी इलाका है, दूर-दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। किसानों ग्रामीण भाईयों को 25-30 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आस पास में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिये वहां ज्यादा से ज्यादा टैंकरों की व्यवस्था करवाई जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उन गांवों में पानी समय पर पहुंचाया जाय और अकाल सहायता दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर जिले में कम से कम साढ़े तीन सौ गांव बाढ़ से पीड़ित हैं वहां से आने वाले चार व्यक्ति बोलने वाले थे....

श्री अध्यक्ष: आपका नम्बर अभी नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान सवाई माधोपुर क्षेत्र में आई बाढ़ से हुई क्षति और भयंकर अकाल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर जिले में 19 तारीख को आई बाढ़ से करीबन जनता का 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस क्षेत्र के अन्दर पांच हजार से ज्यादा जानवर, साढ़े चार सौ कुएं, बीस हजार बीघे से ज्यादा जमीन, 6 हजार परिवार, 30 हजार कच्चे और पक्के मकान और इसी प्रकार डेढ़ सौ से ज्यादा मोटरें और इंजिन क्षतिग्रस्त हुए, इस प्रकार से करोड़ों की क्षति हुई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस समय बाढ़ आई थी गांवों में हाहाकार मच रहा था। एक बात कहना चाहूंगा उस समय ग्राम जनता द्वारा और छोटे कर्मचारियों द्वारा लोगों की सम्भाल और खाने-पहने को दिया गया लेकिन अफसोस इस बात का है कि उच्चाधिकारियों ने तुरन्त इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन की ओर से जो गाड़ियों में घूमने वाले लोग थे, उन्होंने 26 तारीख से पहले कहीं दौरा नहीं किया, 27 तारीख को जब जिलाधीश महोदय, क्षेत्र में पहुंचे, तो ट्रैक्टर से उनको पहुंचाया गया। जब वो ट्रैक्टर से उतरने लगे, तो दुर्भाग्य से पैर फंस गया और उनके लग गई। जब वे गांव में पहुंचे, तो एक गांव सूरजपुरा था। वहां करीबन दो सौ परिवार बरबाद हो गये। जब वहां गये, तो उन्होंने देखा कि जो पटवारी ने रिपोर्ट दी है, वह दो सौ परिवारों की दी है, लेकिन वह गलत है और उन्होंने बात गलत बताई। हमारे इलाके में, अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर झोंपड़ियां खपरैल की है। कच्ची बस्तियों में जो अपनी छत पर डालते हैं, तो उनके मकान जो

(श्री हंसराज शर्मा)

भी थे, वे बह गये, उनका अनाज बह गया और सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार उनकी जो क्षति हुई उसको उन्होंने नहीं माना और लिस्टों में से नाम कटवा दिये। उस क्षेत्र में इस प्रकार 116 गांव बाढ़ से और 117-118 गांवों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ। उनको राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार जिला प्रशासन से निवेदन किया। बाद में एस. डी. ओ. साहब से भी निवेदन किया और जिस समय अकाल का पैसा बांटा गया, तो वहां जनता ने इस प्रकार की मांग की, तो एस. डी. ओ. ने उनको मना कर दिया। पहले धमकाया, धमकाया ही नहीं बल्कि कोतवाली में बैठ गये और आर. ए. सी. के जवानों के बीच में पैसा दिया, इस प्रकार से उन लोगों को डराया और कहा कि यदि आप कहते हो कि पैसा नहीं दिया, तो पुलिस में बन्द कर दिया जायेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस मामले की सम्पूर्ण जांच की जाये। मैं यह मांग करूंगा कि जिस समय हमारे यहां पर सार्वजनिक निर्माण मन्त्री क्षेत्र में गये थे, वहां के सारे कार्यकर्त्ता, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, मन्त्रीजी और सारे अधिकारी थे। वे जिन गांवों में गये, उस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आपने इस बात को स्वीकार किया था कि वास्तव में पट्टियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। खाने को नहीं रहा है। घास बह गयी है। वस्त्र नहीं रहे हैं जानवर मर गये हैं। जमीनें समाप्त हो गई हैं, तो फिर उनको सहायता से वंचित क्यों किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां पर आज दिन तक किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। जो खाने के लिए अनाज आपने तय किया था सात रोज के लिये दो रुपया किलो के हिसाब से दिया जायगा। लेकिन मेरी यह शिकायत है कि पूरे क्षेत्र के लोगों को दो रुपया किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं दिया गया है। जहां चाहा, वहां पर दे दिया, जहां नहीं चाहा, वहां पर नहीं दिया। मैं यह बात यहां पर कह रहा हूं आज दिन तक सात दिन का राशन वहां की जनता को नहीं मिला है। मैं नहीं कहना चाहता कि इसको गवर्नमेंट के अन्दर एन्ट्री है, या प्राइवेट बांट दिया है। हमने बराबर कहा है कि आप दो रुपया किलो के हिसाब से अनाज बांटें, सबको दिलावें।

मेरा यह भी निवेदन है कि ग्राम टापरी में 32 मकान थे। वे सारे के सारे 32 मकान समाप्त हो गये हैं। जिलाधीश महोदय वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी यह कहा है कि इनका कुछ नहीं बचा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस गांव के केवल 7 आदमियों को 300 रुपये और बाकी के लोगों को 100|—रुपये, 50|—रुपये ही दिये गये। मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय को निवेदन किया, लिखित में भी शिकायत की यहां भी मेरा निवेदन है राज्य सरकार का जो सर्वेक्षण दल गया था, उसने और जिला प्रशासन ने भी रिपोर्ट दी, परन्तु उसके अन्दर इस गांव का नाम नहीं है। प्रकृति के प्रकोप से यह गांव समाप्त हो गया ... ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परन्तु सहायता की लिस्ट में इसका नाम गायब हो गया है। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि पटवारी ने रिपोर्ट दी है, तहसीलदार ने रिपोर्ट दी है,

(श्री हंसराज शर्मा)

वहां के गिरदावर ने रिपोर्ट दी है कि इस गांव की क्षति हुई है, जानवर मर गये हैं इसलिए इसको बाढ़-ग्रस्त में ले लिया जाये, लेकिन जिलाधीश महोदय ने इसको बाढ़ग्रस्त में नहीं लिया। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार बाढ़-ग्रस्त गांवों में ......

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ की जो परिस्थिति हो रही है ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं आयी। कभी ऐसा देवी प्रकोप राजस्थान के ऊपर नहीं आया इतने अर्से में। राजस्थान की जनता पर यह प्रकृति का भयंकर प्रकोप है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं......

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये। मेरी बात अकाल के बारे में रह गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुझे समय दिया जाय। आपका आदेश होते ही मैं तुरन्त बैठ गया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मजबूरी है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल के संबंध में दो शब्द और कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने शुरू कर दिया है।

श्री हंसराज शर्मा : इन्होंने आदेश दिया और मैं बैठ गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि दो मिनट का समय और दें। दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त करें। यह निवेदन है, माननीय सदस्य, आप समय का पूरा ध्यान रखें। 5 से 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे यहां पर मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, और जो उच्च अधिकारी हैं वे हमारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं पहुंचे। बल्कि मेरा तो यहां तक चार्ज है कि एक ग्राम बालगाट है वहां पर राजनैतिक आधार पर पैसा बांटा गया है। वहां पर पक्के मकान टूटे, कच्चे मकान टूटे, सबको कुछ न कुछ पैसा दिया गया है। इसका कारण राजनैतिक आधार था। श्री रामकुमार मीणा स्वयं वहां पर बैठ गये और उनकी देख रेख में यह सारा पैसा बांटा गया है। एक गांव के साथ ऐसा व्यवहार किया गया और बाकी गांवों के साथ पक्षपात किया गया। मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच कराई जाये। इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से कि वह स्वयं इस बात की जांच करें। माननीय चेतरामजी जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। श्री रामकुमार मीणा ने स्वयं बैठ कर इस गांव में पैसा बंटवाया है ......

श्री परसराम मदेरणा : राज्य मंत्री जो हैं, सहायता मंत्री भी हैं......

श्री हंसराज शर्मा : मेरा निवेदन करना यह था कि अच्छे-अच्छे लोग हमारे क्षेत्र में जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी केवल हवाई

(162)

(श्री हंसराज शर्मा)

दौरा करके रह गये। मैं सोच रहा था कि बहुत क्रिया मंत्री हैं, पुराने मंत्रीजी आयेंगे, हमारे क्षेत्र में आयेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट हो गये। समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : ...वहां पर बाढ़ के कारण सारा इलाका सड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि इस जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जाये और अविलम्ब राहत कार्य प्रारम्भ कराये जायें। जिन शिक्षण संस्थाओं में पाठ्य सामग्री नहीं है उनको दिलवाई जाये। चारे की व्यवस्था के लिये मेरा निवेदन है, चारे का हमारे यहां पर संकट है। जानवरों के चरने के लिए जगह नहीं है। पेट की जमीन दी जाये। इसी प्रकार मेरा नम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र में और कोई साधन नहीं बचा है। इसलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा डीजल अलाट किया जाये। बिजली की जो अव्यवस्था है उसको तुरन्त ठीक कराया जाये। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट से ज्यादा तीन मिनट हो गये।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का रहा है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, मुझे यह आशा है कि आप इसकी जांच करेंगे और जांच करके हमारे इलाके में जो समस्यायें हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ-साथ मुझे यह भी आशा थी कि जिस समय 19 तारीख को साढ़े सात बजे सारे इलाके में त्राहि-त्राहि हो रही थी, लोग मर रहे थे, पशु तड़प रहे थे, राज्य सरकार अपना शपथ ग्रहण समारोह मना रही थी। मुझे आशा थी कि इस भयंकर घड़ी के अन्दर शपथ ग्रहण करने वाले, जो इस दुखद घड़ी में एक हरिजन मुख्य मंत्री को हटाकर कुर्सी पर बैठे हैं, अपना त्याग-पत्र दे देंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिये मुझे यह आशा हो गयी है कि वे कठोर हृदय के हैं। उनके आते ही यह बहुत बड़ा संकट राजस्थान में बाढ़ और अकाल का आ गया है। मेरा निवेदन है कि इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। हमारे राजस्थान का भविष्य इनके हाथों में उज्ज्वल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चतुर्भुज।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी अकेले थे। वे त्याग-पत्र दे देते तो वैक्यूम हो जाता और वैक्यूम होता,तो आप लोग अक्षम है, ढाई साल में ही पैदे बैठ गये, तो क्या हालत होती।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अर्ज कर रहा था कि 19 तारीख को बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण राजस्थान की राजधानी पर संकट आया है और उसके बाद अकाल और बाढ़ की यह चुनौती एक साथ हमारे सामने है। यह समस्या एक साथ हमने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी। ऐसी परिस्थिति में यह बात

(श्री चतुर्भुज)

निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी से जयपुर आने वाले मार्ग पर बांडी नदी के पास जो नदी है, उस नदी के पानी के अन्दर 17 तारीख की रात को, एक बस जिसमें 80-85 यात्री बैठे हुए थे डूब गई इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बांडी नदी पर काज वे बनाते हैं पर यह हर बार टूट जाता है। यह 10 साल से रिकार्ड है कि यह हर बरसात में टूट जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर आज की तारीख में आम लोगों के लिये यह रास्ता है, जो कि बंद हो जाता है। इसलिये मैं आप के द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बांडी नदी की काज वे करीब दस साल से हर साल टूटती है। अगर बांडी नदी व मासी नदी, जो इस मार्ग पर पड़ती है, इन स्थायी पुलिया बन जाये, तो जयपुर से भीलवाड़ा व केकड़ी व टोडारायसिंह के आम यात्रियों को सुविधा ही नहीं होगी वरन जो यात्रियों के दिमाग में अभी 17 तारीख की रात को बांडी नदी पर घटना घटी उसकी वजह से जो डर पैदा हो गया, उसका भी निराकरण हो सकता है और जन साधारण का बरसात के दिनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत, या अपनी राजधानी जयपुर पहुंचने में कठिनाई नहीं होगी। अगर यह पुलिया बन जाय तो यह आने वाले वर्षों में भीलवाड़ा से जयपुर आने वाले और भीलवाड़ा से जयपुर आने वाले जो मारे गये वे नहीं मारे जायेंगे। दोनों नदियों पर पुलिया बन जाये, तो जन जीवन की सुरक्षा हो जाये। हर साल यह किसी न किसी का भक्षण करती है। यह दोनों नदियां हर साल किसी न किसी की बलि लेती हैं। इस साल तो इसने इतना बड़ा अनर्थ किया कि किसी को भी दया नहीं आयी और 80 आदमियों को लेकर बस डूब गयी। इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों नदियों पर पुलिया बना दी जाये, तो हमारे लोगों को जयपुर पहुंचने का विश्वास हो सकता है।

दूसरा जयपुर से आने वाली फागी रेणवाल के बीच में रेल की पटरी टूटी हुयी है और रेल कई दिनों से यहां नहीं चल रही है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार से कि जयपुर से जाने वाली टोडारायसिंह रेल को तुरन्त चालू किया जाये। आज के दिन में मोटर के किराये और रेल के किराये में कितना अन्तर है? इसलिये आम जनता की सुरक्षा के लिये, मदद के लिये और आम जनता को राहत देने के लिये इस रेल को जल्दी चालू करें। उनके ऊपर ही, हम आशा करते हैं और भरोसा करते हैं कि हमारा मार्ग बंद कर दिया गया है, वह खोल दिया जायेगा।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में और हमारे जयपुर और आसपास टोंक जिले में जो विनाशकारी बाढ़ आयी थी वह भी हमारी फसलों को खा गयी है। सम्पूर्ण राजस्थान की ऐसी हालत आपके सामने आने वाली है। इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि भयंकर स्थिति हमारे सामने आने वाली है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं, कि वहां कोई दो फीट ढाई फीट फसल नजर नहीं आ रही है। भयंकर परिस्थिति ......

(7.37 रात्रि)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सभापति पदासीन)

(श्री चतुर्भुज)

आयेगी चारों ओर पानी की । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आज भी यह समस्या है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से अजमेर और नसीराबाद को पानी दिया जा रहा है । इसके अलावा नगरपालिका टोडारायसिंह 15-20 हजार की आबादी का शहर है, इसको आज भी 20 साल से 8-10 किलोमीटर दूर से एक कुएं से पानी मिल रहा है, जलप्रदाय का और कोई साधन ऐसा नहीं है । बनास नदी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, डाही नदी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, सादरा नदी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है। कुल 20 25 किलोमीटर में ये पड़ती है । इसके बावजूद भी आज हमारे सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसा विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा, अंकित कर लिया जाये कि हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी है । टोंक जिले में सबसे ज्यादा पानी टोडारायसिंह में है । इसके बावजूद 8 गांवों में ही हमारे यहां पर बिजली है । इसका कारण हमें यह कहना चाहिए, सरकार को हम निवेदन करते हैं, बराबर मांग करते हैं परन्तु मैं किसान वर्ग का प्रतिनिधि आता हूं, सन् 1974 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय हरिदेव जोशी जब मासोलाई ग्राम पधारे थे तब आम जलसे में टोडारायसिंह तहसील के लिए विद्युतीकरण को लागू करने की घोषणा की थी, तथा साथ ही यह भी घोषणा की थी कि मोर ग्राम से सवांरिया ग्राम तक डामर रोड कर दी जावेगी । मगर इसके बावजूद भी आज तक राज्य सरकार की घोषणा पूरी नहीं की गई । मंजूर होने के बावजूद भी हमारे ऊपर कोई न कोई राजनीति कारण पड़ता है और बिजली मंजूर होने के बावजूद भी वह वहां से कैंसल हो जाते है । हमारे यहां 1974 के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी साहब ने घोषणा की थी कि टोडारायसिंह को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा लेकिन आज दिन तक यह घोषणा हमारे यहां लागू नहीं की गई है, जिसके कारण किसान वर्ग को इतना पानी होने के बावजूद टोडारायसिंह नगरपालिका को 10 मील दूर एक कुएं से पानी मिल रहा है । जबकि हमारे यहां पर इतना पानी है कि अजमेर तक को पानी यहां हमारे क्षेत्र से दे रहे हैं ।

जब मैं एक बार प्रधान था, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि भू जल की एक पार्टी वहां आयी हुयी थी । हमको उसका पता नहीं था । हमने उस पार्टी को हमारे यहां पर बुलवाया नहीं और उन्होने यह रिपोर्ट दे दी कि इस क्षेत्र मे पानी नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस बात को लेकर जब भी हमारे क्षेत्र को विद्युतीकृत करने की बात होती है, तो उस रिपोर्ट के कारण वह रुक जाती है । इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को विद्युतीकृत करने की कृपा करें ।

दूसरा यह निवेदन है कि बनास योजना हमारी वर्षों से चल रही है । इसको आप ले लें तो कुओं को पानी पहुंच जायेगा और इससे बूंदी सवाईमाधोपुर, टोंक आदि जगहों को पानी मिल सकता है, जो आपको बड़े बड़े शहरों को पानी देने की दिक्कत आ रही है, वह पानी का संकट भी नहीं आ सकता है । वह बीस वर्षों से योजना अटकी पड़ी है ।

इसके साथ-साथ और भी दुर्व्यवहार हमारे साथ हो रहा है । हमारे यहां पर इस योजना के नहीं होने से 25-30 गांवों का विकास नहीं हो सकता है उस

(श्री चतुर्भुज)

रिपोर्ट के कारण हम न कुआ खोद सकते हैं; न ही कोई नाड़ा, खाड़ा ही खोद सकते हैं। इसलिये यह भी संकट हमारे ऊपर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर सरकार कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं करती है, तो उस क्षेत्र के कारतकारों को जो नोटिस दे रखे हैं, वह वापस ले लें और सदन में घोषणा कर दें कि बीसलपुर बांध नहीं बंधेगा ताकि क्षेत्र की जनता जमीन पर की वर्षों से कुएं, नाड़े व अन्य विकास कार्य, जो रुके हुए हैं, वह चालू हो सकें। रिपोर्ट को तो वापस ले लें यहां पर वापस सर्वे करवायें, तो हमारे यहां पर कुछ विकास तो हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी, जो छोटी मोटी बातें हैं, उनको स्वीकार करें और अकाल की जो विषम समस्या है, उससे राहत दिलवायें।

एक सुझाव और देना चाहता हूं सभापति महोदया, चारे और पानी की समस्या हमारे सामने है। पानी की तो भयंकर समस्या है ही। यदि आप चारा कोई दूसरे प्रदेशों से मंगवायें, जो कि दो तीन साल से पड़ा होगा, तो उससे हमारे पशु कभी नहीं बच पायेंगे मर जायेंगे। इसलिए दूसरा कोई समाधान करें। यदि कहीं पर चारा है, और वहां पर पशुधन भेज सकते हैं, तो वह करें। या हमारे यहां स्थानीय तरकीब से चारा पैदा होने की कोई गुंजाइश हो, तो वह करें अगर ऐसा सम्भव हुआ तो पशुधन बच जायेगा। अभी केकड़ी का मेला हुआ था। वहां पर एक-एक जोड़ा 20 रु. में बिका अभी केकड़ी में जो सौजादशमी पर बैलों का मेला लगा उस मेले में 20 रु. की एक बैल की जोड़ी बिकी क्योंकि क्षेत्र में चारे का भारी अकाल है इसलिए कारतकार को मजबूरी से अपनी जोड़ी बेचनी पड़ी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोग तो अपने मवेशियों को दूसरे प्रदेश में भी भेजने को तैयार हैं। मेरा सुझाव यह है कि कहीं किसी प्रदेश से चारा मिल जाये तो यहां के पशुधन बच सकते हैं, पर वह चारा ठीक हो। नहीं तो दो तीन साल का बचा हुआ चारा खिलायेंगे, तो हमारे बचे खुचे पशु भी मर जायेंगे और पशु मर जायेंगे, तो चारा मंगवाने का कोई लाभ नहीं होगा। किसान के चारे का खर्च भी हो जायेगा और वह पशु पालक और किसान बरबाद हो जायेगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे प्रदेशों में कोई व्यवस्था अच्छी हो तो पशुधन को वहां भेज दें नहीं तो कोई दूसरी व्यवस्था करें। इसके साथ ही मैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य काफी समय ले लिया है।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : बोलने दें। सही बात बता रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज : मैं तो आपको कभी भी परेशान नहीं करता हूं. हमेशा अनुशासन में रहता हूं। मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पानी और चारे का सबसे ज्यादा संकट आने वाला है। इस समय इस संकट से निपटने के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे यहां के पशुधन को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पानी और चारे का प्रबन्ध करें। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण इस समय 10 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। मेरे पास 10 की तो लिस्ट है और जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है, यह ज्यादा भी हो सकती है इसलिए आप समय पर नियंत्रण रखें...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कल भी यही आइटम रख लिया जाये। हमारे जिले से तो अभी एक भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री यदुनाथ सिंह : हम आपके जिले के लिये नहीं हैं क्या ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): आप तो उधर से बोले हैं।

एक माननीय सदस्य : कई जिलों के लोग बोले ही नहीं हैं, इसलिए कल भी समय दिया जाये।

श्री यदुनाथ सिंह : आज ही बढ़ा दिया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल का प्रस्ताव रख दिया जाये।

श्री चतुर्भुज : मुझे भी पांच मिनट और दिये जाये।

श्री परसराम मदेरणा : बी.ए.सी. ने जो प्रतिवेदन रखा था और सदन ने जिसको पारित किया है, उसमें दो दिन रखा था। क्योंकि माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, इसलिए इस व्यवस्था पर माननीय अध्यक्ष ने कुछ संशोधन किया है। कल के दिन भी पूरे दिन इस विषय पर डिबेट चले, यह नहीं हो सकता है। दो दिन से ज्यादा इस पर चर्चा कभी भी नहीं चलती थी, बल्कि एक ही दिन में रात तक ज्यादा देर तक का समय ले लिया जाता था। कल भी ज्यादा समय बढ़ाने की बात थी, पर सत्ताधारी लोग ही ज्यादा बोलने लगे। कल तो पांच बजे चले गये। बल्कि सात बजे तक बैठ जाते और आज बैठ जाते, तो ठीक था। कल का जो प्रोग्राम है, उसको टाला नहीं जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : सदन चाहे, तो कल के लिए कर सकता है। सदन सर्वोपरि है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन सर्वोपरि है। लेकिन तीन दिन तक डिबेट नहीं चलेगी बोलने वाले बोल लें।

(व्यवधान)

आज समय बढ़ा लीजिये, एक घण्टा, दो घण्टा, मैं बैठ सकता हूं।

श्री सभापति : आपके सामने स्थिति यह है कि 10 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। एक फैसले तक सदन पहुंच गया है। अब आप फैसला कर लीजिये कि कितने घण्टे चलायेंगे ? इसी तरह से बोलते रहे, तो तीन घण्टे लगेंगे। यह मैं सदन पर छोड़ रही हूं कि 12 बजे तक चले या 1 बजे तक चलें।

श्री नमदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): हमारे जिले को अभी तक अवसर ही नहीं मिला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है कि एक समय निश्चित कर लीजिये। आप बता दीजिये, एक माननीय सदस्य को कितना समय मिलना चाहिये।

श्री हरिसिंह : सात मिनट।

श्री सभापति : सात मिनट का समय रखा जाता है। मैं दो मिनट पहले घण्टी बजा दूंगी। समय का ख्याल रखियेगा।

श्री अमराराम।

श्री यदुनाथ सिंह : हरिसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, कल के लिए, उसका क्या हुआ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सभापति महोदय, अभी आपने कहा कि सदन सर्वोपरि है।

श्री सभापति : मैंने ये शब्द नहीं कहे, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा विचार कर लिया जायगा। आप बोलने दीजिये।

श्री अमराराम।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में हिस्सा लिया है, वे चाहते हैं कि हाउस एडजोर्न कर दिया जाय। मेरा आपकी मार्फत निवेदन यह है कि चाहे देरी तक बैठना पड़े, आज समय मिल सकता है, जितने भी बोलने वाले हैं, सात मिनट में जो मुख्य मुद्दा है उस पर अपनी बात कह सकते हैं। रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। आप समझते हैं कि हाउस सर्वोपरि है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को यहां स्वीकारा गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन में हाउस तरमीम करना चाहता है, तो उसके अन्दर सभी पार्टियों के नेता थे। मैं समझता हूं, उचित होगा, अध्यक्ष महोदय के साथ में बात हो गई, उसमें तरमीम करने वाली बात है। पहले वह बात हो जाती, तो ठीक होता। आज तो यही उचित रहेगा। सरकार की तरफ से उत्तर कल होगा। माननीय सदस्य आज बोलना चाहें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सात मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सबको समय मिल जाता और तैयार होकर आते।

(व्यवधान)

श्री अमराराम : माननीय सभापति महोदया, बाढ़ और अकाल, अतिवृष्टि और अनावृष्टि की देन है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये कुदरत की देन है। वैसे अकाल कोई आज नया नहीं है। बाढ़ भी पहले से ही अपने राजस्थान में आती रही है, लेकिन मेरे क्षेत्र में इस साल त्रिकाल है। काल ही नहीं, त्रिकाल है। बहुत से माननीय सदस्यों ने हाउस में फर्माया कि हमारे यहां अकाल है। मैं भीलवाड़ा, अजमेर, और जयपुर जिलों की तरफ काफी घूमा हूं। जैसा त्रिकाल हमारे बाड़मेर जिले में है वैसा दूसरी जगह नहीं है। हमारे बाड़मेर जिले में पहले 79 में बाढ़ आई, उसके बाद अकाल पड़ा। फिर अकाल पड़ा और आज भी भयंकर अकाल है। बहुत से ऐसे

(168)

(श्री अमराराम)

गांव हैं, जहां एक बूंद भी बरसात नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां कोई साल ऐसा नहीं जाता है, जहां कोई फसल खड़ी हुई हो। दूसरे जिलों में उनके सिंचाई के साधन हैं। हमारे यहां वर्षा के सिवाय कोई साधन नहीं है। बाड़मेर जिले में ऐसे कुछ गांव हैं, जहां सिंचाई के साधन थे, लेकिन वे बाढ़ आ जाने के कारण नष्ट हो गये। बाड़मेर जिले के लोगों की हालत बहुत गम्भीर है। वहां का किसान बहुत ही चिन्तित है। माननीय मंत्रीजी स्वयं इस बात से परिचित हैं, जानते हैं। उन्होंने मेरे क्षेत्र में मेरे साथ बाढ़ के समय दौरा किया। उसके बाद उस क्षेत्र में घूमे थे ढाणियों के अन्दर, उनको मालूम है कि उनके हुंद के क्षेत्र में और गांव में भी भयंकर अकाल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी भयंकर अकाल है। जहां पीने के लिये पानी नहीं है। दस पन्द्रह साल हो गये, मुण्डव और पिपलिया की पाइप लाइन से। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, या तो पानी का प्रबन्ध कीजिये, दस साल से वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, या फिर उसको उखाड़ कर पी.एच.ई.डी. को दे दें। जिलाधीश कहते हैं कि टैंकर से पानी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पेयजल योजना में पाइप लाइन लगी हुई है। हीरा की ढोड़, खोखासर में सैकेण्डरी स्कूल है। अध्यापक लोग जिला कार्यालय में बैठे हैं। कहते हैं पानी नहीं है, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे भी वहां नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि पानी की भयंकर समस्या है। अकाल के बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। इसका कोई स्थायी हल निकाला जाये। और वह स्थायी हल कान्स्ट्रक्टिव वर्क्स से निकल सकता है। राजस्थान नहर निकाली जा सकती है, हमारे मवेशी दूसरे जिलों में जाते हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

या मर जाते है, गांवों में मुकदमे बनते है। यह कोई आज की नई समस्या नहीं है, यह तो हमेशा की समस्या है। इसके लिए सरकार को स्थाई हल ढूंढना पड़ेगा। वहां पर मवेशियों के लिए चारे की भयंकर समस्या है। आपको वैगन की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे प्रान्तों से चारा लाने में जो किराया लगेगा दो रुपया किलो पड़ेगा। पिछले साल भी मेरे क्षेत्र में एक रुपया किलो कुतर बिकी है। यदि चारे का प्रबन्ध नहीं किया तो मवेशी बिल्कुल मर जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आज मेरे क्षेत्र में जहां बिजली है, वहां काश्तकारों के कुए भी लगे हुए है तैयार लगे हुए है। उनकी फसलें जल रही है। विद्युत कनेक्शन नहीं देने के कारण उनकी फसलें और जल जायेगी और वे भी बेकार हो जायेंगे। वे भी मजदूरी के लिए दर-दर ठोकर खाते फिरेंगे। हम उनको मजदूरी नहीं दे सकेंगे तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो जायेगी इसके अलावा जो अनाज की व्यवस्था है अभी तक हमारे यहां अनाज किसी को तीन किलो मिल गया बालोतरा शहर में लेकिन गांवों में अनाज बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है ऐसी हालत है। लोग कहां तक अपने गहने बेचकर अपने दिन गुजारेंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मेरा टाइम ले लिया था, हम माननीय सदस्यों ने।

श्री सभापति : क्या हुआ?

श्री अमराराम : वे बोले इसलिए मेरा समय ले लिया।

श्री सभापति : कौन बोला?

श्री अमराराम : वीरेन्द्र प्रताप सिंह बोले। मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

दूसरा यह है कि बालोतरा के अन्दर कुए थे वे बाढ़ से नष्ट हो गए। जो उनकी जमीन थी वह खराब हो गई। उसके कारण वहां 8) प्रति बीघा उनसे बीगोड़ी वसूल की जा रही है जब कि वहां कृषि बिल कुल नहीं होती है। ऐसे जो कुए हैं कुए वालों से विद्युत चार्जेज ज्यादा लिये जा रहे हैं 16 दिसम्बर 1979 को वाणिज्य कर आयुक्त श्री जोसफ ने काश्तकारों द्वारा अपने कुओं से कृषि कार्य के लिए बिजली देने पर लगाए गये विद्युत शुल्क को अनुचित बताया था। तो यह विद्युत शुल्क जो लग रहा है, इसको अनुचित बताया गया है; यह माफ होना चाहिए। अब वापस लिया जा रहा है जो माफ किया गया, अब वापस वसूल किया जा रहा है इसको माफ किया जाय और एवरेज चार्ज माफ किया जाय। यही मेरा निवेदन है चारे की भी पूरी व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेवप्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, स्वस्ति पंथा मनुचरं मसूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता धनता जानता संगमे महि।

गत जुलाई मास में राजस्थान में जयपुर जिले के आसपास आई बाढ़ के अन्दर जो अपार क्षति जनधन की हुई है, उसके प्रति मैं संवेदना प्रकट करना चाहता हूं और बाढ़ की सहायतार्थ जिस किसी ने भी योगदान दिया है, वे सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति महोदय, मैं चूरू जिले से आया हूं और मेरा जिला गत तीन वर्षों से अकाल से पीड़ित था। इस वर्ष भी अकाल की संभावनायें नजर आ रही हैं। वर्षा के अभाव के कारण बाजरे की फसल नष्ट हो गई है और घास यदि दो सौ ढंगल भी वर्षा पड़े तो अन्न पैदा होने वाली नहीं है इसलिए जो संभावनायें अकाल की है, इससे स्पष्ट जाहिर है कि पशुधन के लिये चारे का अकाल तो पड़ चुका और यदि वर्षा नहीं हुई तो पेयजल की भयंकर समस्या होगी। पेयजल के लिये चूरू जिला हमेशा ही उपेक्षित रहा है। मेरा सुझाव है कि आये दिन पड़ने वाले अकाल की कोई स्थाई रूप से व्यवस्था की जाय। चूरू जिले में जो राहवीं योजना है, उस कार्य को गति दी जाये। सिद्धमुख नहर, जो चूरू जिले के लिये बनाई थी, को क्रियान्वित किया जाय गंगा और जमुना के जल की जो जवाहरलाल नेहरू नहर के नाम से प्रसिद्ध है, वह हमारे जिले में आने की संभावना है, उसको हाथ में लिया जाय या लिफ्ट योजना के द्वारा इस जिले को पेयजल उपलब्ध कराया जाय। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि चूरू जिले के लिये पीने के पानी की कोई स्थाई व्यवस्था होनी चाहिये। अकाल राहत कार्य हमेशा जैसे चलते हैं, उनमें कुछ सुधार होना चाहिये। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले साल अकाल राहत कार्यों की जो गति रही, वह संतोषप्रद नहीं थी। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में हामूसर के केम्पों में प्रत्येक मजदूर

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

को प्रतिदिन सिर्फ 37 पैसे मिल हैं जो अपने आप में विचारणीय है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात की रोकथाम होनी चाहिये और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो गांव अकालग्रस्त हों, उनको प्राथमिकता मिले और जो अकालग्रस्त नहीं हैं उनको दो नम्बर पर लिया जाय।

गत वर्ष जहां-जहां हमारे जो गांव अकालग्रस्त घोषित थे, वहां तो काम नहीं हुये और जो अकालग्रस्त नहीं थे, उन जगह काम चालू किये गये। अत: इन सब अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो इसका आप विशेष ध्यान रखें। चूरू जिले की पेयजल की स्थाई व्यवस्था के लिये एक ही मार्ग है। हमारे यहां किसी नहर की व्यवस्था के लिये योजना हाथ में लें। वैसे योजनायें बनी हुई हैं, कृपया उनको देखें, चिंतन तथा मनन करें, फिर उनको कार्य रूप देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : सभापति महोदय, आज लगातार दो दिन से...

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय, सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : बार-बार बढ़ाने से...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री परसराम मदेरणा : एक घंटा बढ़ा दिया जाय, फिर और बढ़ा देंगे।

अनेक माननीय सदस्य : बीच में फिर यह समय खतम हो जायगा।

श्री सभापति : एक घंटे के लिये समय बढ़ाया जाता है।

राज्य में अकाल व बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

श्री घनश्याम जैन : राज्य के अकाल व बाढ़ की स्थिति पर एक विकट समस्या पर चर्चा लगातार दो दिन से बहस हो रही है। मैं भी इस विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हर वर्ष किसी न किसी जिले में अकाल पड़ता है। इस वर्ष कई जिलों में अनावृष्टि से, तो कई जिलों में अतिवृष्टि से भयंकर अकाल पड़ा है। अकाल प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन अब हमारे सामने परिस्थिति यह है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाय? इस मौके पर सरकार की विशेष रूप से जिम्मेदारी है, परीक्षा की घड़ी है कि युद्धस्तर पर किस तत्परता से, किस मुस्तैदी से हम अकाल का मुकाबला करें। मुझे विश्वास है कि माथुर साहब जैसे मुख्य मंत्री और मदेरणा साहब जैसे अकाल राहत मंत्री मिले हैं, तो दोनों के अनुभव से हमारे कार्य में गतिशीलता और तत्परता आयेगी। चित्तौड़ जिला एक ऐसा जिला है, जहां सदियों से अकाल नहीं देखा है, लेकिन लगातार तीन वर्षों से अकाल पड़ने से वहां भयावह स्थिति हो गई है। जहां एवरेज 30 से 36 इंच वर्षा होती है वहां इस वर्ष केवल 12–14 इंच वर्षा हुई है। बांधों का जल स्तर, कुओं का जल स्तर इतना कम है, ऐसी स्थिति है जैसे बैसाख महीने में, मई जून में होती है, वैसी स्थिति

171

(श्री घनश्याम जैन)

सहज है। इस स्थिति को देखते हुये शीघ्र ही राहत कार्य खोले जायें। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि गत वर्ष भी हमारे चित्तौड़ जिले में जहां टेस्ट वर्क्स नवम्बर में शुरू हुये थे, राहत कार्य मई में शुरू हुये। इससे हमारे लोगों में निराशा हुई, मजदूरों में बेचैनी हुई और हमें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस बार जब हम जानते हैं कि भीषण अकाल है तो इस ओर शीघ्र ही व्यवस्था की जाय, जिलाधीशों को निर्देश दिये जायें कि शीघ्र ही अकाल राहत कार्य खोलें। बोराव बांध, दीपपुरा का तालाब है, इसी तरह से सिंचाई योजनाएं मेरे क्षेत्र में हैं, जैसे रूपा रेल, बूजड़ा बांध, नगपुरा कुदाल का खान, मैनाली, खो की नदी एवं राजगढ़ तालाब ऐसी योजनाएं हैं, जिनका सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा चुका है। इस वर्ष इनको शीघ्र ही कार्य रूप दिया जाय, ताकि भविष्य में अकाल की स्थिति का सामना न करना पड़े। पेयजल की दृष्टि से यह वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि जहां-जहां हमारे यहां पर ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें हैं, वह वर्षों पुरानी हैं। उनकी जल सप्लाई की क्षमता इतनी कम है कि अभी से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बेगूं में जहां पर ढाई लाख गैलन पानी की आवश्यकता है, वहां पर अभी हम 70 हजार गैलन पानी ही दे पा रहे हैं। इसकी बड़ी चिन्ता है। वहां क्षमता बढ़ायी जाये। भैंसरोड़गढ़ में जहां पर टंकी है, वह बहुत पुरानी लोहे की है। उसमें जंग आ गया है। उससे पानी की सप्लाई में व्यवधान पैदा हो रहा है। पारसोली और भी जोर में योजना है, वहां अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और बेगूं में भी जहां पर अधिकतर अनुसूचित जाति के लोगों के मोहल्ले हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन विकट परिस्थितियों में वहां पानी देने की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

इसके अलावा जहां चारे का सवाल है, चारे की कमी पर भयंकर समस्या है। मेरे क्षेत्र बेगूं में जहां चारे का भंडार था, वहां से चारा राजस्थान से बाहर जाता था। वहां पर पिछले तीन वर्षों से लगातार अकाल चल रहा है। चारा बहुत ही कम उगा है और जो भी उगा है वह कम से कम पिछले दो महीने में वहां पर ढाई लाख भेड़ें समूचे क्षेत्र में पड़ी हुई हैं। वहां का जंगल समूचा नष्ट हो गया है। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के किसानों को चारा दिया जाये। उसके बाद बाहर की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा डी.टी.एस. स्कीम जो है उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां निवेदन किया, मेरे यहां भी 7 डी.टी.एस. स्कीम हैं वहां पर भी मोटर तो लगा दी, पर चालू नहीं है। एक भी स्कीम चालू नहीं है। स्कीम चालू नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायतों से बिजली विभाग मिनिमम चार्ज वसूल कर रही है जबकि आज तक एक भी बूंद पानी नहीं निकला है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार वहां पर सस्ते अनाज की दुकानें खोलें और अकाल राहत कार्य खोलें, ताकि गरीब लोगों को सस्ता अनाज मिल सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि अकाल राहत कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाकर लोगों को राहत दिलवाई जाने का कष्ट करें।

(श्री घनश्याम जैन)

पेयजल समस्या ग्रस्त गांव जहां हैंडपंप लगाना अत्यावश्यक है, की सूची पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री हंसराज।

(अनुपस्थित)

श्री माणकमल मेहता (पाली) : सभापति महोदय जी, मैं जो दो दिन से अकाल की विभीषिका और बाढ़ के संबंध में डिबेट हो रही है उसके संबंध में अपने विचार इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। इसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी अकाल राहत के संबंध में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान अकाल की विभीषिका से हमेशा से ग्रस्त रहा है। पश्चिमी राजस्थान तो इसका हमेशा से ही शिकार रहा है। लेकिन इस बार समूचे राजस्थान में इस विभीषिका का तांडव नृत्य नजर आ रहा है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य ही रहा है कि आज 35 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गये, पर उसके बाद भी हम कोई स्थायी योजना पश्चिमी राजस्थान के लिए नहीं बना सके, जिससे हम इससे उबारे जा सकें। यहां प्रति वर्ष अकाल की विभीषिका आती है। हम उसके हल के लिये राहत कार्य खोलते हैं. हर साल केन्द्रीय सरकार से पैसा लेते हैं और अपने प्लान में से भी पैसा लेते हैं। उससे राहत के कार्य शुरु किये जाते हैं। प्लान्ड वे जब तक हम राजस्थान के लिये कोई प्लान नहीं बनायेंगे, जब तक इसका कोई परमानेन्ट हल स्थायी रूप से नहीं निकालेंगे, तब तक इस स्थायी समस्या का हल हमारे पास नहीं रहेगा। यह जब हमारे यहां पर एवरी डे फेज हो गया है और एवरी ईयर फेज बन गया है, तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय अकाल राहत, जो कि स्वयं इस काम में बहुत अनुभवी हैं, इसके स्थायी हल के लिये कोई न कोई, योजना जरूर बनायेंगे। अकाल राहत कार्य जब हम खोलते हैं, उस वक्त हमारा मानवीय दृष्टिकोण रहता है कि जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, वहां पर हम लोगों को किसी तरह से कोई काम मिले। उसके लिये हम तालाब बनाते हैं या सड़कें बनाते हैं या खड़ीन बनाते हैं। लेकिन अकाल को हमारे यहां पर हमेशा के लिये समाप्त करने हेतु जब तक पानी के स्त्रोत का हम समाधान नहीं निकाल पाते, तब तक इसका स्थाई हल नहीं निकल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में हमें एक ही चीज नजर आती है, वह आशा की किरण है हमारी राजस्थान नहर परियोजना। मैं समझता हूं कि राजस्थान नहर परियोजना के लिये हमने वर्षों से कोशिश की, परिश्रम भी किया लेकिन उसका अभी तक हमें कोई विशेष फल नहीं मिला। यदि हम युद्ध स्तर पर राजस्थान नहर का काम करके राजस्थान नहर का पानी जोधपुर ले आयें, तो मैं समझता हूं कि रास्ते का सारा इलाका हरा-भरा हो जायेगा। राजस्थान नहर नाचना तक पहुंच गयी है। हम लिफ्ट इरिगेशन से योजना बनाकर जोधपुर शहर को पानी दे सकते हैं जोधपुर में पानी की हालत सुधर सकती है और अकाल का राजस्थान में स्थाई हल भी हो सकता है। पाली और जोधपुर दोनों ही पड़ोसी जिले हैं। जवाई बांध से जोधपुर को हमेशा से ही ड्रिंकिंग वाटर देते आये हैं। हम अपनी कॉस्ट पर अपने जीवन की कोस्ट पर और अपने पशुओं की कोस्ट पर देते आ रहे हैं। मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राहत कार्य जो हमेशा से आप पाली जिले में खोलते

(श्री माणकमल मेहता)

रहे हैं, जोधपुर जिले में खोल रहे हैं, उन सारे राहत कार्यों को यदि बन्द भी कर दिया जाय, तो उसमें बुराई नहीं है, वल्कि अधिकांश जो हमारे यहां पर जवान और हट्टे कट्टे लोग हैं; उनको आप राजस्थान नहर में माइग्रेट कर दें और वहां राजस्थान नहर पर लगायें। अब उसे युद्ध स्तर पर पूरा किया जाय, तो हमेशा के लिये इसका स्थाई हल हो सकता है, इन कार्यों को बन्द किया जा सकता है। परमानेन्ट नेचर का काम होगा वह स्थायी हल भी अकाल का हो जायेगा। हम ट्यूब वेल खुदवाते हैं, हम हैन्डपम्प्स भी लगवाते हैं लेकिन पानी का स्रोत, हमारे जो ओरिजिनल सोर्स हैं, को हम काम में लेने की कोशिश करते है। वह सब सोइल वाटर या अन्डरग्राउन्ड वाटर आ जाता है और अब यह स्थिति बन गयी है कि जिन गांवों में पानी था, वह भी सूख गया है। दुर्भाग्य से मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, अध्यक्ष महोदय, जहां पर पीने के पानी की कभी अच्छी व्यवस्था नहीं रही। मेरे क्षेत्र पाली में अभी…

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो मिनट और बोलूंगा। पाली शहर जहां से मैं आ रहा हूं, में पंचायत समिति रोहट क्षेत्र है। मैं अकाल राहत मन्त्रीजी का बहुत ही आभारी हूँ। कि वह अभी 14 तारीख को अपना प्रोग्राम बनाकर वहां गये। मेरे क्षेत्र को उन्होंने देखा। वहां लोगों की जो पिपासा थी, उसको शान्त करने का आश्वासन भी दिया। इमर्जेन्सी प्लान भी ड्रिंकिंग वाटर का बनवाया आज भी मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं कि उस प्लान को क्रियान्वित किया जायेगा। थोड़े अर्से के लिये उससे चाहे हल निकल सकता है, पर वह इस साल के लिये ही हल निकलेगा। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रिटिकल वाटर है, रोहट के 40 गांवों में, पीने का पानी नहीं है। हमेशा से ही वहां पर अकाल रहा है। केवल एक सोर्स है, वह है जवाई बान्ध का पानी। जोधपुर को देने से पूर्व यह निश्चित कर लिया जाना चाहिये था कि जवाई बान्ध का पानी, जो आप जोधपुर को दे रहे हैं वह वहां के जानवरों के लिये, वहां के मनुष्यों के लिये पर्याप्त पानी आज तक आपकी स्कीम्स बन रही हैं और रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम भी बनती रही हैं, पर उनके अन्दर पशुओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आखिर हमारा वह इलाका रोहट पंचायत समिति के 50-60 गांव है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वहां का एरिया ऐसा है कि पशुओं के ऊपर उनका सारा जीवन निर्वाह है। उनकी सारी इकोनोमी पशुओं पर निर्भर करती है। यदि उनके पशुओं को पानी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ मनुष्यों को पानी देंगे, तो हम किसी तरह से उनको बचा नहीं सकेंगे। इस साल जो भयंकर अकाल की विभिषिका है तो यह समझते हैं कि उसमें उनको राहत नहीं मिलने पर उनका सारा पशुधन बरबाद हो जायेगा। उसके बाद में हम किसी भी तरह से उनकी माली हालत को सुधार नहीं सकेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर यह जो इमर्जेन्सी प्लान बन रहा है, उसमें जवाई नहर से जो पानी दिया जाय, व उसमें

(174)

(श्री माणकमल मेहता)

पी. ए. च. ई. डी. को यह निर्देश दिये जायं कि वह पशुओं के लिए भी पानी मुहैया कराये। यदि पशु मर जाते हैं तो वहां के लोगों के जीवन-यापन करने का दूसरा साधन नहीं रहता। वह दूध के ऊपर ही निर्भर करने वाले लोग हैं। वह दूध बेचकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इसके बाद मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जंगलात का 74 हजार क्वि. घास पानी में पड़ा हुई है। पाली के विभिन्न जोहड़ों बीजवा, एमला का गुडा, देसूरी और इन्दरली में 74 हजार क्वि. घास पड़ी हुई है। इसको वहीं रखा जाये। वहां इतने ज्यादा पशु हैं कि उनके लिए यह घास भी अपर्याप्त रहेगा। यह भी पर्याप्त नहीं पड़ेगी, बल्कि बाहर से और मंगानी पड़ेगी। निश्चित रूप से इस घास को दूसरे जिलों में भेजेंगे, तो ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा और वहां के लोगों को पूरी घास भी नहीं मिल पायेगी। इसलिए इस घास को यहीं रखा जाय, तो यहां के मवेशियों के लिए चारा दिया जा सकेगा।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जो माइग्रेटिंग केटल है उसको 6 किलो या 5 किलो घास देते हैं। वहां रहने वाले मवेशियों के लिए पाली जिले में यह आदेश दिये कि वह माइग्रेटिंग केटल है जो बाहर जाने वाली है, उन मवेशी के लिए नहीं हैं उसके लिए भी आपको घास के डिपो का निर्माण करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो, तीन मिनट।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह पाली कान्स्टीट्यूएन्सी के जो गांव हैं वह विशेषकर पानी की समस्या से प्रभावित हैं। इस बार तो उनकी ऐसी हालत हो गयी है कि करीब करीब सभी गांवों के अन्दर पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए स्थाई प्लान बनाये जायं। राहत मंत्री जी से मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पाली शहर, पाली के गांवों, पाली पंचायत समिति और राहुरी पंचायत समिति एरिया का विशेष ध्यान देकर वहां राहत कार्यों को हमेशा के लिए प्रारम्भ रखा जाये और वहां के जन जीवन को आप राहत देने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री ताम्बी!

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कल अपने विचार प्रकट किये थे, उस समय भी समय का अभाव था मेरा ख्याल है कि इस समय भी पूरा समय नहीं देंगे। स्वयं अकाल राहत मंत्री महोदय और उसके बाद एक प्रतिनिधि मण्डल.......

श्री परसराम मदेरणा : आप दुबारा कैसे बोलेंगे? इसी कन्टिन्यूएशन में डिबेट चल रही है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं दूसरे सुझाव रखूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप कल बोल चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आज नये सुझाव दूंगा। और भी तो बोले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी नहीं बोला है। कल माननीय सदस्य हेमारामजी बोले थे और जो माननीय सदस्य बाड़मेर से आते हैं, वह बोले थे। यह पहला ही मौका है जबकि दुबारा बोल रहे हैं। आप कल नम्बर 9 पर बोल रहे थे और आपने 11 बातें कही थीं। मैंने सब नोट कर रखी हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने यह नहीं कहा है कि मैं नहीं बोला।

श्री सभापति : आप ऐसे ही मंत्री महोदय, से कह दें। कल आप बोल चुके हैं और आज नियमों को तोड़ रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : नये सुझाव दूंगा, साहब।

एक माननीय सदस्य : दुबारा नहीं कहना चाहिए, माननीय सभापति महोदया।

श्री सभापति : एक दो सुझाव देने हों, तो दे दो।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : माननीय सभापति महोदय, हमारे भरतपुर जिले में

श्री सभापति : आप बोलें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं कल बोला हूं, लेकिन आज भी कुछ सुझाव नये दे सकता हूं।

श्री हरिसिंह : यह नियम तोड़ रहे हैं और मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। आप डिसाइड कर दीजिये कि एक आदमी दुबारा बोल सकता है क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार बार आपत्ति हो रही है। आप बैठ जायें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे दल की ओर से पूरा अधिकार लाया हूं।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि····

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, माननीय सभापति महोदया, कि फिर आप परिपाटी एक्सटेन्ड कर रहे हैं। वह नहीं हो सकता। एक डिबेट में दुबारा व्यक्ति बोले, मैं समझता हूं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे इलाके भरतपुर में तारीख 20 को बाढ़ आई थी और 21 तारीख को माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी पहुंचे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन से, पुराने या नये?

श्री रामप्रसाद : नये वाले। नये और पुराने दोनों हमारे ही हैं।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे भरतपुर जिले में कुम्हेर, नदबई, बयाना, वैर और रूपवास इन पांच क्षेत्रों में करीब 350 गांव बाढ़ के प्रकोप में थे। हमारे इलाके में करीब 5000 बीघा जमीन नष्ट हो चुकी है। किसानों की आज हमारे इलाके में जमीन खराब हुई है। जो बाणगंगा नदी है, उसने जगह बदल दी है। माननीय सभापति महोदया मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज हमारा इलाका भरतपुर ऐसा जिला है, जिसमें काफी

178

(श्री रामप्रसाद)

पैदावार होती है । चारा पैदा होता है और लाखों बीघा में गल्ला पैदा होता है जो कि हम राजस्थान के कुछ हिस्सों में भेजते हैं । आज हमारे इलाके में एक तरफ तो बाढ़ है और दूसरी तरफ अकाल है। अकाल की स्थिति ऐसी भयंकर है कि हमारे किसानों की खेती खड़ी खड़ी सूख गयी है ।

माननीय सभापति महोदया, दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में कुओं में पानी सूखता जा रहा है। पानी पीने की समस्या बहुत ज्यादा है । माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके में पानी की समस्या है और कुछ हमारे इलाके में पहाड़ी एरिया है वहां कुओं में पानी नहीं है । कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि कोआपाड़ा, सिगरिया, मांमरोल और डेरे का एरिया है, वहां पहाड़ है । प्रॉपर रूपवास में आज पानी की समस्या है। ऐसे इलाके में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की समस्या को तुरन्त हल कराया जाय ।

दूसरी बात, हमारे इलाके में सब बांध टूट गये हैं । उन्हें ठीक करवाया जाय । एक बात यह कहना चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों की लापरवाही से अबके बाढ़ आई है । इस बाढ़ में तमाम बन्धे टूट गये। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले आजतक उन्हें देखने नहीं गये । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप टाइम दें और हमारे इलाके को देखें । मैं माननीय मन्त्री महोदय को व्यक्तिगत तौर से कहना चाहूंगा कि आप हमारे इलाके में आकर देखें ।

हमारे इलाके में रूपवास, वैर नदबई, कुम्हेर और बयाना ऐसे क्षेत्र है जिनमें हम लाखों मन गल्ला पैदा करते हैं, उनमें भी आज तहलका मच रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वहां अकाल राहत काम करवायें ताकि गरीब किसानों को राहत मिल सके ।

एक बात और कहूंगा, हमारा जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है उसमें सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवाई जायं । अबके हमारे इलाके में गल्ला पैदा नहीं हुआ है इसलिए सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवाई जायं ताकि किसानों को कुछ लाभ मिल सके ।

दूसरी बात, हमारे इलाके में बिजली की बहुत मांग है । आप वहां पर बिजली दें जिससे किसान कुछ पैदा कर सकें । आज हालत यह है कि चार घण्ट बिजली मिलती है । हमारे क्षेत्र में चार घण्टे दिन में बिजली मिलनी चाहियें, ताकि किसान कुछ पैदा कर सकें।

एक निवेदन और करूंगा । हमारे बन्धवारा का बांध है, उससे कुछ पानी भरतपुर को देते हैं । मैंने परसाल लड़ाई करके कुछ किसानों को पानी दिलवाया था । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, कुछ पानी इसमें से किसानों को दिलवाया जाय ताकि हम खेती कर सकें । माननीय सभापति महोदय, इस पर गौर किया जाना चाहिये क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। बाढ़ग्रस्त एरिया है, डांग एरिया है वहां के किसान पैदा करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वहां कुछ काम करें जिससे हम अपने इलाके को बचा सकें ।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट ।

हमारे इलाके को, सभापति महोदया, कुछ राहत दिलाने की तुरन्त व्यवस्था करें । पीने के पानी की तुरन्त व्यवस्था

(श्री रामप्रसाद)

करवाई जाये। कुछ जगह हैंड पम्प लग चुके हैं, कुछ जगह नहीं लगे हैं-वहां भी लगवा दिये जायं। हमारे राज्य मन्त्री और केबिनेट मन्त्री, दोनों ही किसान नेता हमारे यहां के हैं। माननीय नेतरामजी भी इलाके में जाकर देख आये हैं कि किसानों की क्या हालत है। तो मैं इतनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति :-श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में अकाल, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से आता है। मैं थोड़े समय में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की स्थिति बताने जा रहा हूं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अतिवृष्टि से बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। आपको मौसम विभाग के आंकड़ों से पता लगता होगा कि बांसवाड़ा में जो बरसात हुई, उससे अनाज हुआ। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर जिस दिन से बरसात होना शुरू हुई, उस दिन से लगातार बरसात होती रही है, मक्के की फसल दो फीट से अधिक नहीं बढ़ सकी। बरसात से सारी फसल गल गई, दब गई। मक्का, कपास सब दब गई, गल गई। उसके बाद दो महीने के तक एक साल रूक गई। पौधे सूख गये और कोई उत्पादन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में अधिक बरसात होने की वजह से या अनावृष्टि से यह नहीं मान लें कि वहां कोई अकाल नहीं है, यह नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि वहां गश्त गिरदावरी ठीक ढंग से करवा देवें। पटवारी हर खेत पर जाकर गिरदावरी करें और जो औसत उत्पादन है उसे देखा जाय ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। मेरा निवेदन है, पंच, सरपंच, पटवारी को साथ लेकर सही गिरदावरी करवायें तो मैं समझता हूं राजस्थान के रेवेन्यू के आंकड़ों में भी कुछ सुधार हो सकता है। गत साल में 174 गांव बांसवाड़ा में अकाल में लिये गये थे। जोशीजी के गांव में 174 गांव अकाल में लिये जबकि सभी जिलों में अकाल था, उसे नहीं माना गया। मेरा निवेदन है वहां राजस्व के हिसाब से अकाल माना जाता है। इसलिए मैं कहता हूं गश्त गिरदावरी ठीक ढंग से हो। तहसीलदार और कलेक्टर की देखरेख में पटवारी से गिरदावरी करवाई जाय। जब पटवारी को कहा जाता है कि इतने दिनों में गिरदावरी करके दो तो पटवारी एक गांव में जाकर ही सब जगह की वहां बैठे बैठे गिरदावरी कर लेता है। इससे हमारे आदिवासियों को बहुत नुकसान होती है। वहां के किसान मजदूरी पर निर्भर करते हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। वहां के मजदूर खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। इसलिए मैं इतना निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जिले में अकाल घोषित किया जाये।

दूसरा निवेदन है जिस खेत में उत्पादन नहीं हुआ है, उस खेत का लगान भी नहीं लेना चाहिये। सभी माननीय सदस्य बोल गये अकाल है और कह दिया कि लगान स्थगित किया जाय, परन्तु मेरा निवेदन है कि जिस खेत में उत्पादन नहीं है, उसका लगान स्थगित ही नहीं होना चाहिये, खारिज होना चाहिये। जब-जब अकाल पड़ता है अतिवृष्टि से, तो राज्य सरकार लगान स्थगित कर देती है। तो इसे स्थगित न करके मेरा निवेदन है

(श्री रामप्रसाद)

खारिज किया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में स्थायी अकाल से निपटने के लिए काश्तकारों को हर खेत पर कुए खोदने के लिये सरकार की तरफ से लोन और अनुदान दिया जाय। उन काश्तकारों को कहा जाय कि युद्ध स्तर पर कुएं खोदें। कई काश्तकार कुएं नहीं खोद पाते हैं, तो सरकार की तरफ से ब्लास्टिंग मशीन की व्यवस्था की जाय—ऋण और अनुदान दोनों की सहायता दी जाय ताकि स्थायी रूप से उत्पादन करने का कार्य कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़े समय में एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारा पहाड़ी इलाका है। काश्तकारों के पास 10 से 15 बीघा तक के ही खेत हैं, इससे ज्यादा बड़े खेत नहीं हैं। सभी सूखी भूमि है। उसको हरी-भरी बनाने के लिये छोटे-छोटे नदी नाले बनाये जायं तो वहां के काश्तकारों को लाभ मिल सकता है। कई जगह का सर्वे भी किया गया है किन्तु अभी तक उन नालों की स्कीम तैयार नहीं की गई है और यदि की भी गई है, तो राज्य सरकार को पेश नहीं की गई है। आज भी कई जगह की स्कीम पड़ी है।

गये साल जयपुर से डिप्टी इंजीनियर साहब पहुंचे उन्होंने कहा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बगरे के नाले की 15 दिन में स्कीम बना कर तत्काल भेजें, मैं बहुत जल्दी मंजूरी दिलवा दूंगा। वहां से इस नाले की पूरी स्कीम बना कर भेजें। माननीय प्रधान सिंहजी वहां पहुंचे और उनको इस नाले की रिपोर्ट पेश कर दी। यहां आकर उस नाले की स्कीम को ड्राप कर दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस बगरे के नाले लिया जाय तो गरीब आदिवासियों की जमीन, जो तीन हजार बीघा के करीब है, में सिंचाई हो सकती है। इसी प्रकार से गारखावंध, चांदपुर, पतराड़ा, नवाखेड़ा, रायड़ी माल, अनाखेड़ा का नाला, इन सभी पर सर्वे हुआ है और विगत में काम हो चुके हैं। नाले का काम रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन नालों के सर्वे के हिसाब से जो अधूरे काम है, इस साल उनको कहां पर अकाल मान कर पूरा किया जाय तो गरीब आदिवासियों को राहत मिल सकेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल।

श्री मोहनलाल जाट (कपासन) : माननीय सभापति महोदयजी, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदयजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष चित्तौड़ जिले में वर्षा की कमी के कारण भारी अकाल पड़ा हुआ है, इसलिये चित्तौड़गढ़ को प्रभावग्रस्त घोषित कराया जावे जिससे राहत कार्य चालू हो सकें वरना चित्तौड़ जिले में ऐसी तबाही मच जायेगी कि मवेशियों को पीने का पानी नहीं मिलेगा और न ही गांव में पीने का पानी मिल सकेगा। आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते हुए जो कार्य चालू कराये जायं उनमें हैण्ड पम्प, नल योजना ट्यूबवैल लगाने का कार्य चालू कराया जाय जिससे कम से कम पीने का पानी की समस्या तो हल हो सके। राहत कार्यों में गोपालपुर फीडर को सबसे ज्यादा महत्व दिलाया जाय।

श्री सभापति : श्री भगवानदास।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको नहीं बोलना है।...

श्री सभापति : श्री भगवानदास। श्री भालू खां।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : वे जंगल में गये।

श्री सभापति : श्री असलम भाई।

श्री असलम खां (पाली) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान पाली जिले के भयंकर अकाल की ओर दिलाना चाहता हूं। पाली जिले में विधान सभा क्षेत्र वाली है, जहां की स्थिति बड़ी भयानक है। अकाल की बात तो है ही, इसके लिए मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो ...

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके सुझावों का मूल्य विशेष नहीं होगा क्योंकि कोरम नहीं है। सुझाव क्यों दे रहे हैं?

श्री असलम खां : पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, कोरम नहीं है। कोरम के अभाव में कैसे मीटिंग चलायेंगी? ...

एक माननीय सदस्य : आप भेज दि उसको बुला लीजिए, आपके दल में तो आप अकेले हैं।

एक माननीय सदस्य : आप बुलाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मेरा काम नहीं है। आपकी मर्जी है, चाहे चलाईये आप। यह तो आपका ध्यान आकर्षित किया है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : हो गया कोरम। चलिए। असलम भाई चलिए।

श्री असलम खां : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी को पहले धन्यवाद कह दूं कि इस भयंकर अकाल की स्थिति में माननीय मुख्य मंत्रीजी व अकाल राहत मंत्रीजी ने पाली जिले का दौरा किया। इसके लिए मैं मेरे क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं 3-4 छोटी-छोटी बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का इस टाइम भी बड़ी भारी किल्लत हो रही है। उसके लिए मेरा एक सुझाव है, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को इसमें सक्रिय कार्य करना पड़ेगा। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जो गंवाई कुंए सिंचाई कुंए, उनमें सब में करीब-करीब पत्थर हैं। उनके लिए हमारे किसान आज भी पैसे लेकर घूमते हैं, मगर उनको ब्लास्टिंग की मशीनें नहीं मिल पा रही है। मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से विशेष निवेदन है कि हमारे उस पहाड़ी क्षेत्र में आप इस बात की सुविधा करें। साथ ही जलदाय विभाग की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके जितने कुए हैं, उनमें करीब-करीब सब में पत्थर हैं। उन कुओं की आज भी यह स्थिति है कि जलदाय विभाग गांवों को पूरा पानी नहीं दे पा रहा है। उनको ठीक करने के लिये मंजूरियां गत वर्ष भी हुई लेकिन वे मंजूरियां कहां रुक गयीं? मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मेड़ा गांव है, उसके लिए गत वर्ष भी एक मंजूरी हुई थी, मगर उसका कुआं अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसलिए मेरा एक विशेष निवेदन मेड़ा गांव के लिए तो यह है कि गांव के अन्दर एक वहां के

(180)

(श्री असलम खां)

भूतपूर्व जागीरदार जिनका बहुत बड़ा बांध पर्सनल काम उपयोग में लिया जाता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा बांध उनके पास अभी तक कैसे रह गया जब कि वहां पूरे गांव में लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते है। उस बांध को सरकार अपने अधीन कर पीने का पानी उपलब्ध कराये। इस क्षेत्र में 25 गांव आदिवासियों के हैं उनमें गत वर्ष काफी हैण्ड पम्प लगे हैं, मगर ज्यादातर खराब हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने इसी तरह से बिजली की मोटरों के लिए बताया, गंवाई कुओं पर बिजली की मोटरें लगायी गयीं उसमें मेरे क्षेत्र में भी ज्यादातर मोटरें खराब पड़ी है। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि पाली की ओर आप पूरा ध्यान दें। पशुधन के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में जैसा अभी माननीय सदस्य, जो पाली से आये हैं ने बताया अभी हमारे पास 74 हजार क्विन्टल घास है। मगर उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घास के जोहड़ घास इतनी बढ़ी हुई हैं कि कट नहीं सकती। वह घास गीली है उसके अन्दर अगर मवेशी छोड़ दिये जायं, तो मवेशी काफी दिन तक अपना गुजारा कर सकते हैं। कुदरती पैदावार ताल बावड़ी, से हमारे वहां होते हैं। उसको नीलाम न किया जाय। सरकार द्वारा जोहड़ों में गंवाई मवेशी को चरने दिये जायें तो वह काफी समय तक जिन्दा रहेंगे। सरकार जब तक बाहर से इंतजाम करे, तब तक उनके लिए बड़ा सहारा मिल सकता है। मैं हमारे आदिवासी क्षेत्र की ओर आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में करीब 25 गांव आदिवासियों के हैं। वहां पर आज अकाल राहत कार्य बिल्कुल बन्द है, वहां पर जो भी अधूरे कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाय। मैं एक आदिवासी क्षेत्र की एक छोटी सी घटना बताता हूं, जो हमारे सामने आयी थी, आज तक उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई। अभी अकाल राहत कार्य के टाइम में गोहरिया से पतराड़ा रोड पर फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये थे। यह खबर अखबार में भी सायां हुई थी मगर इन्क्वायरी कहां चली गई इसका अभी तक पता नहीं लगा ? मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस तरह की घटना दब जाएगी तो आने वाले समय में ये लोग इसी तरह की घटना करते रहेंगे।

मैं आपसे पुन: एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र की मदद करें।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास डोमी (चौहटन): मेरा नाम पुकारा गया था।

श्री सभापति : श्री रूपलाल।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा अकाल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो उदयपुर जिला है, उसमें खैरवाड़ा तहसील एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी रहते हैं। खैरवाड़ा तहसील दो वर्षो से अकाल में गुजर रही थी और इस वर्ष फिर से अकाल के लपेटे में आ गई हैं। दो वर्ष का अकाल

(श्री रूपलाल परमार)

जिन व्यक्तियों ने निकाला है, उनमें राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी रही और वह जिन्दा रहे। आज खैरवाड़ा तहसील के आदिवासियों की हालत बहुत ही खराब है; वे दुःखी हैं और संकट में हैं। अपनी खुद की भूख मिटाने के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया है। उनके शरीर के ऊपर न कपड़ा रहा है; न पांवों में जूते रहे हैं और वह दुःखी हैं। इस संकट में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि खैरवाड़ा तहसील में दो वर्षों से अकाल था, इस वर्ष भी अकाल है और सारे मजदूर मर गए हैं। आदिवासी भूखे हैं उन भूखों की मदद करने के लिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि खैरवाड़ा में अकाल राहत का काम शुरू करवाया जावे। काम ऐसे शुरू करवाये जावे जिससे किसानों को भी मदद मिले। नालों को बांध कर एनीकट का कार्य शुरू करें तभी किसानों का कुछ भला हो सकता है।

दूसरा, गवांई तालाब कई जगह हैं। देतावास में एक बहुत बड़ी नदी पहाड़ों में से निकल रही है उसका सर्वे पहले हो चुका है। अगर आपकी कृपा हो तो वहां पर उसका सर्वे और करवा करके उसका काम शुरू करवा दिया जाय। इससे वहां पर रोटी और रोजी मिलेगी और लोग जिन्दा रहेंगे। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ऐसी कई नहरे हैं उनको पक्का करवाया जावे वह पानी वहां से न जावे। वही पानी आज लीकेज होकर नदियों में जा रहा है। इस लिए मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नहरें लीक हो रही है, उन नहरों को पक्का करवाया जावे। मेरे क्षेत्र में तालाबों का सर्वे किया है, उन तालाबों का काम शुरू करवा दिया जावे।

दूसरी बात आपसे यह निवेदन करूं कि मजदूरों को रोजगार दिया जावे। हमारे यहां के मवेशियों के लिए घास की व्यवस्था की जावे। इन शब्दों के साथ, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं. समय पर ध्यान दिया जाये बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति : श्री जगन सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास डोसी (गोहटन) : मेरा नाम पुकारा गया था। मैं बोल लेता हूं।

सभापति महोदय, अकाल के बारे में काफी चर्चा हुई है। दरअसल में तो अकाल का प्रभाव हमेशा बाड़मेर जिले में ही रहता है। बाड़मेर की कहावत है, हमारी सौ साल की एवरेज है –

"सात सुगाल, सतावीस काल,
तेरेसठ किरीया काचा।
तीन भयंकर ऐसा पड़े,
माय पूत मिले न पाछा।"

यह हमारे बाड़मेर की दशा है। हमेशा अकाल पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष करीब दो सौ गांवों में काचा जमाना है, परन्तु छः सौ गांवों में अभी कुछ नहीं है। बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 32 का जमाना अच्छा हुआ था उसके बाद में जो घास था वह सारा का सारा खत्म हो गया। घास तो गए साल शेरगढ़, जोधपुर से आता था वहां भी अकाल है; इसलिए घास का अकाल भयंकर है। इस साल मवेशी बचने की कम ही उम्मीद है। मेरा निवेदन है कि

(श्री भगवानदास डोसी)

मवेशी के लिए चारा किसी भी हालत में लोग खरीद कर उन्हें बचा नहीं सकते। मवेशियों को सरकार अपनी तरफ से रेलों से कहीं दूसरे प्रान्तों में ले जायेगी, तभी काम चलेगा। लेकिन जिनके पास एक-एक दो-दो गायें हैं वे जा नहीं सकेंगी उनको चारा मिल सके इसके लिए इन्तजाम करें। हमारे बाड़मेर जिले में इस साल चारे का भयंकर अकाल है।

पानी के बारे में संकट है ही। जहां जहां टैंकरों से पानी पहुंचाया गया है, वहां प्रति व्यक्ति पाव गैलन भी नहीं मिलता है। वहां रीजनल पाइप स्कीम बनाने का विचार किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में धारासर, जसार, रतासर, जपना, शोभाला, केलनोर, इन गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। वहां के लिए अभी तक कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पाइप लाइन की स्कीम बनानी चाहिए।

लड़कों की मंजूरी के बारे में मेरा तो यही निवेदन है कि गत साल का जो अनुभव है कि लोगों से कोई काम लेने वाला नहीं था। लोग काम करते नहीं थे। जो गांव के अन्दर कुछ आगेवान थे वे लोग पांच सात आदमियों के फर्जी नाम लिखते थे। जो लोग मजदूरी करने आते थे, वह घर से पैदल चलकर 10-11 बजे तक साइट पर पहुंचते थे और घण्टा दो घण्टा काम करने के बाद चले जाते थे जिससे कोई भी काम नहीं होता था। इसलिए अकाल का स्थायी हल होना चाहिए ताकि परिस्थिति ठीक रहे काम लेने वाले ओवरसियर या ए.ई.एन. कोई भी साइट पर जाते नहीं थे। कोई काम करने वाला नहीं था। 20 की गेंग थी, पांच फर्जी थे, पांच काम करने वाले नहीं थे, बाकी दस काम करें, तो उतना, नहीं करें। इस तरह से फर्जी काम होते थे। मेरे इलाके में मैं तो यही चाहता हूं कि पचास गांव ऐसे हैं जिनमें सिंचाई के कुएं खुद सकते हैं उनसे उस इलाके में हमेशा के लिए अकाल का स्थायी हल निकल सकता है। वहां पर दो साल पहले दस-दस बोरी गेहूं देकर कुएं खुदवाए गए थे। अभी भी मेरी यही राय है कि अगर दो-दो हजार रुपया इन गांवों में सब्सिडी के रूप में लोगों को दिया जावे तो काफी इलाकों में अकाल का स्थायी हल निकाला जा सकता है।

एक मेरे क्षेत्र बाड़मेर में कोई उद्योग नहीं है लेकिन मेरे इलाके में जो घरेलू उद्योग चल रहे हैं उनमें सरकार मदद करे। वह उद्योग है कशीदा का, भरत का। यहां बहुत सी औरतें घरों में बैठ कर काम करती है और पांच से दस रुपये आज दिन तक कमाती हैं। मेरे इलाके का भरत का काम विलायतों में जाता है। हमारे यहां की शिड्यूल्ड कास्ट्स की औरतें, मेघवालों की औरतें, मुसलमानों की औरतें सब ये काम करती हैं। उनको कुछ मदद दी जावे या खादी भंडार की तरह कुछ मदद की जावे तो काफी समस्या हल हो सकती है। बाकी पीवाई के बारे में ...

(8.46 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा निवेदन है कि मेरा यह अनुभव है कि गत साल जो चालीस रुपये पिवाई के दिए गए उन चालीस रुपयों में पिवाई नहीं थी क्योंकि उसमें

(श्री भगवानदास डोसी)

आधा पैसा तो सरपंच लोग खा जाते थे। इसलिए कम से कम अस्सी रुपया पीवाई हुए बिना कोई जोतेगा नहीं। नहीं तो इस सस्ती वाहवाही में कोई फायदा नहीं, ये लोग पैसे को खा जाते हैं। चालीस रुपये में कोई कुआ जोतता नहीं। कम से कम, फिफ्टी परसेंट सरपंच इस पैसे को डकार गए, खा गए। इसलिए या तो इसमें तब्दीली की जाय, या बिलकुल बन्द किया जावे। सस्ती वाहवाही में कोई फायदा नहीं। दूसरा पानी के लिए जो पाइप लाईन की स्कीमें हैं, यह हमारे यहां जरूर शुरू होनी चाहिएं। बाढ़ के बारे में तो मेरे इलाके में है नहीं। तीन बाढ़ अपने देश में आई। एक तो 77 में आई, एक 79 में और एक 81 में आई। 77 में तो जनता पार्टी राज की बाढ़ आई, गेहूं और सोना बहा ले गई। 79 में जनता पार्टी को टैस्ट करने और 81 में अपने को टैस्ट करने आई है। अपने टैस्ट में अपन खरे उतरे हैं, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसहाय।

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील लालसोट जिला जयपुर इस साल आई प्रलयंकारी बाढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तहसील लालसोट में इस साल सर्वत्र नुकसान हुआ। तहसील लालसोट में सबसे पहले ग्राम मटवाना जहां के 18 आदमी इस प्रलयंकारी बाढ़ में बह कर चले गये। दो आदमी माहापुरा गांव से, दो दाईलीसी से और दो आदमी बावड़ाया पंचायत से, कुल मिलाकर 24 आदमी इस विनाशलीला में इस तहसील में हमारे बीच से निकल गए। उनको मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन दुखी आत्माओं को मोक्ष दे और दुखी परिवारों को दुःख सहन करने की शक्ति दे।

श्री भंवरलाल शर्मा : खड़े होकर श्रद्धांजलि दो।

श्री रामसहाय सोनड़ : इस तहसील लालसोट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लालसोट तहसील तीन भागों में बंटी हुई है। एक स्थान है जहां पांच पंचायतें पड़ती हैं। वहां पहाड़ी इलाका है। पहाड़ियों से पानी उतरने से सारे किसानों की जमीन बेकार हो गयी है, घर टूट गये, पशुधन का नुकसान हो गया। लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खेती बिलकुल खत्म हो गयी, पशुधन भी समाप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमारी तहसील लालसोट में सिगटोली, सुखपुरा बांध, माताजी वाला तालाब आदि जिनसे खेती होती है, भयंकर बाढ़ के दिनों में बांध टूट गये। इनके टूट जाने से क्षेत्र की जितनी भी जमीन थी वह सारी कहीं कट गई, कहीं टीला बन गया। तीसरी ओर हमारी तहसील लालसोट में जो सबसे बड़ा इलाका है, जिस इलाके में मोरेल बांध पड़ता है उसमें लगभग तीस पंचायतें हैं। उस मोरेल बांध की बाढ़ से सम्पूर्ण तहसील में 35 गांव बह कर निकल गये। उन 35 ग्राम में कुछ भी नहीं बचा। माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी मदेरणा साहब मौके पर हेलिकॉप्टर से उतर कर आये और कार द्वारा जाकर उन दुखी परिवारों को गांव में जाकर सम्भाला और टाइम पर सहायता दी। मैं उसके बारे में

(श्री रामसहाय सोनड़)

मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सहायता दी है, परन्तु जो सरकारी आंकड़े दिये गये हैं वहां नुकसान बहुत ज्यादा है, वह सहायता क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है, इस क्षेत्र में सरकारी आंकड़ों में 23878 कच्चे मकान टूटना बताया है, जबकि ...

एक माननीय सदस्य : कितनी लम्बी लिस्ट है ?

श्री रामसहाय सोनड़ : इस तहसील में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। तहसील में करीब 50 हजार से अधिक कच्चे मकान गिरे हैं। सरकारी आंकड़ों में उस तहसील में 237 क्षतिग्रस्त पक्के मकान बताये हैं, जबकि दो हजार से अधिक मकान टूटे हैं। वैसे भी सर्वे कराने, लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ है कि इस तहसील में 10 हजार से भी अधिक पशुधन की हानि हुई है जबकि सरकारी आंकड़ों में 1233 पशुधन मरना और बहना बताया है। इस तहसील में 12 सौ एकड़ जमीन में खराबा बताया है, जबकि चार हजार से भी अधिक एकड़ जमीन में खराबा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इस तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की जमीन कट गई, खेत बह गये, कुएं बह गये। ऐसी हालत में इन किसानों को अधिक से अधिक लोन दिलाया जाये, सहायता दी जाय, ताकि वह अपनी खेती कर सकें। यह जो पशुधन मरा है उसके लिए कुछ सहायता दी जाय। जमीन के वास्ते मुख्य मंत्रीजी आधा लोन और आधी सब्सिडी दी जावे ताकि गरीब अपना निर्वाह कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तहसील में गये साल भी अकाल था और इस साल भी अतिवृष्टि और बाढ़ के अलावा अकाल की स्थिति हो गई है। इन बेरोजगारों को रोजगार पर लगाने के लिए इस तहसील में कोशिश की जाय, जो रिलीफ का काम पूर्व में चल रहा था उसको पुनः चलाया जावे।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान जालोर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। जालोर जिले का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है। जालोर जिले में पूर्व दिशा से आने वाली सारी नदियां समावेश होती हैं। इसलिए इस जिले का बहुत सा क्षेत्र रेगिस्तान के रूप में हो गया है और बहुत सा क्षेत्र पानी के अभाव में बिलकुल सूखाग्रस्त जैसा रहता है। आज जालोर जिले में सांचोर और भीनमाल को छोड़कर के जालोर तहसील और आहोर तहसील इस अकाल की चपेट में है, जहां भयंकर अकाल है। मैंने अभी अपने क्षेत्र का दौरा किया और वहां जाकर देखा तो मेरे चुनाव क्षेत्र के करीब 50 गांव बिलकुल अकाल से पीड़ित और प्रभावित हैं। जिनमें बिशनगढ़ तीखीकोलर, मांडवला, सांफाड़ा, बेजवना, कतराशन, आलासन, रेवतड़ा, आकोली, देवांव, सियाना, रामपुरिया, सियाना आदि पूरे क्षेत्र में फसल जलकर नष्ट हो गई है। यहां न तो कोई फसल है न यहां पर मवेशी के लिए घास है। ऐसी भयंकर स्थिति है इसके साथ-साथ वहां के जितने तालाब हैं नाडे हैं, जो पानी के स्रोत हैं, वह सारे ही खाली पड़े हैं। मवेशी के पीने के पानी की बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पास के

(श्री मांगीलाल आर्य)

जिलों में अकाल राहत कार्य शुरू हैं और जालोर जिले की यह स्थिति होते हुए भी वहां अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं। जालोर क्षेत्र शिड्यूल्ड कास्टस का एक रिजर्व क्षेत्र है। ज्यादातर वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी है और वह अकाल से प्रभावित हैं। आज भी मजदूर का जीवन निर्वाह मजदूरी पर निर्भर करता है। जो रोज दैनिक मजदूरी करके पेट पालते हैं वहीं इस प्रकार मजदूरी बन्द हो जाने से व अकाल से फसल का कोई आसार नहीं होने से उनके जीवन निर्वाह की जटिल समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया जल्दी से जल्दी जालोर के अन्दर अकाल राहत कार्य शुरू किये जायं। जहां फेमिन के अधूरे काम बन्द हुए उनको शुरू किया जाये। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जालोर के अन्दर बहुत से ऐसे तालाब हैं जो टूटे फूटे हैं। जैसे सुमेरगढ़ बांध बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, मगर वह काफी समय से टूटा फूटा है, उसकी मरम्मत की जाय। मेरे खयाल से उसका सर्वे करवा लिया गया है और सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है। अगर ठीक ढंग से मरम्मत हो जाय तो इससे काफी क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है और यह सिंचाई के काम में आ सकता है। इस काम को अगर लिया जाय तो उस क्षेत्र में अकाल के अन्दर मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और यह सिंचाई का एक जरिया स्थायी रूप से क्षेत्र में सहायक होगा। इसके साथ ही निवेदन है कि जालोर के पहाड़ों का जो पानी है, उस पानी के बहाव से पास में जो लेटा गांव आया हुआ है, वह बाढ़-ग्रस्त होता है। उस पानी को ठीक ढंग से रोका जाये तो एक तो लेटा गांव पानी की चपेट में आता है उसका बचाव होगा और दूसरा पानी का ठीक ढंग से उपयोग हो सकता है। जालोर के पास में जो तालाब है अगर उसमें उस पानी को डाला जाये तो जालोर के तालाब में पानी रहने से उसके आसपास के कुओं में पानी का स्रोत बनेगा और वह सिंचाई का साधन होगा।

एक निवेदन और है कि क्षेत्र जालोर का जैसे [illegible] सरतपुरा, कातरी, मेड़गांव, [illegible] आदि में कुओं में पानी बहुत अच्छी मात्रा में है। कुओं में पानी है परन्तु इस क्षेत्र में बिजली नहीं है। पता नहीं हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने क्यों नहीं उस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर बिजली से नहीं जोड़ा? आसपास दो तीन मील के क्षेत्र में बिजली आई हुई है मगर जहां पानी अच्छी मात्रा में कुओं में है वहां बिजली नहीं है। अगर वहां बिजली हो तो अकाल में कुओं के पानी का उपयोग किया जा सकता है। उससे किसान द्वारा हरा घास पैदा किया जाकर मवेशी को बचाया जा सकता है। बिजली के अभाव में कुओं में पानी होते हुए भी उसका जितना उपयोग किया जा सकता है, वह पूरा नहीं होगा। यदि इस क्षेत्र में बिजली होगी ....

सदन को कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति से बैठक का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

186

राज्य में अकाल व बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

श्री मांगीलाल आर्य : तो उससे एक समस्या हल होगी, हरे घास की पैदाइश होगी, पानी का उपयोग होगा अन्यथा बिजली के अभाव में कुओं में पानी होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसको तत्परता से लिया जाये तो मैं कहता हूं अकाल के अन्दर हमारे क्षेत्र के लिये आपका यह कार्य लाभदायक सिद्ध होगा। सियाना नदी की तटबन्दी का कार्य है वो अति आवश्यक है। वहां जो परिवार नदी के किनारे पर हैं, उनमें मेघवाल व मेहतर भी हैं जो कि हमेशा बाढ़ की चपेट में आते हैं, हमेशा बह जाते हैं। उसके लिये कई बार सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। कई बार इस प्रकार की कार्यवाही की गई है मगर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इस कार्य को आवश्यक मान कर अकाल में लिया जाय तो गरीब मजदूरों को अकाल में मजदूरी मिलेगी और गरीब हरिजन बाढ़ से बच जायेंगे। मुझे आशा है, इस तरफ अकाल राहत मंत्री विशेष तौर से ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.01 बजे शुक्रवार दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई]

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची)

झालावाड़ जिले में सत्र 1980-81 में खोले गये विद्यालयों की सूची

विधान सभा क्षेत्र का नाम		खोले गये विद्यालयों की सूची
1. चिड़ावा	सैकण्डरी	1—शान्ता
	मिडिल	1—ढाबला भोज
	प्राइमरी	——
2. खानपुर	सैकण्डरी	1—रोजपुर
	मिडिल	1-करनवास
	प्राइमरी	1-भदकड़ी
		2—डूंगरपुर
		3—झोपड़िया चमारान मजरावलेट
3. झालरापाटन	सैकण्डरी	—
	मिडिल	——
	प्राइमरी	——
4. डग	सैकण्डरी	——
	मिडिल	——
	प्राइमरी	——
5. मनोहरथाना	सैकण्डरी	1—बादर
	मिडिल	1—खाता खोड़ी
	प्राइमरी	1—सन खोड़ी
		2-गोरियाखोड़ा फोतदार
		3-नयापुरा

----

(188)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची)

जिला भरतपुर के उपकेन्द्रों की सूची जहां कोई स्टाफ नहीं है।

क्रम सं.	नाम उप-केन्द्र	प्रा. स्वा. केन्द्र
1.	समोगार	वृन्द बरेठा
2.	खेरली	—
3.	सेहना	रूपवास
4.	बेरू	नगर
5.	खोरी	
6.	खावली	—
7.	सलेमपुर खुर्द	भुसावर
8.	नलवाड़ा	
9.	कुचावटी	कोरेर
10.	भदीरा	नदबई

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची)

सूची

1. 1975-76 से बारानी भूमि का 10,000/- रु. प्रति बीघा एवं चाही भूमि का 12,000/- रु. प्रति बीघा।

2. दिनांक 4-5-81 के आसपास निर्णय से दिनांक 1-1-80 से धारा 52 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति शुदा आराजी का बारानी भूमि का 12,000/- रुपये प्रति बीघा व चाही का 15,000/- रु. प्रति बीघा।

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सन् 1980-81 में प्राथमिक पाठशालाओं का परीक्षा परिणाम

98. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में प्राथमिक शालाओं में कक्षा 4 तक के परिणाम करीब-करीब शत प्रतिशत रहे ?

(2) यदि नहीं, तो उनके परिणाम औसतन कितने प्रतिशत रहे एवं साथ के साथ 5वीं कक्षाओं के परिणामों का क्या औसतन रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक शालाओं के लिये ऐसे निर्देश जारी किये हुए हैं कि चौथी कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण न किया जाय ?

(4) क्या राज्य सरकार को चौथी कक्षा तक शत प्रतिशत छात्रों को पास की योजना से कोई अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(5) यदि अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो क्या सरकार चौथी तक की कक्षाओं की परीक्षाओं के विषय में पुरानी व्यवस्था पर लौटने को तैयार है ?

उत्तर

(1) यह पूर्णतया सही नहीं है। कक्षा 3 तक के परिणाम शत प्रतिशत रहे। कक्षा 4 के परिणाम औसतन 95 प्रतिशत रहे।

(2) कुछ पंचायत समितियों से उपलब्ध सूचना के अनुसार कक्षा 4 के परिणाम औसतन 95 प्रतिशत रहे। कक्षा 5 के परिणाम औसतन 91 प्रतिशत रहे।

(3) यह पूर्णतया सही नहीं है। निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने उनके आदेश संख्या शिविरा|प्राथ. म.| 19813|9|78-79 दिनांक 16-10-1978 द्वारा कक्षा 1 से 4 के किसी विद्यार्थी को फैल नहीं किया जावे ऐसे आदेश जारी किये थे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 3 तक के छात्रों को फेल नहीं किया जाता है कक्षा 4 के छात्रों को परीक्षा पास करने पर ही उत्तीर्ण किया जाता है।

(4) कक्षा 3 तक किसी भी छात्र को फेल न करने के निर्णय के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं क्योंकि कक्षा 3 तक विद्यार्थियों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर जाने (ड्राप आउट) में मामले कम हो गये हैं।

(5) शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 3 तक किसी छात्र को फैल नहीं करने के निर्णय यथावत् लागू हैं।

नोहर भादरा तहसीलों में भाखरा नहर परियोजना में आराजी राज भूमि

96. **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नोहर भादरा तहसीलों की भाखरा नहर परियोजना में कितनी आराजी राज भूमि पड़ी है ?

(2) क्या सरकार इस आराजी राज भूमि को इस क्षेत्र के भूमिहीनों को स्थायी आवंटन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक स्थायी आवंटन का कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

(3) क्या सरकार द्वारा भाखरा क्षेत्र के भूमिहीनों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आरक्षण की जाती है ? यदि हां, तो कितनी भूमि का आरक्षण किया गया है ?

(4) इस आरक्षित भूमि को भाखरा के भूमिहीनों को कब तक आवंटित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) कुल 2245 एकड़ भूमि पड़ी है (नोहर में 998 एकड़ एवं भादरा में 1247 एकड़)।

(2) हां, आवंटन कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(3) हां, 37805 एकड़ भूमि का आरक्षण किया गया है।

(4) आरक्षित भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा के सदस्य

100. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया है ? यदि हां, तो कब एवं किन किन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) नये सदस्यों की नियुक्ति कब तक किन आधारों पर की जायगी ?

(3) क्या उपरोक्त बोर्ड में जन प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो किस रूप में ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21-3-81 को मन्दिर मण्डल के समस्त सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नये सदस्यों की नियुक्ति नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 एवं नाथद्वारा मंदिर नियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र की जाना विचाराधीन है।

(3) नियमों के प्रावधान के अनुसार केवल हिन्दू धर्म के पुष्टिमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय के विशिष्ट व्यक्तियों को ही सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

नाथद्वारा मंदिर मंडल के सदस्यों की सूची

1.	परमपूजनीय तिलकायत श्री गोविन्दलालजी महाराज नाथद्वारा	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुमति मोरारजी	उपाध्यक्ष
3.	श्री चन्द्रकान्त एम. खटाऊ	सदस्य
4.	श्री वल्लभदास जेठाभाई	सदस्य
5.	श्री इन्द्रजीत चिमनलाल	सदस्य
6.	श्री मथुरादास देवीदास माधवजी ठाकरसे	सदस्य
7.	श्री आर. के. भट्ट	सदस्य
8.	श्री रणछोड़दास बिन्नानी	सदस्य
9.	श्री के. पी. गोरसिया	सदस्य
10.	श्री जी. डी. मालपानी	सदस्य
11.	जिलाधीश, उदयपुर	पदेन सदस्य

(192)

शराब बिक्री हेतु लाइसेन्स

101. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) मार्च, 1981 में किन-किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को कितनी कितनी अवधि के लिए किस-किस शुल्क पर किस-किस स्थान के लिये शराब का क्रय-विक्रय का लाइसेन्स दिया हुआ था?

(2) 1 अप्रेल, 1981 से 1 सितम्बर, 1981 तक किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान को किस-किस शुल्क पर कब-कब, कहां-कहां के लिये शराब के क्रय विक्रय का लाइसेंस दिया गया और कितनी-कितनी अवधि के लिये ?

(3) प्रश्न (2) में वर्णित लाइसेंस देने के आदेश प्रशासन के किस-किस स्तर से कब-कब प्रसारित किये गये ?

उत्तर

(1) मार्च, 1981 में जिन-जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को, जिन-जिन स्थानों के लिए शराब के क्रय-विक्रय का लाइसेंस दिया हुआ था उसकी सूची लाइसेंस फीस व अवधि दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(2) 1 अप्रेल, 1981 से 31-8-81 तक जिन जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को जिन-जिन स्थानों के लिए शराब क्रय-विक्रय का लाइसेन्स दिया गया उसकी सूची लाइसेन्स फीस व अवधि दर्शाते हुए सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) ये लाइसेन्स तत्कालीन वित्त सचिव (राजस्व) के आदेशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित किये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

जिला कोटा में भूमि सुधार कार्यक्रम

102. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री शाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में हो रहे भूमि सुधार कार्यक्रम का खर्चा कम करने का सरकार का विचार है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस खर्च को अभी तक कम नहीं किये जाने का क्या कारण रहा?

(3) क्या सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए कैचमेन्ट के खर्च को कम करने का शीघ्र निर्णय लेगी ?

(4) क्या यह सही है कि किसानों ने कैचमेंट में हो रही अनियमितताओं को दूर करने हेतु शिकायतें भी की हैं ? यदि हां, तो उनको हल करने हेतु क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) मामला विचाराधीन है।

(2) विचाराधीन चल रहा है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न 1 के उत्तर में आ चुका है।

(4) किसानों ने भूमि सुधार कार्यक्रमों के संबंध में कुछ शिकायतें की हैं जिनके निरीक्षण हेतु कुछ कदम उठाये गये हैं तथा शेष पर विचार किया जा रहा है।

सवाई मानसिंह अस्पताल एवं जनाना अस्पताल, जयपुर, में अनुपयोगी सामान को नष्ट करना

103. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के पास जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल व जनाने अस्पताल में पट्टियां हड्डी वार्ड के कटे बेकार प्लास्टर, कूड़ा, छिलके, गॉज, रूई आदि को जलाने व नष्ट करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्या ?

उत्तर

सवाई मानसिंह अस्पताल में पट्टियां, हड्डी वार्ड के कटे बेकार प्लास्टर, कूड़ा, छिलके, रूई, गॉज इत्यादि को जलाने एवं नष्ट करने के लिए एक इन्सीनेटर बनाने की योजना है। इस इन्सीनेटर की खरीद की जा चुकी है और इसको इन्सटाल करने का कार्य आरम्भ हो चुका है और कि मार्च, 82 तक पूर्ण हो जायेगा, ऐसी सम्भावना है।

जनाने अस्पताल में भी इन्सीनेटर उपलब्ध कराने की योजना भी विचाराधीन है।

टोंक शहर का मास्टर प्लान

104. श्री महावीरप्रसाद (टोंक) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक शहर का कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि दोषपूर्ण नालियों की व्यवस्था के कारण ही टोंक शहर में अतिवृष्टि के पानी से भारी नुकसान हुआ है ?

(3) यदि हां, तो वे दोषपूर्ण व्यवस्थाएं क्या थीं और उनको दूर करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए तथा क्या करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लघु कृषक विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा अनाज बीज कोठियों का वितरण

105. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लघु कृषक विकास अभिकरण जिला चित्तौड़गढ़ की समस्त पंचायत समितियों द्वारा कितने लघु अनुसूचित जन-जाति कृषकों को जनवरी, 1980 से मार्च, 1981 तक अनाज बीज कोठियों का वितरण किया गया ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अनाज बीज कोठियों पर जिले में कितनी राशि व्यय हुई एवं कितना अनुदान दिया गया ?

(3) कृपया तहसील प्रतापगढ़ के पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में वितरण की गई कोठियों का विवरण नाम, गांव व पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि इन कोठियों को आदिवासियों को माध्यम बना कर अन्य लोगों ने लिया है ?

(194)

उत्तर

(1) इस अवधि में 506 लघु अनुसूचित जनजाति कृषकों को अनाज बीज कोठियों का वितरण किया गया। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) रुपये 2.17 लाख व्यय हुआ। अनुदान रुपये 86,443 दिये गये।

(3) पंचायत समिति प्रतापगढ़ में 33 एवं पंचायत समिति अरनोद में 19 कोठियां वितरण की गई। नाम, गांव व पंचायतवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

पंचायत समितिवार अनाज बीज कोठियों का वितरण

1. राशमी	221
2. निम्बाहेड़ा	43
3. चित्तौड़	80
4. कपासन	02
5. बेगू	45
6. भोपालसागर	70
7. प्रतापगढ़	26
8. अरनोद	19
कुल	506

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद क्षेत्र में वितरित की गई अनाज की कोठियों वाले लघु एवं सीमांत कृषकों की सूची

पं. स. प्रतापगढ़

क. सं.	नाम कृषक	गांव	पंचायत	स्वीकृत अनुदान
1	2	3	4	5
1.	जीतीया/हरजी मीणा	पण्डावा	पण्डावा	90-00
2.	जगदीश/शंकर मीणा	अमलावद	अमलावद	90-00
3.	हीरा/देवा मीणा	,,	,,	90-00
4.	मांगीलाल/भेरा मीणा	असावता	असावता	90-00
5.	जमना शंकर/अम्बालाल दमामी	धमोतर	धमोतर	59-00
6.	मम्मुखां/अजीजखां	धमोतर	धमोतर	59-00
7.	मामू/कचरा मीणा	कवाड	नोगांवा	90-00

195

1	2	3	4	5
8.	कन्हैया/जीवा मीणा	धमोतर	धमोतर	90-00
9.	बंशीलाल/मथुरालाल टांक	नारायणखेड़ा	नारायणखेड़ा	59-00
10.	नन्दलाल/देवीचन्द्र कलाल	सिद्धपुरा	सिद्धपुरा	59-00
11.	भगवान/धन्ना मीणा	रजोरा	अवलेश्वर	90-00
12.	कचरिया/भाणा मीणा	कराड़िया	,,	90-00
13.	छगना/गंगा मीणा	महूड़ीखेड़ा	कुलमीपुरा	90-00
14.	आखिया/राजिया मीणा	कनाड़	नोगावा	90-00
15.	मोतिया/रूपा मीणा	सिद्धपुरा	सिद्धपुरा	59-00
16.	चुनीलाल/अम्बालाल मीणा	धमोतर	धमोतर	90-00
17.	कानूराम/नाथूराम मीणा	बनेड़िया	,,	90-00
18.	शला/रोड़ा मीणा	मथुरातालाब	मथुरातालाब	90-00
19.	हरजी/धारजी मीणा	मजेसरिया	,,	90-00
20.	मोतीलाल/पांचिया भील	,,	,,	90-00
21.	नन्दा/नगजी भील	खाचरों का खेड़ा	ग्रोड़वाड़	90-00
22.	कालिया/धन्ना भील	चिकलाड़	चिकलाड़	90-00
23.	कोदरिया/काना मीणा	पण्डावा	पण्डावा	90-00
24.	हवजी/खातिया मीणा	सांडनी	,,	90-00
25.	रामलाल/नगजी मीणा	पण्डावा	,,	90-00
26.	भेरू/भुवान मीणा	अवलेश्वर	अवलेश्वर	90-00
27.	मांगू/नन्दा मीणा	बरीटापरा	धमोतर	90-00
28.	होगजी/रामजी मीणा	,,	,,	90-00
29.	नानुराम/रूपा मीणा	अवलेश्वर	अवलेश्वर	90-00
30.	जुजार/उंकार मीणा	अवलेश्वर	अवलेश्वर	90-00
31.	सुजान/चान्दमल महा.	नारायणखेड़ा	कुलमीपुरा	59-00
32.	रकवा/कालू मीणा	छोटीपुटवास	सुहागपुरा	90-00
			योग ...	2694-00

1	2	3	4	5
		पं. स. अरनोद		
1.	अकला/जोखिया मीणा	महूड़ीखेड़ा	सालमगढ़	90-00
2.	नगजी/कालू मीणा	सालमगढ़	,,	90-00
3.	दल्ला/ववता मीणा	महूड़ीखेड़ा	,,	90-00
4.	मुन्नाराम/भेरा मीणा	दिवाला	रायपुर	90-00
5.	नारू/प्रथा मीणा	चन्देरा	दलोट	90-00
6.	कालू/भग्गा मीणा	अमलावद	अमलावद	90-00
7.	कमरू/हीरा मीणा	कनाड़	नोगांवा	90-00
8.	नारजी/नानजी मीणा	तलैया	,,	90-00
9.	कानिया/मानजी मीणा	भरीघाटी	अचलावद	90-00
10.	मानजी/राजिया मीणा	सेवना	सेवना	90-00
11.	भगवान/हेरजी मीणा	,,	,,	90-00
12.	नारू/उदा मीणा	,,	,,	90-00
13.	भागा/गेड़ा मीणा	लालगढ़	लालगढ़	90-00
14.	वाधा/भागा मीणा	,,	,,	90-00
15.	मोहन/गोवरा मीणा	परपटिया	अरनोद	90-00
16.	तोलिया/राजिया मीणा	सेवना	सेवना	90-00
17.	नाथू/नगजी मीणा	सागेड़ाखेड़ा	रायपुर	90-00
18.	बावरिया/वारिया मीणा	गोपालपुरी	वही साखथली	90-00
19.	भागीरथ/हरजी मीणा	मोटीखेड़ा	सुहागपुरा	90-00
			योग ..	1710 00
		महायोग ..		4404-00

प्रतापगढ़	अ. ज. जा.	26	2340-00
,,	अन्य	7	354-00
	योग	33	2694 00
पंचायत समिति अरनोद अ., ज. जा.		19	1710-00

ह०
धर्मवीरसिंह
परियोजना निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
चित्तौड़गढ़

(197)

राजस्थान नहर के लिए कोयला एवं सीमेंट

106. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल, 1981 से लेकर अब तक राजस्थान नहर के लिए, प्रतिदिन कितना रेक कोयला एवं सीमेंट प्राप्त हुआ तथा कितने की आवश्यकता थी ?

(2) इस वित्तीय वर्ष में अब तक इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि कोयले एवं सीमेंट की कमी के कारण राजस्थान नहर का द्वितीय चरण का कार्य ठप्प हो गया है।

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 1981 से अगस्त, 1981 तक 25 रेक कोयले की आवश्यकता थी जिसके मुकाबले 9 रेक प्राप्त हुए। इसी अवधि में सीमेंट की आवश्यकता 36,450 मे. टन थी जिसके मुकाबले 7,825 मे. टन सीमेन्ट प्राप्त हुई।

(2) जुलाई, 81 तक 9.31 करोड़ रुपये।

(3) जी नहीं।

वर्ष 1980-81 में राज्य की राजस्व आय

107. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1980-81 में राज्य की अनुमानित राजस्व आय कितनी निर्धारित की गई थी और उक्त वर्ष के अन्त में कितना घाटा रहा। यदि घाटा रहा, तो कितना ?

वर्ष 1980-81 में राज्य की अनुमानित राजस्व आय 716.59 करोड़ रुपये आंकी गई थी। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त मार्च, 1981 (अन्तिम) लेखों के अनुसार उक्त वर्ष के अन्त तक 710.52 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुईं। राजस्व की प्राप्तियों में 6.07 करोड़ रुपये की कमी आय-व्ययक वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार रही है :—

1. (केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा)	(+) रु. 9.05 करोड़
2. (कर राजस्व)	(-) रु. 18.53 "
3. कर रहित राजस्व)	(-) रु. 37.29 "
4. (केन्द्र सरकार) सहायक अनुदान	(+) रु. 40.70 "
	(-) रु. 6.07 "

कर राजस्व के अन्तर्गत घाटा मुख्यत: राज्यव्यापी अकाल से विद्युत उत्पादन में कमी एवं उसके परिणामस्वरूप फसल एवं अन्य उत्पादनों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण है। कर रहित राजस्व के अन्तर्गत जो घाटा रहा है वह मुख्यत: ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत समायोजन न होने के कारण है।

198

जिला नागौर के राजकीय चिकित्सालय, पांचौड़ी खींवसर और श्री.बालाजी में अव्यवस्था

108. **श्री महीराम चौधरी** (नागौर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय चिकित्सालय, पांचौड़ी, खींवसर और श्री बालाजी, जिला नागौर में भारी दुर्व्यवस्था के कारण गरीब मरीजों को अस्पताल में किसी भी प्रकार की दवा इत्यादि नहीं मिलती है। यदि हां, तो क्यों? सरकार इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय कर रही है?

(2) क्या यह सत्य है कि गरीब मरीजों के हितार्थ आने वाली दवाइयां बाजार में बेच दी जाती हैं? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

(3) क्या यह सत्य है कि ग्राम खींवसर, पांचौड़ी, श्री बालाजी के डाक्टर व कम्पाउन्डर चिकित्सालय में पूरे समय नहीं रह कर आसपास के गांवों में फीस लेकर शफाखाने की दवाइयां बेचते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? क्या सरकार इसकी जांच करेगी व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) केवल पांचौड़ी राजकीय अस्पताल की दुर्व्यवस्था के बारे में जो शिकायत थी उसकी जांच स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की थी जो सही नहीं पाई गई। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) केवल पांचौड़ी से इस प्रकार की शिकायत उपलब्ध हुई थी जो जांच के बाद सही नहीं पाई गई। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) ऐसी कोई भी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। वैसे ड्यूटी समय के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करने की राज्य सरकार द्वारा छूट है।—

पुरातत्व वस्तुओं के संग्रहालय

109. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्वविभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य में प्राचीनकाल की बहुमूल्य पुरातत्व वस्तुओं के संग्रह हेतु कुल कितने संग्रहालय कहां-कहां कब-कब से स्थित है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन संग्रहालयों में प्राचीनकाल की बहुमूल्य पुरा वस्तुयें, सोने व चांदी के सिक्के व जेवर पेंटिंग्स, हथियार, ताम्रपत्र, पत्थर व धातु की मूर्तियां व शिलालेख सुरक्षित है, लेकिन उनका तोल, वजन, नाप फोटो या अन्य विवरण किसी भी रजिस्टर में अंकित नहीं है और न ही कहीं प्रकाशित ही हुआ है?

(3) क्या इन संग्रहालयों का कभी भौतिक सत्यापन हुआ है? यदि हां, तो कब-कब?

उत्तर

(1) राजस्थान में पुरावस्तुओं के संग्रह हेतु 17 राजकीय संग्रहालय है। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

199

(उत्तर)

(2) इन राजकीय संग्रहालयों में प्राचीन काल की बहुमूल्य पुरावस्तुएँ सोने व चांदी के सिक्के, जेवर, पेंटिंग, हथियार ताम्रपत्र, पत्थर व धातु की मूर्तियां तथा शिलालेख सुरक्षित हैं। इनका संग्रहाध्यक्ष द्वारा पूर्ण विवरण सहित पंजीकरण संग्रहालय पंजिका में होता है। संग्रहालय की महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन विभागीय प्रकाशनों एवं देश-विदेश की प्रमुख शोध-पत्रिकाओं के माध्यम से होता रहा है।

(3) राजकीय संग्रहालयों का भौतिक सत्यापन मुख्य लेखाधिकारी एवं विभागीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। यह सत्यापन किन-किन संग्रहालय में कब-कब हुआ है इसकी विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जावेगी। कुछ संग्रहालयों में भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 'क'

राजकीय संग्रहालय

राजस्थान स्थापना से पूर्व :—

1.	जयपुर	सन् 1886
2.	उदयपुर	सन् 1890
3.	अजमेर	सन् 1908
4.	जोधपुर	सन् 1909
5.	झालावाड़	सन् 1915
6.	बीकानेर	सन् 1937
7.	अलवर	सन् 1940
8.	भरतपुर	सन् 1944
9.	कोटा	सन् 1944

राजस्थान स्थापना के पश्चात् :—

10.	आमेर	सन् 1950 (मूलतः यह संग्रहालय पुराना घाट, जयपुर में था)
11.	डूंगरपुर	सन् 1959
12.	आहाड़	सन् 1961
13.	माउन्ट आबू	सन् 1965
14.	चित्तौड़गढ़	सन् 1968
15.	मंडोर	सन् 1968
16.	हवामहल	सन् 1976
17.	जैसलमेर	सन् 1979 (शिलान्यास)

200

राजकीय सूरजमल झालानी अस्पताल बगरू

110. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सूरजमल झालानी अस्पताल, बगरू में कितने कितने डाक्टर्स, कितने कितने लेडीज डाक्टर्स और कितने-कितने कम्पाउण्डर तथा अन्य स्टाफ कितने हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बगरू राजकीय झालानी अस्पताल में लेडीज डाक्टर का पद सरकार ने रखा था ? यदि हां, तो लेडीज डाक्टर का पद रखने के बाद सरकार को इसे हटाने का क्या कारण है ?

(3) क्या बगरू राजकीय झालानी अस्पताल में दवाइयों के बजट के अनुसार दवाइयां उपलब्ध न होने से अव्यवस्था, मितव्ययता, स्टाफ के कमरों की संख्या कम, मरीजों के बैड की संख्या कम आदि की स्थिति है ? यदि ऐसा है तो क्यों ? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। लेडी डाक्टर का पद नहीं हटाया है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजकीय सूरजमल झालानी अस्पताल बगरू में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	चिकित्सक (पुरुष)	1	1
2.	चिकित्सक (महिला)	1	–
3.	कम्पाउन्डर श्रेणी-II	2	2
4.	सेविका (ए.एन.एम.)	1	1
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वार्ड बॉय)	3	3
6	अंशकालीन हरिजन	1	1

राज्य के विकास की योजनायें

111. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विकास के लिए अनेक योजनाओं में राज्य को अनुदान, योगदान तथा केन्द्र से प्राप्त राशि के अनुरूप कई प्रकार के आर्थिक योगदान करना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो राज्य ने अपने आय स्रोत बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया है तथा क्या निर्णय लिए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं अथवा निर्णय लिए हैं, उनका उल्लेख निम्नानुसार है:—

(1) आबकारी नीति में परिवर्तन।

(2) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलना।

(3) मुख्य खनिजों पर रायल्टी की दरों में परिवर्तन।

(4) यानों के किराये में वृद्धि।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर में अप्रेन्टिस के पद

112. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 लागू है और इसके तहत तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के अन्तर्गत एक संयुक्त निदेशक अप्रेन्टिसेज, उप-निदेशक, अप्रेन्टिसेज सभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूटस के आचार्य अप्रेन्टिस एडवाइजर तथा प्रत्येक आई. टी. आई. में एक एक सर्वेयर अप्रेन्टिस के पद हैं ?

(2) यदि हां तो इन अधिकारियों ने दिनांक 1-4-1980 से दिनांक 31-8-1981 तक कितनी फैक्ट्रीज, राजकीय संस्थानों कम्पनियों, निगमों आदि में अप्रेन्टिसेज लगवाये हैं ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम के लिए संयुक्त निदेशक का पद जयपुर में उप-निदेशक, प्रशिक्षण का एक पद उदयपुर में तथा सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आचार्य/अधीक्षक, पदेन सहायक अप्रेन्टिसशिप सलाहकार है। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वेक्षक के पद हैं।

(2) मार्च, 1981 तक निम्न प्रकार से अप्रेन्टिसेज 81 तक लगाये गये :—

35 राजकीय विभागों में	272 अप्रेन्टिसेज	
23 राजकीय उपक्रमों में	942 अप्रेन्टिसेज	
247 निजी उद्योगों में	919 अप्रेन्टिसेज	
305	योग....2133	

ग्राम पंचायत, सांचोर द्वारा विश्नोई समाज के गुरुद्वारा की जमीन का पट्टा

113. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि विश्नोई समाज के एक पुराने गुरुद्वारे की कजा-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

शुदा जमीन का इमारती पट्टा ग्राम पंचायत, सांचोर द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं किसके हक से पट्टा जारी किया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत, सांचोर द्वारा विश्नोई गुरुद्वारा की पुरानी कब्जाशुदा जमीन के कुछ हिस्से का इमारती पट्टा श्री मिश्रीमल महाजन हाडेचा एवं श्री भंवरलाल महाजन हाडेचा के नाम धोखे से गुप्त रूप से जारी कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं क्यों ? उक्त पट्टा जारी करने का आधार क्या था ?

(3) क्या सरकार उक्त फर्जी पट्टे जारी करने की फाइलें मंगवाकर फर्जी पट्टे जनहित में खारिज करना उचित समझेगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत, सांचोर द्वारा विश्नोई समाज को आवेदन पर 4036 वर्ग गज भूमि के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही चली थी परन्तु अब तक पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(2) गुरुद्वारे की पुरानी कब्जाशुदा जमीन के कुछ हिस्से का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि जरिये केस 000215/63 श्री मिश्रीमल वगैरह के द्वारा खरीदशुदा भूमि 1858 वर्ग गज भूमि को विक्रय-पत्र की राशि वसूल की जा कर इनको पट्टा नं. 38 सन् 1978 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत के प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(203)

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का ब्यौरा)

सूची

जिला झालावाड़ के डग क्षेत्र के रिक्त पदों की तालिका

क्र. सं.	नाम संस्था	नाम पद	रिक्त पद संख्या	कब से रिक्त है
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र, डग	1-चिकित्सक (प. क.)	1	23-7-81
		2-चिकित्सक (चिकित्सा)	1	17-8-81 (प्रशिक्षण के बाद 15-9-81 को वापस चले गए)
		3-स्वास्थ्य दर्शिका (चिकित्सा)	1	जून 1981,
		स्वास्थ्य दर्शिका (प. क.)	1	फरवरी, 1981
		4-संगणक	1	वर्ष 1977
		5-प्रसाविका (चिकित्सा)	1	अप्रेल, 81 से अवकाश पर
		,, (प. क.)	1	जुलाई, 81 से
		6-वाहन चालक	1	पद सृजित होने के समय से
2-	उप केन्द्र गेंडला (प.क.)	1-प्रसाविका	1	30-5-81
	प. क. उप केन्द्र 1-उन्हेल 2-करावन 3-कुण्डालिया	एफ. पी. एच. ए.	3	वर्ष 1977 से (भारत सरकार से भर्ती पर रोक)
	भवानी मण्डी	मेल नर्स श्रेणी द्वि.	1	जून, 1981
		चिकित्सक	1	27-2-81

रिक्त पदों के कारण

डाक्टर	:	अब तक तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण।
प्रसाविका	:	प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण।
वाहन चालक	:	वाहन उपलब्ध न होने के कारण।
एफ. पी. एच. ए.	:	भारत सरकार द्वारा इन पदों के भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण।

204

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची)

टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., शाखा-मालपुरा

क्र. सं.	नाम कृषक मय पिता	ग्राम	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	दी गई किस्तों का उपयोग हुआ या नहीं	यदि उपयोग नहीं हुआ है तो क्या कार्यवाही की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अखेदान पुत्र गणेशदास	विलेडा	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
2	,, नन्दलाल पुत्र हजारा तेली	पारली	2500/-	2600/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं हुआ	,, ,,
3	,, घीसीलाल पुत्र श्रवणलाल	,,	2500/-	—	उपयोग नहीं किया	,, ,,
4	,, हरीरामदास पुत्र किशनदास	मोरला	2500/-	2800/-	,,	,, ,,
5	,, रामचन्द्र पुत्र गणपत वागरिया	राजपुरा	2500/-	--	,,	,, ,,
6	श्रीमती देऊ पत्नी देवा बारेठ	डूंगरीकलां	2500/-	2400/-	निर्माणाधीन	— —
7	श्री कंवरा पुत्र धुला बैरवा	पीनपी	2500/-	2800/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं हुआ	,, ,,
8	,, अलादीन पुत्र धूरा पिंजारा	कलमन्डा	2500/-	—	उपयोग नहीं किया	,, ,,
9	,, सेवाराम पुत्र रीछुमल	माळपुरा	2450/-	--	,,	,, ,,
10	,, सूवा पुत्र रुघनाथ बैरवा	महाराजपुरा	2500/-	2400/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं किया	,, ,,
11	,, किशना पुत्र नाथू रेगर	तूनेडा	2500/-	2600/-	,, ,,	,, ,,
12	,, चिरंजीलाल पुत्र बंसीलाल	डिग्गी	2500/-	--	उपयोग नहीं किया गया	,, ,,
13	,, देवीलाल पुत्र भोलू कुमार	लाबांहरीसिंह	2500/-	2800/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं किया	,, ,,
14	,, नन्दा पुत्र हरदेव बैरवा	महाराजपुरा	2500/-	2560/-	,, ,,	,, ,,
15	,, देवा पुत्र मांगा माई	डूंगरीकलां	2500/-	2800/-	निर्माणाधीन	— —
16	,, मोहनलाल पुत्र तेजा माली	गोलीपुरा	2500/-	—	उपयोग हो चुका है	प्रार्थी द्वितीय किस्त लेने हेतु नहीं आया । प्रार्थी को पत्र जारी किया जा चुका है ।
17	,, लाडूलाल पुत्र शंकरलाल	डिग्गी	2500/-	—	उपयोग नहीं हुआ है	एकमुश्त वसूली का नोटिस जारी किया ।
18	,, कल्याण पुत्र भोलूराम	मोरला	2500/-	—	,,	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया ।
19	,, रामना पुत्र भागूराम खटीक	पचेवर	2500/-	2920/-	कार्य निर्माणाधीन	— —
20	,, सेवाराम पुत्र गणेश रेगर	,,	2500/-	—	उपयोग नहीं किया	,, ,,
21	,, लादू पुत्र बख्तावर दर्जी	,,	2500/-	3120/-	कार्य निर्माणाधीन	— —
22	,, मांग्या पुत्र लक्ष्मण रेगर	,,	2500/-	—	उपयोग नहीं किया गया	,, ,,
23	,, नारायणप्रसाद पुत्र कल्याण	,,	2500/-	—	,,	,, ,,
24	,, सुवान खां पुत्र अमीर खां	,,	2500/-	--	,,	,, ,,
25	,, रामलाल पुत्र छोटू बलाई	,,	2500/-	2400/-	निर्माणाधीन	— —

205

1	2	3	4	5	6	7
26	श्री प्रतापा पुत्र गंगाराम रेगर	राजपुरा	2500/-	2920/-	निर्माणाधीन	--
27	,, नानगा पुत्र भोलू गूजर	बास ग्रम्बापुरा	2500/-	3120/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया जा चुका है।
28	,, सुज्या पुत्र रामकरण जाट	सूरसागर	2500/-	3000/-	,, ,, ,, ,,	,, ,,
29	,, रामकरण पुत्र छोटू जाट	सेलसागर	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
30	,, चौथू पुत्र जमना खटीक	पचेवर	2500/-	3000/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
31	,, रामगोपाल पुत्र रूपा	केरावल	2500/-	2200/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
32	,, सूरजमल पुत्र गणेश कुम्हार	मोरला	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया।
33	,, रामनाथ पुत्र मूल्या माली	मोरला	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
34	,, घीस्या पुत्र कंवरिया खटीक	,,	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
35	,, रामसुखा पुत्र छोटू बैरवा	केरावल	2500/-	2800/-	,, ,,	- -
36	,, भेरू पुत्र रामदेवा भील	ग्रम्बापुरा	2500/-	3120/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया।
37	,, घीस्या पुत्र रामकरण	गुलाबपुरा	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
38	,, रामलाल पुत्र जीवणलाल	मोरला	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
39	,, गोपी पुत्र कल्याण गूजर	इनोतिया	2500/-	2640/-	,,	- -
40	,, नाथू पुत्र पेमा रेगर	पचेवर	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
41	,, रामधन पुत्र भूरा दरोगा	सुवादिहाड़ी	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	,, ,,
42	,, जोनारसिंह पुत्र विजयसिंह	बारसी	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
43	,, मांग्या पुत्र सुखा रेगर	कलमंडा	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
44	,, प्यारसीलाल दत्तक पुत्र वल्लभचन्द्र पुत्र कजोड़मल	चाउन्डिया	2500/-	--	ऋण का उपयोग नहीं किया	,, ,,
45	,, गजेन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंह	टोरड़ी	2500/-	--	,, ,,	,, ,,
46	,, बाल्या पुत्र मांग्या माली	मोरला	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
47	,, रामचन्द्र पुत्र बासू जाट	जानकीपुरा	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
48	,, लाला पुत्र नानगा	कलमंडा	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
49	,, पन्ना पुत्र भेरूया बावरी	बाहेड़ा	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
50	,, राधाकिशन पुत्र शंकर जाट	भवानीपुरा	2500/-	3200/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
51	,, गोपूर पुत्र हीरा चमार	सीतारामपुरा	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
52	,, सूरजकरण पुत्र रामदेवा	घावंडा	2500/-	2500/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
53	,, लादू पुत्र कामड़ा बैरवा	टोरड़ी	2500/-	2600/-	कार्य निर्माणाधीन	- -
54	,, ग्रर्जुना पुत्र कामड़ रेगर	पचेवर	2500/-	2900/-	,,	,, ,,
55	,, केशरा पुत्र माधो बैरवा	ग्ररनियाबस्सी	2500/-	3000/-	,,	- -
56	,, गंगाराम पुत्र भूरा बैरवा	ग्ररनिया बस्सी	2500/-	-	,,	- -
57	,, रूपेन्द पुत्र बीजा खटीक	पचेवर	2500/-	-	,,	- -
58	,, सुजाना पुत्र नाथू कुम्हार	पचेवर	2500/-	-	,,	- -

206

1	2	3	4	5	6	7
59	श्री लाधू पुत्र माधो बलाई	गरजेड़ा	2500/-	-	कार्य निर्माणाधीन	- -
60	,, रामचन्द्र पुत्र लालू कुम्हार	ग्रमरसिंहपुरा	2500/-	-	,,	- -
61	,, बालदास पुत्र नन्ददास बाबाजी	पवेवर	2500/-	-	,,	- -
62	,, रायचन्दा पुत्र रामनाथ	जनकपुरा	2500/-	-	,,	- -
63	,, रामनिवास पुत्र मोहन	स. रामसिंहपुरा	2500/-	-	,,	- -
64	,, पीर मोहम्मद पुत्र फतहमोहम्मद	राजपुरा	2500/-	-	,,	- -
65	,, सैयद मोहम्मद पुत्र मोहम्मद उमर	मालपुरा	2500/-	-	,,	- -
66	,, छीतर पुत्र देवा चमार	केरिया	2500/-	-	,,	- -
67	,, कमालशाह पुत्र गुलाबशाह	डूंगरीकलां	2500/-	-	,,	- -
63	,, विरधीलाल पुत्र रामगोपाल	कल्याणपुरा	2500/-	-	उपयोग हो चुका	प्रार्थी द्वितीय किस्त लेने उपस्थित नहीं हुआ प्रार्थी को पत्र जारी किया जा चुका है।

टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., शाखा टोड़ारायसिंह

नल कूप निर्माण हेतु दी गई ऋण वितरण की सूचना

क्रम सं.	नाम सदस्य मय पिता	ग्राम	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	दी गई किस्तों का उपयोग हुआ या नहीं	यदि उपयोग नहीं हुआ तो क्या कार्यवाही की जानी है
69	श्रीमती सज्जनबाई बेवा श्री समीरमल	टोडारायसिंह	2500/-	--	नहीं	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
70	श्री देवा पुत्र केला गूजर	सरवास	2500/-	2800/-	नहीं	,, ,,
71	,, माधो पुत्र किशना रेगर	जलसीना	2500/-	2400/-	नहीं	,, ,,
72	,, रामनाथ पुत्र भुवाना चमार	बीवलाव	2500/-	2800/-	नहीं	,, ,,
73	,, बजरंगा पुत्र सुखदेवा चमार	सैंतीवास	2500/-	2400/-	नहीं	,, ,,
74	,, मोखर पुत्र छीतर चमार	,,	2500/-	2200/-	नहीं	,, ,,
75	,, जगन्नाथ पुत्र गणेश चमार	रामसिंहपुरा	2500/-	2800/-	नहीं	,, ,,
76	श्रीमती उज्जव कुंवर पत्नी नारायणसिंह	करेड़ा	2500/-	--	नहीं	,, ,,
77	श्री जमना पुत्र भवण माली	मोडीयाली	2500/-	--	नहीं	,, ,,
78	,, चतुर्भुज पुत्र मूल्या जाट	रिडलिया	2500/-	--	नहीं	,, ,,
79	,, धोनारायण पुत्र सूजा गूजर	रामपुरा-इस्लामपुरा	2500/-	2800/-	नहीं	द्वितीय किस्त का कार्य करने हेतु नोटिस दिया।
80	,, सुजानसिंह पुत्र जसवंतसिंह	करेड़ा	2500/-	--	नहीं	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
81	श्रीमती रुकमण देवी पत्नी सोहनलाल	भांसू	2500/-	--	नहीं	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
82	श्री बजरंगा पुत्र हरनाथ तेली	गेदिया	2500/-	2800/-	नहीं	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
83	,, बिरधा पुत्र लाला गूजर	कुहाड़ा खुर्द	2500/-	3200/-	नहीं	द्वितीय किस्त का कार्य कराने हेतु नोटिस दिया।
84	,, अब्दुला पुत्र करीम खां	टोड़ारायसिंह	2500/-	2800/-	नहीं	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
85	,, जगदीश पुत्र कल्याण	बनकाखेड़ा	2500/-	--	नहीं	,, ,,
86	,, चतरा पुत्र गोदू चमार	लाम्बाखुर्द	2500/-	--	नहीं	,, ,,
87	,, देवी पुत्र मांगा भील	भासू	2500/-	--		
88	,, नानग्या पुत्र ईश्वरा रेगर	सालगावास	2500/-	--	नहीं	,, ,,
89	,, रुवाईराम पुत्र छीतर जाट	पवालिया	2500/-	—	नहीं	,, ,,
90	,, दुर्गा पुत्र लाडिया गूजर	पवालिया	2500/-	--	नहीं	,, ,,
91	,, बजरंगा पुत्र नारायण बैरवा	सदापुर	2500/-	—	नहीं	,, ,,
92	,, भूरा पुत्र छीतर रेगर	नारेड़ा	2500/-	--	नहीं	— —
93	,, गोपीलाल पुत्र हरनाथ माली	टोड़ारायसिंह	2500/-	—	नहीं	,, ,,
			शाखा उनियारा			
94	,, धन्ना पुत्र बगजी बैरवा	कतरावत	2500/-	—	उपयोग नहीं किया	,, ,,
95	,, बाबूलाल पुत्र नाथू मोग्या	रूपवास	2500/-	2400/-	कार्य निर्माणाधीन	— —
96	,, धन्ना पुत्र नाथू मोग्या	रूपवास	8500/-	2400/-	,,	— —
97	,, बद्री पुत्र नाथू मोग्या	रूपवास	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
98	,, भंवरलाल पुत्र नाथू माली	हुक्मपुरा	2500/-	--	प्रस्तावित खसरा नम्बर पर नलकूप निर्माण नहीं किया	,, ,,
99	,, मोहनलाल पुत्र गोपाल महाजन	उनियारा	2500/-	3200/-	कार्य निर्माणाधीन	— —
100	,, जमनालाल पुत्र जस्सी मीणा	श्रीनगर	3000/-	—	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
101	,, मोरपाल पुत्र बच्चा मीणा	सूरेली	2700/-	3600/-	निर्माणाधीन	— —
102	,, अमरसिंह पुत्र भवानी सिंह	गुदलिया	3000/-	—	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
103	,, बद्रीलाल पुत्र शोभा राम जाट	सूरेली	2500/-	2560/-	निर्माणाधीन	— —
104	,, भैरू पुत्र कालू धोबी	नाहरी	2700/-	--	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
105	,, बालिया पुत्र कृष्णा बैरवा	हनोतिया	2500/-	3400/-	निर्माणाधीन	— —
106	,, कमरुद्दीन पुत्र अमीर खां मुसलमान	उनियारा	2500/-	2000/-	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया।
107	,, भंवरलाल पुत्र हरीराम शर्मा	शोप	2700/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
108	श्रीमती पार्वती पत्नी हरीराम शर्मा	शोप	2700/-	—	उपयोग नहीं किया	,, ,,
109	श्री बरदा पुत्र गणेश मीणा	श्रीनगर	2850/-	3800/-	निर्माणाधीन	— —
110	श्री भीया पुत्र दिवाला चमार	रोहित	2750/-	—	,,	-- --

1	2	3	4	5	6	7
111	श्री गोकुल नाई पुत्र कृष्णा नाई	शोप	2500/-	--	निर्माणाधीन	-- --
112	,, भंवरलाल पुत्र बरदा जाट	इब्राहिम नगर	2700/-	—	,,	-- --
113	,, रामलाल पुत्र चतुर्भुज माली	उनियारा	2700/-	3600/-	,,	-- --
114	,, भोया नाथ पुत्र गोपी नाथ	संग्रामपुरा	2700/-	—	,,	-- --
115	,, बजरंगा पुत्र बेनीराम मीना	कूंडिया	3000/-	—	,,	— --
116	,, जगदीश/लक्ष्मण लखेरा	पीपलू	2700/-	--	नहीं	कार्य पूर्ण करने बाबत दो नोटिस दिये गये।
117	,, प्रह्लाद/हरदेव अहीर	टोंक	2500/-	3200/-	कार्य निर्माणाधीन	--
118	,, भूरा/कालू मीणा	मामली देवल्या	2500/-	--	नहीं	कार्य पूर्ण करने हेतु एक नोटिस जारी किया।
119	,, दुर्गासिंह/रामबल दरोगा	देवड़ावास	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन	--
120	,, धीसया उर्फ घासीलाल/रामबल	संदेड़ा	2500/-	--	नहीं	कार्य करने हेतु एक नोटिस दिया गया।
121	श्रीमती बरजी/मांगीलाल मीणा	किशनपुरा	2500/-	2400/-	नहीं	वसूली का नोटिस दिया गया।
122	श्री रामबल/रामपाल हरिजन	संदेड़ा	2500/-	--	नहीं	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
123	,, जगदीश/सुवा गुजर	मेजीशपुरा	2500/-	--	नहीं	,, ,,
124	,, काना/श्रोकिशन बैरवा	सोथीफल	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	,, ,,
125	,, बृजमोहन/रामचन्द्र नायक	पराना	2500/-	2280/-	कार्य निर्माणाधीन	— —
126	,, अब्दुल मजीद/मो. रफीक खां	डीडकला नया टीला	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
127	,, गोपी/नारायण गूजर	वलखण्डया	2500/-	3200/-	,, ,,	,, ,,
128	,, रामपाल/गंगाबिशन मीणा	राधाकिशनपुरा	2500/-	--	,, ,,	,, ,,
129	,, कल्याण/माधो बैरवा	बीजलपुरा	2500/-	—	,, ,,	,, ,,
130	,, रूपनारायण/सुखदेव ब्राह्मण	सन्देड़ा	2500/-	--	,, ,,	,, ,,
131	,, नानगा/दयाल बैरवा	झोडवाड़ी	2500/-	3160/-	,, ,,	कार्य करवाने हेतु नोटिस दिया गया।
132	,, चन्द्रा/मांग्या बैरवा	पराना	2500/-	2400/-	,, ,,	,, ,,
133	,, हरनाथ/गंगाराम बैरवा	वजीराबाद	2500/-	3160—	,, ,,	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
134	,, उदा/काना	फजलपुरा	2500/-	2600/-	कार्य निर्माणाधीन	—
135	,, सहाबुद्दीन/करीम खां मुसलमान	खेड़ूल्या	2500/-	3166/-	,,	—
136	,, जयकिशन/ओंकार जाट	वजीरनगर	2500/-	--	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
137	,, लाडू/भूरा जाट	मूमाना	2500/-	--	कार्य निर्माणाधीन	—
138	,, मो. मुकीम/मो. करीम	टोंक	2500/-	2800/-	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
139	,, मोरया/रघुनाथ गूजर	सीतारामपुरा	2500/-	—	,,	,, ,,
140	,, कस्तूरा/मांगीलाल मीणा	बीजवाड	2500/-	3200/-	,,	,, ,,
141	,, हरनाथ/चन्दा बैरवा	सीसोला	2500/-	—	,,	,, ,,
142	,, रामकरण/गंगाराम गूजर	सीतारामपुरा	2500/-	3160/-	निर्माणाधीन	— —
143	,, मीरखां/महमूद खां	मदीरीपुरा	2500/-	—	,,	— —

1	2	3	4	5	6	7
144	श्रीमती मनभर पत्नी जगन्नाथ मीणा	उंकारपुरा	2500/-	—	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
145	श्री माधो/मूल्या बैरवा	डोडावाड़ी	2500/-	3160/-	निर्माणाधीन	— —
146	,, मोटा/भूरा जाट	भूरावाली	2500/-	2600/-	उपयोग नहीं किया	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया गया।
147	,, छोगा/बजरंगा भील	सेड़ूल्या	2500/-	—	,,	,, ,,
148	,, नजीर खां/मुनीर खां	सीतारामपुरा	2500/-	3160/-	निर्माणाधीन	— —

टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बंक लि., शाखा निवाई

गैर योजनान्तर्गत ऋण वितरण नलकूप निर्माण के अपूर्ण भुगतान की सूची

क्रम सं.	नाम कृषक मय पिता	ग्राम	खाता नं.	किश्त का भुगतान प्रथम	द्वितीय	दी गई किश्तों का उपयोग हुआ या नहीं	यदि उपयोग नहीं हुआ है तो क्या कार्यवाही की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8
149	श्री भगवानसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत	पथराज मुर्दतका	41	8500/-	2600/-	उपयोग हो चुका है	सीमेंट के फर्म डालकर कोठी बनाई थी जो फट चुकी है इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर को लिखा जा चुका है।
150	,, भौरिगा पुत्र बापु मीना	श्री जगपुरा	65	2500/-	—	,,	प्रार्थी को द्वितीय किश्त की राशि लेने हेतु लिखा गया है किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ है।
151	,, बजरंग पुत्र अर्जुना माली	निवाई	83	2500/-	—	उपयोग नहीं हुआ है	एकमुश्त राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है।
152	,, हीरालाल पुत्र बिरधा खाती	नया गांव	96	2500/-	—	,,	,, ,, ,,
153	,, घासीलाल पुत्र लाल गूजर	बराड़ो	118	2500/-	3200/-	प्रार्थी के अनुसार उपयोग हो गया है	मौका निरीक्षण हेतु सुपरवाइजर को पत्रावली दी जा चुकी है।
154	,, रामकल्याण पुत्र जगन्नाथ माली	निवाई	124	2500/-	—	उपयोग नहीं हुआ	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8
155	श्री मथुरालाल पुत्र अमरलाल शर्मा	डांगरथल	126	2500/-	2400/-	द्वितीय किस्त का उपयोग नहीं हुआ है	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया जा
156	,, प्यारसा पुत्र काल्या मीना	वाढ़छोरिया	127	2500/-	3200/-	कार्य निर्माणाधीन है	—
157	,, रामनिवास पुत्र गेन्दा शर्मा	दूरिया	143	2500/-	3200/-	,,	—
158	,, श्रवणलाल पुत्र घीसी मीना	छोरिया	155	2500/-	—	उपयोग नहीं हुआ है	एकमुश्त वसूली का नोटिस दिया जा
159	,, गुल्ला पुत्र शोनाथ	सुरिया	165	2500/-	2800/-	कार्य निर्माणाधीन है	—
160	,, सुखा पुत्र रामरतन बैरवा	हिंगोनिया	167	2700/-	—	—	बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ग्राम हिंगोनिया में [illegible] किया गया है एवं भुगतान किये [illegible] के लगभग हुआ है।
161	,, कल्याण पुत्र ईशरा गूजर	लक्ष्मी दामोदर पुरा	168	2700/-	—	—	बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ग्राम हिं[illegible] गया है एवं भुगतान किये [illegible] लगभग हुआ है।
162	,, कजोड़ पुत्र रामचन्द्र बैरवा	हिंगोनिया	169	2700/-	—	—	,,
163	,, हरनाथ पुत्र पांचू बैरवा	,,	170	2700/-	—	—	,,
164	,, पांचू पुत्र रामनाथ राणा	,,	172	2700/-	—	—	,,
165	,, चन्द्रा पुत्र वल्ला मीना	जगसरा	173	2250/-	—	—	,,

(अतारांकित [redacted])

विभिन्न श्रेणियों के आर[redacted] सूची

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत रिक्त पद	आरक्षित पद	सामान्य पद	भरे हुये पद		रिक्त पद		विशेष
					आरक्षित	सामान्य	आरक्षित	सामान्य	
1.	कनिष्ठ लेखाकार	6	2	4	—	3	2	—	
2.	पर्यवेक्षक	8	3	5	2	5	1	—	
3.	वरिष्ठ लिपिक	13	4	9	—	10	3	—	एक आरक्षित पद पर सामान्य व्यक्ति पदोन्नत किया गया।
4.	कनिष्ठ लिपिक	138	38	100	15	98	23	2	
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	142	40	102	39	79	1	23	